### MAA OMWATI DEGREE COLLEGE HASSANPUR (PALWAL)

Notes

**B.COM 3rd Sem** 

**Fundamentals of insurance** 

### अध्याय 1

### बीमा का परिचय

(Introduction to Insurance)

### ■ परिचय (Introduction)

विभिन्न प्रकार के जोखिमों जैसे मृत्यु, दुर्घटना, बाढ़, आग, भूकंप आदि ने मानवीय जीवन को अनिश्चितताओं से भर दिया है। इसिलए यह अनिवार्य है कि इन जोखिमों के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए। इन अनिश्चितताओं तथा जोखिमों का जवाब है बीमा। बीमा व्यक्तियों द्वारा एक ही प्रकार के जोखिमों के लिए इकट्ठा किया गया कोष है। यह इस अवधारणा पर आधारित है कि कुछ लोगों के दुर्भाग्य के लिए बहुत से लोगों को अच्छे भविष्य के रूप में क्षतिपूर्ति करना। बीमा कंपनियाँ इसी सिद्धांत पर बनाई गई है। बीमा कंपनियाँ जोखिम का उत्तरदायित्व उठाने के लिए एक निर्धारित भुगतान करती हैं तािक कष्ट उठाने वाले की सहायता की जा सके।

### ■ बीमा का इतिहास (History of Insurance)

(1) जीवन बीमा (Life Insurance): भारत में बीमा का इतिहास बहुत पुराना है। बीमा के कुछ संदर्भ मनुस्मृति, धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में भी पाए जाते हैं। भारतीय इतिहास में समुद्री व्यापार ऋण तथा भाड़े के रूप में भी बीमा के उदाहरण मिलते हैं। भारत में बीमा की नई अवधारणा की शुरुआत 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद हुआ। ग्रेट ब्रिटेन की कुछ बीमा कंपनियों ने भारत में ब्रिटिशों के कार्यों का बीमा करना आरंभ किया। पहली बीमा कंपनी जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1818 में की गई वह ओरियंटल जीवन बीमा कंपनी थी। 1823 में बंबई जीवन बीमा ने 2–3 वर्ष का जीवन बीमा करके अपना व्यवसाय आरंभ किया। इसके पश्चात् 1829 में मद्रास इक्वीटेबल कंपनी अस्तित्व में आई। कई अन्य कंपनियों ने भारत में अपना व्यवसाय आरंभ करने का प्रयास किया परंतु अपनी अनैतिक व्यवसाय प्रक्रियाओं के कारण असफल रही। ब्रिटिश संसद द्वारा 1870 में एक बीमा अधिनयम लागू किया गया उसके बाद बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंश सोसाइटी द्वारा भारत की प्रथम जीवन बीमा कंपनी की स्थापना की गई।

भारत में जीवन बीमा व्यवसाय को नियंत्रित करने के लिए पहला वैधानिक मापदण्ड तब आरंभ हुआ जब सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा कंपनी अधिनियम, 1912 आरंभ किया गया। 1928 में बीमा कंपनी अधिनियम लागू किया गया जिससे सरकार को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि भारत में भारतीय तथा विदेशी बीमाकर्ताओं जिसमें दूरदर्शी समाज भी सिम्मिलित हैं, द्वारा किए जाने वाले जीवन बीमा तथा गैर जीवन बीमा व्यवसाय से संबंधित सांख्यिकीय सूचनाएं प्राप्त कर सके। 1938 में इस अधिनियम को समाप्त करके संशोधित रूप में बीमा अधिनियम, 1938 लागू किया गया। इस अधिनियम में बीमाकर्ताओं की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए व्यापक प्रावधान सिम्मिलित हैं।

1950 में इस अधिनियम में एक संशोधन किया गया जिसमें मुख्य एजेन्सियों को समाप्त कर दिया गया। 1956 में भारतीय सरकार ने बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण का नोटिस जारी किया। इसके परिणामस्वरूप भारतीय जीवन बीमा निगम अस्तित्व में आया। 245 भारतीय तथा विदेशी बीमाकर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम में सिम्मिलित हो गए। 2000 में IRDA की स्थापना की गई जिससे उसी वर्ष में निजी बीमाकर्ताओं के लिए भी बाजार में प्रवेश आरंभ हुआ। विदेशी कंपनियों को भी 26 प्रतिशत तक के स्वामित्व की स्वीकृति प्राप्त हुई।

(2) सामान्य बीमा (General Insurance): सामान्य बीमा का इतिहास 17वीं शताब्दी से देखा जा सकता है। प्रारंभिक सामान्य बीमा पश्चिम में हुई औद्योगिक क्रांति के कारण हुआ। इसकी शुरुआत समुद्री व्यापार में होने वाली हानियों के कारण हुआ। इन हानियों को पूरा करने के लिए बॉण्ड का प्रयोग किया गया। इसके पश्चात 1666 में अग्नि बीमा आरंभ किया गया जब इंग्लैंड में भयानक आग लगी जिसमें लगभग 85% घर जलकर राख बन गए। निकोलर्स बारबन तथा उसके 11 सहायकों ने मिलकर पहली अग्नि बीमा कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी की सफलता के कारण आने वाले शतकों में कई कंपनियाँ अस्तित्व में आई। 19वीं शताब्दी के अंत में दुर्घटना बीमा आरंभ हुआ। 1848 में इंग्लैंड में नवनिर्मित रेलवे प्रणाली से होने वाली हानियों को पूरा करने के लिए रेल यात्री बीमा कंपनी की स्थापना की गई। इसी शताब्दी में पश्चिमी देशों की सरकारों ने पुराने एवं रुग्ण बीमा कंपनियों की कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय बीमा योजनाएँ आरंभ कीं।

पहली कंपनी कलकत्ता की द्वीटान बीमा कंपनी थी जिसने 1850 में व्यवसाय आरंभ किया। इस कंपनी की स्थापना ब्रिटिशों द्वारा की गई।

सभी प्रकार के सामान्य बीमा व्यवसायों को करने के लिए भारतीय मर्केन्टाइल बीमा लिमिटेड की स्थापना 1907 में की गई। 1957 में सामान्य बीमा समिति की स्थापना की गई तािक उचित व्यवसाय तथा अच्छी व्यवसायिक नीितयाँ सुनिश्चित की जा सकें। 1968 में बीमा अधिनियम में संशोधन किया गया तािक निवेशों एवं न्यूनतम शोधन क्षमता सीमाओं को नियंत्रित किया जा सके। 1972 में सामान्य बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया गया जिसके परिणामस्वरूप भारतीय सामान्य बीमा निगम की स्थापना की गई। सभी कंपनियों का चार कंपनियों में संविलियन किया गया— राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड, ओरियंटल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड तथा युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड। सन् 2000 में IRDA की स्थापना की गई जिसने उसी वर्ष में निजी बीमाकर्ताओं के लिए बाजार की शुरुआत की। जैसे कि जीवन बीमा तथा विदेशी कंपनियों को 26% तक स्वामित्व की स्वीकृति दी गई। चार कंपनियाँ जो कि सामान्य बीमा कंपनी की सहायक कंपनियों की तरह कार्य कर रही थीं उन्हें स्वतंत्र कंपनियों के रूप में पूर्निर्मित किया गया।

### ■ बीमा का अर्थ (Meaning of Insurance)

बीमा एक जोखिम हस्तांतरण यंत्रावली है। यह संभावित हानि की दशा में क्षतिपूर्ति करने का अनुबन्ध है। यह हानि जीवन की अथवा संपत्ति की हो सकती है। परंतु क्षतिपूर्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि उसने एक निश्चित हानि के लिए बीमा कंपनी के साथ अनुबन्ध किया हो। जो कंपनी एक व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करती है वह बीमाकर्ता कहलाती है तथा उस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति की जाती है वह बीमाकृत कहलाता है। बीमाकर्ता इस क्षतिपूर्ति के लिए एक निश्चित अविध में कुछ राशि लेता है जिसे प्रीमियम कहा जाता है।

इंश्योरेंश शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के शब्द एंश्योर से हुई है जिसका अर्थ है सुनिश्चित करना, आश्वासन देना अथवा गारंटी देना। इंश्योरेंश शब्द एक संज्ञा शब्द है तथा ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार इसका अर्थ है ''एक व्यवस्था जिसके द्वारा एक कंपनी एक निश्चित हानि, नुकसान, बीमारी अथवा मृत्यु के लिए एक निर्धारित प्रीमियम राशि प्राप्त करके, क्षतिपूर्ति की गारंटी देती है।'' (An arrangement by which a company or the state undertakes to provide a guarantee of compensation for specified loss, damage, illness or death in return for payment of a specified premium.)

(i) मैकिमिलन शब्दकोश के अनुसार, ''बीमा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत आप नियमित रूप से बीमा कंपनी को एक राशि का भुगतान करते हैं तािक यदि किसी संपत्ति का नुकसान हो जाए, कुछ खो जाए या चोरी हो जाए और यदि तुम्हारी मृत्यु हो जाए या बीमार हो जाए या जख्मी हो जाए तो वह राशि तुम्हें दे सकें।'' (An arrangement in which you regularly pay an insurance company an amount of money so

that they will give you money if something you own is damaged, lost or stolen or if you die or all ill or injured.—Macmillan)

(ii) इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार, ''बीमा एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत पूर्वनिर्धारित योगदान के लिए बीमाकर्ता बीमाकृत को एक राशि का भुगतान करने अथवा सेवाएँ प्रदान करने का वायदा करता है यदि निर्धारित अविध में उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए जिस कारण उसे हानि हो।''(Insurance, a system under which the insurer, for a consideration usually agreed upon in advance, promises to reimburse the insured or to sender services to the insured in the event that certain accidental occurences result in losses during a given period. —Encyclopedia Britannica)

### ■ बीमा की परिभाषा (Definitions of Insurance)

बीमा की परिभाषाओं को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- I. वैधानिक परिभाषाएँ (Legal Definitions)
- II. क्रियात्मक परिभाषाएँ (Functional Definitions)
- I.वैधानिक परिभाषाएँ (Legal Definitions)

वैधानिक परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं:

- (i) चीफ जस्टिस टिंडल के अनुसार, "बीमा एक अनुबन्ध है जिसमें वीमाकृत द्वारा बीमाकर्ता को एक राशि का भुगतान करता है जिसके बदले किसी आकस्मिक घटना के घटने पर बीमाकर्ता एक बड़ी राशि का भुगतान करेगा।" (Insurance is a contract in which sum of money is paid by assured in consideration of the insurers incurring the risk of paying a large sum upon a given contingency. Chief Justice Tindal)
- (ii) जस्टिस लॉरेंस के अनुसार, "बीमा एक अनुबन्ध है जिसमें एक पक्ष दूसरे को जोखिम के लिए पर्याप्त मूल्य के बदले में प्राप्त मूल्य के बदले में सुरक्षा प्रदान करता है कि वह उसे किसी भी पूर्वाग्रह अथवा क्षित अथवा निर्दिष्ट खतरों जिनके प्रति वह उजागर है के कारण नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा।" (Insurance is a contract by which the one party, in consideration of a price paid to him adequate to risk, becomes security to the other that he shall not suffer loss, damage or prejudice by the happening of the perils specified to certain things which may be exposed to them.—Justice Lawrence)
- (iii) ई.डब्ल्यू.पेटरसन के अनुसार, "बीमा एक अनुबन्ध है जिसके द्वारा एक पक्षकार, एक प्रतिफल के लिए जिसे प्रीमियम कहा जाता है, दूसरे पक्षकार के विशेष जोखिमों को ध्यान में रखकर उसे अथवा उसके उत्तरधिकारी को विशिष्ट घटना के घटने पर निश्चित अथवा गणना करके जो राशि बनती है उसे अदा करने का वचन देता है।" (Insurance is a a contract by which one party for a compensation called the premium assumes particular risks of the other party and promises to pay to him or his nominee or certain ascertainable sum of money on a specified contingency.—E.W. Patterson)
- II. क्रियात्मक परिभाषाएँ (Functional Definitions)

कार्यात्मक परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं:

(i) प्रोफेसर रॉबर्ट मेहर के अनुसार, "बीमा कई जोखिम इकाइयों को एक साथ मिलाकर उनकी व्यक्तिगत हानि को साझा रूप से कम करने की सामाजिक युक्ति है। भविष्य में होने वाली हानि उन सभी द्वारा आनुपातिक रूप insurance premium) for a large unknown loss which may or may not occur.—Boone and Kurtz)

, बीमा के तत्व/विशेषताएँ/प्रकृति (Features/Characteristics/ Nature of Insurance)

- (1) सहयोगी उपकरण (Co-operative Device): जैसा कि घोष तथा अग्रवाल ने कहा है बीमा एक सहयोगी प्रारूप है जिसमें एक व्यक्ति की हानि का भार उन सभी व्यक्तियों पर होता है जिन्होंने बीमा लिया है। यह ऐसे व्यक्तियों द्वारा बनाया गया कोषों का समूह है जिन्होंने अपना बीमा करवाया है। अतः वे किसी भी आकस्मिक घटना जैसे कि मृत्यु, आग, दुर्घटना, चोरी, समुद्री जोखिम आदि से होने वाली हानि का भार वहन करते हैं।
- (2) जोखिम का हस्तांतरण (Transfer of Risk): बीमा एक जोखिम हस्तांतरण यंत्रावली की तरह कार्य करता है जिसमें बीमाकृत व्यक्ति अपना जोखिम बीमाकर्ता को हस्तांतिरत कर देता है। अन्यथा उस व्यक्ति को अपनी आर्थिक हानि का भार स्वयं वहन करना पड़ता है।
- (3) जोखिम का फैलाना (Spreading of Risk): बीमा एक ऐसी यंत्रावली है जिसमें कुछ लोगों के जोखिम को उन लोगों की एक बड़ी संख्या पर फैला दिया जाता है जिन्होंने वही योजना ली हो।
- (4) व्यक्तियों की अधिक संख्या (Large Number of Persons): एक बीमा कंपनी की सफलता अथवा असफलता उसके ग्राहकों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि संख्या अधिक होगी तो कंपनी हानि के जोखिम को अधिक व्यक्तियों में वितरित करेगी तथा लाभ कमाने में समर्थ होगी।
- (5) जोखिम मूल्यांकन (Risk Evaluation): जब कहानी एक योजना आरंभ करती है तो पहले प्रीमियम की राशि निर्धारित की जाती है। प्रीमियम की राशि जोखिम की मात्रा पर निर्भर होती है। यदि जोखिम अधिक है तो प्रीमियम की राशि भी अधिक होती है। इसी कारण बीमा कंपनियाँ वृद्ध व्यक्तियों से अधिक प्रीमियम लेती हैं तथा बच्चों एवं जवान व्यक्तियों से कम प्रीमियम लेती हैं।
- (6) प्रीमियम (Premium): एक व्यक्ति जो बीमा करवाने जा रहा हो उसे अदृश्य जोखिम की पूर्ति के लिए एक राशि का भुगतान करना पड़ता है जिसे प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम की राशि कुछ तत्वों पर निर्भर करती है; जैसे—आयु, सुरक्षित जोखिम की राशि, व्यवसाय की प्रकृति आदि।
- (7) बीमा एक सेवा है (Insurance is a Service): बीमा एक सेवा है क्योंकि इसमें वास्तव में कुछ भी उत्पादन नहीं किया जाता और न ही किसी मूर्त वस्तु का आदान-प्रदान होता है। बीमा के अंतर्गत केवल अनुबन्ध किया जाता है तथा बीमा पॉलिसी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं प्राप्त होता। यहाँ तक कि प्रीमियम के भुगतान के लिए भी किसी मूर्त वस्तु का विनिमय नहीं होता। कंपनी अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार उस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने की गारंटी देती है।
- (8) बीमा जुआ नहीं है (Insurance is not a Gamble): यद्यपि बीमा तथा जुआ देखने में एक समान है परंतु ये दोनों भिन्न हैं। ये दोनों एक समान इसलिए लगते हैं क्योंकि दोनों में ही अनुबन्ध होता है, दोनों में ही जोखिम होता है तथा भुगतान कोषों में से किया जाता है परंतु ये दोनों निम्नलिखित कारणों से भिन्न होते हैं:
  - (i) जुआ एक अवैधानिक गतिविधि है जबिक बीमा वैधानिक गतिविधि है।
  - (ii) जुआ में सट्टे का जोखिम होता है जबिक बीमा में वास्तविक जोखिम होता है।
  - (iii) एक जुआरी अनावश्यक जोखिम के लिए भुगतान करता है जबिक बीमाकर्ता आवश्यक जोखिम के लिए प्रीमियम का भुगतान करता है।
  - (iv) बीमा से वित्तीय जोखिमों के प्रति मन में शान्ति प्रदान करता है जबिक जुए से मन की शान्ति समाप्त हो जाती है।

- (9) बीमा दान नहीं है (Insurance is not Charity): दान तथा बीमा में प्रतिफल अंतर का मुख्य तत्व है दान बिना प्रतिफल के किया जाता है जबिक बीमा प्रीमियम के प्रतिफल में किया जाता है। एक व्यक्ति अथवा संस्था जो दान प्राप्त करते हैं वे दान देने वाले को किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं करते। परंतु बीमा में बीमाकृत की बीमा कंपनी द्वारा जोखिमों के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। दान कोई अनुबन्ध नहीं है जबिक बीमा एक अनुबन्ध है।
- (10) क्षितिपूर्ति का अनुबन्ध (Contract of Indemnity): बीमा अनुबन्ध क्षितपूर्ति का अनुबन्ध है। इसका अर्थ है कि हानि की राशि जो कि अनुबन्ध है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को पूरी क्षितिपूर्ति की जाएगी। बीमा अनुबन्ध क्षितपूर्ति का अनुबन्ध नहीं है यदि एक स्थायी राशि का भुगतान किया जाता है यद्यपि उसे हानि हो या न हो। अतः जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा तथा बीमारी का बीमा आदि क्षितिपूर्ति का अनुबन्ध नहीं है।
- (11) अत्यंत सद्विश्वास (Utmost Good Faith): यह परम सद्भाव का अनुबन्ध अथवा सद्विश्वास का अनुबन्ध कहलाता है। इसका अर्थ है कि दोनों पक्षकारों को सभी भौतिक तत्वों को स्पष्ट करना चाहिए। जब बीमाकर्ता को पूरा सत्य पता होगा और वह इस स्थिति में होगा कि यह अनुमान लगा सके कि जोखिम स्वीकृत है या नहीं तभी वह निर्धारित कर सकता है कि यदि जोखिम स्वीकृत है तो कितना प्रीमियम होना चाहिए। इसी प्रकार बीमाकृत भी सभी शर्तों को जानने में समर्थ होना चाहिए ताकि वह यह निर्णय ले सकें कि उसे बीमा अनुबन्ध करना है या नहीं।
- (12) बीमा अनुबन्ध एक सामान्य अनुबन्ध की भाँति है (Insurance Contract is a Type of General Contract):बीमा अनुबन्ध सामान्य अनुबन्ध का ही एक प्रकार है तथा यह भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के तहत है। इस अधिनियम की धारा 10 के अनुसार एक समझौता जिसमें पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति, वैधानिक प्रतिफल, वैधानिक उद्देश्य निहित है, वह अनुबन्ध कहलाता है। क्योंकि बीमा अनुबन्ध में ये सब तथ्य होते हैं इसलिए वह एक अनुबन्ध है।

### ■ बीमा के सिद्धांत (Principles of Insurance)

सामान्य वाणिज्य लेन-देनों में खरीददार को यही जोखिम होता है कि खरीदी गई वस्तु अथवा संपत्ति के गुण तथा स्थिति कैसी है? इसका अर्थ है कि क्रेता को क्रय करने से पहले उसे जांच करनी चाहिए अथवा जागरूक रहना चाहिए। परंतु बीमा में दोनों पक्षकारों के हितों की सुरक्षा के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं। वे निम्नलिखित हैं:

(4) बीमाकृत हित का सिद्धांत (Principle of Insurance Interest): इंश्योरेंस क्लेम कम्पलेंट ब्यूरो के अनुसार, ''एक व्यक्ति का किसी वस्तु में बीमाकृत हित तब माना जाता है जब उस वस्तु की हानि अथवा नष्ट होने पर उस व्यक्ति को वित्तीय हानि अथवा अन्य किसी प्रकार की हानि सहन करनी पड़ती है।'' इसका अर्थ है कि पॉलिसी धारक को उस घटना के घटित होने पर प्रत्यक्ष वित्तीय हानि का सामना करना पड़े जिसके लिए बीमा करवाया गया हो। उदाहरण के लिए, मालिक को कर्मचारी के जीवन का बीमा योग्य हित होना अनिवार्य नहीं है परंतु पति-पत्नी को एक-दूसरे के जीवन का बीमा योग्य हित होता है।

जीवन बीमा में पॉलिसी लेते समय बीमा योग्य हित होना अनिवार्य है परंतु दावा करते समय यह अनिवार्य नहीं है। समुद्री बीमा में बीमा करवाते समय बीमा योग्य हित होना अनिवार्य नहीं है परंतु दावा करते समय होना अनिवार्य है। अन्य प्रकार के बीमा में दोनों ही समय में— पॉलिसी लेते समय तथा दावा करते समय बीमा योग्य हित होना अनिवार्य है।

(2) प्रतिस्थापन का सिद्धांत (Principle of Subrogation): यह एक वैधानिक सिद्धांत है जहाँ एक व्यक्ति एक लेनदार के उसके देनदार के प्रतिकूल अधिकार लेता है तथा उपाय करता है। यह कानून का मुद्दा होने के कारण स्वतः ही हो सकता है अथवा अनुबन्ध का हिस्सा होने के कारण समझौते द्वारा हो सकता है। बीमा में यह बीमाकर्ता का अधिकार है कि वह तृतीय पक्षकार जिसके कारण बीमाकर्ता को हानि हुई है उसके बारे में जानकारी लें। यह दावे की उस राशि के भुगतान के एक साधन की तरह काम करता है जो कि हानि के लिए बीमाकृत को दी जानी है। उदाहरण के लिए, मिस्टर A ने अपने घर

का ₹ 10,00,000 के लिए बीमा करवाया। उसके मकान को पड़ोसी B की लापरवाही की वजह से नुकसान पहुँचता है। बीमा कंपनी A को ₹ 10,00,000 का भुगतान करेगी। परंतु साथ ही कंपनी B के विरुद्ध अदालत में मुकदमा करेगी। मान लीजिए कि कंपनी ने उसके विरुद्ध ₹ 11,00,000 के दावे का मुकदमा किया और कंपनी मुकदमा जीत जाती है। तब कंपनी उसमें से ₹ 10,00,000 जो कि A को दिए हैं तथा अन्य व्ययों की राशि जैसे कि अदालत की फीस आदि रखकर शेष राशि का भुगतान A को करेगी।

- (3) क्षितपूर्ति का सिद्धांत (Principle of Indemnity): क्षितपूर्ति का सिद्धांत यह बताता है कि बीमाकर्ता वास्तविक हानि से अधिक भुगतान करने के लिए सहमत नहीं है। क्षितपूर्ति के सिद्धांत के मुख्य दो आधारभूत उद्देश्य हैं—(i) नैतिकता के जोखिम को कम करना तथा (ii) बीमाकृत को हानि होने पर उससे लाभ उठाने से रोकना। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यह है कि उसी वित्तीय स्थिति को बनाए रखना जो हानि होने से पहले थी। क्षितपूर्ति की राशि बीमाकृत राशि अथवा वास्तविक हानि दोनों में से जो भी कम हो उस तक सीमित होती है। यह सिद्धांत जीवन बीमा पर लागू नहीं होता क्योंकि मानव जीवन का मूल्य पैसों से नहीं लगाया जा सकता।
- (4) योगदान का सिद्धांत (Principle of Contribution): योगदान का सिद्धांत क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का संपूरक है। यह सिद्धांत निश्चित करता है कि जब एक व्यक्ति एक ही प्रकार के जोखिम के लिए कई बीमा करवाता है तो ऐसी जोखिम के होने पर क्या होगा? इस सिद्धांत के अनुसार बीमाकृत केवल हानि की राशि तक ही या तो सभी बीमाकर्ताओं से अनुपात में उस राशि का दावा कर सकता है अथवा पूरी राशि का दावा एक ही बीमाकर्ता से कर सकता है। यदि बीमा धारक एक ही कंपनी से दावा करता है तब वह कंपनी अन्य कंपनियों से आनुपातिक राशि की माँग कर सकती है। उदाहरण के लिए, अमित ने अपनी कार का बीमा युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से ₹ 10,00,000 का किया तथा नेशनल इंश्योरेंश कंपनी से ₹ 6,00,000 का बीमा किया। उसकी कार क्षतिग्रस्त हो जाती है और दावा ₹ 2,00,000 का है। इस अवस्था में अमित ₹ 2,00,000 की राशि का दावा किसी भी एक कंपनी से कर सकता है अथवा वह ₹ 1,25,000 का दावा युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंश कंपनी से तथा ₹ 75,000 का दावा नेशनल इंश्योरेंश कंपनी से कर सकता है।
- (5) परम सद्विश्वास का सिद्धांत (Principle of Utmost Good Faith): इस सिद्धांत की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द परम-सद्भाव से हुई जिसका अर्थ है बहुत अधिक विश्वास। अंग्रेजी में जिसका अर्थ है परम सद्विश्वास। इसका अर्थ है कि दोनों ही पक्षकारों द्वारा सभी तथ्यों का प्रकटीकरण करना चाहिए। सद्विश्वास के सिद्धांत में तीन वैधानिक मत है— प्रस्तुतीकरण, संगोपण तथा वारंटी। प्रस्तुतीकरण में वे सब विवरण होते हैं जो कि आवेदक द्वारा बीमाकर्ता को दिए जाते हैं जैसे— आयु, भार, कद, पेशा, परिवार की जानकारी, स्वास्थ्य की जानकारी, सिगरेट पीता है या नहीं आदि। एक अनुबन्ध व्यर्थनीय माना जाएगा यदि प्रस्तुतीकरण महत्वपूर्ण तथा झूठा हो जिस पर बीमाकर्ता द्वारा विश्वास किया गया है। संगोपण का अर्थ है जानबूझकर बीमाकर्ता से किसी भौतिक तथ्य को छुपाना। वारंटी एक ऐसा विवरण है जो जिसमें बनाने वाले द्वारा गारंटी दी जाती है तथा बीमा अनुबन्ध का एक हिस्सा होता है। अनुबन्ध की पूरी अवधि में भौतिक तत्वों को प्रकट करना कर्तव्य है अतः बीमाकृत इसके लिए उत्तरदायी है कि जब भी कोई परिवर्तन आए तो भौतिक तत्वों की जानकारी कंपनी को दें।
- (6) निकटतम कारण का सिद्धांत (Principle of Causa Proxima): यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है निकटतम कारण इस सिद्धांत के अनुसार हानि का कारण निकटतम होना चाहिए दूरवर्ती नहीं। इसका अर्थ है यदि हानि एक से अधिक कारणों से हुई है तो उत्तरदायित्व का निर्धारण करने के लिए निकटतम कारण को ध्यान में रखा जाएगा यद्यिप हानि दूरवर्ती कारणों से न हो। Hamilton Vs Pandrof (1987) के मामले में एक समुद्री जहाज का बीमा समुद्री पानी से होने वाली हानि के लिए करवाया गया। जहाज के अन्दर रखा गया सामान समुद्र से आए उस पानी से खराब हुआ जो कि चूहे द्वारा बाथरूम के एक पाइप में सुराख किए जाने के कारण जहाज में आया। बीमाकर्ता ने कहा कि वे इस

बीमा के मूल तत्त्व


नुकसान की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि वह हानि चूहे के कारण हुई है। यह निर्णय लिया गया कि हानि समुद्री पानी के कारण हुई है अतः बीमाकर्ता क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है।

एक अन्य मामला Taylor V/s Dunbar (1869) में एक जहाज जिसमें मीट ले जाया जा रहा था तूफान के कारण देर से पहुँचा। मीट खराब हो गया और फेंकना पड़ा। यह निर्णय लिया गया कि बीमाकर्ता क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि हानि समुद्री आपदाओं के कारण नहीं हुआ है जिसके लिए बीमा करवाया गया था।

(7) हानि का न्यूनीकरण सिद्धांत (Principle of Mitigation of Loss): इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी घटना घटित होने पर बीमाकृत अपनी हानि को कम करने के लिए कई उपाय करता है। ऐसे समय में बीमाकृत को गैर-उत्तरदायित्व नहीं होना चाहिए तथा नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। परंतु उसके जीवन के जोखिम के समय पर वह ये सब करने के लिए बाध्य नहीं है। घटना के समय में उसे वे सभी उपाय करने चाहिए जो कि एक बुद्धिमान व्यक्ति उस समय करेगा। उदाहरण के लिए, मिस्टर जैन के घर में बिजली की खराबी के कारण आग लग जाती है। ऐसी अवस्था में मिस्टर जैन को सभी संभव उपाय करने चाहिए जैसे—अग्न वाहन को बुलाना, पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाना, अग्नि को बुझाने वाले उपकरणों का प्रयोग करना आदि ताकि आग को बुझाया जा सके। उन्हें केवल इसलिए हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए कि बीमा करवाया गया है।

बीमा का उद्देश्य/आवश्यकता/महत्व (Objective/Need/Importance of Insurance)

आज के युग में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गला काट प्रतिस्पर्धा, बदलती जीवन शैली तथा अनिश्चितताएँ बढ़ती जा रही हैं। इसिलए बीमा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा इसकी आवश्यकता न केवल एक व्यक्ति अथवा परिवार को है बिल्क यह आर्थिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय तथ्यों के लिए भी अनिवार्य है। एक व्यक्ति, परिवार, अर्थव्यवस्था, समाज अथवा राष्ट्र के लिए बीमा करवाने के उद्देश्य भिन्न हो सकते हैं परंतु यह सबके लिए अनिवार्य है। बीमा के उद्देश्य अथवा आवश्यकता अथवा महत्व का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है:



#### • A. व्यक्तिगत तथ्य (Individual Aspects)

- (1) सुरक्षा (Security): बीमा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा। बीमा कंपनी बीमाकृत को अनिश्चित घटना के घटित होने पर होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की गारंटी देती है। अतः बीमाकृत अनिश्चित घटना के घटित होने के प्रभावों से सुरक्षा महसूस करता है।
- (2) अनिवार्य बचत (Forced Savings): भारतीय आयकर अधिनियम जीवन बीमा के लिए दिए गए प्रीमियम की राशि को बचत मानकर धारा 80 (C) में सिम्मिलित करता है। अतः जीवन बीमा एक तरह से अनिवार्य बचत करवाता है क्योंकि व्यक्ति कर से बचने के लिए भी जीवन बीमा करवाता है। इससे व्यक्तियों में बचत करने की आदत भी हो जाती है।
- (3) मानसिक शांति (Mental Peace): प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जैसे— जीवन संबंधी दुर्घटना, स्वास्थ्य आदि। अग्नि, चोरी दुर्घटना तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण हानि हो सकती है। एक उचित बीमा जैसे कि जीवन बीमा, अग्नि, दुर्घटना आदि का बीमा करवाने से बीमाकृत व्यक्ति के दिमाग से सभी प्रकार के डर एवं चिन्ताएं समाप्त हो जाती हैं।
- (4) आर्थिक स्वतंत्रता (Economic Independence): एक परिवार कमाने वाले व्यक्ति पर निर्भर होता है। यदि किसी कारण से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वह अपंग हो जाता है तो परिवार को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है तथा उनका जीवन स्तर भी निम्न स्तर पर आ जाता है। इस प्रकार परिवार अपनी आर्थिक स्वतंत्रता खो देता है। यदि कमाने वाले व्यक्ति ने पर्याप्त बीमा करवाएं हो तो परिवार को इतना कुछ नहीं सहन करना पड़ता तथा वह बीमा कंपनी द्वारा दी गई राशि से अपनी आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखता है।
- (5) ऋण सुविधा (Credit Facility): एक बीमाकृत व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर अपनी पॉलिसी को बीमा कंपनी के पास गिरवी रखकर ऋण प्राप्त कर सकता है। जब भी उसके पास धन हो तब वह अपना ऋण वापिस कर सकता है। इस प्रकार बीमा ऋण सुविधा भी प्रदान करता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह ऋण के साथ-साथ आपित्त के समय बीमा की राशि भी प्राप्त कर सकता है।
- (6) कर में छूट (Tax Exemption): आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार जीवन बीमा से सम्बन्धित प्रीमियम की राशि को धारा 80 (C) के तहत बचत माना जाता है जिस पर कर की छूट है। अतः जीवन बीमा करवाने से एक व्यक्ति आय कर बचा सकता है। इसलिए बीमा अन्य प्रकार के निवेशों जैसे कि स्थायी जमा आदि की तुलना में एक लाभदायक निवेश है क्योंकि यह जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है तथा कर में भी बचत करता है।
- (7) गिरवी रखने पर संरक्षण (Protection against Mortgage): यदि एक व्यक्ति संपत्ति को गिरवी रखकर ऋण लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तब परिवार उस संपत्ति को प्रयोग करने से वंचित रह जाता है। परंतु यदि उस व्यक्ति ने बीमा करवाया है तो बीमा कंपनी उसके परिवार को जो राशि देगी उसमें से वह ऋण चुकता कर सकता है तथा अपनी संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे गिरवी रखने वाला व्यक्ति संपत्ति का बीमा भी करवा सकता है क्योंकि वह संपत्ति के नष्ट होने पर बीमा कंपनी से ऋण की राशि प्राप्त कर लेगा।
- (8) लाभदायक निवेश (Profitable Investment): बीमा कंपनी द्वारा कई प्रकार की पॉलिसियाँ की जाती है; जैसे— इनडॉवमेंट पॉलिसी (Endownment Policies), यूनिट बीमा योजनाएँ (ULIPs), अस्थिगत वार्षिकी योजनाएँ (Deferred Annuities) आदि। जो कि दीर्घकाल में लाभदायक निवेश सिद्ध हुए हैं। नियमित बचत, पूँजी निर्माण तथा पूँजी पर वापसी आदि निवेश की मुख्य विशेषताएँ हैं जो कि जीवन बीमा में उचित प्रकार हैं। इसमें यूनिट बीमा योजना पर अधिक बाजार प्राप्तियाँ होती हैं तथा अन्य प्रकार की जीवन बीमा योजना में आविधक बोनस तथा परिपक्वता के समय बोनस होता है।

(9) भिवष्य संबंधी आवश्यकताएँ (Future Needs): भिवष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी बीमा करवाना आवश्यक है; जैसे— बुढ़ापे से संबंधी आवश्यकताएँ, पुनर्प्रबंध की आवश्यकताएँ, बच्चों की शिक्षा से संबंधित, विवाह संबंध संबंधी तथा बच्चों की उन्नित से संबंधित आवश्यकताएं आदि। व्यक्ति बीमा के रूप में छोटी-छोटी बचतें कर सकता है तािक भिवष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

### ● B. अर्थशास्त्रीय तथ्य (Economic Aspects)

- (1) व्यवसायिक हानियों से सुरक्षा (Safety against Business Loss): व्यक्ति की तरह व्यवसाय को भी कई प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ता है। व्यवसाय में कई प्रकार की संपत्तियाँ होती हैं तथा किसी भी लापरवाही के कारण बड़ी हानि हो सकती है। ऐसी अनिश्चित हानियों से एकमात्र सुरक्षा का साधन बीमा ही है। यदि संपत्तियों का बीमा करवाया गया है तो कोई जोखिम नहीं होगा क्योंकि यदि किसी भी प्रकार की हानि होती है तो बीमा कंपनी उसका भुगतान कर देगी।
- (2) कार्यकुशलता में वृद्धि (Increased Efficiency): जब एक व्यक्ति का दिमाग चिन्ताओं से मुक्त होगा तो वह अधिक कार्यकुशलता से काम कर सकता है। संपत्ति का बीमा करवाने से व्यक्ति चिन्ता-मुक्त हो जाता है। इसलिए व्यवसायी अपने व्यवसाय में अधिक समय लगा सकता है तथा अधिक कार्यकुशलता से कार्य कर सकता है। जिसके परिणामस्वरूप अधिकतम धन-संपदा संभव है।
- (3) मुख्य व्यक्ति की क्षितिपूर्ति (Main Man Indemnification): मुख्य व्यक्ति का अर्थ है संगठन का महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसकी संगठन में आवश्यकता या तो उसकी पूँजी के कारण या अनुभव के कारण या निपुणता के कारण और या उसकी ख्याति के कारण होती है। संगठन उसकी गैरहाजिरी में बहुत कुछ सहन करना पड़ सकता है। उसकी मृत्यु अथवा असमर्थता के कारण संगठन को इतनी हानि हो सकती है जितनी कि एक भौतिक संपत्ति के नष्ट होने पर भी नहीं होती।
- (4) ऋण सुविधाएँ (Credit Facilities): एक व्यक्ति की तरह व्यवसाय भी पॉलिसियों को समानांतर प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखकर ऋण ले सकता है। इस प्रकार ऋण लेने की क्षमता में वृद्धि होती है जिससे व्यवसाय और अधिक ऋण ले सकता है। इसी प्रकार वित्तीय सस्थाएँ भी सुरक्षित महसूस करती हैं क्योंकि पॉलिसी को समाप्त करवा कर अपनी ऋण दी गई राशि प्राप्त कर सकती हैं।
- (5) व्यवसाय के साझेदार के भुगतान (Business Partner Funding): साझेदारी फर्म में यदि एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है अथवा वह फर्म छोड़ देता है तब दूसरा साझेदार उसके देय धन का भुगतान करता है। इसमें बीमा से बहुत सहायता मिलती है। मृत्यु के बाद बीमा कंपनी दावे की राशि का भुगतान करेगी। उस राशि में से उस मृतक साझेदार द्वारा किए जाने वाले सभी भुगतान किए जा सकते हैं। साझेदार की सेवा-निवृत्ति के समय जीवन बीमा पॉलिसी को समर्पित किया जा सकता है तथा उससे प्राप्त राशि से उसे भुगतान किया जा सकता है।
- (6) कर्मचारी हित (Employee Welfare): कर्मचारियों का हित मालिक का उत्तरदायित्व होता है क्योंकि वे उसके लिए काम करते हैं। कर्मचारी हित में पेंशन, दुर्घटना के समय सहायता, बीमारी में सहायता तथा मृत्यु होने पर परिवार को सहायता आदि सम्मिलित हैं। इसलिए एक अच्छा मालिक ये सब सुविधाएं कर्मचारियों को प्रदान करता है। इन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए मालिक कई प्रकार की योजनाएं ले सकता है जैसे कि समूह बीमा योजना, दुर्घटना बीमा तथा मेडीक्लेम योजना आदि।
- (7) मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण (Inflation Control): सरकार बीमा की मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण के साधन की तरह प्रयोग करती है। इसलिए सरकार इस पर कर लाभ प्रदान करती है। पहले वह प्रणाली में से धन निकालती है। लोग धन का निवेश करते हैं जिससे अर्थव्यवस्था में से मुद्रा प्रचलन में कमी होती है। दूसरे बीमा कंपनी बाजार में धन का निवेश करती है अथवा कंपनियों को ऋण देती है। कंपनियाँ उस धन का प्रयोग उत्पादन बढ़ाने में कर सकती है जिससे माँग तथा पूर्ति के बीच के अंतर में कमी होगी। जिससे मुद्रा स्फीति कम होगी।

(8) वित्तीय सहायता (Financial Help): बीमा से आवश्यकता के समय पर सहायता मिलती है। प्रतिस्पर्धा के वर्तमान युग में उत्पादन के लिए परिष्कृत मशीनों का प्रयोग करती हैं और उन्हें उच्च कोटि का मूलभूत व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए कंपनियों को वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। बीमा कंपनी ऋण तथा अग्रिम राशि देकर उनकी सहायता करती है।

#### • C. सामाजिक तथ्य (Social Aspects)

- (1) रोजगार के अवसर (Employment Opportunity): बीमा कंपनी भी अन्य निर्माण अथवा व्यापारिक संस्थाओं की तरह एक व्यवसायिक संस्था है। यह सेवा उद्योग के अंतर्गत सिम्मिलित होता है, यह कंपनी कई व्यक्तियों का प्रबंधक, उप प्रबंधक, विकास अधिकारी, एजेंट, क्लर्क तथा अन्य सहायक पदों पर नियुक्त करती है। एजेंट कमीशन के आधार पर काम करते हैं नियमित कर्मचारी की तरह नहीं। यहाँ तक कि जिन लोगों को नियुक्त नहीं किया गया है वे भी अपनी आजीविका कमा सकते हैं यदि वे एजेंट के रूप में ठीक प्रकार कार्य करें।
- (2) आर्थिक विकास (Economic Growth): बीमा उद्योग कई प्रकार से आर्थिक विकास में सहायता करता है जैसे कि बीमा की राशि प्रदान करके वित्तीय स्थिति को अच्छा बनाना, वित्तीय मध्यस्थों की संख्या में वृद्धि द्वारा, तरलता प्रदान करके तथा बचतों के लिए लोगों को प्रेरित करना आदि।
- (3) जीवन स्तर (Standard of Living): एक निश्चित आर्थिक वर्ग के लोगों का धन संपदा का स्तर, सुविधाएं, भौतिक वस्तुएं तथा अनिवार्य वस्तुएं आदि का अर्थ होता है रहन-सहन का स्तर। स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, सुरक्षा, वातावरण, सेवा-निवृत्ति के बाद का जीवन आदि जीवन स्तर के कुछ मापदंड हैं। बीमा ये सब प्राप्त करने में सहायता करता है। बीमा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में, शिक्षा के लिए तथा सेवा निवृत्ति के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अतः बीमा जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायक है तथा आवश्यक भी है।
- (4) सामाजिक सुरक्षा (Social Security): बीमा का प्रयोग सामाजिक सुरक्षा के साधन के रूप में किया जा सकता है जो कि अन्यथा सरकार को प्रदान करनी पड़ती है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य संबंधी जोखिम तथा बुढापे में पेंशन। क्योंकि भारत में सरकार नागरिकों को ये सुविधाएं प्रदान नहीं करती इसलिए लोग पर्याप्त बीमा लेकर स्वयं को इन जोखिमों से सुरक्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त अग्नि बीमा योजना, दुर्घटना बीमा योजना आदि लेकर भी स्वयं को सुरक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार बीमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।
- (5) सामाजिक संपत्ति (Social Wealth): बीमा समाज जीविका तथा भौतिक संपदा को सुरक्षा प्रदान करता है। जीवन बीमा में जीवन संबंधी जोखिमों के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है तथा उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है तथा संपत्ति का बीमा संपत्ति की हानि पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अतः बीमा सामाजिक संपदा का संरक्षण करती है।
- (6) हानि में कटौती (Loss Reduction): बीमा कोषों का एक समूह है जो कि बीमाकृत व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता है। यह एक व्यक्ति को जोखिम को सभी बीमाकृत व्यक्तियों में बाँट देता है। बीमा के अभाव में एक व्यक्ति को अपनी हानि को स्वयं ही सहन करना पड़ता है।

### • D. राष्ट्रीय तथ्य (National Aspects)

- (1) पूँजी निर्माण (Capital Formation): बीमा कंपनियों द्वारा बीमाकृत व्यक्तियों से प्रीमियम के रूप में जो राशि एकत्रित की जाती है वह राशि अन्य कंपनियों की प्रतिभूतियों में निवेश की जाती है। इससे देश में पूँजी निर्माण में सहायता मिलती है। बीमा घरेलू बचतों को गतिशील बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है। इन बचतों को पूँजी निर्माण के लिए उद्योगों में लगाया जाता है।
- (2) विदेशी विनिमय (Foreign Exchange): जैसा कि हम जानते हैं कि 1991 में वैश्वीकरण आरंभ हुआ तथा विदेशी कंपनियों ने भारतीय साझेदारों के साथ संयुक्त रूप से भारतीय बीमा बाजार में प्रवेश किया। इससे बड़ी मात्रा में विदेशी


मुद्रा भारत में आई। वित्तीय वर्ष 2014-15 में सरकार ने बीमा क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति दी। विदेशी मुद्रा अर्जित करने का दूसरा तरीका है एजेंसियाँ, शाखाओं, सहायक कंपनियों आदि के माध्यम से भारतीय बीमा कंपनियों के पैन संसार

का होना। कंपनियाँ विदेशों में भी व्यवसाय कर रही हैं। तथा विदेशी मुद्रा अर्जित कर रही हैं।

- (3) आर्थिक विकास (Economic Development): बीमा कंपनियाँ कई प्रकार के वित्तीय कार्य करती हैं जो कि अन्य वित्तीय मध्यस्थों से भिन्न हैं। यह अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के लिए अनिवार्य है जिसमें उद्योग, कृषि, घरेलू उद्योग आदि सम्मिलित है। कई अनुसंधानों में यह संकेत दिया गया है कि बीमा आर्थिक विकास में भौतिक रूप से काफी योगदान देत है क्योंकि इसमें जोखिम प्रबंध संसाधन होने के कारण निवेशों में वृद्धि होती है तथा कुशलतापूर्ण गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार बीमा देश में आर्थिक विकास में सहायता करता है।
- (4) राष्ट्रीय बचतें (National Savings): किसी देश का विकास उस देश की बचतों पर निर्भर करता है। एक देश जिसमे बचत अधिक होती है उसमें विकास तीव्रता से होता है। बीमा उन माध्यमों में से एक है जो कि घरेलू बचतों को देशी निवेश में लगाता है। बीमा बैकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं की तुलना में अधिक अच्छा है क्योंकि बीमा में कोषों को दीर्घकाल वे लिए निवेश किया जाता है।
- (5) मुद्रा बाजार का विकास (Money Market Development): मुद्रा बाजार में वित्तीय संस्थाएँ तथा मुद्रा अथव साख का लेन-देन करने वाले सम्मिलित हैं जो कि या तो उधार लेना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं। बीमा कंपनियाँ वित्तीर संस्था के रूप में कार्य करती हैं तथा अपने अतिरिक्त धन मुद्रा बाजार में उधार देती हैं। बीमा कंपनी लोगों से प्रीमियम वे रूप में धन एकत्रित करती हैं तथा उस धन को मुद्रा बाजार में ऋण के रूप में देती है, अतः यह मुद्रा बाजार के विकास य उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।

बीमा के प्रकार (Types of Insurance)

बीमा व्यवसाय की संरचना निम्न प्रकार है:



#### • I. जीवन बीमा (Life Insurance)

भारत में जीवन बीमा का इतिहास सौ वर्ष पुराना है। जीवन बीमा, बीमा कंपनी तथा बीमाकृत के बीच किया गया एक अनुबन्ध है। अनुबन्ध के अंतर्गत बीमाकृत को राशि का भुगतान तब किया जाता है जब (i) परिपक्वता की तिथि हो (ii) आवधिक भुगतानों को निर्धारित तिथि हो (iii) यदि मृत्यु हो जाती है। जीवन बीमा व्यक्तियों व्यवसायों आदि सब के लिए उपयोगी है। जीवन बीमा के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं:

- (1) संपूर्ण जीवन बीमा (Whole Life Policy): जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि बीमाकृत पूरे जीवन काल में प्रीमियम देगा। उस व्यक्ति की मृत्यु होने पर बीमाकृत राशि का भुगतान उसके नामांकित व्यक्ति को किया जाएगा।
- (2) समस्त जीवन योजना (Endownment Policy): समस्त जीवन अवधि का अर्थ है निर्धारित अवधि जिसके लिए योजना ली गई है। बीमाकृत राशि का भुगतान या तो परिपक्वता की तिथि या मृत्यु पर जो भी पहले हो उस पर किया जाता है।
- (3) संयुक्त जीवन बीमा योजना (Joint Life Policy): जैसा कि नाम में ही निहित है यह योजना एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से ली जाती है। उनमें से किसी एक की भी मृत्यु होने पर बीमाकृत राशि का भुगतान बाकी बचे हुए व्यक्तियों को किया जाता है। यदि सभी बीमाकृत व्यक्ति जीवित रहते हैं तो राशि का भुगतान परिपक्वता तिथि पर किया जाता है।
- (4) वार्षिकी योजना (Annuity Policy): बीमा में वार्षिकी का अर्थ है बीमाकृत व्यक्ति को उसकी मृत्यु तक एक पूर्व निर्धारित आविधक भुगतान किया जाना। आविधक भुगतान मासिक, त्रैमासिक, अर्ध वार्षिक अथवा वार्षिक हो सकता है। इस योजना में एक बड़ी राशि का भुगतान नहीं किया जाता। वार्षिकी योजना केवल कुछ निर्धारिक वर्षों तक आविधक भुगतान के लिए भी दी जा सकती है।
- (5) डूब फंड योजना (Sinking Fund Policy): इस प्रकार की योजनाएं फर्म तथा कंपनियों द्वारा स्थायी संपत्तियों को बदलने अथवा उत्तरदायित्वों का भुगतान करने के लिए कोषों को संचय करने के लिए ली जाती हैं।
- (6) समूह बीमा योजना (Group Insurance Policy): समूह बीमा योजना मालिक द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अथवा एक संघ द्वारा अपने सदस्यों के लिए ली जाती है। पूरे समूह के लिए एक ही पॉलिसी निर्गमित की जाती है जो कि समूह के नाम से होती है।
- (7) सावधि बीमा योजना (Term Insurance Policy): सावधि जीवन बीमा योजना में कंपनी एक निश्चित बड़ी राशि का भुगतान बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके द्वारा अधिकृत लाभभोगी को किया जाता है। इस प्रकार की योजनाओं में प्रीमियम की राशि अन्य योजनाओं की तुलना में बहुत कम होती है।
- (8) मनी वैक योजना (Money Back Plans): इस प्रकार की योजनाओं में आंशिक योजना की अवधि में मृत्यु होने पर बीमाकृत राशि तथा बोनस का भुगतान नामांकित व्यक्ति को किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो आवधिक भुगतान किया गया था उसकी कटौती नहीं की जाती।

### • II. गैर जीवन बीमा अथवा सामान्य बीमा (Non Life Insurance or General Insurance)

जीवन बीमा के अतिरिक्त अन्य बीमा सामान्य बीमा के अंतर्गत सिम्मिलित है। सामान्य बीमा मे अग्नि बीमा, डकैती बीमा, कार बीमा, समुद्री बीमा, इंजीनियरिंग बीमा तथा अन्य विविध प्रकार के बीमा सिम्मिलित है। इसमें स्वास्थ्य बीमा, फसल बीमा, पशु बीमा आदि भी सिम्मिलित होते हैं।

भारत में सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकृत) अधिनियम, 1872 के रूप में किया गया। उस समय 55 भारतीय कंपनियाँ तथा 52 बीमाकर्ताओं के कार्य उद्यम कार्य कर रहे थे जो कि सरकार द्वारा ले लिए गए। भारतीय सामान्य बीमा कॉरपोरेशन 1972 में अस्तित्व में आया। भारतीय बीमा कंपनी की केवल चार सहायक कंपनियाँ रह गईं। सन् 2002 में अधिनियम में एक संशोधन किया गया जो कि मार्च 2003 में लागू किया गया। इस संशोधन के अनुसार सामान्य बीमा कंपनी को इसकी सहायक कंपनियों की नियंत्रक कंपनी की तरह कार्य करने से रोक दिया गया। अब सामान्य बीमा कंपनी (GIC) तथा अन्य चार कंपनियों पर पूर्णतया भारतीय सरकार का स्वामित्व है। विभिन्न प्रकार की योजनाएँ निम्नलिखित हैं:

- (1) मोटर बीमा (Motor Insurance): मोटर बीमा का अर्थ है व्यक्तिगत अथवा व्यवसाय के वाहन का बीमा। इस बीमा में निम्न के प्रति जोखिम को पूरा किया जाता है:(i) किसी दुर्घटना अथवा चोरी होने पर वाहन तथा इसके किसी हिस्से को क्षिति पहुँचना (ii) दुर्घटना के कारण चालक अथवा पीछे बैठे व्यक्ति की मृत्यु होना (ii) दुर्घटना के कारण तीसरे पक्षकार को नुकसान की भरपाई करना। ये लाभ व्यापक योजना के तहत प्राप्त होते हैं। तृतीय पक्ष योजना भी ली जा सकती है परंतु इस स्थिति में केवल तृतीय पक्षकार को की जाने वाली नुकसान की भरपाई की राशि ही उपलब्ध होगी।
- (2) अग्नि बीमा (Fire Insurance): अग्नि बीमा का अर्थ है एक निश्चित अविध के दौरान आग लगने पर संपत्ति अथवा वस्तुओं को होने वाली हानि का बीमा। हानि की दशा में बीमाकृत राशि अथवा वास्तिवक हानि दोनों में से जो भी कम हो उसका भुगतान किया जाता है। अनुबन्ध तथा हानि के समय मालिक का बीमा योग्य हित होना अनिवार्य है। वस्तुओं के संबंध में बीमा योग्य हित या तो स्वामित्व के कारण या आधिपत्य के कारण या अनुबन्ध के कारण हो सकता है। अग्नि बीमा के अंतर्गत निम्नलिखित हानियाँ भी सिम्मलित की जाती हैं:
  - (i) आग बुझाने के लिए प्रयोग किए गए पानी के कारण खराब हुई संपत्ति अथवा वस्तुओं की हानि।
  - (ii) आग की लपटों को बढ़ने से रोकने के लिए साथ लगते भवनों को दमकल द्वारा गिराया जाना।
  - (iii) जिस भवन में आग लगी हो वहाँ से वस्तुओं को बाहर निकालने की प्रक्रिया से होने वाला वस्तुओं को नुकसान।
  - (iv) आग बुझाने के लिए बुलाए गए कर्मचारियों को दिया जाने वाली मजदूरी।
- (3) समुद्रीय बीमा (Marine Insurance): समुद्रीय बीमा अनुबन्ध वह है जिसमें बीमाकर्ता बीमाकृत व्यक्ति को समुद्रीय गितिविधियों में होने वाली हानि की क्षितपूर्ति करने का उत्तरदायित्व लेता है। जब बीमाकृत संपत्ति समुद्री जोखिम में नष्ट हो जाती है तो वह समुद्रीय बीमा के अंतर्गत क्षितपूर्ति योग्य होती है। इसमें आग, समुद्री डाका, समुद्री आक्रमण तथा अवभारण सम्मिलित है। समुद्रीय बीमा चार प्रकार के हो सकते हैं— आवरण बीमा, माल जहाज बीमा, वहन शुल्क बीमा तथा उत्तरदायित्व बीमा। समुद्रीय बीमा में निम्नलिखित व्यक्तियों का बीमा योग्य हित होता है:
  - (i) जहाज का मालिक
  - (ii) माल जहाज का मालिक
  - (iii) वह ऋण दाता जिसने जहाज अथवा माल जहाज की सुरक्षा पर अग्रिम राशि दी हो। वह हित केवल ऋण की राशि तक ही होगा।
  - (iv) जहाज का मास्टर तथा कर्मीदल अपनी मजदूरी के लिए।
  - (v) यदि बीमा बंधक रखने के उद्देश्य से किया गया हो तो बंधकदाता ऋण की राशि तक।
  - (vi) एक ट्रस्टी जिसका ट्रस्ट में किसी संपत्ति पर स्वामित्व हो।
- (4) **इंजीनियरिंग बीमा** (Engineering Insurance): इंजीनियरिंग बीमा एक नए प्रकार का बीमा है जिसमें निर्माण तथा उत्थान योजनाओं तथा साथ ही साथ अनुबन्धकर्ता को प्लांट तथा मशीनरी, विद्युतीय उपकरणों आदि के संबंध में व्यापक उपाय प्रदान किए जाते हैं। बीमा कवर उस तिथि से आरंभ होता है जब उत्थान की जगह पर पहला प्रेषण पहुँचता है।
- (5) विविध प्रकार के बीमा (Miscellaneous Insurance): जीवन बीमा, वाहन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्रीय बीमा तथा इंजीनियरिंग बीमा के अतिरिक्त बीमा अनुबन्ध विविध बीमा अनुबन्ध कहलाते हैं। इसमें कई प्रकार के जोखिमों की क्षितिपूर्ति की जाती है। जिनमें से कुछ मुख्य तथा महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं:

- (i) स्वास्थ्य संबंधी बीमा (Health Insurance): स्वास्थ्य बीमा बीमाकृत व्यक्ति तथा उसके परिवार को बीमारी अथवा चोट अथवा दोनों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। स्वास्थ्य बीमा क्षतिपूर्ति का अनुबन्ध नहीं है तथा बीमाकृत व्यक्ति को चोट अथवा बीमारी के लिए राशि का भुगतान करना पड़ता है।
- (ii) निष्ठा संबंधी बीमा (Fidelity Insurance): इस प्रकार के बीमा में बीमाकर्ता बीमाकृत व्यक्ति (कर्मचारी) को मालिक के कारण हुई हानियों के लिए क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायित्व लिया जाता है। यह हानि धोखा, बेईमानी, कोषों तथा वस्तुओं की बेईमानी, संपत्ति का नुकसान आदि के कारण हो सकती है।
- (iii) पशुधन बीमा (Live Stock Insurance): पशुधन बीमा निश्चित आयु सीमा के सभी देशी, संकर नस्ल एवं विदेशी पशुओं के नुकसान के लिए आवरण प्रदान करता है। इस प्रकार के बीमा में दुर्घटना द्वारा हुई हानि के लिए आवरण प्रदान किया जाता है। इसमें पॉलिसी समयाविध आगजनी में, बिजली गिरने, बाढ़, चक्रवात, रोग अनुंबिधत हानि सिम्मिलित है। एक व्यक्ति अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके इसमें स्थायी संपूर्ण विकलांगता जैसे गर्भधारण न कर पाना अथवा दूध न देना आदि को शामिल करवा सकता है।
- (iv) फसल का बीमा (Crop Insurance): इस प्रकार के बीमा में बीमा कंपनी अनिश्चित घटनाओं के होने के कारण खड़ी फसल को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होती है। फसल में पेड़, पौधे तथा वनस्पतिक भाग सिम्मिलत हैं।
- (v) चोरी का बीमा (Burglary Insurance): कोई भी व्यक्ति जिसे अपनी संपत्ति के चोरी होने का जोखिम ही वह चोरी का बीमा करवा सकता है। इस प्रकार के बीमा में चोरी, डकैती घर के टूटने आदि से होने वाली हानियाँ सम्मिलित हैं।
- (vi) ऋण बीमा (Credit Insurance): इस प्रकार के बीमा में डूबत ऋणों अथवा देनदारी द्वारा देय राशि के भुगतान व किए जाने के कारण होने वाली हानियाँ सम्मिलित है। यह इस प्रकार का बीमा है जो व्यवसायी को सुरक्षा प्रदान करता है। यह देनदारों के दिवालिया होने के कारण हुई हानि के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है।
- (vii) यात्रा बीमा (Travel Insurance): यात्रा बीमा में यात्रा से संबंधित सभी प्रकार के जोखिम सिम्मिलित हैं। जैसे-चोट, बीमारी, मृत्यु, स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन आवश्यकताएँ, अस्पताल में भर्ती होना आदि।
- (viii) कर्मचारी क्षतिपूर्ति बीमा (Workmen Compensation Insurance): इसके अंतर्गत कार्य के दौरान कर्मचारियों को लगने वाली चोट अथवा घावों के लिए मालिक को जो क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है वह सम्मिलत है।

### ■ बीमा एक सामाजिक सुरक्षा का साधन (Insurance as a Social Security Tool)

बीमा जीवन तथा संपत्ति से संबंधित जोखिमों को कम करता है इसिलए एक सामाजिक सुरक्षा का साधन माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा द्वारा 10 दिसम्बर, 1948 को यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमेन राइट्स को अपनाया गया। इसके भाग 25 के अनुसार, ''प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसा जीवन स्तर जीने का अधिकार है जो कि उसके तथा उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं हित के लिए पर्याप्त हो जिसमें भोजन, कपड़ा, घर तथा स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा और अनिवार्य सामाजिक सेवाएं, बेरोजगारी, बीमारी, अपगता, विधवा, बुद्धापा आदि जैसे उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों में सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।'' इस कथन को देखते हुए राज्य का यह कर्त्तव्य बनता है कि वह सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। परंतु संसार के सभी राष्ट्र इस स्थिति में नहीं है कि पूरी सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सके। इसिलए बीमा एक अन्य उपाय है जो कि नागरिकों को क्षतिपूर्ति करने का आश्वासन देता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के विचारानुसार सामाजिक सुरक्षा एक ऐसा संरक्षण है जो कि समाज द्वारा इसके सदस्यों को दिया जाता है। इसके अंतर्गत आर्थिक एवं सामाजिक विपत्तियों के लिए सार्वजिनक उपाय किए जाते हैं। यदि ऐसा न किया जाए जो बीमारी, चोट अथवा घाव होने पर, बेरोजगारी, अयोग्यता, बुढ़ापा अथवा मृत्यु होने पर आय में कटौती हो सकती है अथवा समाप्त हो सकती है। इसके अंतर्गत सभी जरूरतमन्द लोगों को एक न्यूनतम आय देने के सुरक्षा उपाय भी किए जाते हैं, व्यापक चिकित्सा सुविधाएँ दी जाती है, बच्चों के कल्याण तथा मातृत्व संरक्षण आदि का ध्यान रखा जाता है।

भारत एक समाजवादी देश है। एक समाजवादी प्रणाली में सरकार नागरिकों को अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा देने के लिए उत्तरदायी होती है। परंतु भारत जैसे विकासशील देश के लिए अपने नागरिकों को हर प्रकार की सुविधाएँ देना बहुत कठिन है। भारतीय संविधान की धारा 41 के अनुसार राज्य द्वारा कार्य करने तथा शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावशाली प्रावधान बनाए जाएंगे तथा बेरोजगारी बुढ़ापा, बीमारी तथा अयोग्यता की दशा में अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमा तक सार्वजनिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस धारा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नागरिकों के हितों एवं अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। वे निम्नलिखित हैं:

- (1) श्रिमिक क्षितिपूर्ति अधिनियम,1923 (Workman Compensation Act, 1923): यह नागरिकों के हितों विशेष कर श्रिमिकों के कल्याण से संबंधित पहला अधिनियम था। इस अधिनियम के अनुसार दुर्घटना के शिकार कर्मचारी की क्षितिपूर्ति करने के लिए मालिक को उत्तरदायी ठहराया गया है बशर्ते यह दुर्घटना कार्य के दौरान हो।
- (2) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (Employee State Insurance Act, 1948): यह अधिनियम कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सय सहायता प्रदान करने के लिए पास किया गया। मालिक, कर्मचारी, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार इस कोष में योगदान देते हैं। इस कोष में से दवाखाने व हस्पताल खोले जाते हैं तािक कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को निशुल्क चिकित्सीय सुविधाएँ प्राप्त हो सकें।
- (3) ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम, 1972 (Payment of Gratuity Act 1972): इस अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति की सेवा-निवृत्ति, इस्तीफा, मृत्यु अथवा अयोग्यता होने पर उसे ग्रेच्यूटी का भुगतान किया जाता है बशर्ते उसे कार्य करते हुए लगातार 5 वर्ष हो चुके हों। इस अधिनियम से सेवा-निवृत्ति के समय उस व्यक्ति की अथवा उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्यों की आर्थिक सहायता प्राप्त होती है।
- (4) वाहन (संशोधित) अधिनियम, 1988 (Motor Vehicle (Amended) Act, 1988): इस संशोधन के अनुसार तृतीय पक्षकार दायित्व बीमा अनिवार्य कर दिया गया है। इस अधिनियम के अनुसार मृत्यु होने पर ₹ 50,000 तथा गंभीर घावों के लिए ₹ 25,000 प्रदान किए जाते हैं। गलती चालक की हो अथवा मालिक की। इस अधिनियम के अनुसार मार कर भाग जाने वालों के शिकार व्यक्ति की सहायता के लिए मुआवजा कोष भी होना चाहिए। मार कर भाग जाने की स्थिति में मृत्यु होने पर ₹ 25,000 तथा गंभीर चोट लगने पर ₹ 12500 प्रदान किए जाते हैं।
- (5) सार्वजनिक दायित्व अधिनियम, 1991 (Public Liability Act, 1991): सार्वजनिक दायित्व अधिनियम के अनुसार जो व्यक्ति, कंपनियाँ अथवा उद्योग खतरनाक तत्वों का प्रयोग करते हैं उन्हें किसी भी आकस्मिक घटना के लिए बीमा करवाना अनिवार्य है ताकि बीमा कंपनियों द्वारा दुर्घटना के शिकार लोगों को तुरन्त सहायता प्रदान की जा सके।
- (6) माता-पिता तथा विरष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं रख-रखाव का अधिनियम, 2007 (Maintenence and Welfare of Parents and Senior Citizen Act, 2007): यह एक विधान है जो कि 2007 में शुरू हुआ। यह माता-पिता तथा विरष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं रख-रखाव के लिए प्रभावशाली प्रावधान बनाने के लिए लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार बच्चों एवं उत्तराधिकारियों का वैधानिक दायित्व है कि वे अपने माता-पिता तथा विरष्ठ नागरिकों को मासिक राशि प्रदान करें।

इन अधिनियमों के अतिरिक्त भारतीय सरकार ने अन्य कई योजनाएँ भी आरंभ की हैं जिनमें से महत्वपूर्ण बीमा योजनाएँ निम्नलिखित हैं:

- (1) पशुधन बीमा योजना (Live Stock Insurance Scheme): इस योजना के अंतर्गत पशुओं का बीमा किया जाता
- (2) आम आदमी बीमा योजना (Aam Admi Bima Yojana): यह योजना ऐसे ग्रामीण लोगों की मृत्यु एवं अयोग्यता

(3) राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme): इस योजना में योगदान आधारित पेंशन प्रणाली प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी को न्यूनतम ₹ 6,000 प्रति वर्ष योगदान देना पड़ता है। मालिक भी वेतन का अधिकतम 10% तक योगदान देता है।

बीमा को एक सामाजिक सुरक्षा का साधन माना जाता है। इसके कारण निम्नलिखित हैं:

- (1) सामाजिक सुरक्षा (Social Security): बीमा का प्रयोग सामाजिक सुरक्षा के साधन के रूप में किया जाता जो कि अन्यथा सरकार को प्रदान करनी पड़ती है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य संबंधी, जोखिम तथा बुढ़ापे में पेंशन क्योंकि भारतीय सरकार नागरिकों को ये सुविधाएँ प्रदान नहीं करती इसलिए लोग पर्याप्त बीमा लेकर स्वयं को इन जोखिमों से सुरक्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त अग्नि बीमा योजना, दुर्घटना बीमा योजना आदि द्वारा भी स्वयं को सुरक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार बीमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।
- (2) जीवन स्तर (Standard of Living): एक निश्चित आर्थिक वर्ग के लोगों का धन-संपदा का स्तर, सुविधाएँ, भौतिक वस्तुएँ तथा अनिवार्य वस्तुएँ आदि का अर्थ होता है जीवन स्तर। स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, वातावरण, सेवा-निवृत्ति के बाद का जीवन आदि जीवन स्तर के कुछ मापदंड हैं। बीमा इन सब में सहायता करता है। बीमा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में शिक्षा के लिए तथा सेवा-निवृत्ति के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अतः बीमा जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायक है तथा आवश्यक है।
- (3) आर्थिक स्वतंत्रता (Economic Independence): एक परिवार कमाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। यदि किसी कारण से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वह अपंग हो जाता है तो परिवार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तथा उनका जीवन स्तर भी निम्न स्तर पर आ सकता है। इस प्रकार परिवार अपनी आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखता है।
- (4) गिरवी रखने पर संरक्षण (Protection against Mortgage): यदि एक व्यक्ति संपत्ति को गिरवी रखकर ऋण लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तब परिवार उस संपत्ति को प्रयोग करने से वंचित रह जाता है। परंतु यदि उस व्यक्ति ने बीमा करवाया है तो बीमा कंपनी उसके परिवार की जो राशि देगी उसमें से वह ऋण चुकता कर सकता है तथा अपनी संपत्ति वापिस प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे गिरवी रखने वाला व्यक्ति संपत्ति का बीमा भी करवा सकता है क्योंकि वह संपत्ति के नष्ट होने पर बीमा कंपनी से ऋण की राशि प्राप्त कर लेगा।
- (5) भविष्य संबंधी आवश्यकताएँ (Future Needs): भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी बीमा करवाना आवश्यक है। जैसे बुढ़ापे से संबंधी आवश्यकताएँ, विवाह संबंधी तथा बच्चों की उन्नित से संबंधित आवश्यकताएँ आदि। व्यक्ति बीमा के रूप में छोटी-छोटी बचतें कर सकता है तािक भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
- (6) व्यवसायी हानियों के लिए सुरक्षा (Safety against Business Loss): एक व्यक्ति की तरह व्यवसाय को भी कई प्रकार के जोखिमों का सामना पड़ता है। व्यवसाय में भिन्न-भिन्न प्रकार की संपत्तियाँ होती है तथा कोई लापरवाही के कारण उनकी हानि हो सकती है। ऐसी अनिश्चित हानियों के लिए एकमात्र सुरक्षा है बीमा। यदि संपत्तियों का बीमा करवाया गया होगा तो कोई जोखिम नहीं होगा क्योंकि यदि कोई हानि होगी तो उसकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी।
- (7) लाभदायक निवेश (Profitable Investment): बीमा कंपनी द्वारा कई प्रकार की योजनाएँ शुरू की जाती हैं; जैसे— इंडोवमेंट पॉलिसी (Endowment), यूनिट बीमा योजना (ULIPs), अस्थिगत वार्षिक योजनाएँ (Deferred Annuties) आदि। जो कि दीर्घकाल में लाभदायक निवेश सिद्ध हुए हैं। नियमित बचत, पूँजी निर्माण तथा पूँजी पर वापसी आदि निवेश की मुख्य विशेषताएँ हैं जो कि जीवन बीमा में उचित प्रकार है। इसमें यूनिट बीमा योजना पर अधिक बाजार प्राप्तियाँ होती हैं तथा अन्य प्रकार के जीवन बीमा योजना में आवधिक बोनस तथा परिपक्वता के समय पर बोनस होता है।

### अध्याय 2

### जीवन बीमा

(Life Insurance)

### ■ षरिचय (Introduction)

जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया जा चुका है कि जीवन बीमा भारत में लगभग 100 वर्ष पूर्व तथा विश्व में आधुनिक रूप में सन् 1706 से लंदन में आरंभ हुआ। भारत में इसने सन् 1818 में इंग्लैंड से प्रवेश किया। जीवन बीमा बहुत अधिक प्रमुख नहीं है।

at the first of the private of the private of

जीवन बीमा बीमाकर्ता तथा बीमा प्राप्त करने वाले के बीच एक अनुबंध है। इसे जीवन आश्वासन भी कहा जाता है। इस अनुबंध की सीमाओं का वर्णन पॉलिसी में किया जाता है। यह अयोग्यता, दुर्घटना, सेवा-निवृत्ति, मृत्यु होने पर तथा भावी आवश्यकताओं आदि के लिए एक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। जीवन योजनाएँ वैधानिक अनुबंध होते हैं। मानवीय मूल्य अथवा एक व्यक्ति का उसके परिवार के लिए जो मूल्य है वह मौद्रिक रूप में नहीं लगाया जा सकता परंतु आकिस्मक घटनाओं के कारण भावी आय में होने वाली हानि का निर्धारण किया जा सकता है। अतः बीमाकृत राशि जो कि पूर्व निर्धारित होती है वह बीमाकृत के लिए लाभ की राशि होती है जो कि उसे या उसके परिवार को किसी घटना के घटित होने पर प्राप्त होती है।

### ■ श्रारत में जीवन बीमा का विकास (Growth of Life Insurance in India)

भारत में जीवन बीमा व्यवसाय का विकास सन् 1938 के बाद आरंभ हुआ जब जीवन बीमा अधिनियम लागू किया गया। भारत में जीवन बीमा व्यवसाय के विकास को तीन भागों में बाँटा जा सकता है:

- (1) डाक जीवन बीमा (Postal Life Insurance –PLI): डाक जीवन बीमा सन् 1884 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य विशेष रूप से डाक-विभाग के कर्मचारियों को लाभ प्रदान करना था। बाद में यह सन् 1988 में टेलीग्राफ विभाग के कर्मचारियों के लिए भी आरंभ किया गया। यह योजना बाद में केंद्रीय एवं राज्य सरकारी कर्मचारियों, स्थानीय संस्थाओं, नगर निगम, रिजर्व बैंक, बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम [Public Sector Undertaking (PSU)], पोर्ट ट्रस्ट, विश्वविद्यालयों एवं सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षिक संस्थाओं, रेलवे, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, आदि के कर्मचारियों के लिए भी आरंभ की गई। बाद में सन् 1995 में यह साधारण जनता के लिए आरंभ की गई। सूर्वजनिक जीवन बीमा का नाम दिया गया।
- (2) भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India –LIC)): सन् 1956 से पहले भारत में कई निजी बीमाकर्ता थे। सन् 1956 में सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना करके जीवन बीमा का प्राष्ट्रीयकरण किया। सन् 1956 के बाद जीवन बीमा निगम ने एकांकी जीवन बीमाकर्ता के रूप में कार्य किया तथा व्यवसाय की कई गुना बढ़ा दिया।
- (3) निजी बीमाकर्ता (Private Insurers): जीवन बीमा निगम ने सन् 1999 तक एकांकी जीवन बीमाकर्ता के रूप में कार्य किया। सन् 1999 में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority—IRDA) की स्थापना की गई तथा नियमों में सुधार किया गया। सन् 2000 में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने निजी बीमाकर्ताओं को भी जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमित दी। तब से बीमा व्यवसाय में तीव्रता से वृद्धि हुई। अब 2014 में भारत में 24 जीवन बीमा कंपनियाँ हैं।

■ भारतीय जीवन बीमा क्षेत्र में उदारीकरण (Liberalisation of Indian Insurance Sector) रताय जावन बामा क्षत्र म उपाराना । सन् 1999 में बीमा नियमन एवं विकास अधिनियम बनाया गया तथा उसके अनुसार बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण सन् 1999 में बीमा नियमन एवं विकास आधानयम बनाना ना स्वाप्त कि बीमाकर्ताओं के प्रवेश की अनुमित दी। बीमा क्षेत्र में 26 (IRDA) की स्थापना की गई। IRDA न जावन बामा का न न गरिया की भारतीय बीमा बाजार में प्रवेश करने का मार्ग मिला। प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमित है जिससे विदेशी बीमाकर्ताओं को भारतीय बीमा बाजार में प्रवेश करने का मार्ग मिला। प्रातशत तक प्रत्यक्ष विदशा निवश का अनुमात है जिस्सी समिति (Clark Country Education Association—CCEA) ने इसके बाद सन् 2014 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Clark Country Education Association—CCEA) ने

इसक बाद सन् 2014 म आथिक मामला का मानन्य का सामन्य का मानन्य कि साम्य से 49% विदेशी की प्राप्त के माध्यम से 49% विदेशी की कि साध्यम से 49% विदेशी निवेश की अनुमति दी।

🗖 जीवन बीमा की विशेषताएँ (Characteristics of Life Insurance)

जीवन बीमा की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- (1) प्रस्ताव एवं स्वीकृति द्वारा अनुबंध संपूर्ण होना (Contract Completed by Offer and Acceptance): जीवन बीमा अनुबंध में बीमित व्यक्ति बीमाकर्ता को बीमे का प्रस्ताव देता है और जब बीमाकर्ता उसे स्वीकार कर लेता है तो अनुबंध पूरा हो जाता है। प्रस्ताव एवं स्वीकृति वैधानिक होनी चाहिए। अतः बीमा अनुबंध तब संपूर्ण हुए माने जाते है जब उसमें प्रस्ताव एवं स्वीकृति दोनों हों। इससे बीमाकर्ता तथा बीमाकृत व्यक्ति के बीच एक अथवा एक से ज्यादा वैधानिक उत्तरदायित्व होते हैं।
- (2) प्रतिफल (Consideration): किसी भी समझौते में जो कि वैधानिक रूप से प्रतिबद्ध है, प्रतिफल का होना अनिवार्य है। जीवन बीमा अनुबंध में बीमाकृत व्यक्ति बीमाकर्ता द्वारा किए गए जीवन अथवा स्वास्थ्य को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति के वायदे के बदले प्रतिफल के रूप में प्रीमियम की राशि का भुगतान करता है।
- (3) वैधानिक क्षमता (Legal Capacity): बीमाकर्ता के साथ समझौता करने के लिए किसी भी व्यक्ति को वैधानिक रूप से सक्षम होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति अथवा एक पागल व्यक्ति समझौता करने के योग्य नहीं है। बीमाकर्ता भी समझौता करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि बीमाकर्ता को नियमनों के अनुसार लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए।
- (4) परिपक्वता मूल्य (Maturity Value): जीवन बीमा अनुबंधों का परिपक्वता मूल्य अवश्य होना चाहिए। इसका भुगतान मृत्यु होने पर अथवा परिपक्वता की तिथि पर किया जाता है। अतः जीवन बीमा अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं है क्योंकि इसमें हानि की वास्तविक राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता तथा दूसरे चाहे जीवन की हानि हो या न हो बीमाकर्ता व्यक्ति को परिपक्वता की राशि का भुगतान करना पड़ता है।
- (5) बीमा योग्य हित (Insurable Interest): एक व्यक्ति का बीमित में बीमा योग्य हित तब होता है जब बीमित की मृत्यु से उसे वित्तीय क्षति उठानी पड़े। जीवन बीमा में बीमा योग्य हित पॉलिसी शुरू होने के समय होना आवश्यक है। परंतु बीमा योग्य हित का दावे के समय होना आवश्यक नहीं है। इसके उदाहरण निम्नलिखित हैं:
  - (i) एक पति का अपनी पत्नी पर बीमा योग्य हित होता है तथा पत्नी का पति पर।
  - (ii) एक पिता का अपने बच्चों पर बीमा योग्य हित होता है।
  - (iii) एक लेनदार का अपने देनदारों पर बीमा योग्य हित होता है।
  - (iv) एक एजेंट का अपने मूल पर बीमायोग्य हित होता है।
- (6) सद्विश्वास (Good Faith): जीवन बीमा सद्विश्वास के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका अर्थ है दोनों ही पक्षकारी को सद्विश्वास के साथ व्यवहार करना चाहिए। बीमाकृत व्यक्ति को ईमानदारी से अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तथा व्यक्तिगत विवरण, अपनी आदतें तथा परिवार आदि के बारे में बताना चाहिए। दूसरी ओर बीमाकर्ता को भी अनुबंध संबंधी तथा दावा संबंधी सभी नियमों को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए।

### 🔳 जीवन बीमा कंपनियों के उद्देश्य (Objectives of Life Insurance Companies)

जीवन बीमा कंपनियों के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:


- (1) जीवन बीमा का विस्तृत रूप से विकास करना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास ताकि देश के सभी बीमा करवाने योग्य व्यक्तियों तक पहुँचा जा सके। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को अधिक महत्त्व देना।
- (2) लोगों को उचित लागत पर मृत्यु होने पर पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- (3) आकर्षक योजनाओं के माध्यम से लोगों द्वारा की गई बचतों की बीमा व्यवसाय की ओर गतिशील बनाना।
- (4) एकत्रित किए गए कोषों को इस प्रकार नियोजित करना जिससे निवेशकों तथा समुदाय के हित सुरक्षित रह सके। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखना।
- (5) जन समुदाय की बीमा संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार बीमा योजनाएँ बनाना। सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को भी ध्यान में रखना।

### ■ जीवन बीमा कंपनियों की गतिविधियाँ (Activities of Life Insurance Companies)

- (1) आवेदन अथवा प्रस्ताव प्रपत्र प्राप्त करना (To Obtain Application or Proposal Forms): एजेंट तथा विकास अधिकारी प्रत्याशित क्रेताओं के पास जाते हैं तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न योजनाओं के बारे में बताते हैं। प्रत्याशित क्रेता योजनाओं को समझता है तथा अपने लिए अच्छी योजना का चयन करता है। इस्के बाद वह प्रस्ताव फार्म भरता है तथा बीमा कंपनी द्वारा अपेक्षित सभी भौतिक सूचनाएँ देता है।
- (2) आवेदन पत्रों की जाँच तथा प्रस्तावों का निर्णय/उत्तरदायित्व लेना (To Examine Application Forms and Decision on Proposals/Under Writing): प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद बीमाकर्ता प्रस्तावों की जाँच करता है। उत्तरदायित्व लेना ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि सुरक्षा राशि व्यक्ति को होने वाली हानि के आनुपातिक होगी। किसी व्यक्ति के जोखिम का भार उठाने के लिए बीमा कंपनी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर विश्वास करती है। प्रस्ताव पत्र में बताई गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों की भी जाँच की जाती है।
- (3) योजना प्रपत्र निर्गमित करना (To Issue Policy Document): जब जाँच के बाद कंपनी द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो उसके बाद बीमाकृत व्यक्ति को बीमा प्रपत्र निर्गमित किया जाता है। बीमा प्रपत्र में समझौते से संबंधित सभी नियमों एवं शर्तों का वर्णन होता है। यह अनुबंध के प्रमाण के रूप में माना जाता है। इसमें जोखिम संबंधी विवरण भी होता है।
- (4) शर्तों का ध्यान रखना (To keep Sight of Conditions): इसका अर्थ है दोनों ही पक्षकारों को बीमा अनुबंध के नियम एवं शर्तों का पालन करना चाहिए अर्थात बीमाकृत व्यक्ति को प्रीमियम की राशि का भुगतान समय पर करना चाहिए तथा बीमाकर्ता कंपनी को समय पर अपने वायदे को पूरा करना चाहिए।
- (5) पॉलिसी धारकों की अन्य अपेक्षाओं को पूरा करना (To attend other Requirements of Policy Holders): बीमा कंपनियों को अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं; जैसे-नामांकन, आबंटन, समर्पण, दावे की राशि का भुगतान आदि। इन कार्यों के अतिरिक्त बीमा कंपनियों को खाते तैयार करने पड़ते हैं, कोषों का निवेश कर्मचारियों पर नियंत्रण, नई योजनाओं को बनाना तथा IRDA से मान्यता प्राप्त करना आदि कार्य भी करने पड़ते हैं।
- (6) जीवन बीमा कंपनियों की संगठनात्मक संरचना (Organisational Structure of Life Insurance Companies): बीमा कंपनियों की संगठनात्मक संरचना को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—पहला, जीवन बीमा कंपनी की संगठनात्मक संरचना; दूसरा, निजी जीवन बीमा कंपनियों की संगठनात्मक संरचना और तीसरा, पोस्टल जीवन बीमा कंपनियों की संगठनात्मक संरचना।

### I. जीवन बीमा कंपनी की संगठनात्मक संरचना

(Organisational Structure of Life Insurance Corporation) जीवन बीमा निगम की स्थापना सन् 1956 में की गई। 245 भारतीय एवं विदेशी जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया जावन बीमा निगम को स्थापना सन् 1956 म का गरा 245 मार्था किया गया। सन् 2012-2013 के अंत में जीवन बीमा निगम के 8 क्षेत्रीय कार्यालय गया तथा उनका सावलयन जावन बामा निगम म किया गया। सार् 2012 2012 थे। जीवन बीमा निगम की चौपहिया संरचना है। निम्नलिखित तालिका द्वारा भारत के जीवन बीमा निगम की संरचना दर्शाई गई है:





जीवन बीमा निगम का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है। केंद्रीय कार्यालय की संगठनात्मक संरचना चित्र 2 में दिखाई गई है। जीवन बीमा निगम की एक कार्यकारी समिति होती है। कार्याकारी समिति पर सामान्य देख-रेख तथा व्यवसाय तथा अन्य मामलों से संबंधित दिशा-निर्देश का उत्तरदायित्व होता है। इस समिति में एक अध्यक्ष, दो प्रबंध संचालक तथा दो अन्य बोर्ड के सदस्य होते हैं। संचालक की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है।


जीवन बीमा निगम के 8 क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं— पश्चिमी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी केंद्रीय क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी केंद्रीय क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी केंद्रीय क्षेत्र। इनके कार्यालय भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, पटना तथा नई दिल्ली में हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक होता है। वह अपने क्षेत्र के सभी कार्यालयों के व्यवसाय एवं अन्य मामलों के लिए उत्तरदायी होता है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक सलाहकार समिति नियुक्त की जाती है जो कि उस क्षेत्र की योजनाओं संबंधी मामलों पर वाद-विवाद तथा अवलोकन करती है। निगम का अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय सलाहकार समितियों का अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय प्रबंधक समिति के सदस्य के रूप में कार्य करता है। क्षेत्रीय कार्यालय की संगठनात्मक संरचना चित्र 3 में दर्शाई गई है।

प्रत्येक क्षेत्र को कई विभागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान समय में 113 विभागीय कार्यालय हैं। प्रत्येक विभाग का नियंत्रण विभागीय प्रबंधक द्वारा किया जाता है। विभागीय कार्यालय की संगठनात्मक संरचना चित्र 4 में दर्शाई गई है।

प्रत्येक विभाग के कई शाखा कार्यालय होते हैं। भारत में 2048 शाखा कार्यालय हैं। प्रत्येक शाखा कार्यालय के सात विभाग हैं। प्रत्येक विभाग का भिन्न उत्तरदायित्व होता है उसका नियंत्रण एक अधिकारी द्वारा किया जाता है। शाखा कार्यालयों की संगठनात्मक संरचना चित्र 5 में दशाई गई है। प्रत्येक विभाग का विस्तृत विवरण अग्रलिखित है:







- दावा विभाग (Claim Department): यह विभाग हर प्रकार के दावों के लिए उत्तरदायी होता है यद्यपि दावा वह उत्तरजीवी हित दावा हो या मृत्यु के पश्चात का दावा हो।
- (2) वित्त एवं लेखांकन विभाग (Finance and Accounts Department): यह विभाग नकद प्रास्तियों, नकट भुगतानों, बैंकिंग, सामान्य खातों तथा अन्य वित्तीय तथ्यों के लिए उत्तरदायी होता है।
- (3) सूचना तकनीकी विभाग (Information Technology Department): यह विभाग कम्प्यूटर संबंधी कार्यों लिए उत्तरदायी होता है तथा अन्य विभागों को कम्प्यूटर सहायता प्रदान करता है।
- (4) नवीन व्यवसाय विभाग (New Business Department): यह विभाग बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्य अभिगोपन के तथा योजना बाँण्ड निगीमत करता है। लिए उत्तरदायी होता है। प्रस्तावों के साथ भेजे गए सभी प्रपत्रों की जाँच के बाद यह विभाग पहली प्रीमियम प्राप्ति रसीद
- (6) पॉलिसी सेवा विभाग (Policy Servicing Department): यह विभाग पॉलिसी संबंधी सभी कार्यों के लिए (5) कार्यालय प्रवंध विकास (Office Management Department): इस विभाग पर कार्यालय के रख-रखाव, उत्तरदायित्व होता है। फर्नीचर तथा स्टेशनरी, कर्मचारियों का वेतन एवं अवकाश विवरण रखने तथा कर्मचारियों संबंधी सभी मामलों का
- (7) विक्रय विभाग (Sales Department): इस विभाग का मुख्य व्यक्ति उप शाखा प्रबंधक कहलाता है। उसके नियंत्रण में कई विकास अधिकारी कार्य करते हैं। वे नई पॉलिसियाँ विक्रय करते हैं, एजेंटों की नियुक्ति करते हैं तथा उनकी सहायता परिवर्तन आदि का कार्य भी करता है। उत्तरदायी होता है। यह विभाग ऋणों, प्रीमियम तिथियों, पॉलिसी नवीनीकरण, पॉलिसी प्रपत्रों में सुधार, नामांकन, पता

Department) दावा विभाग (Claims मुख्य प्रवंधक/वरिष्ठ प्रवंधक/शाखा प्रवंधक (Chief Manager/Sr. Manager/ Branch Manager) करते हैं। वे एजेंटों को नया व्यवसाय लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। विक्रय विभाग (Sales Department) (Organisational Chart of Branch Officers of LIC) विभाग (Finance and जीवन बीमा निगम के शाखा कार्यालयों की संगठनात्मक संरचना उप शाखा प्रबंधक (Assistant Branch Manager) Department) वित्त एवं लेखांकन Accounts Department विभाग (Policy Servicing पॉलिसी सेवा विभाग (Information सूचना एवं तकनीकी Department) Technology Department) Management विभाग (Office कार्यालय प्रबंध Department) नवीन व्यवसाय विभाग (New Business


चित्र 5

जीवन बीमा

## II. डाक जीवन बीमा की संगठनात्मक संरचना

# (Organisational Structure of Postal Life Insurance)

अन्य कार्यालय मुम्बई में है जो कि निवेश विभाग की तरह कार्य करता है तथा इसका नियंत्रण मुख्य निवेश अधिकारी द्वारा किया जाता है। करता है, वह (डाक जीवन बीमा) (Postal Life Insurance-PLI) का केंद्रीकृत लेखांकन विभाग है। पोस्टल जीवन बीमा का एक है एवं दावों का निपटारा करता है। निदेशक डाक जीवन बीमा कार्यालय, कलकता जो कि प्रबंध विभाग डाक जीवन बीमा के अंतर्गत कार्य डाक घर बीमा कोष के लिए भी उत्तरदायी है। यह संचालक मंडल नया व्यवसाय प्राप्त करता है तथा विक्रय के बाद की सेवाएँ प्रदान करता डाक जीवन बीमा का संचालक मंडल डाक विभाग के अधीन कार्य करता है। यह पॉलिसी तैयार करने का शीर्ष विभाग है। यह




(स्रोत: Website of PLI)

डाक विभाग लोगों को डाकघरों के माध्यम से डाकीय सेवाएँ प्रदान करता है।

# • भी. निजी जीवन बीमा कंपनियों की संगठनात्मक संरचना

# (Organisational Structure of Private Life Insurance Companies)

ें - हैं। वर्तमान समय में भारत में 23 निजी जीवन बीमा कंपनियाँ कार्य कर रही हैं। इन कंपनियों ने 2001 से 2009 के बीच विध्न तिथियों पर अपना कार्य आरंभ किया। अधिकांश निजी जीवन बीमा कंपनियों ने दोपहिया संरचना के साथ कार्य आरंभ किया अर्थात मुख्य कार्यालय तथा शाखा/व्यवसाय के बढ़ने के साथ-साथ अधिकांश कंपनियों ने चौपहियाँ संरचना के साथ कार्य आरंभ कर दिया। निजो जीवन बीमा कंपनियों की सामान्य संगठनात्मक संरचना जीवन बीमा कंपनियों के अनुसार ही है। इसकी संगठनात्मक संरचना निम प्रकार है।



ন্ত্রি 7

नए व्यवसाय का उत्तरदायित्व बहुसंख्यक निजी बीमा कंपनियों द्वारा मुख्य कार्यालय में लिया जाता है। दावों का निपटारा पी मुख्य कार्यालय में ही किया जाता है। ये कंपनियाँ शाखा स्तर पर विक्रय के अलावा बैंक बीमा एवं अन्य वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से पी विक्रय करती है।

# ■ जीवन बीमा के सिद्धांत (Principles of Life Insurance)

जीवन बीमा के सिद्धांत निर्मालिखित हैं:

- बीमा योग्य हित का सिद्धांत
- 2. सर्विश्वास का सिद्धांत

इनका विस्तृत वर्णन प्रथम अध्याय में किया जा चुका है।

# ■ जीवन बीमा अनुबंध के पक्षकार (Parties to Life Insurance Contract)

### I. पॉलिसी धारक (Life Holder)

र्पोलसी का स्वामी पॉलिसी घारक माना जाता है। अधिकांश मामलों में यह वह व्यक्ति है जो अपने ही जीवन की पॉलिसी लेता है। परंतु पॉलिसी घारक तथा जीवन बीमाकृत विभिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक पिता अपने पुत्र अथवा पुत्री की जीवन दीम पॉलिसी ले सकता है। पॉलिसी घारक पॉलिसी में कोई भी परिवर्तन करवा सकता है। उदाहरण के लिए, लाभ प्राप्त करने वाले के नाम में

जीवन बीमा

परिवर्तन, दावा राशि में वृद्धि अथवा कमी आदि। जीवन बीमा पॉलिसी धारक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह पॉलिसी के आर्थिक लामों पर नियंत्रण कर सकता है।

अधिकार (Rights): पॉलिसी घारक के निम्नलिखित अधिकार हैं:

- स्वामित्व के अधिकार को हस्तांतरित करने का अधिकार।
- कुछ पॉलिसी प्रावधानों में परिवर्तन करने का अधिकार।
- पॉलिसी को गिरवी रखने का अधिकार।
- पॉलिसी के बदले ऋग लेने का अधिकार।
- . पॉलिसी के समापन अथवा समर्पण का अधिकार।
- जीवन बीमा की दावे की ग्राशि किस प्रकार प्राप्त की जाएगी यह निर्णय लेने का अधिकार।
   पॉलिसी धारक के कर्तव्य (Duties of Policy Holder): पॉलिसी धारक के कर्तव्य निम्निलिखित हैं:
- प्रीमियम का समय पर भुगतान करना।
- 2. पॉलिसी से संबंधित किसी भी परिवर्तन की सूचना बीमाकर्ता को देना
- 3. जिसका जीवन बीमा करवाया गया हो उसकी मृत्यु के पश्चात् दावे का आवेदन करना।

## II. आश्र्वासित जीवन (The Life Assured)

आश्वासित जीवन का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके जीवन का बीमा जीवन बीमा द्वारा किया गया है। यदि उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो दावे की राश का भुगतान लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति को किया जाता है। अधिकांश मामलों में आश्वासित जीवन तथा पाँतिसी धारक एक ही व्यक्ति होता है परंतु वे भिन्न-भिन्न भी हो सकते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन का बीमा किया गया है वह ईमानदारी से बीमा कंपनी के सभी सवालों का जवाब देने के लिए उत्तरदायी है। बीमा कंपनी को सही सूचनाएँ देनी चाहिए उसका यह भी कर्तव्य बनता है कि इन सूचनाओं से संबंधित किसी भी परिवर्तन के बारे में बीमा कंपनी को सूचना दें। जैसे कि नौकरी आदि में परिवर्तन।

कर्तव्य (Duties): इसके कर्तव्य निम्नलिखित हैं:

- प्रस्ताव फार्म को ईमानदारी से सही ढंग से भरना चाहिए।
- 2. अपनी आवश्यकतानुसार बीमा अवधि का चयन करना।
- 3. उचित प्रीमियम राशि का चयन करना।
- 4. प्रीमियम भुगतान आवृति का चयन करना।
- 5. नामांकित व्यक्ति का नाम बताना
- बीमाकर्ता को अनिवार्य प्रपत्र उपलब्ध करवाना।
- प्राप्त किए गए पॉलिसी बॉण्ड को ध्यानपूर्वक पढ़ना।
- . प्रीमियम की राशि का भुगतान समय पर करना ताकि उन्हें समाप्ति से बचाया जा सके।
- . बीमाकर्ता को किसी भी परिवर्तन से अवगत करवाना।
- यदि पॉलिसी बॉण्ड कहीं खो जाता है तो बीमाकर्ता को सूचित करना।

अधिकार (Rights): बीमाकृत के अधिकार निम्नलिखित हैं:

- बीमकृत व्यक्ति पाँलिसी बाँण्ड प्राप्त करने के 15 दिन के भीतर पाँलिसी का समर्पण कर सकता है।
- दावे का ग्रीश प्राप्त करना (आंशिक रूप से या पूरी ग्रीश)।

S यूनिट लिंक्ड बीमा योजना (ULIPs) में कोवों को एक कोव से दूसरे कोव में हस्तांतरित करना।

हित प्राप्त करने वाले के नाम में परिवर्तन कर सकता है।

नामांकन में परिवर्तन करना।

प्रीमियम का भुगतान करने के माध्यम में परिवर्तन करने की माँग कर सकता है।

बीमाकर्ता द्वारा घोषित किया गया बोनस प्राप्त करने का अधिकार।

### III. भुगतानकर्ता (The Payer)

व्यक्ति होगा। पॉलिसी धारक को अनुबंध में परिवर्तन तथा अन्य दावों का कोई अधिकार नहीं है। खरीद सकता है जिसमें उसका बीमायोग्य हित हो उसका अर्थ यह है कि बीमाकृत की मृत्यु होने पर पॉलिसी धारक हानि सहन करने वाल भुगतानकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। परंतु कभी-कभी भुगतानकर्ता बीमाकृत नहीं होता। पॉलिसी धारक उस व्यक्ति के लिए भी पॉलिसी भुगतानकर्ता वह व्यक्ति है जो पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान करता है। साधारणतया पॉलिसी धारक बीमाकृत तथा

## IV. लाभभोगी (Beneficiary)

लाभभोगी प्राथमिक अथवा आकस्मिक, विशेष अथवा वर्गीय, निरस्य अथवा अनिरस्य लाभभोगी हो सकता है। लाभभोगी वह व्यक्ति है जिसका नाम बीमाकृत की मृत्यु के बाद के दावों को प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है।

का वर्ग जैसे कि बीमाकृत बच्चे। परंतु यदि बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के समय प्राथमिक लाभभोगी जीवित नहीं है तब आकस्मिक लाभभोगी वह राशि प्राप्त करता है। विशिष्ट लाभभोगी का अर्थ है कि लाभभोगी का नाम विशेष बना दिया गया है तथा वर्गीय लाभभोगी का अर्थ है व्यक्तियें प्राथमिक अथवा प्रत्यक्ष लाभभोगी वह होता है जो कि बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् पॉलिसी की राशि प्राप्त करता है।

कि लाभभोगी की इच्छा अनिवार्य होती है। निरस्य लाभभोगी का अर्थ है कि बीमाकृत व्यक्ति लाभभोगी का नाम बदल सकता है जबकि अनिरस्य लाभभोगी का अर्थ है

लाभभोगी के अधिकार (Rights of Beneficiary): लाभभोगी के अधिकार निर्नालिखित हैं:

उसे पूरी राशि तथा आयकर मुक्त भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है।

जीवन आय योजना में उसे अपने जीवन काल में गारंटी युक्त आवधिक भुगतान प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है।

लाभभोगी को यह चयन करने का अधिकार प्राप्त है कि बीमाकृत की मृत्यु के पश्चात भुगतान किस प्रकार किया जाए।

लाभभोगी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है।

वह राशि का प्रयोग अपनी इच्छानुसार कर सकता है।

लाभभोगी के कर्तव्य (Duties of Beneficiary): लाभभोगी के कर्तव्य निम्नलिखित हैं:

दावा फार्म भर कर बीमाकर्ता को देना।

2. अपना पहचान प्रमाण देना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह ही वास्तविक लाभभोगी है।

3. पॉलिसी प्रपत्न तथा अन्य प्रपत्र दावा फार्म के साथ बीमाकर्ता के सुपुर्द करना।

यह प्रमाणित करना कि बीमाकृत की मृत्यु हो चुकी है।

5. यह प्रमाणित करना कि मृत्यु पॉलिसी में दिए गए बहिष्कृत कारणों से अलग कारण से हुई है।

यदि बीमाकर्ता कहता है तो प्रपत्रों को प्रमाणित करवाना।

जीवन बीमा

### V. बीमाकर्ता (Insurer)

बीमकर्ता वह व्यक्ति है जो कि बीमकृत को क्षतिपूर्ति का वायदा करता है अथवा बीमकृत राशि का भुगतान करने का वायदा करता है। यह एक कंपनी, संस्था अथवा साझेदारी फर्म हो सकती है।

भारतीय बीमा कंपनी का अर्थ है कोई भी बीमाकर्ता एक कंपनी हो सकती है जो

(a) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत रजिस्टर की गई हो तथा स्थापित की गई हो

(b) ऐसी विदेशी कंपनी जिसका स्वयं अथवा अपनी सहायक कंपनी अथवा अपने नामांकितों सहित भारतीय जीवन बीमा कंपनी की कुल अंश पूँजी के 49 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी न हो।

(c) सबका एकाकी उदेश्य होता है जीवन बीमा व्यवसाय अथवा सामान्य बीमा व्यवसाय अथवा पुनर्बीमा व्यवसाय जारी

बीमाकर्ता के अधिकार (Rights of Insurer): बीमाकर्ता के अधिकार निम्नलिखित है

बीमाकृत व्यक्ति से आयु, आवासीय, कार्य, स्वास्थ्य तथा परिवार संबंधी जानकारी प्राप्त करना

2. प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले प्रस्ताव करने वाले के स्वास्थ्य के बारे में जाँच पड़ताल करना।

3. कंपनी को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि पॉलिसी निर्गमित करने के 2 साल के भीतर कोई भौतिक सूचना मिलती है जो कर सकती है। कि पहले नहीं दी गई हो तो कंपनी पॉलिसी को खारिज कर सकती है या दावे की राशि के भुगतान के लिए मना

प्रीमियम की राशि समय पर प्राप्त करने का अधिकार

5. बीमाकर्ता किसी भी कारण से पॉलिसी को खारिज कर सकता है; जैसे कि आयु, स्वास्थ्य, परिवार की जानकारी, पागल व्यक्ति आदि कारण।

पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमाकृत के आवास स्थान, व्यवसाय, स्वास्थ्य आदि में होने वाले परिवर्तनों को जानने का अधिकार बीमाकर्ता को होता है।

7. बीमाकर्ता को समाप्त हुई पॉलिसियों के दावे की राशि को मना करने का अधिकार है।

8. यदि कोई पॉलिसी समाप्त हुए 6 महीने से अधिक हो जाते है और बीमाकृत पुनःपॉलिसी प्राप्त करना चाहता है तो उसे बीमाकृत के अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है।

बीमाकर्ता के कर्तव्य (Duties of Insurer): बीमाकर्ता के कर्तव्य निम्नलिखित हैं:

पॉलिसी से संबंधित सभी नियम और शतें ईमानदारी से बीमाकृत को बताना

पॉलिसी की अच्छाइयों एवं बुराइयों के बारे में बताना।

3. पॉलिसी में नामांकन को रजिस्टर करना।

4. पॉलिसी धारक द्वारा इच्छित आबंटन को रजिस्टर करना

पॉलिसी धारक के पते पर समय पर पॉलिसी प्रपत्र भेजना

देय प्रीमियम का नोटिस पॉलिसी धारक को भेजना।

यदि फ्री लुक अवधि में पॉलिसी धारक पॉलिसी को समाप्त करना चाहता है तो पॉलिसी समाप्त करना एवं देय राशि का भुगतान करना

8. देय राशि का भुगतान पॉलिसी धारक या उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को समय पर करना

35

36

 यदि पॉलिसी घारक पॉलिसी निर्गमित करने के 2 साल तक अथवा इससे अधिक जीवित रहता है तो बीमाकर्ता के प्रा बीमा के मृत ता

परिस्थातया भ दाव पर्व आप्ता Unit Linked Insurance Plan-ULIP) पॉलिसी धारक के आवेदन पर कोषों के फ़्र यूनिट लिंकड बीमा योजना (Unit Linked Insurance Plan-ULIP) पॉलिसी धारक के आवेदन पर कोषों के फ़्र परिस्थितियों में दावे की राशि का भुगतान करना होता है।

। पॉलिसी संबंधी नियम एवं शर्ते तथा उनका पालन न करने का प्रभाव कोष से दूसरे कोष में बदलना।

(Conditions and Terms of Policy and Effects of Non Compliance)

पॉलिसी के नियम एवं शर्तों को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

I. सामान्य शर्ते (General Conditions)

II. विशिष्ट शर्ते (Specific Conditions)

I. सामान्य शर्ते (General Conditions): सामान्य शर्ते निर्मालिखित हैं:

न्नामान्य कारा (प्राप्ताप्ता प्राप्ता किया जाना है उनकी गणना प्रस्ताव में लिखी गई अपु है (1) आयु (Age): बीमा संबंधी शुल्क जिनका कि भुगतान किया जाना है उनकी गणना प्रस्ताव में लिखी गई अपु है जान बारा धुरण गा आर्थ आयु से अधिक आयु हो तो वह पॉलिसी रह कर दी जाएगी तथा प्रीमियम की राशि वापिस कर दी जाएगी अनुसार का जाता है। जार अप जार जार के तो भूगतान कि यदि वास्तविक आयु कम या अधिक हो तो भुगतान कि सकती है। यदि वास्तविक आयु कम या अधिक हो तो भुगतान कि सकता हु पा अगा गाउँ में भी उसके अनुसार परिवर्तन किया जाता है। यदि आयु योजना में स्वीकृत अधिकता जाने वाले शुल्कों की राशि में भी उसके अनुसार परिवर्तन किया जाता है। यदि आयु योजना में स्वीकृत अधिकता आधु (ABC) जाना राज्य अ अनुसार की जाती है। यदि पॉलिसी धारक द्वारा आयु प्रमाण पत्र न दिया गया हो तो कंपनी उसकी पॉलिसी को रहक अनुसार की जाती है। यदि पॉलिसी धारक द्वारा आयु प्रमाण पत्र न दिया गया हो तो कंपनी उसकी पॉलिसी को रहक

3 अनुबंध की वैधता के निर्धारण का आधार होगी। पॉलिसी धारक के खाता मूल्य निर्धारण के लिए मृत्यु की सूचना की तिषै प्रभावी मानी जाएगी। मूल्य पर पहुँचने के लिए मृत्यु की सूचना से अगले इकाई दिन के बोली मूल्य को आधा आत्महत्या (Suicide): यदि बीमित व्यक्ति चाहे वह पागल है या नहीं, पॉलिसी शुरू होने अथवा पॉलिसी हे बोली के मूल्य के अतिरिक्त किसी भी दावे के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी। इसमें मृत्यु की वास्तविक तिष्व बीम उ लामकारी हित को शुरुआत हो गई हो अथवा नहीं तथा ऐसी दशा में मृत्यु की तिथि पर पॉलिसी धारक की यूनित की पुनरुद्धार जो भी बाद में हो, उसके एक वर्ष के भीतर आत्महत्या कर लेता है तो बीमा अनुबंध निराधार होगा चहे

(3) विशेष प्रावधान (Special Provisions): अन्य विशेष प्रावधान जिसके आधार पर पॉलिसी ली गई है उसे पॉलिसी का हिस्सा माना जाएगा चाहे उसे पॉलिसी पर लिखा गया हो अथवा किसी पृथक प्रपत्र पर लिखा गया हो।

**E** तहत कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। धोखाषड़ी की गई हो तो कंपनी इन सबका पता लगते ही दावे को अस्वीकार कर देगी तथा बीमा अनुबंध 1938 के अप्रकटीकरण (Non Disclosure): यदि प्रस्ताव/व्यक्तिगत विवरण में किसी ऐसे तथ्य का प्रकटीकरण न किया गया हो जिसके कारण जोखिम को उत्तरदायित्व लेने की स्वीकृति ली गई हो अथवा अन्य किसी प्रपत्र में कोई

(5) नोटिस (Notice)ः पॉलिसी से संबंधित कोई भी नोटिस, दिशा-निर्देश अथवा सूचना लिखित रूप में होगी एवं वह स्वयं जाकर दी जाएगी या डाक द्वारा भेजी जाएगी या ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी।

a की सूचना कंपनी को दी जाती है। Assignee): जैसे कि पॉलिसी घारक/बीमाकृत जीवन प्रतिनिधि द्वारा अपने प्रस्ताव में दिए गए पते में परिवर्तन पॉलिसी धारक/बोमाकृत जीवन/प्रतिनिधि के लिए (In case of Policy holder/Life assured

(6) जन एवं रह करना (Forfeiture and Cancellation): यदि प्रीमियम का भुगतान समय पर न किया गया है र्पोलंसी अवैष मानी जाएगी। ऐसी अवस्था में सभी प्रकार के हित रह कर दिए जाएँगे तथा भुगतान की गई ग्री प्रस्ताव अथवा किसी अन्य प्रपन्न में झूठा विवरण दिया गया हो तो बीमा अधिनियम की धारा 45 के अनुसार वह या पॉलिसी की किसी शर्त का उल्लंघन किया गया हो या पॉलिसी की किसी शर्त का उल्लंघन किया गया हो या

जल कर ली जाएगी। बीमा अधिनयम के अनुसार पॉलिसी निर्गमित किए जाने के 2 साल बीत जाने के बाद कोई

जीवन बीमा

(7) ऋण (Loans): पॉलिसी देकर ऋण प्राप्त करना पॉलिसी की शर्तों पर निर्मर करता है। साबारणतया स्थायी निधि

स्वतंत्र अवधि (Free Look Period): पॉलिसी प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर लिखित प्रार्थना द्वारा वह रह

सुषार (Modifications): कंपनी द्वारा पॉलिसी निर्गमित करने के बाद पॉलिसी के प्रावधानों में कोई परिवर्तन की जा सकती है। कंपनी पॉलिसी घारक द्वारा पुगतान की गई राशि वापिस दे देगी।

(10) अध्यर्पण एवं नागंकन (Assignment and Nomination): किसी भी पॉलिसी का अप्यर्पण पॉलिसी के पृष्ठांकन के बाद या एक पृथक प्रपत्र पर हस्ताक्षर द्वारा किया जा सकता है। अप्यर्पण करने वाले व्यक्ति को अप्यर्पण के तथ्यों को विशेष रूप से बताना चाहिए और उस विवरण का सत्यापर्ण करवाना चाहिए। पॉलिसी की

(11) योग्यता (Eligibility): कोई भी व्यक्ति जो कि व्यस्क हो चुका हो और जो किसी भी वैघ अनुबंध को करने के लिए योग्य है वह स्वयं का या जिनसे उसका बीमा योग्य हिंत जुड़ा है उनका बीमा करवा सकता है। अवधि में बीमाकृत व्यक्ति किसी भी समय नामांकन कर सकता है।

स्वास्थ्य संबंधी जाँच (Medical Examination): बीमा कंपनी किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले

**(12)** अपने निर्धारित डॉक्टरों द्वारा मेडिकल जॉच के लिए कह सकती है।

(13)समात पॉलिसी का दोवारा आरंम (Revival of Lapsed Policy): समाप्त की गई पॉलिसियों को उनमें होगा। कंपनी समाप्त की गई पॉलिसी के पुनर्आरंभ के लिए कंपनी बोर्ड द्वारा स्वीकृत दिशा-निर्देशों के आधार पर स्वास्थ्य का प्रमाण देना होगा। उसे सभी देय प्रीमियम की राशि एवं ब्याज (यदि कोई है) की राशि का भुगतान करना निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार पुनः आरंभ किया जा सकता है। परंतु सभी परिस्थितियों में पॉलिसी घारक को संतोषजनक

(14) मुद्रा (Currency): कंपनी द्वारा किए जाने वाले भुगतान या कंपनी को किए जाने वाले भुगतान भारत में तथा

(15)दावों का भुगतान (Payment of Claims): नामांकित व्यक्ति अथवा वैधानिक वारिस द्वारा आवेदन किए जाने वास्तविक मृत्यु प्रमाणपत्र, जिस डॉक्टर ने आखिरी बार मृतक को देखा हो उससे मृत्यु प्रमाणपत्र, अप्राकृतिक मृत्यु तक देनी चाहिए। दावे के फार्म के साथ कंपनी में दावेदार के अधिकार का प्रमाण, वास्तविक पॉलिसी प्रपत्र पर कंपनी दावे की र्याश का भुगतान करेगी। कंपनी को ऐसी सूचना जितनी जल्दी हो सके या अधिकतम 180 दिनों की अवस्था में FIR की प्रति तथा पोस्टमार्टम की प्रति देनी होगी। भारतीय मुद्रा में ही किए जाएँगे।

**16** पॉलिसी प्रपत्न स्पष्ट हो जाने पर (Loss of Policy Documents): पॉलिसी प्रपत्न खो जाने पर अथवा नष्ट हो जाने पर पॉलिसी घारक द्वारा लिखित आवेदन करने पर कपनी उसकी अनुलिपी पॉलिसी निर्गमित कर सकती है। इसके लिए कंपनी कुछ शुल्क ले सकती है।

 $\overline{3}$ लोकपाल (Ombudsman): यदि पॉलिसी घारक अथवा नामांकित व्यक्ति कंपनी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह बीमा लोकपाल के पास जा सकते हैं।

(18)नियंत्रक कानून (Governing Law): सभी विवादों का निपटारा भारतीय कानून तथा भारतीय अदालतों के अनुसार निर्घारित किया जाएगा।

(B) विशेष शर्ते (Specific Conditions): ये वे शर्ते हैं जो कि विभिन्न पॉलिसियों एवं विभिन्न कंपनियों में विभिन्न होती हैं।

## ■ पॉलिसी का अश्वर्पण (Assignment of Policy)

अधिन्यासी कहलाता है। साधारणतया अभ्यपण ऋणा जाता है। जी मानुत की स्थापण ऋणा जाता है। जी मानुत की मृत्यु के प्रशास के पक्ष में पॉलिसी का अभ्यर्पण करता है तो वह उस पॉलिसी से संबंधित सभी अधिकार खो देता है। जी मानुत की मृत्यु के प्रशास करने का अधिकार खोता है। हस्तांतरण करना। वह व्यक्ति जो आधकाय का जान्या के प्रति सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। यदि पॉलिसी धारक करता है, अ अधिन्यासी कहलाता है। साधारणतया अभ्यर्पण ऋणों के प्रति सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। यदि पॉलिसी धारक किसी के किया के प्रकार के किया के प्रकार अभ्यर्पण का अर्थ है संपत्तिया, जावन जाना, ......है, वह अधिनयास्क कहलाता है तथा जो अधिकार पान क्रस व्यक्ति है हस्तांतरण करना। वह व्यक्ति जो अधिकार प्राप्त ऋतों के प्रति सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। यदि पॉलिसी धारक क्रिकों है है लिसी का अथ्यपण (Assıg...... अथ्यर्पण का अर्थ है संपत्तियों, जीवन बीमा पॉलिसियों आदि पर ब्याज, अधिकार एवं शोर्षक का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति अथ्यर्पण करता है, वह अधिनयास्क कहलाता है तथा जो अधिकार प्राप्त करता के कहलाता है तथा जो अधिकार प्राप्त करता के 雪米湖

अभ्यर्पण के प्रकार (Types of Assignment): अभ्यर्पण दो प्रकार का हो सकता है:

- उत्तराधिकारी को किया जाता है। पूर्ण आधकार छाता र प्राप्त प्राप्त हो जाती है तो भुगतान तिथि पर राशि का भुगतान अधिन्यासी के केशाकि तिथि से पहले अधिन्यासी की मृत्यु हो जाती है तो भुगतान तिथि पर राशि का भुगतान अधिन्यासी के केशाकि निरपक्ष अध्ययण (२०००) । १००० । १०० । १
- (2) शर्त सहित अभ्यर्पण (Conditional Assignment): इस प्रकार के अभ्यर्पण में पॉलिसी से संबंधित कि शावक एव जावनारा उन्हें नार कार्य अधिन्यासी की मृत्यु होने की स्थिति में ऋण का पुनर्भगतान होने पा का शत साहत अन्यपण (प्राप्ता विशेष परिस्थितियों के होने पर स्वतः ही पॉलिसी धारक के पास वापिस क्षेत्र विशेष परिस्थितियों के होने पर स्वतः ही पॉलिसी धारक के पास वापिस क्षेत्र विशेष स्थापन क्षेत्र के स्थापन क्यापन क्षेत्र के स्थापन क्षेत्र के स्

अभ्यर्पण की विशेषताएँ एवं शर्ते (Features/Conditions of Assignment): ये निम्न प्रकार है:

- अधिन्यास्क को वयस्क होना चाहिए।
- 2. अधिन्यास्क अभ्यर्पण करने के लिए सक्षम होना चाहिए अर्थात उसे दिवालिया अथवा मूर्ख नहीं होना चाहिए।
- 3. अधिन्यास्क का पॉलिसी पर संपूर्ण स्वामित्व होना चाहिए।
- अभ्यर्पण लिखित एवं स्पष्ट होना चाहिए।
- अभ्यर्पण प्रतिफल अथवा बिना प्रतिफल के हो सकता है।
- सभी प्रकार की बीमा योजनाओं के लिए अभ्यर्पण स्वीकृत है।
- 7. एक बार अभ्यर्पण हो जाने पर रह नहीं किया जा सकता केवल पुनर्अभ्यर्पण किया जा सकता है।
- 8. अभ्यर्पण किसी की व्यक्ति अथवा संस्था के पक्ष में किया जा सकता है।
- 9. अभ्यर्पण एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकता है।
- 10. अभ्यर्पण का आवेदन मिलने पर बीमाकर्ता को अभ्यर्पण के तथ्यों का वर्णन उनके विवरणों में करना पड़ता है।
- अधिन्यासी बीमा पॉलिसी पर पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त करता है।
- 12. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 अभ्यर्गण से संबंधित है।

# अध्यर्पण की प्रक्रिया (Process of Assignment)

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 में निम्नलिखित प्रक्रिया दी गई है:

 िकसी भी पॉलिसी का हस्तांतरण अथवा अभ्यर्पण केवल पॉलिसी पर अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है अथवा एक पृथक द्वारा की जाती है। प्रपत्र द्वारा भी किया जा सकता है। पृथक को अभ्यर्पण प्रपत्र कहा जाता है। अभ्यर्पण की प्रमाणता कम से कम एक गवाह

जीवन बीमा

39

- 2. पॉलिसी प्रपत्र के साथ अप्यर्पण का नोटिस अथवा अप्यर्पण प्रपत्र बीमाकर्ता के पास अवश्य भेजने चाहिए। इस नोटिस की प्राप्ति की तिथि के अनुसार ही सभी दावों की प्राथमिकता निर्धारित की जाती है।
- 3. अभ्यपेण प्रपत्र प्राप्त करने के पश्चात् बीमाकर्ता अभ्यपेण या रिकॉर्ड तैयार करेगा जिसमें अधिन्यासी का नाम तथा अष्यर्पण की तिथि भी लिखी जाती है। बीमाकर्ता अधिन्यासी की देय राशि की अधिकांश राशि का भुगतान करने पर इस नोटिस की प्राप्ति की एक लिखित स्वीकृति भी देगा।
- 4. अप्यर्पण की प्राप्ति की तिथि से अधिन्यासी को उस पॉलिसी से संबंधित सभी लाभों को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है तथा साथ ही उससे संबंधित सभी उत्तरदायित्व भी उसके होते हैं।
- 5. वैष अभ्यर्पण अपरिवर्तनीय होते हैं तथा रह नहीं किए जा सकते। इनका पुनर्अभ्यर्पण किया जा सकता है।
- अभ्यर्पण के पश्चात् पॉलिसी में किया गया नामांकन स्वतः ही रह माना जाएगा।

### ■ नामांकन (Nominations)

जीवित रहता है तो नामांकन को रह माना जाता है। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 नामांकन से संबंधित है। नामांकित कहा जाता है। पॉलिसी धारक एक से अधिक व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है। यदि पॉलिसी धारक परिपक्वता की तिथि तक पर दावे की राशि को प्राप्त कर सके, इसे नामांकन कहा जाता है। जिस व्यक्ति का पॉलिसी धारक द्वारा नामांकन किया जाता है, उसे पॉलिसी धारक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करे जो कि पॉलिसी की अवधि में उसकी मृत्यु होने

## • नामांकन की प्रक्रिया (Process of Nomination)

नामांकन निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है:

- (1) प्रस्ताव के समय (At the time of Proposal): पॉलिसी धारक के पास यह विकल्प है कि वह बीमा के लिए आवेदन करते समय आवेदन फार्म पर नामांकन कर सकता है। उस समय उसे निम्नलिखित सूचनाएँ देनी होंगी:
- (i) नामांकित का नाम
- (ii) नामांकित की आयु
- (iii) नामंकित का पता
- (iv) नामांकित के साथ उसका संबंध
- (2) पॉलिसी हो जाने के बाद (After the Commencement of Policy): पॉलिसी धारक या जिसके जीवन का में पॉलिसी धारक को बीमाकृत को लिखित रूप में आवेदन देना होगा। बीमाकर्ता उसके विवरणों में इसका वर्णन कर देगा। बीमा हुआ है उसे पॉलिसी निर्गमित होने के बाद नामांकन करने अथवा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार है। इस अवस्था

नामांकन की विशेषताएँ (Features of Nomination): नामांकन की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं: (1) पॉलिसी धारक को पॉलिसी की अवधि में किसी भी समय नामांकन को रह करने का अधिकार है।

- (2) एक से अधिक नामांकित व्यक्ति हो सकते हैं।
- (3) नामांकित व्यक्ति को पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद उसके वैधानिक वारिसों की ओर से लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।
- (4) नामांकित व्यक्ति किसी भी प्रकार पॉलिसी को प्रभावित नहीं कर सकता।
- (5) यदि बीमाकृत तथा पॉलिसी धारक अलग-अलग व्यक्ति है तो केवल बीमाकृत को ही नामांकन करने का अधिकार प्राप्त
- (6) अभ्यर्पण की स्थिति में नामांकन स्वतः ही रह हो जाएगा।
- (7) यदि नामांकित व्यक्ति अव्यस्क है तो बीमाकृत को एक अभिभावक की नियुक्ति करनी होगी। अभिभावक को प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उसने अपनी स्वीकृति दे दी है।

(9) जब अवस्ता । (Provisions of Nomination as per Section 39): धारा 39 के तहत नामांकन के प्रावधान (Provisions of Nomination as per Section 39): (9) जब अवयस्क वयस्क हो जाता है तब अभिभावक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है।

धारा 39 के तहत नामांकन के प्रावधान (१०००)। धारा 39 के तहत नामांकन के प्रावधान (१०००)। (1) बीमाकृत व्यक्ति पॉलिसी की परिपक्वता तिथि से पहले अथवा मृत्यु के दावे से पहले किसी भी समय नामका का (1) बीमाकृत व्यक्ति पॉलिसी की परिपक्वता तिथि से पहले अथवा मृत्यु के दावे से पहले किसी भी समय नामका का (1) बीमाकृत व्यक्ति पालिसी की परिपक्वता तिथि से पहले अथवा मृत्यु के दावे से पहले किसी भी समय नामका का बीमाकृत व्यक्ति पॉलिसी की पारपक्षवता रूपान र है। अवयस्क नामांकित व्यक्ति होने पर उसे अभिभावक की नियुक्ति करनी होगी जो कि नामांकित व्यक्ति के को के है।

प्राप्त करगा। (2) प्रस्ताव के समय नामांकन किया जा सकता है। बीमाकृत व्यक्ति पॉलिसी प्रपत्र पर समर्थन हे सकता है तथा क्षेत्र (2) प्रस्ताव के समय नामांकन किया जा सकता है। बीमाकृत व्यक्ति पॉलिसी प्रपत्र पर समर्थन हे सकता है तथा क्षेत्र

उसके रिकाड म प्रभारक का अथवा समर्थन द्वारा नामांकन में कोई परिवर्तन किया गया हो या रह किया गया है या रह किया गया रह किया गया है या रह किया या रह या र

बामाकरा ना रक्षा है। (4) बीमाकर्ता नामांकन के रिजस्ट्रेशन अथवा नामांकन के रह करने का लिखित प्रमाण प्रस्तुत करेगा। बीमाकर्त कुर्वा (4) बीमाकर्ता नामांकन के उपधिक नहीं होगी।

(5) पॉलिसी के हस्तांतरण अथवा अभ्यर्पण की स्थिति में नामांकन स्वतः ही रह माना जाएगा

(ठ) गार नामांकित व्यक्ति की मृत्यु बीमाकृत से पहले हो जाती है तब दावे की राशि का भुगतान वैधानिक उत्तराधिकारे का (6) यदि नामांकित व्यक्ति की मृत्यु बीमाकृत से पहले हो जाती है तब दावे की राशि का भुगतान वैधानिक उत्तराधिकारे का

(7) यदि नामांकित व्यक्ति जीवित रहता है अथवा रहते हैं तो राशि का भुगतान उन्हें किया जाएगा

(8) धारा 39 के प्रावधान उन जीवन बीमा पॉलिसियों पर लागू नहीं होंगे जिन पर विवाहित महिला संपत्ति अधिन<sub>यम, 1874</sub>

## ■ बीमा प्रोमियम (Insurance Premium)

जाता है।" इसका अर्थ है: विकपीडिया, मुफ्त विश्वकोश के अनुसार, ''वह राशि जो कि एक निश्चित बीमा सुरक्षा राशि के लिए ली जाती है उसे प्रीमिण क् प्रीमियम वह राशि है जिसका पॉलिसी धारक अथवा बीमाकृत द्वारा बीमाकर्ता को किश्तों में अथवा संपूर्ण भुगतान किया जाते

प्रीमियम बीमाकर्ता द्वारा मानवीय जीवन की अविध के आधार पर स्वीकृत जोखिम का मौद्रिक मूल्य है।

(2) यह बीमाकर्ता द्वारा एक विशेष अनुबंध द्वारा लिए गए जोखिम का प्रतिफल है।

बीमा नियंत्रण अधिकारी वर्ग ने प्रीमियम को 'वार्षिक कार्यालय प्रीमियम कहा है तथा प्रीमियम को विभिन्न वर्गों में विभक्ति

 नियमित प्रीमियम (Regular Premium): वे ऐसे प्रीमियम है जो कि पॉलिसी धारक द्वारा पॉलिसी के आधार्मन लाभ प्राप्त करने के लिए दिया जाता है।

(2) अतिरिक्त प्रीमियम (Extra Premium): इस प्रकार के प्रीमियम अतिरिक्त लाभ के लिए जाते हैं। ये निर्वात इतिहास अथवा अस्याई स्वास्थ्य जोखिम,, जैसेकि गर्भावस्था आदि के कारण अतिरिक्त जोखिम हो सकता है। लिए क्षतिपूर्ति है। अतिरिक्त प्रीमियम खतरनाक व्यवसायों अथवा बीमाकृत के खराब स्वास्थ्य अथवा विपरीत परिवर्णि प्रीमियम के अतिरिक्त होते हैं। बीमाकर्ता के मतानुसार अतिरिक्त प्रीमियम का अर्थ औसत जोखिम से अधिक जोखिम है

(3) अनुवृद्धि प्रीमियम (Rider Premium): बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी धारक को कुछ अतिरिक्त लाभों का विकल्प वि कहा जाता है। अनुवृद्धि निम्न रूपों में हो सकती है: जाता है, उन्हें अनुवृद्धि कहा जाता है। बीमाकर्ता इस अनुवृद्धि के लिए अतिरिक्त प्रीमियम लेता है इसे अनुवृद्धि ग्रीमिण

जीवन बीमा

(i) आंशिक अयोग्यता लाभ (Partial Disability Benefits)

(ii) पूर्ण अयोग्यता लाभ (Full/Complete Disability Benefits)

(iii) प्रीमियम अधित्याग लाभ (Premium Waver Benefits)

(iv) पारिवारिक आय लाभ (Family Income Benefits)

प्रीमियम के भुगतान की विधि/बारंबारता (Mode/Frequency of Payment of Premium)

विकत्प चुना जाता है तो 15 दिन का समय दिया जाता है। यदि इस अवधि में बीमाकृत की मृत्यु हो जाती है तो बीमा पूरी राशि का ही भुगतान के लिए वार्षिक, अर्थवार्षिक अथवा त्रैमासिक विकल्प चुना जाता है तो एक महीने का समय दिया जाता है और यदि मासिक वार्षिक विकल्प के स्थान पर मासिक, त्रैमासिक अथवा अर्घवार्षिक विकल्प चुनता है तो प्रीमियम की राशि अधिक होगी। यदि प्रीमियम के प्रीमियम के भुगतान की बारबारता (Frequency) में वृद्धि होती है बैसे ही प्रीमियम की ग्रशि में वृद्धि होती है। अतः यदि पॉलिसी बारक पॉलिसी धारक के पास प्रीमियम के भुगतान का वार्षिक, अर्घवार्षिक, त्रैमासिक अथवा मासिक विकल्प होता है। जैसे-जैसे

सर्विस (Electronic Clearing Service) द्वारा किया जा सकता है। ₹ 20,000 तक का प्रीमियम नकद दिया जा सकता है। प्रीमियम का भुगतान चैक द्वारा, माँग ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक विलयरिंग

प्रीमियम के भुगतान के संबंध में धारा 64VB के प्रावधान

(Provisions of Section 64 VB Regarding Payment of Premium)

इस धारा के अनुसार सभी प्रीमियमों का भुगतान अग्रिम रूप से ही किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रावधान निम्नलिखित हैं: (1) जब तक प्रीमियम की राशि का भुगतान पहले ही न हो जाए कोई बीमाकर्ता किसी भी प्रकार के जोखिम का उत्तरदायित्व

(2) जिस तिथि पर प्रीमियम की अग्रिम राशि का भुगतान नकद अथवा चेक द्वारा किया जाता है उस तिथि से पहले बीमाकर्ता को किसी भी जोखिम की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। यदि प्रीमियम की राशि का भुगतान चेक द्वारा अथवा मनीऑडर द्वारा किया गया हो तो जोखिम उस तिथि से स्वीकृत माना जाएगा जिस तिथि पर चेक पोस्ट किया गया हो अथवा मनीओंडर नहीं लेगा। प्रीमियम का भुगतान भी साधारणतया भारत में होना चाहिए।

(3) यदि पॉलिसी धारक द्वारा पॉलिसी को रह किया जाता है अथवा इसकी नियम अथवा शतों में परिवर्तन के कारण रह की गई हो तो प्रीमियम की राशि बीमाकर्ता द्वारा स्वयं बीमाकृत को वापिस दी जाएगी। राशि का भुगतान पॉलिसी धारक के खाते

(4) यदि बीमाकर्ता की ओर से एजेंट पॉलिसी धारक से प्रीमियम की राशि प्राप्त करता है तो उसे 24 घंटे के भीतर इस राशि का भुगतान अपनी कमीशन घटाए बिना बीमाकर्ता को करना होगा बशतें उस दिन बैंक तथा डाकखाने में अवकाश न हो।

(5) केंद्रीय सरकार को यह अधिकार है कि वह बीमा पॉलिसी के किसी विशेष वर्ग की पॉलिसियों पर प्रीमियम के अग्रिम भुगतान में छूट दे सकती है।

■ पॉलिसी का पुन: प्रचलन (Revival of Policy)

है। जब तक पॉलिसी का पुनः प्रचलन नहीं होता तब तक उस पॉलिसी से संबंधित सभी नियम एवं शर्ते व्यर्थ मानी जाएँगी। अतः/पुन प्रचलन का अर्थ है कि देय प्रीमियम के ब्याज सहित भुगतान पर पॉलिसी धारक/बीमाकृत के हित पुनः प्राप्त हो जाएँगे यदि बीमाकृत व्यक्ति निर्घारित अवधि में प्रीमियम की राशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो पॉलिसी समाप्त हो जाती

41

1. जब देय प्रीमियम का भुगतान किया गया हो

बीमाकृत के जीवन काल में तथा पॉलिसी की परिपक्वता से पहले

### पुनः प्रचलन के प्रकार निम्नलिखित हैं: पुन: प्रचलन के प्रकार (Types of Revival Schemes)

- पुनः प्रचलन के प्रकार जन्मारणाच्या . (1) सामान्य पुनः प्रचलन (Ordinary Revival): यदि पुनः प्रचलन उस दिन के 6 महीने तक किया जाता है जिस है। पहली पॉलसा का शामपन ५५ न स्वास्थ्य संबंधी विवरण देने की आवश्यकता नहीं होती। इसे सामान्य प्राप्ता के प्र प्रचलन कर दिया जाता है। इसके लिए स्वास्थ्य संबंधी विवरण देने की आवश्यकता नहीं होती। इसे सामान्य पुनः प्रकृति सामान्य पुनः प्रचलन (Orumay xween) पहली पॉलिसी का प्रीमियम देय था तो प्रीमियम की राशि के साथ ब्याज की राशि प्राप्त करने के बाद पॉलिसी का पहली पॉलिसी का प्रीमियम देय था तो प्रीमियम की राशि के साथ ब्याज की राशि प्राप्त करने के बाद पॉलिसी का
- (2) गैर-चिकित्सा आधार पर पुन: प्रचलन (Revival on Non-Medical Basis): गैर चिकित्सा आधार पर पुन: प्रचलन (Revival on Non-Medical Basis): गैर चिकित्सा आधार पर पुन गर-ाबाकत्सा जाबार २२.३... प्रचलन के लिए पुनः प्रचलन की राशि बीमाकृत द्वारा ली गई गैर चिकित्सा योजना में निर्धारित सीमा से अधिक तो क्षेत्र
- (3) चिकित्सा आधार पर पुन: प्रचलन (Revival on Medical Basis): यदि कोई पॉलिसी सामान्य रूप से अब किया जा सकता है। चिकित्सा अपेक्षाएँ पुनः प्रचलन राशि पर निर्भर करती है। गैर चिकित्सा आधार पर पुनः प्रचलित नहीं की जा सकती तो उसे चिकित्सा आवश्यकताओं के आधार पर पुनः प्रचलित
- (4) किश्तों द्वारा पुन: प्रचलन (Revival by Installments): इसका अर्थ यह है कि ब्याज सहित ग्रीमियम की ग्रीक भुगतान किश्तों में करना ताकि पॉलिसी धारक आसानी से इसका भुगतान कर सके। इस अवधि के दौरान पॉलिसी शास
- জ ) ऋण द्वारा पुन: प्रचलन (Revival by Loan): पॉलिसी की समर्पित राशि के आधार पर ऋण की राशि निर्धाति के जाती है और फिर उस राशि में से देय राशि को घटाया जाता है। कुल राशि पर ब्याज भी लिया जाता है। तब पॉलिसी क्षे
- (6) विशेष पुन: प्रचलन योजना (Special Revival Scheme): यदि पूरी राशि को भुगतान द्वारा अथवा किश्तों में पॉलिसी परिपक्व होनी थी, पुनः प्रचलन कर सकता है। इससे देय राशि में कटौती होगी। भुगतान द्वारा पॉलिसी का पुन: प्रचलन नहीं किया जा सकता तब बीमाकर्ता उस तिथि को अग्रवर्ती करके जिस परस्थीत

### 一凝叮 (Loans)

उपभाग (0) के अनुसार बीमा कंपनियाँ अपने द्वारा निर्गमित की गई पॉलिसियों के समर्पित मूल्य तक ही ऋण दे सकती है। करनी पड़ती है। वित्तीय संस्थाएँ भी इन पॉलिसियों पर ऋण की स्वीकृति देती है। जीवन बीमा अधिनियम, 1938 की धाउ 27(1) भी दे सकता है। साधारणतया स्याई निधि पॉलिसी के तहत ही ऋण उपलब्ध होता है। पॉलिसी धारक को ब्याज सहित ऋण की वापती अपेक्षाएँ (Requirements): ऋण'देने के लिए अपेक्षाएँ निम्नलिखित है: जिस पॉलिसी का समर्पित मूल्य है उसका ऋण मूल्य भी होता है। बीमाकर्ता पॉलिसी की शर्तों के अनुसार पॉलिसी धारक को ऋण

- (1) ऋण के नियम एवं शतों के समर्थन के साथ ऋण के लिए आवेदन देना।
- (2) बीमाकर्ता/वितीय संस्थान को पॉलिसी अध्यर्पित करना।
- (3) ऋण की राशि के लिए एक रसीद प्राप्त करना।

जीवन बीमा

परिपक्वता तिथि तक का ही लिया जाएगा ब्याज की दर लेती है। ब्याज का भुगतान अर्थवार्षिक आघार पर करना होता है। ऋण अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए दिया जाता है। 85% ऋण उपलब्ध होता है। ब्याज की दर एक बीमाकर्ता की अन्य बीमाकर्ताओं से फिन्न हो सकती है। जीवन बीमा कंपनी 9% प्रतिवर्ष यदि ऋण की तिथि से 6 महीने के भीतर मृत्यु अथवा पॉलिसी की परिपक्वता के कारण दावा किया जाता है तब ब्याज केवल मृत्यु अथवा ऋण की अधिकतम राशि पॉलिसी के समर्पित मूल्य एवं बोनस का 90% होती है। चुकता पॉलिसी के लिए समर्पित मूल्य का

ऋण की सीमा (Prohibition of Loans) धारा 29: इस धारा के प्रावधान निम्नलिखित हैं:

- (1) कोई भी बीमा कंपनी संपत्ति पर कंपनी के किसी संचालक, प्रबंधक, प्रबंधकीय एजेंट, अंकेक्षक अथवा अधिकारी को ऋण प्राधिकरण (IRDA) को इसकी सूचना अवश्य देनी चाहिए। जीवन आश्वासन कोष में से ऋण दिया जाता है तो ऋण देने की तिथि से 30 दिनों के घीतर बीमा विनियामक और विकास नहीं दे सकती। यद्यपि उन्हें पॉलिसी पर ऋण दिया जा सकता है। बीमा कंपनी सहायक कंपनियों को ऋण दे सकती है। यदि
- (2) यदि ऋण संचालक की स्वयं की जीवन बीमा पॉलिसी पर दिया गया हो एवं ऋण की राशि समर्पित मूल्य तक ही सीमित हो तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 की धारा 86D संचालक तथा कंपनी पर लागू नहीं होती।
- (3) कोई भी बीमा कंपनी धारा 29(1) के तहत ऋण नहीं दे सकती:
- (i) किसी भी प्रकार की संपत्ति अथवा व्यक्तिगत प्रतिभूतियों को बंधक रखकर अन्य किसी भी प्रकार से कोई ऋण अथवा अस्थाई अग्रिम राशि परंतु धारा 27(1) में निर्धारित ऋणों को छोड़कर।
- (ii) किसी भी मुख्य या विशेष एजेंट अथवा बीमा एजेंट को अस्थाई अग्रिम राशि। परंतु निम्न परिस्थितियों में उन्हें ऋण दिया जा सकता है:
- (a) मुख्य एजेंट के लिए ऋण की राशि उसके द्वारा पिछले वर्ष में अर्जित की गई अधिभावी पुनः प्रचलन कमीशन की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 9 विशेष एजेंट के लिए ऋण की राशि उसके द्वारा पिछले वर्ष में अर्जित की गई पुनः प्रचलन राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। अस्थाई अग्रिम राशि का पुर्नभुगतान उस तिथि के 2 वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए जिस तिथि पर एजेंट की नियुक्ति की गई हो तथा वह राशि ₹ 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- <u></u> के ऋण एवं अग्रिम दे सकता है तथा अन्य पाँच हजार रुपये की राशि तक ऋण एवं अग्रिम दे सकते हैं। जिस बीमाकर्ता का 1 करोड़ या इससे अधिक का व्यवसाय हो वह दस हजार रुपये की राशि तक इस प्रकार पुनेभुगतान उस तिथि के 2 वर्ष के भीतर होना चाहिए जिस पर उस एजेंट की नियुक्ति की गई से अधिक नहीं होनी चाहिए। अस्थाई अग्रिम राशि ₹ 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा इसका बीमा एजेंट के लिए ऋण की राशि उसके द्वारा पिछले वर्ष में अर्जित की गई पुनः प्रचलन कमीशन की राशि 雪

धारा 29 के प्रावधान सहायक जीवन बीमा समाज पर भी लागू होते हैं।

ऋण की स्वीकृति देते समय पुराने ऋण के अतिदेय ब्याज को घटाया जाता है। पहले ऋण के साथ अतिरिक्त ऋण की राशि समर्पित मूल्य के 90% से अधिक नहीं होनी चाहिए (चुकता राशि का 85%) अतिरिक्त अतिरिक्त ऋण (Additional Loans): पॉलिसी धारक द्वारा पॉलिसी की अवधि में एक से अधिक ऋण लिए जा सकते हैं।

नहीं दिया जा सकता है: ऋण के लिए अयोग्य बीमा योजनाएँ (Ineligible Insurance Plans for Loans): निम्नलिखित योजनाओं पर ऋण

- (1) वार्षिकी एवं पेंशन योजनाओं में ऋण नहीं दिया जा सकता क्योंकि इनमें पर्याप्त समर्पित मूल्य नहीं होता।
- (2) धन वापसी योजना में भी ऋण नहीं दिया जा सकता क्योंकि इनमें पॉलिसी धारकों को समय-समय पर भुगतान करना पड़ता है तथा पॉलिसी का पर्याप्त समर्पित मूल्य नहीं होता
- (3) आस्थान अवधि के दौरान ऋण नहीं दिए जा सकते

# ■ बीमा पॉलिसी का समर्पण (Surrender of Insurance Policy)

पॉलिसी की यह विशेषता पालक्षा नारण स्वापन वर्षों में समर्पण मूल्य की सूचना प्रदान करती है। स्पाई निष्क वाले क्षा के प्राप्त है। स्पाई निष्क वाले क्षा के विभन्नता होती है। याद्य का पुगतान किया जाता है अथवा दय हाता ह ००० गशि का पुगतान किया जाता है अथवा दय हाता ह ००० गालिसी का समर्पण कर सकता है तथा समर्पण गशि का प्रयोग उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकता गालिसी का समर्पण के कुछ नियम एवं स्ति है। पालिसी के समर्पण के कुछ नियम एवं स्ति है। का का का का का का का का का यदि पॉलिसी धारक परिपक्वता स् ५००० ..... राशि का भुगतान किया जाता है अथवा देय होता है उसे समर्पण मूल्य कहा जाता है। वित्तीय आक्रस्मिकताओं हे। सम्पेष् राशि का भुगतान किया जाता है तथा समर्पण राशि का प्रयोग उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए का क्षाणा की मा पॉलिसी का समयण रूप्पान शिल्सी छोड़ देता है तो उसे पॉलिसी का समर्पण कहा जाता है। समर्पण कहा है। समर्पण कहा

s का रापपा के तत्त्व (Features of Surrender): बीमा पॉलिसी के समर्पण के तत्त्व निर्मालिखित है।

- (1) यह भुगतान किए गए प्रीमियम का प्रतिशत अथवा चुकता मूल्य का प्रतिशत होता है।
- (2) पॉलिसी की शतौं में वृद्धि के साथ-साथ समर्पण मूल्य कम होता जाता है।
- (3) यह प्रीमियम भुगतान के तरीकों पर निर्भर नहीं होता।
- 1938 की धारा 113 में पॉलिसियों द्वारा समर्पण मूल्य के अधिग्रहण के बारे में निम्नलिखित वर्णन है: (4) भालका करणा है.

  पॉलिसी द्वारा समर्पण मूल्य का अधिग्रहण (Acquisition of Surrender Values by Policy): का अधिग्रहण के बारे में निम्नलिखित वर्णन है: (3) पर आपना । (4) पॉलिसी के अवधि में वृद्धि के साथ-साथ समर्पण मूल्य में भी वृद्धि होती है। समर्पण मूल्य तत्त्व प्रीमियम का प्रतिकार के प्
- हैं थार 115 र स्वास्त्र बीम कंपनी की पॉलिसी की दशा में लगातार 3 वर्षों तक किया गया है अथवा प्रोक्ति की पातार भगतान किया गया है अथवा प्रोक्ति के स्वास्त्र भगतान किया गया है तो उसे पॉलिसी का स्वास्त्र के स्वास्त्र सासायटा का भारपता न न न न समर्पण मूल्य जो कि पहले से ही उपार्जित है वह भी पॉलिसी के समर्पण मूल्य जो कि पहले से ही उपार्जित है वह भी पॉलिसी के समर्पण कि यदि ग्रीमयम का मुगतान नाता नाता है तो उसे पॉलिसी पर सम्बंध है सो असे पॉलिसी पर सम्बंध है सो असे पॉलिसी पर सम्बंध है सो असे पॉलिसी पर सम्बंध है हो उसे पॉलिसी पर सम्बंध है है जो उसे पॉलिसी पर सम्बंध है है हो उपार्जित है वह भी पॉलिसी पर सम्बंध है है
- (2) श्रीमियम का भुगतान न किए जाने पर ऐसी बीमा पॉलिसी को स्थगित नहीं किया जाएगा जिस पर लगाता 3 कंड प्रीमियम का भुगतान किया जा चुका हो। उस पॉलिसी को चुकता राशि की सीमा तक जारी माना जाएगा। उस किक्किक्ष
- (3) चुकता राशि तक जारी मानी गई पॉलिसी पर पूर्ण चुकता पॉलिसी में परिवर्तन के बाद कोई बोनस नहीं दिया जाएगा
- (4) उप धारा (2) तथा (3) निम्नलिखित पर लागू नहीं होती:
- (a) यदि बीमाकृत चुकता राशि जिसमें प्रीमियम भी सिम्मिलित है वह ₹100 से कम है अथवा वार्षिकी की दला मेरें छ से कम हो तथा प्रोविडेंट सोसाइटी की दशा में ₹ 50 से कम हो।
- (b) यदि पक्ष पर कुछ और तरह से प्रबंध करने के लिए सहमत हों,
- (c) ऐसी पॉलिसियों की दशा में जिनमें भुगतान न होने के कारण समाप्ति की दशा में अनुबंध की शतों के अनुक्ष समर्पण मूल्य पॉलिसी को बनाए रखने के लिए स्वयं ही मान्य हो।

### । बानस (Bonus)

से निवेश किया जाता है। अतिरिक्त लाभ वितरित करती है, जिसे बोनस कहा जाता है। आय में से दावों की राशि को घटाकर जो राशि शेष बचती है उसे आंक्स पॉलिसी दो प्रकार की होती हैं... लाभ सहित तथा लाभ रहित। लाभ सहित पॉलिसी वे परंपरागत योजनाएँ हैं जिन पर कर्म

तथा पिछले वर्ष घोषित किया गया बोनस। बोनस का निर्घारण कई तत्त्वों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है; जैसेकि निवेशों पर प्राप्त लाभ, बीमांकिकों संभावित खे

वोनस के प्रकार (Types of Bonus): ये निम्नलिखित हैं:

- (1) साधारण संशोधात्मक बोनस (Simple Revisionary Bonus): यह बोनस केवल बीमाकृत ग्रशि के आधार पर यद्यपि यह उपार्जित होता है। इसका भुगतान पॉलिसी के परिपक्व होने पर दावे की राशि के साथ किया जाता है। निर्धारित किया जाता है। बोनस की घोषणा वार्षिक रूप से की जाती है। इसका भुगतान वार्षिक रूप से नहीं किया जाता
- (2) मिश्रित संशोधात्मक बोनस (Compound Revisionary Bonus): यह मिश्रित व्याज की तरह होता है यह इसलिए इसे मिश्रित बोनस कहा जाता है। बीमाकृत राशि तथा पिछले सभी बोनसों पर निर्धारित किया जाता है। क्योंकि यह पिछले सभी बोनसों पर दिया जाता है
- (3) आवधिक बोनस (Terminal Bonus): इसे स्याई अथवा पूँजीगत बोनस भी कहा जाता है। यह उस पॉलिसी के कंपनियाँ प्रत्येक वर्ष की बीमाकृत राशि पर अथवा जितने वर्ष तक वह पॉलिसी जारी रहती है उस पर घोषित किया जाता है। है। कुछ कंपनियाँ पॉलिसी पर पहले से ही दिए गए कुल बोनस के प्रतिशत के रूप में घोषित करती है। जबकि कुछ अथवा परिपक्वता तिथि पर दोनों में से जो भी पहले हो, किया जाता है। आविधक बोनस की घोषणा दो प्रकार की जाती सपूर्ण निष्पादन की ओर संकेत करता है। यह संशोधात्मक बोनस के अतिरिक्त दिया जाता है। इसका भुगतान मृत्यु
- (4) अंतरिम बोनस (Interim Bonus): अंतरिम का अर्थ है बीच में। इसका अर्थ यह है कि ऐसा बोनस जो कि उन भुगतान करना पड़ता है। इसका कंपनी द्वारा घोषित अंतरिम बोनस दर के अनुसार अनुपातिक आधार पर भुगतान किया पॉलिसियों पर दिया जाता है जो कि दो बोनस तिथियों के बीच या तो परिपक्व होती है या मृत्यु होने पर दावे की ग्रशि का
- (5) नकद बोनस (Cash Bonus): बीमा कंपनी प्रतिवर्ष नकद के रूप में भी बोनस का भुगतान करती है।

# • वीनस एवं लाभांश पर प्रतिबंध (Restriction on Bonuses and Dividends)

हस्तांतरण द्वारा संचय कोष बनाया गया हो तो इसे आधिक्यों में जोड़ा जा सकता है। द्वारा नहीं किया जाता जो कि मूल्यांकन तिथि पर उस वर्ग अथवा उप वर्ग के बीमा व्यवसाय से संबंधित हो। यदि इन्हीं आधिक्यों के कंपनी संचित कोषों में से योगदान द्वारा या अन्य किसी तरीके से इस आधिक्य में वृद्धि नहीं कर सकती जब तक यह योगदान आय खाते प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जीवन बीमा कोषों या अन्य इसी प्रकार के कोषों का प्रयोग नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त कोई भी जीवन बीमा अधिनियम 1938 की धारा 49 के तहत बोनसों एवं लापांशों पर प्रतिबंध लगाया गया है। कोई भी बीमा कंपनी

# । जीवन बीमा में वार्षिकी (Annuities in Life Insurance)

परिवर्तित किया जाता है जो कि उसे आजीवन प्राप्त होते रहे। जोखिमों से निपटने के लिए मदद करने के लिए प्रारूपित किए जाते हैं। पॉलिसी घारक द्वारा किए गए भुगतानों को आवधिक भुगतानों में एक दीर्घकालीन निवेश है जो कि एक कंपनी द्वारा निर्गमित किए जाते हैं जो कि बीमा कंपनी द्वारा बीमाकृत को अपनी आय से अधिक शृंखलाबद्ध भुगतानों के बदले भविष्य में बीमकृत/पॉलिसी घारक को किए जाने वाले भुगतानों की शृंखला निर्घारित करता है। वार्षिकी वार्षिकी बीमा उत्पाद के रूप में एक वित्तीय अनुबंध है जिसके अनुसार बीमाकर्ता बीमाकृत द्वारा प्रीमियम के रूप में की गई

बाद संचय की गई राशि में से ही पॉलिसी धारक को वार्षिकी देने की गारंटी दी जाती है सभी योजनाएँ अथवा पॉलिसियाँ स्थान अवधि के लिए जोखिम की सुरक्षा प्रदान करती है। पॉलिसी की अवधि समाप्त हो जाने

- ) वार्षिकी अनुबंध की विशेषताएँ (Features of Annuity Contract वार्षिकी अनुबंध की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- (1) गारंटीयुक्त जमा (Guaranteed Additions): वार्षिकी पॉलिसी में एक यह विशेषता हो सकती है कि प्रतिवर्ष है तथा विभिन्न बीमाकर्ताओं द्वारा विभिन्न संख्या निर्धारित की जा सकती है। बीमाकृत राशि में कुछ जमा अवश्य होगा। गारंटी युक्त जमा के वर्षों की संख्या विभिन्न पॉलिसियों में विभिन्न हो सकती

45

- (2) निहित पर लाभ (Benefits on Vesting): बीमाकर्ता परिवर्तन अथवा वार्षिकी के विकल्प में से चुनने का विकल्प है
- (3) लाभों में भागीदारी (Participation in Profits): वार्षिकी योजना में लाभों में भागीदारी की विशेषता भी हो सकती है। इसका अर्थ यह है कि बीमाकृत राशि में बोनस की राशि को जोड़ा जाएगा जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में वार्षिक्षी भुगतान की राशि में वृद्धि होगी।
- (4) वार्षिकी विकल्प (Annuity Options): बीमाकर्ता वार्षिकी के लिए कई विकल्प प्रदान कर सकता है। उन सब में से पॉलिसी धारक को चुनना पड़ता है। इनमें से विभिन्न विकल्पों का वर्णन वार्षिकी के प्रकार में किया गया है।
- (5) मृत्यु संबंधी हित (Death Benefits): यदि बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु परिपक्वता तिथि से पहले हो जाती है तो है कि यह दावे की राशि के साथ वार्षिकी का क्रय भी कर सकता है। बोमाकृत राशि तथा उस पर उपार्जित बोनस का भुगतान किया जाएगा। नामांकित व्यक्ति को यह विकल्प भी दिया जाता
- (6) लाभ (Profit): वार्षिकी पर दिए जाने वाले लाभ का भुगतान मासिक, त्रैमासिक, अर्घवार्षिक अथवा वार्षिक आधार पर कया जा सकता है।

वार्षिकी के प्रकार (Types of Annuities): वार्षिकी का वर्गीकरण निम्नलिखित हैं:

- सुरक्षित जीवनों की संख्या के आधार पर (As per Number of Lines Covered): इसे भी आगे दो उपभागों में विभाजित किया गया है:
- (1) एकाकी जीवन वार्षिकी (Single Life Annuities): जब बीमत व्यक्ति अपने जीवनकाल के लिए वार्षिकी तो भुगतान रोक दिया जाता है। पूरंतु यदि जीवन साथी की और अन्य कोई आय न हो तो इस प्रकार की वार्षिकी ठीक वार्षिकी की तुलना में अधिक राशि का भुगतान किया जाता है। जब वार्षिकी का दावा करने वाले की मृत्यु हो जाती है के भुगतान का चयन करता है तो उसे एकाकी जीवन वार्षिकी कहा जाता है। इसमें संयुक्त अथवा बहुसंख्यक जीवन
- (2) बहुसंख्यक जीवन वार्षिकी (Multiple Life Annuity): जब एक से अधिक व्यक्तियों को वार्षिकी का भुगतान किया जाता है तो वह बहुसंख्यक जीवन वार्षिकी कहलाता है। इसे भी आगे दो भागों में बाँटा गया है:
- संयुक्त जीवन वार्षिकी (Joint Life Annuity): जब वार्षिकी का भुगतान किसी भी एक वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु तक सीमित होता है तो उसे संयुक्त जीवन वार्षिकी कहा जाता है।
- $\equiv$ अंतिम उत्तरजीवी वार्षिकी (Last Survivor Annuity): जब वार्षिकी का भुगतान अंतिम व्यक्ति की मृत्यु तक किया जाता है तो उसे अंतिम उत्तरजीवी वार्षिकी कहा जाता है।
- लाभों के अनुसार (According to Commencement of Benefits): लामों के अनुसार बीमा वार्षिकी निम्नलिखित प्रकार की होती है:
- तत्काल वार्षिकी (Immediate Annuities): तत्काल वार्षिकी में केता को क्रय करने के पश्चात तुरंत भुगतान कर सकता है। वार्षिकी ग्राही को पूरे जीवन काल में अथवा एक निश्चित अविध के लिए भुगतान किया जाता है। किया जाता है। जब केता को तुरंत धन की आवश्यकता होती है तो यह उपयोगी है क्योंकि वह एक बड़ी राशि प्राप्त
- $\mathfrak{S}$ आस्थिगत वार्षिकी (Deferred Annuities): आस्थिगत का अर्थ है देर से। अतः आस्थिगत वार्षिकी वह नहीं होती तथा जो निवेशों पर कर आस्थागत विकास चाहते है। इस प्रकार की वार्षिकी दीर्घकालीन बचतों के लिए की संचयन अवधि कहा जाता है। इस प्रकार की वार्षिकी उनके लिए अच्छी है जिन्हें तुरंत आय साधन की आवश्यकता वार्षिकी है जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद क्रेता को भुगतान आरंभ किया जाता है। यह आस्प्रीत अवधि को

जाती है जैसे कि सेवा-निवृत्ति के समय। वार्षिकी ग्राही के पास यह विकल्प भी होता है कि वह वार्षिकी का भुगतान

आरंभ होने से पहले एक बड़ी राशि ले सकता है।

III. प्रीमियम के भुगतान की विधि के अनुसार (According to Method of Payment of Premium): इसके अनुसार वार्षिकी को दो भागों में विभाजित किया गया है:

एकहरी प्रीमियम योजना (Single Premium Plan): एकहरी प्रीमियम योजना वह है जिसमें वार्षिकी के क्रय पर एक ही किश्त में अथवा बड़ी राशि में वार्षिकी का भुगतान किया जाता है। इसके बाद कोई प्रीमियम नहीं दिया

(2) बहुसंख्यक प्रीमियम योजना (Multiple Premium Plan): बहुसंख्यक प्रीमियम योजना वह है जिसमें वार्षिकी ग्राही एक निश्चित संख्या की किरतों में प्रीमियम का भुगतान करता है। यह राशि संचयन में जाती है और

एक स्थाई अवधि के बाद बीमा कंपनी वापसी का भुगतान करने लगती है।

IV. प्राप्तियों के निपटारे के अनुसार (According to Dispositions of Proceeds): ये दो प्रकार की हैं: (2) प्रतिभूत भुगतान वार्षिकी (Guaranteed Payment Annuities): इस प्रकार की वार्षिकी में कुछ वर्षों के (1) जीवन वार्षिकी (Life Annuities): जैसाकि नाम में ही निहित है ऐसी वार्षिकी जिसका वार्षिकी ग्राही को तभी लाभदायक है जब वार्षिकी ग्राही लंबे समय तक जीवित रहता है अन्यथा यह बीमाकर्ता के लिए लाभदायक है। आजीवन भुगतान किया जाता है। उसकी मृत्यु के पश्चात् किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया जाता। यह योजना

्री अथवा नहीं। इस प्रकार की वार्षिकी भी दो प्रकार की होती है: े लिए भुगतान प्रतिभूत होते हैं।इसमें भुगतान एक निश्चित अविध तक किया जाता है चाहे वार्षिकी ग्राही जीवित हो तत्काल प्रतिभूत वार्षिकी (Immediate Guaranteed Annuity): इस प्रकार की वार्षिकी में वार्षिकी तब तक जारी रहती है तब तक वार्षिकी ग्राही जीवित रहता है। उसकी मृत्यु होने पर उस क्रय मूल्य तथा

, s , s , s 50000 है। अस्थिगित प्रतिभूत वार्षिकी (Deferred Guaranteed Annuity): यह साधारण अस्थागत अवाध के समान है। इसमें भुगतान निर्धारित वर्षों तक किया जाता है। इस योजना में भी वार्षिकी ग्राही की मृत्यु के पश्चात् शेष राशि का भुगतान नामंकित को किया जा सकता है।

V. निवेश विकल्पों के अनुसार (According to Investment Options): इसके अनुसार वार्षिकी को तीन भागों में आस्थिगित प्रतिभूत वार्षिकी (Deferred Guaranteed Annuity): यह साधारण आस्थिगित अविध वार्षिकी भुगतानों के बीच के अंतर की पूरी राशि उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को दे दी जाती है।

विभाजित किया जा सकता है। वे निम्नलिखित हैं:

- परिवर्तनशील वार्षिकी (Variable Annuity): परिवर्तनशील वार्षिकी बीमा कंपनी तथा वार्षिकी ग्राही के बीच या इनका संयोग हो सकता है। सकती है। निवेश विकल्प प्रायः म्यूचुअल फंड जो कि स्टॉक में निवेश किया जाता है, बॉण्ड, मुद्रा बाजार में निवेश वार्षिकी हो सकती है। इसमें वार्षिकी ग्राही द्वारा चुने गए निवेश विकल्पों के अनुसार भुगतान की राशि विभिन्न हो एक अनुबंध है। इसमें बीमा कर्ता आवधिक भुगतानों के लिए तैयार होता है। यह तत्काल वार्षिकी या आस्थगित
- (2) स्थाई वार्षिकी (Fixed Annuity): जैसािक नाम से ही स्पष्ट है इसमें एक नियमित अंतराल में एक स्थाई समय अविध के लिए एक स्थाई राशि का भुगतान किया जाता है। यह प्रतिभूत भुगतान वार्षिकी के समान है।
- $\mathfrak{S}$ सूचीबद्ध वार्षिकी (Indexed Annuity): इन्हें समता सूचीबद्ध वार्षिकी के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थाई सूचीबद्ध वार्षिकी में न्यूनतम स्थाई दर दी जाती है। अतः सूची के बुरे निष्पादन पर भी एक निश्चित दर तय है। निर्भर करती है; जैसे- निफ्टी 50 या बी॰एस॰सी॰ सेनसैक्स, स्माल कैंप इन्डेक्स, लार्ज कैंप इन्डेक्स, आदि। वार्षिकी तथा परिवर्तनशील वार्षिकी के अधिकतम संभावित आय क्षमता का संयोग है। वापसी सूची <u>के निष्पादन प</u>र

जीवन बीमा

49

- जीवन बीमा पॉलिसी द्वारा आरक्षित वार्षिकी एवं अन्य लाभों की न्यूनतम सीमा (Minimum Limits for Annuities and other Benefits Secured by Policies of Life Insurance) धारा 4
- 1. बीमा कंपनी ₹100 से कम अथवा ₹ 1,000 से कम सकल राशि की वार्षिकी की अनुमति नहीं दे सकती
- समूह बीमा की स्थिति में बीमाकर्ता ₹ 50 से अधिक या ₹ 500 से अधिक की सकल राशि की वार्षिकी स्वीकार कर पक्त है। समूह कम से कम 50 व्यक्तियों का होना चाहिए तथा IRDA)द्वारा लिखित रूप में एक प्रमाप प्रारूप प्रमाणित किया जाना चाहिए। ೨ns.whonce Requitionary Development Authosuty

### ■ दावा (Claim)

शब्द कोष के अनुसार दावे का अर्थ है किसी मृत्यु के लिए कहना जो कि तुम मानते हो कि तुम्हारा है अथवा उस पर तुम्हार अधिकार है। बीमा में दावे का अर्थ है बीमा पॉलिसी की शर्तों के तहत देय राशि के लिए दावा करना अथवा माँगना।

जब एक व्यक्ति एक प्रस्ताव पत्र तिखता है और बीमाकर्ता उसे स्वीकार करता है तो वह अनुबंध माना जाता है। बीमाकर्ता किसी घटना के घटित होने पर एक निश्चित राशि के भुगतान का वायदा करता है, जैसेकि पॉलिसी की परिपक्वता पर अथवा मृत्यु होने पर।जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति पॉलिसी की शर्तों एवं नियमों के अनुसार बीमाकर्ता को उसका वायत पूरा करने की माँग करता है। यह माँग पॉलिसी दावा कहलाता है।

पॉलिसी दावे की विशेषताएँ (Features of Policy Claims): पॉलिसी दावे की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- बीमित का नामांकित व्यक्ति बीमाकर्ता को एक औपचारिक लिखित आवेदन देता है।
- नामांकित व्यक्ति राशि के भुगतान की माँग करता है।
- माँग बीमा पॉलिसी की शतों एवं नियमों के अनुसार की जाती है।
- माँग के साथ अनिवार्य प्रपत्र भी दिए जाते हैं।

पॉलिसी दावों के प्रकार (Types of Policy Claims): पॉलिसी दावों के प्रकार निम्नलिखित हैं:

- (1) परिपक्वता पर दावा (Maturity Claims): यदि बीमित पॉलिसी की अविध के अंत तक जीवित रहता है तब परिपक्वता दावा किया जाता है। परिपक्वता दावों का भुगतान साधारणतया स्थाई निधि पॉलिसियों पर किया जाता है। आविधक योजनाओं में परिपक्वता राशि हो सकती है अथवा नहीं हो सकती।
- (2) आविधक दावे (Periodic Claims): इस प्रकार के दावों का भुगतान पॉलिसी की अविध के दौरान स्थाई अंतराल पर किया जाता है। इसलिए उन्हें आविधक दावे कहा जाता है। भुगतान की अविध विभिन्न पॉलिसियों पर तथा विभिन्न बीमाकर्ताओं की विभिन्न होती हैं।
- (3) मृत्यु के बाद दावे (Death Claims): यदि बीमित की मृत्यु परिपक्वता तिथि से पहले हो जाती है तब उस दावे को मृत्यु दावा कहा जाता है। मृत्यु दावों का भुगतान उन पॉलिसियों पर किया जाता है जिन पर देय प्रीमियम का भुगतान हो चुका हो या जब मृत्यु अनुप्रहित दिनों के भीतर हो। मृत्यु दावे दो प्रकार के हो सकते हैं:
- जल्दी मृत्यु पर दावे (Early Death Claims): पॉलिसी के निर्गमित होने के बाद 2 वर्ष के भीतर किए जाने वाले दावों को जल्द मृत्यु दावे कहा जाता है। इन्हें समयपूर्व मृत्यु दावे भी कहा जाता है।
- गैर-जल्द मृत्यु दावे (Non-early Death Claims): वे दावे जो पॉलिसी निर्गमित होने के 2 वर्ष के बाद किए जाते हैं उन्हें गैर-जल्द मृत्यु दावे कहा जाता है।
- दावों के निपटारे की प्रक्रिया (Procedure of Claim Settlement) दावों के प्रकार के आधार पर दावों के निपटारे की प्रक्रिया को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है।

भीवन बीम

- (A) परिपक्वता पर दावों के निपटारे की प्रक्रिया (Procedure on Maturity Claims): पॉलिसी को अविध समाप्त होने के पश्चात् किए जाने वाले दावों को परिपक्वता दावे कहा जाता है। दावों के शीव्रता से निपटारे के लिए निम्नलिखित प्रपत्रों की आवश्यकता होती है जो कि बीमाकर्ता के पास जमा करवाने पड़ते हैं।
- वास्तविक पॉलिसी बॉण्ड।
- (2) मोहर लगा हुआ, हस्ताक्षर किया गया, गवाहीयुक्त भुगतान फार्म।
- (3) यदि पॉलिसी निर्गमित करते समय आयु का प्रमाणपत्र न दिया गया हो तो आयु प्रमाण पत्र।
- (4) यदि बीमाकर्ता के अतिरिक्त संस्था से भी ऋण लिया गया हो तो उस ऋण की वापसी के प्रपत्न।
- (5) अभ्यर्पण होने पर अभ्यर्पण को रह करने के प्रपत्र।
- (6) यदि पॉलिसी खो गई हो या नष्ट हो गई हो तो क्षतिपूर्ति बाँण्ड।

आजकल कंपनियाँ इलेक्ट्रॉनिक बिलगरिंग सर्विस (ECS) प्रणाली द्वारा अथवा परिपक्वता तिथि पर भुगतान होने वाले उत्तरिवियों चेकों द्वारा भुगतान करती है। परिपक्वता दावों की राशि में बीमाकृत राशि तथा अन्य जमा सिम्मिलित होते हैं; जैसेकि साधारण संशोधनात्मक बोनस, आविधक बोनस, आदि। कोई भी देय राशि; जैसेकि ऋण, ऋण पर ब्याज तथा देय प्रीमियम, आदि को उसमें से घटाया जाता है। परिपक्वता दावों में नामांकन का कोई अर्थ नहीं है। अतः यह विभिन्न जटिलताओं से मुक्त है। यदि पॉलिसी अभ्यर्पण के अंतर्गत है तो भुगतान अधिन्यासी को दिया जाएगा। जब दावे का भुगतान कर दिया जाता है तब बीमाकर्ता तथा बीमित के बीच का अनुबंध सम्मप्त हो जाता है। तथा पॉलिसी धारक को दिया गया बीमा आश्वासन भी समाप्त हो जाता है। यदि वार्षिकी पॉलिसी के परिपक्वता दावों का भुगतान करना ही तो वह पॉलिसी की शर्तों एवं नियमों के अनुसार किश्तों में किया जाएगा।

- (B) आवधिक उत्तरजीवी हितों के निपटारे की प्रक्रिया (Settlement Procedure in case of Periodic Survival Benefits): आवधिक उत्तरजीवी हितों का भुगतान मनी बैंक पॉलिसियों पर किया जाता है। आवधिक पुगतान जीवन की मुख्य अवस्थाओं में वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन प्रदान करता है। बीमित राशि का एक भाग निर्धारित अंतराल पर दिया जाता है। यह बीमित राशि का कुछ प्रतिशत दिया जाता है। यह आवधिक भुगतान देय राशियों को घटाने के बाद दिया जाता है। अवधिक भुगतान के समय निम्नलिखित प्रपत्न जमा करवाने पड़ते हैं:
- मोहर लगा हुआ, हस्ताक्षर किया गया तथा गवाहीयुक्त भुगतान फार्म
- (2) वास्तविक पॉलिसी प्रपत्र।

परंतु अब भुगतान फार्म तथा पॉलिसी प्रपत्न भेजने की आवश्यकता नहीं है। अब बीमाकर्ता स्वतः <u>ही इलेक्ट्रॉनिक</u> क्तियरिंग <u>सर्विस (ECS)</u> के माध्यम से सीधा बैंक खाते में राशि हस्तांतरित कर देता है या उत्तरितिषय चैंक द्वारा भुगतान कर देता है। यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु देय तिथि के बाद परंतु दावे के निपटारे से पहले हो जाती है तो दावे की राशि का भुगतान नामांकित व्यक्ति को किया जाता है।

- (C) मृत्यु दावों के निपदारे की प्रक्रिया (Settlement Procedure in case of Death Claims): यदि पॉलिसी धारक अथवा बीमित की मृत्यु पॉलिसी की परिपक्वता से पहले हो जाती है तो उसे दावे को मृत्यु दावा कहा जाता है। मृत्यु दावों का भुगतान उन्हीं पॉलिसियों पर दिया जाता है जिन पर पूर्ण प्रीमियम का भुगतान किया जा चुका हो और जब मृत्यु अनुग्रह समय में हुई हो। इसके लिए निम्निलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:
- (I) मृत्यु की सूचना (Intimation of Death): सबसे पहले संबंधित शाखा कार्यालय में मृत्यु की सूचना देनी चाहिए। निम्नलिखित में से कोई भी शाखा कार्यालय में सूचना भेज सकता है:

2 अधिन्यासक यदि कोई है।

3 पॉलिसी धारक का वैधानिक वारिस।

कर्मचारी।

(5) एजेंट अथवा विक्रय प्रबंधक/विकास अधिकारी।

मृत्यु की सूचना के साथ निम्नलिखित सूचनाएँ भी देनी चाहिए

(1) बीमित का नाम।

2 मृत्यु की तिथि।

3 मृत्यु का स्थान। मृत्यु का कारण।

पॉलिसी का नम्बर।

दावा करने वाले से संबंध।

(II) मृत्यु का प्रमाण जमा करवाना (Submission of Proof of Death): सूचना प्राप्त करने के बाद वैमाका एवं अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित संकेत दिए जाते हैं। बीमाकर्ता मृत्यु का प्रमाण माँग सकता है निम्नलिखित प्रपत्र जमा करने पड़ते हैं। के शाखा कार्यालय द्वारा पॉलिसी की जॉच की जाती है तथा दावे की सत्यता की जॉच की जाती है तथा दावा <sub>फा</sub>

(1) दाबा फार्म A (Claim Form A): यह दाबा करने वाले का विवरण होता है जिसमें मृतक का विवरण क्षे

जिस डॉक्टर ने अंतिम बार उस मृतक को देखा था, उस डॉक्टर के विवरण का फार्म

जिस अस्पताल में उस पॉलिसी धारक का आखिरी बार उपचार हुआ हो वहाँ का प्रमाण पत्र

अंतिम संस्कार का प्रमाण

वास्तविक पॉलिसी प्रपत्र।

प्रपत्नों की आवश्यकता होती है: की मृत्यु पॉलिसी शुरू होने की तिथि से 2 वर्षों के भीतर हो जाती है तो उसे शीघ्र दावा कहा जाता है। उस दशा में निम शीघ्र मृत्यु दावा करने पर अपेक्षित प्रपन्न (Document Required in case of Early Claims): यदि वीसित

(1) पॉलिसी बॉण्ड।

(2) अदायगी वाऊचर।

(3) अधिन्यास संलेख यदि कोई है।

(4) यदि कोई नामांकन अथवा अधिन्यास न होने की दशा में अधिकार अथवा हक का प्रमाण।

(5) उस डॉक्टर का बयान जिसने मृतक का अंतिम समय में उपचार किया हो।

(6) उस अस्पताल से बयान जिसमें मृतक की मृत्यु हुई हो।

(7) यदि बीमित द्वारा बीमारी के आधार पर छुट्टी ली हो तो नियोक्ता द्वारा छुट्टी के बारे में बयान

जीवन बीमा

51

(8) अंतिम संस्कार अथवा दफनाने का प्रमाण पत्र।

(9) नगर पालिका से मृत्यु का प्रमाण पत्र

में खोजबीन करता है कि कहीं कोई महत्वपूर्ण सूचना पॉलिसी के शुरू होने के समय छुपाई या दबाई तो नहीं गई। बीमा शीघ्र मृत्यु दावों की दशा में कंपनियाँ सतर्कता पूर्वक निपटाग करती हैं क्योंकि यह घोखा हो सकता है। बीमाकर्ता इस बारे बीमा कंपनी को दावा खंडन करने का अधिकार सिर्फ तभी होता है जब उसे मिथ्यावर्णन का पर्याप्त प्रमाण मिल गया ही। कपनी को दावा स्वीकार करने का अधिकार है, यदि कोई महत्त्वपूर्ण सूचना पीलिसी की गुरूआत होने पर बताई न गई ही।

(III) हक के दावेदार का प्रमाण (Proof of Title of Claimant): यदि नामांकित व्यक्ति का नाम र्राजस्टर किया गया को निम्नलिखित प्रदान करना चाहिए: लिए संतोषजनक प्रमाण देने होंगे। ये प्रमाण सक्षम वैद्यानिक पदाधिकारी द्वारा प्रभावित होने चाहिए। वैद्यानिक पदाधिकारी नहीं किया गया है अथवा वैधानिक अधिन्यास नहीं किया गया है तब हक के टावंदार को मृतक की संपत्ति पर अधिकार के है अथवा अघिन्यास वैधानिक तरीके से किया गया है तो हक के दावेदार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यदि नामांकन

एक अनुक्रमण प्रमाणपत्र; अथवा

(2) एक इच्छा पत्र; अथवा

(3) एक पंजीकृत वसियतनामा।

जाता है जब दावंदार आवेदन देता है। इसमें पॉलिसी की ग्रीश का विशेष वितरण सम्मिलित होना चाहिए। वीसयतनामा के साथ इच्छा पत्र की एक प्रति भी आवश्यक है। अनुक्रमण प्रमाण पत्र अदालत द्वारा तब निगरित किया यदि वसियतनामा दिया जाता है तब अदालत इसे मान्यता प्रदान करती है जिसे इच्छा पत्र कहा जाता है। अतः

(IV) पॉलिसी का भुगतान (Payment of Policy): जब सब औपश्रास्किताएँ समाप्त हो जाती है तब बीमाकर्ता भुगतान सब औपचारिकताओं के समाप्त होने की तिथि से 30 दिन के भीतर दावे की ग्रींश का भुगतान करना चाहिए। हस्ताखर होते हैं। बीमाकर्ता उस व्यक्ति को ही राशि का मुगतान करेगा। IRDA के दिशानिर्देशों के अनुसार बीमाकर्ता को पत्र निर्गीमत करता है। मुगतान पत्र पर या तो नामांकित के हस्ताक्षर होते हैं या अधि-यांभी के या वैधानिक उत्तराधिकारी के

# ■ भारत में जीवन बीमा का विकास (Growth of Life Insurance in India)

व्यवसाय के विकास का अध्ययन निम्न शीर्षकों द्वारा किया जा सकता है। तथा 23 निजी क्षेत्र में थी। 2001-02 में निजी बीमाकर्ताओं का योगदान 2% था जो कि 2012-13 में बढ़कर 41.92% हो गया। बीमा बीमा कंपनी थी और यह जीवन बीमा निगम थी। 2013 में जीवन बीमा उद्योग में 24 बीमा कंपनियों थी जिनमें से एक सार्वजनिक क्षेत्र में जब 1999 में श्रीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) अधिनियम लागू किया गया तब भारत में केवल एक जीवन

(1) बीमा व्यापन एवं सघनता (Insurance Penetration and Density): बीमा के व्यापन एवं सघनता के मापदंड 2009 में बढ़कर 4.60% हो गया। इसके बाद व्यापन में कमी आई। यह 2012 में घटकर 3.17 प्रतिशत रह गई बीच अनुपात द्वारा किया जाता है। बीमा क्षेत्र का व्यापन लगातार बढ़ता जा रहा है। यह 2001 में 2.15% था जो कि इसका अर्थ यह है कि बीमा में GDP की तुलना में कम विकास हुआ। बीमा सघनता में भी इसी प्रकार की प्रशृति थी। यह प्रति प्रतिशत द्वारा किया जाता है तथा बीमा संघनता का मापदंड प्रीमियम तथा जनसंख्या अथवा प्रति व्यक्ति प्रीमियम के से देश में बीमा क्षेत्र में होने वाले विकास के बारे में पता लगता है। बीमा व्यापन का मापटेड बीमा प्रीमियम की GDP के 2001 में 9.10 \$ था जो कि 2010 में बढ़कर 55.70 \$ हो गया और फिर 2012-13 में घटकर 42.70 \$ रह गया।

### अध्याय 3 अग्नि बीमा (Fire Insurance)

#### ■ परिचय (Introduction)

अग्नि बीमा संपत्ति बीमा का एक भाग है। यह बीमित को अग्नि के कारण होने वाली हानि की क्षितिपूर्ति का एक साधन है। सभी प्रकार के बीमा में, जीवन बीमा हो या गैर जीवन बीमा, यह एक यंत्रावली है जिसके द्वारा एक व्यक्ति की हानि को उस वर्ग के सभी सदस्यों में बाँटा जाता है। अग्नि बीमा संपत्ति को अग्नि अथवा अन्य किसी कारण से होने वाली हानि के प्रति वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार के बीमा में वास्तिवक हानि तथा उसके अनुवर्ती हानियाँ सम्मिलित होती हैं। अतः आज के आधुनिक समय में यह बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि निवेश बहुत अधिक मात्रा में होता है यदि ऐसी संपत्ति को कोई हानि पहुँचती है तो इससे व्यक्ति अथवा व्यवसाय उपक्रम विचलित हो जाता है।

अग्नि बीमा के प्रारंभ का संबंध 1666 में लंदन में लगी भयानक आग से माना जा सकता है जिसमें 13,000 से अधिक मकान उजड़ गए थे। उसके बाद कई बीमा योजनाएँ आरंभ की गई परंतु अधिक समय तक कोई योजना सफल नहीं हुई। 1681 में एक अर्थशास्त्री निकोलस बारबन तथा ग्यारह सहायकों में सबसे पहली अग्नि बीमा कंपनी आरंभ की। प्रारंभ में उन्होंने 5,000 मकानों का बीमा किया। इसके बाद उस दशक में कई ओर कंपनियाँ आरंभ हुई। उपनिवेशी अमेरिका में पहली अग्नि बीमा कंपनी 1732 में दक्षिण कैलिफोर्निया में आरंभ की गई।

भारत में 1907 में सभी प्रकार के सामान्य बीमा करने के लिए भारतीय मर्केंटाइल बीमा लिमिटेड की स्थापना की गई। 1957 में व्यवसाय में उचित आचरण एवं सही व्यवसायिक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए सामान्य बीमा सिमिति की स्थापना की गई। चार कंपिनयाँ— यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंश कंपनी लिमिटेड तथा ओरियंटल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड आरंभ की गई। 1971 में इन कंपिनयों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1999 में दोबारा इन कंपिनयों का विराष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा IRDA की स्थापना की गई।

### अग्नि बीमा का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning & Definition of Fire Insurance)

अग्नि बीमा, बीमा का एक विशिष्ट रूप है। बीमाकर्ता तथा बीमित के बीच एक अनुबंध होता है जिसके अनुसार बीमित व्यक्ति पुनः स्थापन, पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत लागत के रूप में हानि की क्षतिपूर्ति के प्रतिफल में एक निश्चित राशि प्रीमियम के रूप में देने के लिए स्वीकृति देता है।

#### • परिभाषा (Definition)

अग्नि बीमा की कुछ मुख्य परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं।

1. भारतीय बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 (6A) के अनुसार, ''अग्नि बीमा व्यापार का अर्थ है व्यापार करना, अन्य रूप से आकस्मिकता के तौर पर अन्य बीमा व्यापार की श्रेणी का, बीमित बीमे के अनुबंध हानि के विपरीत आकस्मिक अग्नि अथवा रिवाज़ों के अनुसार जिसमें अग्नि बीमा पॉलिसियों के विपरीत जोखिम सम्मिलित हो।'' (Fire Insurance means the business of effecting, otherwise than incidentally to some other class of insurance business, contracts of insurance against loss

Action of the parentage legists.) by its assessed to take in taken its anneants invariantly including minimit the risks insulated

- the assurance or of auch aremathere of, an examineration of an immediate fixed payment.) during a particular period to specified property, not exceeding a sum named as the limit of anderestes to pay or make good to the other any loss or damage by the which may happen भारत मानी करी राक्ष्मांत करी सुरक्षा के सक्ष्मींत संकी करी संकार प्रकार के स्वतंत्री अन्तरंत्राच्या अन्तरंत्राच्या पार्क केलिक रात्रि के ब्रोक्ट के ब्राह्म वर्षा केली '(thre institute is a continue where in the party करने कर उत्परदाश्चित्व रहेता है। यह इस्ति एक विशिष्टात अवस्थि से तथा विशिष्ट संपत्ति पर होती वाशिए विश्वमा प्रतासन के शतिकार से दूसरे प्राप्तकार को अतिन होते होते वाले पुक्रमान अवना होति के लिए कुछ प्राप्तान
- र ११ हर अन्तर्राक्ष के अनुस्तर ''एक अनुकार जिसके अनर्गन सीमाकतों, एक प्रतिफल के बदले जिसे प्रीतिका called the sum assured.) peerls within a stated period of the liability of insurer, being limited to a specified amount defined property, known as property insured, being duringed or destroyed by fire or other to indemnify the insured against financial loss which he may sustain, by reason of certain contract where by the insurers, in return for consideration known as premium, undertake क्टन के जीवन जरित ने हुई हो. जिसे को बोधा साहित के अप में जाना जाता है।" (Pine insurance is it कदा जाता है. बोधित को विसीध हादि सहद करने का तकन देता है जो कि उसे धरिभाषित जाधवाद, जिसे बीधित जाबदाद के जम्म से जाना जाता है. जो कि आग से हुई हो अबका उल्लेखित समय के भीतर परिभाषित

है के आँच बेच में जिन्मीलेंका सोमीला है दं परिषयह तक्षीं के हैं है जिस्से आग प्रस हाने तथा आक्षिमक आग प्रस हाने मिहन है। परिषयओं से यह स्पष्ट किया गया

- L अन्नि द्वारा हानि (Loss by Fire)ः इसमें आधारभूत सकट आन्न सम्मितित है। आन्न को संघटित करने के तिए
- E) SHIP HE SECTION OF THE SECTION OF
- (b) आग अग्रत्वांशत होने चाह्य

पतु अम्म निर्मालका के अमिलित रहे किया जात

- न्यस् अस्य त्याना, प्राकृतिक रूप से आग तथन अस्य स्वतः दहन
- मान के मिक्स कार्या मानक अन्यत के करण
- (III) सरवानक अध्वती के अंदेश पर समित में अंग लगान
- बिक्स निरम् पर हान् (Loss by Lighming) : दूसरा जोखरा जिसके लिए सतपूर्त के उत्तरदायित लिया जात \* 接 \* 展记 群 尽 " 医医 联广 并 推 医直 医门 是 H 中 进 中 进 中 著 B \* Senia 出 Hon \*
- " 计重要 作 黄色 安華 好秀 些母 计进程区 选些 いたもの。 Maria Class due to Explosion | SKH (GHZ) は 出の日 地に 単 生まる 出土でで
- 作 世界《香粉传》并是原文

- A. WHITEHER BE BETTEN BETTE I CONSTITUTE OF A HEAVILLE FROM HATEBOOK OF STORY STATES AS TRACK AND STATES.
- अन्यान अन्यान क्षान विक्ता नहें पन्तुन्ती के बनान कीने मानी क्षान रूतवार काली नरती के बनान की जीने काली विकासित की कि
- griller, martier than francher america at mile (Louis this to Rich Strike and Mattercom है। हालि अधना चुनवाल हंगानें, हड़शाल के कारण अधना विहेमपूर्ण केला लातिए के कि स्मितनि के त्यस्त विकेश के तहें की Duringe) आब अविधायक परिविधि के कांग्रा हुआ नुक्तान अनाम क्षेत्र की प्राप्त कीलक नुक्तान कार्य निक्रम
- आलेकावात् के कारण साथि (Loss thie in Terrorius) : आलकात्रह के कांग हुई स्टिनी की इससे स्ट्रेस्टिस की
- र, प्राकृतिक आधाओं के कारण हाति (Loss due to Natural Perila) : इसके असर्गत असी, सम्बन्ध, प्रमण्ड इसमें समिमिता की जा सकती है। अथवा अन्य किसी आदेप के कारण हुई हानि इसमें समिनीतात नहीं है। गह धब अधिनीत्रमं विधिनमा का गुमलान करके तुप्तान, सबध्वर, प्ररोजन बाब अध्यक्ष आस्ताबन के कारण हुई समिनी सीमितितन है परंतु गुकरा, ज्यातमध्ये, अन्यवन
- 8. हबकर के कारण हानि अधवा नुकसान (Loss or Dumage due to Impact) किया रत अधवा अन्य किया हो तो अतिरिक्त प्रीपियम द्वारा किया जा सकता है। होना चाहिए या उसके किसी कर्मचारी का नहीं होना चाहिए, यदि इस प्रकार की हानि की थी पॉलियी में सीम्पलित करना बाहन अधवा पशु से उबकर लगने पर होने वाली स्पन्त भीतिक हानि इसमें समितनित है। परेतु वह बाहन क्षीपत का नकी
- मिसाईल जाँच, स्वतः छिड्काव वाली मशीनों से लीकेज, पानी के टैंक पाईप का फटना आदि अग्नि बीमा में सम्मिलित किए निर्माण तथा ढाँचे में परिवर्तन अथवा संपत्ति की मरम्मत आदि इसमें अपवर्जित है। इसके अतिरिक्त झाड़ियों में आग, अवतलन, भूस्खलन, चड्डान विद्याकने से होने वाली हानि (Loss Due to Subsidence and Landslides पर होने बाली हानि अथवा नुकसान इसमें सम्मिलित है। परंतु सामान्य दरारें, पूरे ढींबे का नीचे बैठ जाना, विष्वंस including Rock Slide)ः उस भूमि के अवतलन, भूस्खलन अथवा चहुनि खिसकने जहाँ पर वह संपत्ति स्थित है.
- अग्नि बीमा अनुबंध के आधारभूत सिद्धांत (Basic Principles of Fire Insurance Contracts) अग्नि बीमा अनुबंध के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित हिल्ल्स 🖢
- I. श्रातिपूर्ति का सिद्धांत (Principle of Indemnity)

श्रितपूर्ति की राशि कम हो सकती है। हो जाता है कि कम राश का बीमा किया गया है तथा बीमाकर्ता जोखिम के पूर्ण मूल्य के एक भाग का प्रीमियम प्राप्त कर रहा है तो निश्चित राशि का भुगतान करने का वायदा करता है तो अग्नि बीमा का अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं माना जाता। यदि यह प्रमाणित अथवा अन्य ऐसे अन्य जोखिमों से होने वाली हानि के समय हानि का अनुमान लगाए बिना तथा वास्तविक हानि का प्रमाण देखे बिना एक की जाएगी। इस सिद्धांत का उद्देश्य यह है कि बीमित को उसी स्थिति में पहुँचाना जिसमें वह हानि होने से पहले था। यदि बीमाकर्ता अग्नि है। श्वतिपूर्ति का अर्थ है कि बीमाकर्ता केवल वास्तविक हानि का भुगतान करेगा इससे अधिक नहीं अर्थात् बीमित की पूर्ण रूप से श्वतिपूर्ति अग्नि बोमा अनुबंध तब तक क्षतिपूर्ति का अनुबंध है जब तक बीमित को वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार

तक ही पुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि वास्तविक हानि कम है तो वह केवल वास्तविक हानि का ही अपन लग जाती है। जितनी राशि के लिए बीमा करवाया गया था वह वास्तविक हानि से कम है। तब बीमाकर्ता अधिकतम बीमित राशि आइए अन्नि बीमा का एक उदाहरण लेते हैं। बीमित ने अपनी दुकान का अग्नि बीमा करवाया। दुकान में बिजली के करंट द्वारा

(Case: Castellain v/s Praston (1883)11 QBD 380)

- क्षितपूर्ति के सिद्धांत के परिणाम (Consequences of Principle of Indemnity)
   श्रीतपूर्ति के सिद्धांत के निम्मलिखित परिणाम है:
- अग्नि द्वारा होने वाले केवल वास्तविक हानि के मूल्य के लिए ही दावा किया जा सकता है।
- 2. यदि हानि की यशि बीमित यशि से कम है तो उसी यशि के लिए दावा किया जा सकता है।
- यदि संपत्ति का बीमा एक से अधिक बीमाकर्ताओं द्वारा किया गया हो तो हानि की राशि सभी बीमाकर्ताओं द्वारा बीमित राशि के अनुपात में बाँट ली जाएगी।
- मूल्यांकन उससे संबंधित बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है।
- वीमाकर्ता को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि हानि तीसरे पक्षकार के कारण हुई है तो उससे हानि की पूर्ति की माँग कर सकता है। इसमें बीमित को बीमाकर्ता अवश्य सहायता करता है।
- II. बीमा योग्य हित का सिद्धांत (Principle of Insurable Interest)

बीमा योग्य हित बीमा अनुबंध का एक अनिवार्य घटक है। बीमा योग्य हित के बिना यह मात्र शर्त है और यह कानून की दृष्टि से यह अप्रभावशाली होता है। अग्नि बीमा अनुबंध करते समय बीमा योग्य हित का होना अनिवार्य है। एक व्यक्ति का उस संपत्ति में बीमा योग्य हित तब मोना जाता है जब वह उसके विद्यमान होने से कोई आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहा हो तथा उसके न होने से उसे आर्थिक हानि हो रही हो। इसका अर्थ यह है कि बीमा योग्य हित है या नहीं यह जानने के लिए वित्तीय हित का होना अनिवार्य है। अतः अग्नि बीमा हो रही हो। इसका अर्थ यह है कि बीमा योग्य हित है या नहीं यह जानने के लिए वित्तीय हित का होना अनिवार्य है। अतः अग्नि बीमा अनुबंध में न केवल मालिक बल्कि निम्नलिखित का भी बीमा योग्य हित होता है:

- एक लेनदार का संपत्ति अथवा वस्तुओं में बीमा योग्य हित।
- 2. एक एजेंट का उसकी मुख्य वस्तुओं में बीमा योग्य हित।
- एक ट्रस्टी का ट्रस्ट के अंतर्गत सिमलित संपत्ति पर बीमा योग्य हित।
- एक अमानतदार का अमानत रखी गई वस्तुओं में बीमा योग्य हित।
- 5. एक बंधकशाही का बंधक रखी गई संपत्ति अथवा वस्तुओं में बीमा योग्य हित।
- जीवन साथी का एक दूसरे की संपत्ति पर बीमा योग्य हित।
- बीमा योग्य हित के अनिवार्य घटक (Essential Component of Insurable Interest) बीमा योग्य हित के अनिवार्य घटक निर्मालिखित हैं:
- एक विषय वस्तु होना आवश्यक है जिसका बीमा किया जा सके जैसे—वस्तुएँ, संपत्ति, अधिकार, अवयव आदि।
- 2. उस विषय वस्तु को हानि पहुँचने पर बीमित पर प्रभाव होना चाहिए।
- 3. विषय वस्तु तथा बीमित के बीच संबंध को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

बीमा योग्य हित को एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। मान लीजिए आपके अपने मकान अथवा दुकान में आग लगने से नुकसान होता है। आप या तो उस मकान अथवा दुकान को दोबारा बनवाते हैं या कम कीमत पर उसे बेच देते हैं तो आप वितीय हानि सहन करेंगे और उस हानि से आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। अतः आप राशि का दावा बीमाकर्ता से कर सकते हैं। परंतु यदि आपने अपने दोस्त के मकान का बीमा करवाया है और उस मकान को आग से कोई हानि पहुँचती है तो आप उस हानि का दावा करने के लिए योग्य नहीं दोस्त के प्रकान कोई विनाय करेंगे कोई विनीय हानि नहीं हुई है जिस कारण उसमें आपका कोई बीमायोग्य हित नहीं था।

Castellain V/s Praston (1883) के मामले में अदालत द्वारा यह फैसला दिया गया कि एक बीमित बीमा योग्य हित ही बीमा की विषय वस्तु है तथा केवल वही दावा कर सकते है जिनका उसमें बीमा योग्य हित हो। Lucena V/s Craufurd (1806)

अरित क्षेम

गमले में यह निर्णय लिया गया कि एक व्यक्ति का किसी वस्तु में बीमा योग्य हित तब माना जाएगा यदि उसकी हानि से उस पर प्रतिकूल प्रमाव पड़ता है।

अतः बीमायोग्य हित के बिना किया कोई भी अनुबंध अवैद्य है तथा कानून के अंतर्गत परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

- III. परम सद्विश्वास का सिद्धांत (Principle of Utmost Good Faith)
- बीमा अनुबंध परम सर् विश्वास के सिद्धांत पर आधारित है यरि किसी भी एक पक्षकार द्वारा परम सर्द्विश्वास को नहीं अपनाया जाता तो दूसरे पक्षकार पर उस अनुबंध को निभाने का कोई बंधन नहीं है। बीमाकर्ता बीमा का विक्रेता होता है और उसे बीमित संपित के जाता तो दूसरे पक्षकार पर उस अनुबंध को निभाने का कोई बंधन नहीं है। बीमाकर्ता बीमा का विक्रेता होता है और उसे बीमित संपित के बारे में सब कुछ जानता है। अत: यह बीमित का कर्तव्य है कि परम सर्द्विश्वास को बनाए रखे तथा सभी सूचनाएँ सही रें। दूसरी ओर बीमाकर्ता को भी पॉलिसी से संबंधित सभी पक्ष एवं विश्वस स्मष्ट रूप से बताएँ। बीमाकर्ता जोखिम का उत्तरत्यित्त लेने से पहले संपित की जाँच कर सकता है परंतु फिर भी सभी पक्ष एवं विश्वस स्मष्ट रूप से बताएँ। बीमाकर्ता जोखिम का उत्तरत्यित्त लेने से पहले संपित की जाँच कर सकता है परंतु फिर भी सभी पक्ष एवं विश्वक तम्बे जाँच नहीं की जा सकती है उनके बारे में प्रस्तावकर्ता को ही पता होता है।
- परमसद्विश्वास के सिद्धांत की अनिवार्यताएँ (Essential of Principle of Utmost Good Faith)
   परम सद्विश्वास के सिद्धांत की अनिवार्यताएँ निर्मालिखत हैं:
- प्रत्येक पक्षकार की संपूर्ण सूचनाएँ सही रूप से एक दूसरे को बतानी चाहिए।
- 2. बीमा अनुबंध केवल उन आभारों तक सीमित नहीं होता जिनके लिए सूचना माँगी गई थी।
- यदि कोई भी संबंधित सूचना छिपाई गई हो तो बीमित अथवा बीमाकर्ता दोनों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अनुबंध को अवैध माने। यह उस बात पर निर्भर नहीं होगा कि सूचना माँगी गई थी या नहीं।

Rozanes v/s Bouern (1928) के मामले में परम सर्द्विश्वास के सिद्धांत को अपनाया गया। यह कहा गया कि क्योंकि उत्तरदायित्व लेने वाले को कुछ पता नहीं था और बीमित सब कुछ जानता था तो उसे वह सब कुछ बताना चाहिए था इसलिए बीमा अनुबंध पारम्परिक सर्भाव का अनुबंध है।

Anstey v/s British Natural के मामले में यह निर्णय दिया गया कि बीमाकर्ता को उस पॉलिसी की शतौँ एवं नियमों के बारे में बीमित को अवश्य बताना चाहिए जो निर्गमित की जानी है। तथा विवरणिका में दिए गए विवरणों के समानुरूप चलना चाहिए।

निम्नलिखित तत्वों का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है:

- 1. कारून के तत्व।
- 2. ऐसे तथ्य जो जीखिम को कम करें।
- 3. सामान्य भाषा के तत्व।
- 4. ऐसे तथ्य जो कि आसानी से पता लगाए जा सकते हैं।
- ऐसे तथ्य जो कि पॉलिसी की शतों के अंतर्गत नीहित हैं।
- 6. ऐसे तथ्य जो कि बीमाकर्ता का प्रतिनिधि नोटिस करने में असफल रहा हो।
- IV. निकटतम कारण का सिद्धांत (Principle of Causa Pronima)

अग्नि बीमा अनुबंधों पर निकटतम कारण का सिद्धांत भी लागू होता है। आग लगने पर संपत्ति की हानि किस प्रकार हुई? इस प्रश्न का उत्तर बीमाकर्ता जानना चाहता है। निकटतम का अर्थ 'निकटतम समय में' या 'निकटतम बीमित जोखिम' नहीं है। यदि हानि उस जोखिम के निकटतम कारण से हुई हो तो बीमाकर्ता दावे की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि हानि एक से अधिक कारणों से हुई है तो निकटतम कारण के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि बीमाकर्ता भुगतान करने के लिए

अरिन बीमा

क्योंकि हानि विस्फोट के कारण नहीं हुई है। अन्य गोदाम में विस्फोट हुआ। जिसके कारण तीसरी इमारत में आग लग गई। इस इमारत की ओर से बीमित के गोदाम की तरफ हवा चल एक गोदाम में रखी रूई का अग्नि बीमा करवाया गया। परंतु पॉलिसी में विस्फोट, भूकम्प तथा प्रभंजन बीमा नहीं करवाया गया। किसी रही थी जिस कारण आग की लपटों से बीमा की गई रूई जल गई, यह निर्णय लिया गया कि बीमाकर्ता भुगतान करने का उत्तरदायी है Insurance company v/s Tweed (1868) के मामले की सहायता से इस तथ्य को अच्छे प्रकार से जाना जा सकता है।

# V. प्रतिस्थापन का सिद्धांत (Principle of Subrogation)

यदि हानि तीसरे पक्षकार के कारण हुई हो तो बीमित का उससे ग्रशि प्राप्त करने का अधिकार है। परंतु कानून की यह मान्यता है कि यदि पहुँचाना जहाँ वह हानि होने से पहले था। अतः क्षतिपूर्ति का नियम बीमित को किसी प्रकार लाम अथवा हानि उठाने की अनुमति नहीं देता। बीमाकर्ता ने बीमित को उस हानि के लिए दावे की राशि का भुगतान कर दिया हो तो बीमाकर्ता को तीसरे पक्षकार से हानि की राशि वसूल प्रतिस्थापन का सिद्धांत क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का परिणाम है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत यह है कि बीमित को वापिस उसी स्थिति मे

प्रतिस्थापन चार प्रकार से हो सकता है।

- क्षति (Tort): क्षति वैधानिक दृष्टि से गलत है क्योंकि इसके कारण किसी को नुकसान सहना पड़ता है और उससे भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि तीसरे पक्षकार से वसूल कर सकता है। कानूनी दायित्व उत्पन्न हो जाता है। ऐसी क्षति वाली घटना होने पर बीमाकर्ता को यह अधिकार प्राप्त है कि वह बीमित को
- 2. अनुबंध (Contract): यदि बीभित को बिना गलती के भी क्षतिपूर्ति का संविदात्मक अधिकार प्राप्त है तब बीभित के स्थान पर बीमाकर्ता को अधिकार प्राप्त होगा।
- बीमा की विषय वस्तु (Subject Matter of Insurance): बीमकर्ता को प्रतिस्थापन के सिद्धांत के अनुसार है क्योंकि उसे पहले ही हानि के लिए क्षतिपूर्ति की जा चुकी है। श्रतिपूर्ति की गई बची हुई संपत्ति को बेचने का अधिकार प्राप्त है। बीमित को बची हुई संपत्ति बेचने का कोई अधिकार नहीं
- विधान अथवा कानून (Statute or Law) : यदि कुछ निश्चित परिस्थितियों में देश के किसी कानून अथवा अधिनियम चुका हो तब बीमाकर्ता को वह भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है। के अतर्गत सरकार द्वारा नुकसान की भरपाई करने की स्वीकृति दी गई हो तथा बीमाकर्ता पहले ही बीमित को क्षतिपूर्ति कर

# 🖊 अग्नि बीमा अनुबंध की विशेषताएँ (Characterstics of Fire Insurance Contracts)

अग्नि बीमा अनुबंध की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- क्षितिपूर्ति का अनुबंध (Contract of Indemnity): अग्नि बीमा अनुबंध क्षितिपूर्ति का अनुबंध है क्योंकि इसमें बीमित व्यक्ति को हानि की राशि की सीमा तक ही भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है।
- परम सर्द्विश्वास (Utmost Good Faith)ः यह परम सर्द्विश्वास का अनुबंध है। बीमित तथा बीमाकर्ता दोनों को ही सभी भौतिक तथ्यों के बारे में एक दूसरे को सही-सही बताना चाहिए।
- Ŀ बीमायोग्य हित (Insurable Interest): पॉलिसी घारक का बीमा की गई संपत्ति में बीमायोग्य हित होना चाहिए पॉलिसी लेते समय तथा दावे के समय।
- 4. निर्धारित अवधि (Specified Period): अन्नि बीमा अनुबंध की अवधि एक वर्ष होती है। इसके बाद आगे के वर्षों में इसका नवीनीकरण करना पड़ता है ताकि पॉलिसी के लाभ उठाए जा सके।
- 5/निकटतम कारण (Proximate Cause): हानि का निकटतम कारण अग्नि अथवा अन्य संकट होने चाहिए जो कि पॉलिसी में सम्मिलित हैं।

6. कई बीमाकर्ताओं के साथ अनुबंध (Contract with Several Insurances): एक ही संपत्ति के लिए कई अनुपात में ही किया जाता है। यदि एक बीमाकर्ता द्वारा पूर्ण भुगतान किया जाता है तो वह शेष बीमाकर्ताओं से उनके बीमाकर्ताओं के साथ अनुबंध किया जा सकता है। परंतु दावे की राशि का भुगतान सभी बीमाकर्ताओं द्वारा बीमित राशि के

- 7. समर्पण मूल्य (Surrender Value): अग्नि बीमा अनुबंध में कोई समर्पण मूल्य नहीं होता। हिस्से की माँग कर सकता है।
- 8. जानबूझकर किया गया कार्य (Delibtrate Act) : यदि पॉलिसी धारक द्वारा जानबूझकर कर आग लगाई गई हो तो दावे का कोई भुगतान नहीं किया जाता
- 9. अपवर्जन (Exclusions): सामान्य रूप से झगड़ा, युद्ध स्थानीय हलचल आदि के कारण लगी आग से होने वाली हानि को पॉलिसी में सम्मिलित नहीं किया जाता।
- पूर्ण. अध्यर्फण (Assignment): अगिन बीमा पॉलिसी का अप्यर्पण संपत्ति अधिनियम 1882 के तहत हस्तांतरण द्वारा क्रिया जा सकता है। यटि बीमान्तर्ज के केटिक के किया जा सकता है। यदि बीमाकर्ता को नोटिस दिया जाता है तो वह पॉलिसी या अभ्यर्पण करने के लिए बाध्य है।
- 11. अग्रिम प्रीमियम (Advance Premium): पॉलिसी के प्रारंभ होने के समय ही प्रीमियम का भुगतान करना चाहिए। अन्यथा अनुबंध पूरा नहीं माना जाएगा और हानि हो जाती है तो बीमाकर्ता दावे की राशि का भुगतान करने क लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- बचाव (Salvage): जब बीमित की क्षतिपूर्ति कर दी जाती है तब संपत्ति के बचाव का अधिकार बीमाकर्ता को हस्तांतरित हो जाता है। बीमाकर्ता बची हुई संपत्ति को बेचकर राशि प्राप्त कर सकता है।
- अग्नि बीमा अनुबंध की शर्ते (Conditions of Fire Insurance Contracts) अग्नि बीमा पॉलिसी की शर्तों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:

I अंतर्निहित शर्ते (Implied Conditions)

II अभिव्यक्त शर्ते (Express Conditions)

अंतर्निहित शर्ते (Implied Conditions)ः ऐसी शर्ते जो कि कानून द्वारा अंतर्निहित है उन्हें अंतर्निहित शर्ते कहा

इन शर्तों का वर्णन पॉलिसी में भी किया जा सकता है अथवा नहीं। यह निम्निलिखित हैं:

- जिस विषय वस्तु का बीमा करवाना है वह बीमा करवाते समय अस्तित्व में होनी चाहिए
- पॉलिसी प्रारंभ होते समय तथा दावा करते समय बीमा योग्य हित का होना अनिवार्य है।
- सभी भौतिक तथ्यों तथा प्रत्येक समय पर परम सद्विश्वास के सिद्धांत को अपनाना चाहिए
- दावा करते समय यह संभव होना चाहिए कि विषय वस्तु को उसी रूप में पहचाना जा सके जिस रूप में पॉलिसी में वर्णन किया गया था।
- II अभिव्यक्त शर्ते (Express Conditions): ये वे शर्ते है जिन्हें पॉलिसी में अभिव्यक्त किया जाता है। वे निमलिखित है:
- अवैष (Voidable): यदि किसी भौतिक तथ्यों का मिथ्या वर्णन, मिथ्या रूप से प्रस्तुतीकरण किया गया हो अथवा वर्णन न किया गया हो तो पॉलिसी को अवैध माना जाएगा।
- बीमा जब्त करना (Cease of Insurance) : यदि किसी इमारत अथवा इसके भाग को गिराया गया हो या विस्थापित किया गया हो तो उस तिथि से बीमा के सभी हित जब्त कर लिए जाएँगे। परंतु यह नियम वहाँ पर लागू नहीं होगा जहाँ यह

विस्थापन बीमित जोखिमों में सम्मिलित हो। इसके पश्चात भी कपनी सशोधित दरों एवं नियमों एवं शतों के आधार <sub>पर</sub> बीमा पॉलिसी को जारी रख सकती है।

- भौतिक परिवर्तन (Material Alteration): निम्निलिखित भौतिक परिवर्तन होने पर बीमा वैद्य नहीं रहेगा यह बीमित पहले से ही बीमाकर्ता से स्वीकृति नहीं लेता।
- व्यापार अथवा निर्माण अथवा काम में अथवा अन्य परिस्थितियों में ऐसा परिवर्तन जिससे हानि अथवा नुकसान अथवा बीमित जोखिमों से होने वाली हानि में वृद्धि हो सकती है।
- बीमित सपत्ति में 30 दिन से अधिक के लिए दखल समाप्त होना।
- (iii) अपनी इच्छा अथवा कानून द्वारा इनके अतिरिक्त अन्य किसी कारण से सपित में हित का हस्तांतरण
- 4. समुद्री बीमा (Marine Clause) यदि सपति समुद्री बीमा पॉलिसी के अंतर्गत भी बीमित है तो दावे की जो ग्राह्म समुद्री बीमा के अंतर्गत भुगतान नहीं की गई है उसका भुगतान किया जाएगा।
- 5. पॉलिसी को रह करना (Cancellation of Policy) किसी भी पक्षकार द्वारा पॉलिसी को रह किया जा सकता है। यदि बीमकर्ता द्वारा पॉलिसी रह की जाती है तो उसे 15 दिन का नीटिस देना होगा तथा आनुपातिक आधार पर प्रोमियम की राशि वापिस करनी होगी। यदि बीमित द्वारा पॉलिसी रह की जाती है तो बीमकर्ता द्वारा अल्प अवधि आधार पर अपने पास रखी जाएगी।
- वीमित के कर्तव्य (Duties of Insured): हानि होने पर बीमित के निम्नलिखित कर्तव्य है:
- हानि की सूचना बीमाकर्ता को देनी चाहिए।
- हानि होने के 15 दिनों के भीतर अथवा कपनी द्वारा स्वीकृत बढ़ाए गए दिनों के अंतर्गत दावे के निपटारे का लिखित प्रपत्र जमा करना जिसमें हानि अथवा नुकसान से संबंधित सभी सूचनाएँ हों।
- (iii) यदि अन्य बीमा हुए हों तो उन्हें विवरण में जमा करना चाहिए यदि इस शर्त का पालन नहीं किया जाएगा तो दावा अरक्षणीय कर दिया जाएगा। इस शर्त के दूसरे भाग के दो प्रावधान हैं:
- (a) क्षिति की तिथि से 15 महीने समाप्त होने पर बीमाकर्ता किसी भी क्षिति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि दावा लंबित कार्रवाई अथवा मध्यस्ता के कारण स्थिगित न किया गया हो।
- (b) यदि बीमाकर्ता ने उत्तरदायित्व अस्वीकार कर दिया हो और बीमित ने उस अस्वीकृति के 12 महीने तक के अंदर कोई मुकदमा न किया हो।
- . बीमाकर्ता के अधिकार (Rights of Insurer)
- जिस इमारत अथवा भवन में नुकसान हुआ है वह उसमें जा सकता है तथा उस पर आधिपत्य प्राप्त कर सकता है।
- (ii) उस संपत्ति को समाप्त कर सकता है, ठीक कर सकता है अथवा बचा सकता है।
- धोखा (Fraud): यदि दावा झूठा है तो बीमित पॉलिसी के अतर्गत मिलने वाले सभी लागों को खो देता है।
- पुनस्थापन शर्त (Reinstatement condition): यह शर्त बीमाकर्ता को एक विकल्प देती है कि वह दावे की राशि का भुगतान करने के स्थान पर जिस संपत्ति की हानि हुई है उसका पुर्नस्थापन कर दें।
- 10. औसत शर्त (Average Condition): एक बीमित अपनी संपत्ति के पूर्ण मूल्य का बीमा करवा सकता है। यदि उससे कम राशि का बीमा किया जाता है तो औसत शर्त लागू होगी तथा दावे की ग्राशि उसी अनुपात में कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने घर का 50,00,000 का अग्नि बीमा करवाता है। परंतु मकान का बाजार मूल्य के लिए एक व्यक्ति अपने घर का 50,00,000 का अग्नि बीमा करवाता है। परंतु मकान का बाजार मूल्य के लिए एक व्यक्ति अपने घर का 50,00,000 का अग्नि बीमा करवाता है। परंतु मकान का बाजार मूल्य के लिए एक व्यक्ति अपने घर का 50,00,000 का अग्नि बीमा करवाता है। परंतु मकान का बाजार मूल्य के लिए एक व्यक्ति अपने घर का 50,00,000 का अग्नि बीमा करवाता है। परंतु मकान का बाजार मूल्य के लिए एक व्यक्ति अपने का वाता है। परंतु मकान का बाजार मूल्य के लिए एक व्यक्ति अपने का वाता है। परंतु मकान का बाजार मूल्य का वाता है। परंतु मकान का बाजार मूल्य का वाता है। परंतु मकान का वाता है। परंतु मकान का बाजार मूल्य का वाता है। परंतु मकान का बाजार मूल्य का वाता है। परंतु मकान का बाजार मुल्य का वाता है। परंतु मकान का वाता

新

₹ 75,00,000 है। दावा 30,00,000 का होता है तो 20,00,000 का ही भुगतान किया जाएगा। दावे की इस यशि की गणना निम्न प्रकार की गई है:

₹30,00,000 × ₹ 
$$\frac{50,00,000}{75,00,000}$$
 = ₹ 20,00,000

- योगदान की शर्त (Contribution Condition): इस शर्त के अनुसार यदि संपत्ति के एक से अधिक बीमा है तो सभी पॉलिसियाँ दावे की राशि के लिए योगदान देगी। यह योगदान प्रत्येक पॉलिसी की बीमित राशि एवं सभी पॉलिसियों द्वारा बीमित कुल राशि के अनुपात में होगा।
- 12. प्रतिस्थापन की शर्त (Subrogation Condition): इस शर्त के अनुसार यदि तीसरे पक्षकार के कारण हानि हुई है तो तीसरे पक्षकार से हानि की वसूली करने का अधिकार बीमाकर्ता को प्रतिस्थापित हो जाता है। अतः बीमित को इस काम में बीमाकर्ता की सहायता करनी चाहिए।
- 13. विवाचन की शर्त (Arbitration Condition): यदि दावे की राशि को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो यह मामला विवाचन एवं समाधान अधिनयम 1996 के विवाचन संबंधी प्रावधानों के अनुसार विवाचन के लिए भेज दिया जाता है। पक्षकारें द्वारा लिखित रूप में एक एकाकी विवाचक की नियुक्ति की जाती है। यदि पक्षकार 30 दिनों के भीतर एक विवाचक से संतुष्ट नहीं होते तो तीन विवाचकों की एक पैनल बिठाया जाएगा। इस पैनल में प्रत्येक पक्षकार एक विवाचक की नियुक्ति करेगा तथा तीसरे पक्षकार की नियुक्ति इन दो विवाचकों द्वारा की जाएगी। अदालत में जाने से पहले पक्षकारों को विवाचन द्वारा निपटारा करने की कोशिश करनी चाहिए। यह जानना आवश्यक है कि यदि बीमाकर्ता द्वारा दावे को स्वीकार न किया जाए तो विवाचन द्वारा निपटारा असंभव है।
- 14. लिखित संचार (Written Communication): कंपनी को दिया जाने वाला प्रत्येक नोटिस तथा सभी संचार लिखित रूप में होने चाहिए।
- 15. अनुरक्षण की शर्त (Maintenance Condition): बीमित राशि का पॉलिसी की संपूर्ण अविध में अनुरक्षण किया जाता है। यदि पॉलिसी की अविध के दौरान कोई दावा किया जाता है तो उस हानि की राशि के लिए असमाप्त अविध के लिए आनुपातिक प्रीमियम की राशि का भुगतान बीमित द्वारा देय होता है। बीमाकर्ता उस प्रीमियम की राशि को दावे की राशि में से घटा देता है।

### अग्नि बीमा का नवीनीकरण, रह करना तथा अभ्यर्पण

(Renewal Cancellation and Assignment of Fire Policy)

अग्नि बीमा पॉलिसी एक वर्ष की अविध के लिए निगर्मित की जाती है। पॉलिसी का नवीनीकरण पहले से ही अथवा देय तिथि पर किया जाता है। यहाँ बीमा अधिनयम 1938 की धारा 64 UB लागू होती है। इस प्रावधान के अनुसार जब तक प्रीमियम का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाता तब तक भारत में किसी भी बीमा के संबंध में कोई भी बीमाकर्ता कोई भी जोखिम स्वीकार नहीं करेगा। कोई अनुग्रह अविध स्वीकृत नहीं है। अतः बीमाकर्ता उस तिथि से ही जोखिम स्वीकार करेगा जिस तिथि पर प्राप्त किया जाएगा।

यदि देय तिथि पर पॉलिसी का नवीनीकरण नहीं किया जाता तो वह स्वतः ही रद मानी जाएगी तथा बीमाकर्ता किसी भी प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। पॉलिसी की अवधि के दौरान भी कोई भी पक्षकार पॉलिसी को रद्द कर सकता है।

धारा 64 UB (3) के अनुसार यदि पॉलिसी के रद्द किए जाने के कारण यदि प्रीमियम की कोई राशि बीमित को देय बनती है तो बीमाकर्ता प्रत्यक्ष रूप से बीमित को उस राशि का भुगतान करेगा।

लाभों का अधिकार होगा। वह व्यक्ति उन सभी उत्तरदायित्वों को पूरा करेगा जिनके लिए अधिन्यासक अथवा हस्तांतरणकर्ता उत्तरदायी था। आवेदन प्राप्त करने पर बीमाकर्ता उस अभ्यर्पण का रिकॉर्ड रिखेगा तथा केवल उस अधिन्यासी को ही पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाले पृथक प्रपत्र द्वारा किया जा सकता है। हस्तांतरण अथवा अभ्यर्पण अनुमोदन की तिथि से पूर्ण तथा प्रभावशाली माना जाएगा। अभ्यर्पण क अनिवार्य नहीं है। भारतीय बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के अनुसार अध्यर्पण पॉलिसी पर अनुमोदन द्वारा अथवा अध्यर्पण के सकता है। भारत में अभ्यर्पण संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के अनुसार कार्य वस्तु है। इसका अर्थ यह है कि बीमाकर्ता की स्वीकृति अभ्यर्पण (Assignment): विदेशी कानून के अनुसार किसी भी पॉलिसी का अभ्यर्पण बीमाकर्ता को स्वीकृति द्वारा किया ज

की राशि प्राप्त कर सकता है। का स्थान ले लेता है तथा जिस प्रकार वास्तविक बीमित अथवा अधिन्यासक दावे की राश प्राप्त करने योग्य थे उसी प्रकार अब वह दावे धारा के अनुसार यदि अग्नि बीमा की गई संपत्ति का प्रतिफल के लिए विक्रय अथवा हस्तांतरण किया गया हो तो अधिन्यासी अधिन्यासक संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 49 में पॉलिसी के अंतर्गत अधिन्यासी के अधिकारों का वर्णन किया गया है। इस

का अधिकार है परंतु बंधक रखी प्रतिभूतियों के लिए स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं है। गया हो। परंतु अभ्यपर्ण उस तिथि पर पूर्ण माना जाएगा। यद्यपि अधिन्यासी पॉलिसी का प्रत्यक्ष हित भोगी है तथा दावे की राशि प्राप्त करने बताया गया है। इस धारा के अनुसार अधिन्यासी को दावे करने के सभी अधिकार प्राप्त हो जाते है जैसे कि अनुबंध उसके साथ ही किय संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 135 के तहत अग्नि बीमा पॉलिसी में दिए गए अधिकारों के अभ्यपर्ण के बारे मे

अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार बैंक प्रत्यक्षता बीमा कंपनी से राशि प्राप्त करने का हकदार है। उत्तरदायी होता है। इस प्रकार की सुविधा के लिए बैंक को विधादपूर्ण होना अनिवार्य नहीं है। बीमा अधिनियम तथा संपत्ति हस्तांतरण न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जैसे ही दावा करने वाले के पक्ष में आदेश दिया जाता है बैंक उस ग्रीश का भुगतान करने के लिए Indu Kakker V/s Haryana State Industrial Corporation (APR 1999) के मामले में भारत के उच्च

# ■ अग्नि बीमा पॉलिसी के प्रकार (Types of Fire Insurance Policy)

अग्नि बीमा पॉलिसी को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:

I मुख्य प्रकार की पॉलिसियाँ अथवा विशेष

II पूरक पॉलिसियाँ

- I मुख्य प्रकार की पॉलिसियाँ (Main type of Policies): मुख्य प्रकार की पॉलिसियाँ निर्मालीखत हैं: निर्दिष्ट पॉलिसी (Specific Policy): यह इस प्रकार की पॉलिसी है जिसके अंतर्गत निर्दिष्ट संपत्ति की एक निश्चित को ध्यान में नहीं रखा जाता। अतः कम राशि का बीमा होने पर बीमित दंडित नहीं होता। अधिक हो। यदि हानि कम हो तो हानि की राशि का ही भुगतान किया जाता है। इस पॉलिसी में संपत्ति के वास्तविक मूल्य राशि का बीमा किया जाता है। इस प्रकार की पॉलिसी में बीमा की राशि तक ही दावे का भुगतान किया जाता है यद्यपि हानि
- है। हानि होने के समय बाजार मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाता तथा हानि को ग्रशि को ध्यान में रखे बिना अनुबंध में निर्घारित की गई राशि का भुगतान किया जाता है। मूल्यवान पॉलिसी (Valued Policy) : इस प्रकार की पॉलिसी क्षतिपूर्ति के अनुबंध का एक अपवाद है क्योंकि इसमें की जाने वाली संपत्ति की जाँच करती है और इसके पश्चात् एक निश्चित राशि का बीमा करने के लिए अनुबंध किया जाता केवल एक स्थाई राशि का भुगतान किया जाता है। हानि चाहे कितनी भी हो। उत्तरदायित्व लेने से पहले बीमा कंपनी बीमा
- **औसत पॉलिसी** (Average Policy): ऐसी पॉलिसी जिसमें 'औसत वाक्य' सम्मिलित है उसे औसत पॉलिसी कहा आनुपातिक राशि का भुगतान किया जाता है। यह शर्त केवल कम राशि के बीमा की स्थिति पर लागू होती है। उदाहरण के जाता है। औसत वाक्य के अनुसार यदि संपत्ति का वास्तविक मूल्य बीमित मूल्य से अधिक है तो कंपनी द्वारा हानि की

करेगी। कुल हानि ₹ 7,00,000 का नहीं हानि की राशि ₹ 7,00,000 है। इा स्थिति में बीमा कंपनी ₹ 5,60,000 (80% of ₹ 7,00,000) का **पुगतान** ित्ए एक संपत्ति का मूल्य ₹10,00,000 है। इसका बीमा ₹ 8,00,000 का किया गया है (कुल मूल्य का 80%)।

67

4. चलायमान पॉलिसी (Floating Policy): यहाँ चलायमान का अर्थ है परिवर्तनशील अथवा जो स्थाई नहीं है। अतः पॉलिसियों में 'औसत वाक्य' होता है। तथा उनके मूल्यों को निर्दिष्ट करना बहुत कठिन होता है। अतः ग्रीमियम की एक औसत राशि स्थिर रखी जाती <mark>है। इन</mark> विभिन्न गोदामों में रखा रहता है तथा उनकी संख्या बदलती रहती है। उन उद्योगपतियों अथवा उत्पादकों के लिए वस्तुओं होता है। इस प्रकार की पॉलिसी उन उद्योगपतियों अथवा उत्पादकों के लिए अच्छी है जिनकी वस्तुएँ अथवा कच्चा माल इस प्रकार की पॉलिसी उन वस्तुओं के लिए की जाती है। जो विभिन्न स्थानों पर है तथा इनका स्टॉक <mark>लोचशील प्रकृति का</mark>

पॉलिसियाँ भी होती हैं: इन्हें विशेष पॉलिसियाँ भी कहा जा सकता है। यह निम्निलिखत है: 🛚 पूरक अथवा विशेष पॉलिसियाँ (Subsidiary or Special Type Policies) : मुख्य पॉलिसियों के साथ कुछ पूरक

- 1. व्यापक पॉलिसी (Comprehensive Policy): व्यापक पॉलिसी का अर्थ है ऐसी पॉलिसी जिसमें अधिकांश प्रदान करती है जैसे- अग्नि, विस्फोट, बाढ़, दंगा, आंघी, बिजली गिरना आदि। जोखिम सम्मिलित होते हैं जो कि सामान्य पॉलिसी में नहीं होते हैं यह पॉलिसी विभिन्न प्रकार के जोखिमों के प्रति सुरक्ष
- 2. पुर्नस्थापन पॉलिसी (Reinstatement or Replacement Policy): जैसा कि नाम से ही स्मष्ट है अग्नि द्वारा पुर्नस्थापित करने का उत्तरदायित्व लेती है। यदि संपत्ति अथवा प्लांट को कोई नुकसान पहुँचाता है तो उसकी मरम्मत करवा दी जाती है। इसमें हानि की क्षतिपूर्ति मरम्मत अथवा पुर्नस्थापन के रूप में की जाती है। <mark>हानि अथवा नुकसान होने</mark> पर बीमा कंपनी उस संपत्ति अथवा प्लांट के स्थान पर उसी प्रकार की संपत्ति अथवा प्लांट
- 3. अनुवर्ती हानि पॉलिसी (Consequential Loss Policy) इस पॉलिसी को लाभ की क्षति पॉलिसी भी कहा जाता होते हैं, सिमलित हैं। पॉलिसी के अंतर्गत विभिन्न शुल्क, कार्य की बढ़ती लागत, इमारत किराए पर लेना आदि जो कि मुख्य हानि के समय पर है। इस पॉलिसी में आग के कारण व्यवसाय रूक जाने से लाभों को जो क्षति होती है। उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। इस
- 4. प्रख्यापन पॉलिसी (Declaration Policies): इस पॉलिसी का अर्थ है स्टॉक अथवा स्टॉक मूल्य में होने वाले मूल्य के आधार पर दावे की राशि का भुगतान किया जाएगा। प्रतिदिन के जोखिम मूल्य के औसत के आधार पर मासिक रूप से घोषणा करनी होगी। हानि होने पर घोषणा किए गए परिवर्तनों का ध्यान रखना। इसमें बीमित बीमा की जाने वाली राशि का चयन करता है। ऐसी अवस्था में बीमित को
- 5. औद्योगिक संपूर्ण जोखिम पॉलिसी (Industrial All Risk Policy)ः यह पॉलिसी सभी प्रकार के औद्योगिक जोखिम, चोरी, मशीनरी का टूटना, बॉयलर में विस्फोट, इलेक्ट्रॉनिक्स संसाधनों का नुकसान आदि सिम्मलित होते हैं। <mark>जाता है। इसमें उद्योग आरंभ करने से लेकर उत्पादन तक के सभी जोखिम सिम्मिलित होते हैं। इसमें अग्नि तथा विशेष</mark> <mark>जोखिमों के लिए निर्गमित की जाती है।</mark> जिसमें कुल मिलाकर ₹ 100 करोड़ और उससे अधिक राशि का बीमा किया
- **6. आवरण पॉलिसी** (Blanket Policies)ः यह पॉलिसी बीमित की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार प्रारुपित की सिम्मिलित किया जाता है। बीमित उन संपत्तियोंर का चयन करता है जिनके लिए उसे बीमा करवाना है। <mark>जाती है। इस पॉलिसी के</mark> अंतर्गत स्थाई तथा चालू संपत्तियों में अंतर नहीं किया जाता। सभी को एक ही पॉलिसी में

69

### ■आन बाम यांत्रमा में का प्रक्रिया

Procedure of Taking 4 Fire insurance Policy

- ि बीमकर्ता का क्यम (Selection of Insurer) आँग बोम चीतर्स तमें के लिए पहला करम है बोच को अ बाभकात का प्रकार (उद्याधकार के बाम करवेंने बात व्यक्ति अपने सुविधनुसार इनमें से किसे के इ
- 2. प्रस्ताव पत्र (Proposal Form)ः बीम कम्मी का दवन कर्म के बाद दूसना करम है प्रस्तावकर्ता द्वारा प्रस्ताव पत्र 原日本 京 羽 多 江 के आधार पर दर्ज को निर्वाति के बाते हैं। अन्यव यह कम तीन बीम माने वाएगा और कामी उसे अनुस्त<sub>र है</sub> बीम को जाने वर्तने स्थानि का मूल्य बताते समय असका बातार मूल्य में लिखना चाहिए क्योंकि कानी होता वाला होते. ांगे आदि दिए बाते हैं। सर्थ सूचनाओं के बाद में खानाईक लिखना चाहिए क्योंकि यह पन ही अनुबंध का अक्षा जिल्हा हम्में के विद्राल की ना, पत, कम बीम से विद्रात की, मून्य अंतित जीतमें का हिंदी की की
- 3. स्थानि का प्रमाण (Evidence of Goodwill): दे प्रका के कॉक्न होते हैं, दर्ज वर्ग में क्यांति वाने लोग अने राने से प्रेंक्श है कि रहे पूर्व वर्षम से संबंध के नहें कार के सम्ब है। पूर्व प्रमाणन स्त्र प्रश्न प्रमाणनेया प्रमान एतं समान के किसे को नार परित्य के प्रमुक्तियां का प्रमुक्ति के किए के प्रमुक्ति के प्रमुक्ति के प्रमुक्ति े प्रत्येत करने बाते या गर्वका शास्त्र शस्त्र स्थानक प्रदेशक प्रत्येत्रम् बाते व्यक्ति प्राप्तित होने हैं। क्र हैं इनके तिला कोई जीन पहनान नहीं की बाती की बोल्डिंग का उनार्यायन ने लिया बात है। दुम्में प्रका के क्यां<sub>टिंग्से</sub>
- 4. विषय त्रस्तु की क्षेत्र (Survey of Subject Matter): प्रस्तात प्राप्त करने के प्रस्तात, बीमकर्ता उसमें जिल्ल है जिला के तह से पता है नक भिता जोतियां और के जीन के जिए पर्वेशक की निर्मुख्य कारी है। तमें प्रमान की नैद्रा गए विद्यानों की जोत राषत में किया का अवरायन करता है। कुछ पापले ये बीम कारी विषय करने की होंग, उसके गरी और की पियतिश
- 5. प्रजाय पत्र की जीकृति (Acceptance of Proposal Form): जब बेंग कार्न पूर्णतय पंतुष्ट है जाती है तव रा रिन व है अध्या का रागारियन राज्य है ज़ान है। र्पत्रहोंन की प्रीक्रण पूर्ण के जाने है की। कन्नहा के जाना है। जिस निष्ठ पा बीप कार्य को प्रीपयम प्रान्त के जाता है कारी जोरिया के उनादोपान केते हैं तथा आने निर्मन के पूरत प्रानावकों के रेती। इस प्रकार प्रानाव एव
- 6. बन्ता नेट निर्माणन करना (Issue of Cover Note): करानेट सामहे सम्ब संतीप पीतवी है। नेवे क्ष है अरह राज है . करा है . करा है . करा है . है . करा है . हैं। सहस्र कुरकार का देशन करने हैं ने कार्यन के पर्वत स्थाप के प्रवास के प्रवास करने किया प्रवास के स्थाप मेर
- 7. बीचा चीजियो जिमेरिक करना (Soove of Insurance Policy): शेन वे बेचा चीजिये निर्मित के जाते हैं। यात है। पत्न हुमारे शिवाकती नात शिवान के मीवनाते एवं उत्तरतीपत्नों के ना ये थे जिस्ता नता है।

# अिंन बीमा पॉलिसी के दावे के निपटारे की प्रक्रिया

(Claim Settlement Procedure in Fire Insurance Policy) द्वा हाने को राशि को प्रतिपूर्ति का आवेदन है:

क्षेम्म के अंतर्गत दावा पॉलिसी की शतों के अनुसार हानि की राशि की प्रतिपूर्ति के लिए बीमा कपनी को किया जाने वाला एक

- अपनितंक आवेदन है। दावे के निपटारे के निम्मलिखित प्रक्रिया होती है।
- अनि का नोटिस अथवा सूचना देना (Notice/Intimation of Fire): वीमित को जितना जल्दी हो सके आग से क्रिया है। यह सूचना प्राप्त करने के बाद कंपनी इस बात की पुष्टि करेगी कि पॉलिसी जारी है या नहीं। बात का प्रमाण भी देने की कोशिश करनी चाहिए कि उसने नुकसान को रोकने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयत्न होने वाली हर्ति को लिखित सूचना बीमाकर्ता को देनी चाहिए। लिखित सूचना के साथ-साथ उसे हानि का प्रमाण तथा इस
- 2. दावे के र्राजस्टर में प्रविद्धि (Entry in Claim Register) : स्वयं को पॉलिसी के प्रति संतुष्ट करने के बाद दावे की तिष्ठि का वर्णन करेगा। यदि दावा अर्स्वोकृत किया गया हो तो अर्स्वोकृति को तिष्ठि तथा कारण दोनों का वर्णन र्गबस्य अथवा रिकॉर्ड रखेगा बिसमें वह प्रत्येक टावे की तिथि, टावाकर्ता का नाम एवं पता तथा टावे के धुगतान की सूचनाएँ लिखी होती है। बीम अधिनयम, 1938 की घारा 14 (b) के अनुसार भारत में प्रत्येक बीमाकर्ता दावे का एक प्रविद्धि दावा र्गकस्टर में को जाती है तथा एक दावा नम्बर बीमित को दिया जाता है। दावा र्गकस्टर में उससे सर्वोधत सभी
- 3. दावा फार्म निर्गीमत करना (Issue of Claim Form): जब दावा ग्रंजस्टर में दावे की प्रविष्टि हो जाती है तब विभिन्न सूचनाओं को प्रकाशित करने के लिए प्रारुपित किया जाता है। को रेगा। प्रत्येक बीमा कंपनी का दावा फार्म विभिन्न हो सकता है। साधारणतथा दावा फार्म दावे तथा दावाकर्ता से संबंधित बीमकर्ता बीमित को एक दावा फार्म निगर्मित करता है। बीमित वह दावा पत्र भर कर अनिवार्य प्रपत्नों के साथ बीमाकर्ता
- 4. जींच एवं सर्वेक्षण (Inspection or Survey)ः दावा फार्म प्राप्त करने के बाद बीमा कंपनी लाइसेंस प्राप्त पेशेवर ह्म में बीमा कानी में मेजता है। जॉंच करता है तथा आग के करणों का पता लगाने की कोशिश करता है तथा फोटोग्राफ सहित अपनी रिपोर्ट प्रमाण के सर्वेक्षक की निर्युक्त करती है जो कि हानि का अनुमान तथा हानि के कारणों का पता लगाता है। सर्वेक्षक उस जगह की
- 5. भुगतान रसीट (Discharge Voucher): सर्वेश्वक की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यदि बीमा कंपनी इस बात से करती है। बीमित उस पर हस्ताक्षर करने के बाद बीमाकर्ता को वापिस लौटा देता है। संतुष्ट है कि हानि बास्तविक है तथा सभी औपचारिकताएँ पूरी की गई है तो वह बीमित को एक भुगतान रसीद निर्गोमित
- 6. दावें का भुगतान (Payment of Claim): भुगतान रसींद प्राप्त करने के बाद बीमा कंपनी ECS द्वारा बीमित के प्रीपियम के भुगतान की राशि को घटा दिया जाता है। इसकी सूचना बीमित को भी दी जाती है। किया जाता है। दावे की ग्रींश का पुगतान करते समय पॉलिसी के पुर्नस्थापन के लिए किए जाने वाले आनुपातिक खाते में ग्रीश के इस्तीतरण द्वाग्य दावे की ग्रीश का भुगतान करती है। भुगतान की गई ग्रीश का वर्णन दावा रजिस्टर में भी
- 7. दावे की अस्वीकृति (Rejection of Claim): बीमा कंपनी दावे की ग्रशि को अस्वीकृत भी कर सकती है। यह अम्बीकृति निर्मालीखत आधारों पर होती है:
- (i) दवा बूटा होने पर;
- (ii) ह्यान आग लगने के कारण न हुई हो;

### अध्याय 4 समुद्री बीमा (Marine Insurance)

### ■ परिचय (Introduction)

समुद्री बीमा बीमा का सबसे पुराना रूप है। यह युरोप के मध्यकालीन युग से आरंभ हुआ। यह इटली में 14 वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और उत्तर युरोप में इसका विस्तार हुआ। आधुनिक समुद्री बीमा नियम की उत्पत्ति लेक्स मर्केटोरिया में हुई। 17 वीं शताब्दी तक जहाजी माल के बीमा का कार्य युरोप ने समुद्री क्षेत्रों तक विस्तृत हो गया। इसके पश्चात् 1688 में लंदन में पहली बीमा कंपनी की स्थापना की गई। यह लॉयड कॉफी हाऊस में आरंभ की गई। भारत में पहली सामान्य बीमा कंपनी 1907 में स्थापित की गई। कंपनी का नाम भारतीय जहाजी बेड़ा बीमा लिमिटेड थ(। भारतीय सरकार ने समुद्री बीमा अधिनियम 1963 में पास किया।

समुद्र बीमा में जहाज को होने वाली हानि तथा साथ ही साथ पानी, जमीन अथवा हवा के कारण जहाजी माल को होने वाली हानि को भी सम्मिलित किया जाता है। यह किसी भी जहाजी माल व्यवसाय के लिए अनिवार्य है। यह जहाज के मालिकों के लिए भी अनिवार्य है। समुद्री बीमा में चार प्रकार की विषय वस्तु सम्मिलित की जाती है। वे इस प्रकार हैं: (1) पतवार अथवा जहाज; (2) जहाजी माल तथा वस्तुएँ; (3) किराया; (4) उत्तरदायित्व समुद्री बीमा एक अनुबंध है परंतु फिर भी इस पर अनुबंध अधिनियम के सामान्य सिद्धांत लागू नहीं होते।

### ■ समुद्री बीमा का अर्थ एवं परिभाषाएँ (Meaning and Definitions of Marine Insurance)

समुद्री बीमा समुद्र पार व्यापार के क्षेत्र में तथा देश के आंतरिक व्यापार में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है (समुद्री बीमा बीमा कंपनी तथा बीमित के बीच एक अनुबंध है। इसके अंतर्गत बीमाकर्ता जहाज अथवा जहाजी माल के मालिक को समुद्री जोखिमों से होने वाली हानि की क्षिति पूर्ति करने का उत्तरदायित्व लेता है।

परिभाषाएँ (Definitions): समुद्री बीमा की परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं:

(1) बीमा अधिनियम 38 की धारा 2 (13 B) के अनुसार, ''समुद्री बीमा व्यापार का अर्थ है किसी भी प्रकार के समुद्री जहाज, उसके किराये, भाड़े और अन्य हितों के बीमों के अनुबंधों को प्रभावी रूप देना। जिसके अंतर्गत कानूनी तौर पर बीमित अथवा ऐसे जहाजों, जहाजी भाड़ों, माल के भाड़ों, माल, सौदे, व्यापारीकृत अथवा संपत्ति चाहे किसी भी प्रकार की हो, जिसका बीमा किसी भी प्रकार के समुद्री अथवा जमीनी अथवा दोनों प्रकार के आने जाने हेतु किया गया हो, सिम्मिलत किया जाता है चाहे उसमें गोदाम अथवा उसी प्रकार के जोखिम सिम्मिलत न हों जोकि इस प्रकार के आने जाने के अतिरिक्त अथवा आकस्मिक इससे संबंधित न हो और इसमें अन्य सभी प्रकार के व्यवहारिक जोखिमों का बीमा समुद्री बीमा पॉलिसियों में सिम्मिलत किया जाता है।'' "Marine Insurance business means the business of effecting contracts of insurance upon vessels of any description including cargoes, frieght and other interests which may be legally insured, in or in relation to such vessels, cargoes and frights, goods, wares, merchandise and property of whatever description insured for any transit by land

or water, or both and whether or not including warehouse risks or similar risks in section or as incidental to such transit and includes any other risks customarily included arnong risks insured against in marine insurance policies."

E PE

nsks insured against marine losses, that is to say".

(3) R.S. Thomas के अनुसार, "समुद्री बीमा का अनुबंध श्वतिपूर्ति का विशेष अनुबंध जो कि समुद्री यात्रा के तीर गितिशील सम्पत्ति तथा उससे संबंधित हितों को पहुँचने वाले भौतिक तथा अन्य हानियों के प्रति सुरक्षा प्रदान के तीर है।" "The contract of marine insurance is a special (insurance) contract of Indemnity which protects against physical and other losses to movable property and associated interest, as well as liabilities occurring or arising during the course of a sea voyage."

# ■ समुद्री बीमा के प्रकार (Types of Marine Insurance)

समुद्री बीमा निप्नलिखित में से किसी भी प्रकार का हो सकता है:

- पतवार बीमा (Hull Insurance): इसके अंतर्गत जलयान तथा इसके संसाधनों जैसेकि— फर्नीचर, फिटिंग मशीन्ते औजार ईंघन आदि का बीमा किया जाता है। इस प्रकार की पॉलिसी साधारणतया जहाज के मालिक द्वारा ली जाती है।
- (2) जहाजी माल का बीमा (Cargo Insurance): इस प्रकार की पॉलिसी में जहाजी माल अथवा वस्तुओं का तथा साव ही जहाज कर्मियों एवं यात्रियों के सामान का भी बीमा किया जाता है।
- (3) भाड़ा बीमा (Frieght Insurance): जैसा कि नाम द्वारा ही स्पष्ट है इस प्रकार के बीमा में भाड़े से संबंधित हानि के प्रति सुरक्षा प्रदान की जाती है। साधारणतया केता वस्तुएँ प्राप्त होने पर भाड़ा देता है। यदि जहाज को रास्ते में कोई नुकसान होता है अथवा कहीं खो जाता है जहाजी कंपनी भाड़े का भुगतान करने में समर्थ नहीं होती। अतः इस प्रकार को हानियों से बचने के लिए भाड़ा बीमा करावाया जाता है।
- (4) दायित्व वीमा (Liability Insurance): इस प्रकार का बीमा जहाज के डूबने अथवा अन्य किसी ऐसी घटना के कारण तीसरे पक्षकार के प्रति दायित्व के कारण हुई हानि की क्षति पूर्ति करता है।

# समुद्री बीमा पॉलिसी के प्रकार (Types of Marine Insurance Policies)

समुद्री बीमा पॉलिसी के निम्नलिखित प्रकार हैं:

- (1) यात्रा पॉलिसी (Voyage Policy): यात्रा पॉलिसी में एक विशेष यात्रा का जोखिम नीहित होता है। इस प्रकार की पॉलिसी में समय को ध्यान में नहीं रखा जाता/ इसमें जोखिम जहाज के चलना आरंभ करने से आरंभ होता है तथा जहाज के गंतव्य पर पहुँचने पर समाप्त होता है। यह पॉलिसी जहाजी माल के लिए ली जाती है। यह बीमा वस्तुओं को उतारने तथा पुनः जहाज में चढ़ाने तक जारी रहता है।\
- (2) समय पॉलिसी (Time Policy): जब समुद्री बीमा पॉलिसी एक निश्चित समय अविध के लिए ली जाती है तो उसे समय पॉलिसी कहा जाता है। समुद्री घटनाओं से संबंधित सभी जोखिम एक निश्चित अविध के लिए इस पॉलिसी में

त्रीहत होते हैं। यह पॉलिसी साधारणतया एक वर्ष के लिए निर्गमित की जाती है। इस पॉलिसी में पुर्नराम्भ बाक्य भी हो सकता है। जिसका अर्थ है कि एक वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी यात्रा पूर्ण होने तक जोखिम निहित रहेगा। इस बाक्य के अतिरिक्त अन्य वाक्य जैसे कि हित, भाड़ा, प्रीमियम आदि भी निहित हो सकते है।

75

इत्त पॉलिसी (Mixed Policy): यह भाड़ा एवं समय पॉलिसी का मित्रण है। इसके अंतर्गत एक विशेष यात्रा का (3) संयुक्त समय के लिए जोखिम सम्मिलित होता है।

्रिट्रा है। यह मूल्य अनुबंध करते समय बीमाकर्ता तथा बीमित दोने द्वार स्वीकृत होता है। इसका वर्णन पॉलिसी पर भी

हातः ए अमूल्यांकित पॉलिसी (Unvalued Policy): इसे स्वतंत्र पॉलिसी भी कहा जाता है। यह मूल्यांकित पॉलिसी वे .(5) अमूल्यांकित पॉलिसी (Unvalued Policy): इसे स्वतंत्र पॉलिसी भी कहा जाता है। यह मूल्यांकित पॉलिसी वे विपरीत होती है। इसका अर्थ है कि विषय-वस्तु का मूल्य निर्दिष्ट नहीं होता।

। वनपर विनायमान पॉलिसी (Floating Policy): चलायमान पॉलिसी वह है जिसमें केवल ग्रिश का वर्णन होता है। अनुबंध के जहाज का नाम तथा अन्य विवरण नहीं होते तथा अनुवर्ती घोषणाओं के लिए छोड़ दिया जाता है। यह पॉलिसी उन व्यापारियों के लिए अच्छी है जो कि अधिकतर जहाज द्वारा माल भेजते रहते हैं। जैसे ही जहाज में माल चढ़ाया जाता है वेसे ही व्यापारी जहाज का नाम तथा वस्तुओं का मूल्य घोषित कर देता है। घोषणा के आधार पर पॉलिसी के मूल्य में कटौती हो जाती है। पॉलिसी तब तक जारी रहती है जब तक यह मूल्य घटकर शून्य रह जाता है।

(7) जहाजी माल पॉलिसी (Cargo Policy): जहाजी माल पॉलिसी वह पॉलिसी है जो कि एक विशेष जहाजी माल के लिए ली जाती है। प्रीमियम की राशि जहाजी माल के मूल्य तथा उस पौत यात्रा में निहित जोखिम के आधार पर निर्धारित की जाती है।

(8) दांव पॉलिसी (Wagering Policy): यह पॉलिसी सम्मान पॉलिसी के नाम से भी जानी जाती है। एक बीमा अनुबंध में बीमित का बीमा योग्य हित अवश्य होना चाहिए। परंतु यदि बीमा योग्य हित नहीं है और फिर भी अनुबंध किया जाता है तो इसे दांव पॉलिसी कहा जाता है। इस प्रकार की पॉलिसी को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती।

(9) आवरण पॉलिसी (Blanket Policy): इस पॉलिसी के अंतर्गत संरक्षण की अधिकतम अपेक्षित ग्रीश का अनुमान लगाया जाता है। इस ग्रीश का क्रय पूर्णरूप से किया जाता है। लगाया जाता है। इस ग्रीश का क्रय पूर्णरूप से किया जाता है। बीमित वस्तुओं की प्रकृति, निश्चित मार्ग, बंदरगाहों तथा यात्रा के विभिन्न स्थानों आदि के बारे में विस्तृत रूप से घोषणा करनी चाहिए। भुगतान की गर्द प्रीमियम की ग्रीश पॉलिसी की अविष के अंत में समायोजित की जाती है। यदि बीमा के विभिन्न शुल्क भुगतान किए गए प्रीमियम से कम है तो शेष ग्रीश का भुगतान बीमित को किया जाता है। यदि यह शुल्क प्रीमियम की ग्रीश से अधिक होता है तो शेष ग्रीश बीमित द्वारा भुगतान की जाती है।

(10) बंदरगाह जोखिम पॉलिसी (Port Risk Policy): इस पॉलिसी में वे जोखिम निहित होते हैं जो कि पोत के बदरगाह पर लंगर डालने के समय पर होते हैं।

- (11) व्लॉक पॉलिसी (Block Policy): कभी-कभी समुद्री पॉलिसी जमीन पर होने वाले जोखिमों के लिए भी निर्गीमत की जाती है। इसे व्लॉक पॉलिसी कहा जाता है। यह पॉलिसी उस समय उपयोगी है जब वस्तुएँ रेल अथवा सड़क यातायात द्वारा जहाज तक भेजी जाती है।
- (12) बेड़ा पॉलिसी (Fleet Policy): एक पॉलिसी एक ही मालिक के स्वामित्व में होने वाले कई जहाजों के लिए हो

or water, or both and whether or not including warehouse risks or similar risks in addition or as incidental to such transit and includes any other risks customarily included annong the risks insured against in marine insurance policies."

那

(2) समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अनुसार, "एक समुद्री बीमें का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध किसके अंतर्गत बीमाकर्ता समझौते के अनुसार बीमा करवाने वाले की क्षितिपूर्ति उल्लेखित तरीके से अंतर्मत बीमाकर्ता समझौत के अनुसार बीमा करवाने वाले की क्षितिपूर्ति उल्लेखित तरीके से अंतरमझौते में लिखी सीमा तक, समुद्री हानियों के विपरीत अर्थात् कहा जा सकता है कि समुद्री साहस के दौर्य आकिस्मक हानियों को पूरा करने का वचन देता है। "A contract of marine insurance is a contract by the insurer undertakes to indemnify the assured in a manner and to the cxtent there by agreed, against marine losses, that is to say".

(3) R.S. Thomas के अनुसार, ''समुद्री बीमा का अनुबंध श्वतिपूर्ति का विशेष अनुबंध जो कि समुद्री यात्रा के दोरात्र गतिशील सम्पत्ति तथा उससे संबंधित हितों को पहुँचने वाले भौतिक तथा अन्य हानियों के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है।'' ''The contract of marine insurance is a special (insurance) contract of Indemnity which protects against physical and other losses to movable property and associated interest, as well as liabilities occurring or arising during the course of a sea voyage."

## ■ समुद्री बीमा के प्रकार (Types of Marine Insurance)

समुद्री बीमा निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार का हो सकता है:

- पतवार बीमा (Hull Insurance): इसके अंतर्गत जलयान तथा इसके संसाधनों जैसेकि— फर्नीचर, फिटिंग मशीन्री औजार ईंधन आदि का बीमा किया जाता है। इस प्रकार की पॉलिसी साधारणतया जहाज के मालिक द्वारा ली जाती है।
- (2) जहाजी माल का बीमा (Cargo Insurance): इस प्रकार की पॉलिसी में जहाजी माल अथवा वस्तुओं का तथा साथ ही जहाज कर्मियों एवं यात्रियों के सामान का भी बीमा किया जाता है।
- (3) भाड़ा बीमा (Frieght Insurance): जैसा कि नाम द्वारा ही स्पष्ट है इस प्रकार के बीमा में भाड़े से संबंधित हानि के प्रति सुरक्षा प्रदान की जाती है। साधारणतया क्रेता बस्तुएँ प्राप्त होने पर भाड़ा देता है। यदि जहाज को रास्ते में कोई नुकसान होता है अथवा कहीं खो जाता है जहाजी कंपनी भाड़े का भुगतान करने में समर्थ नहीं होती। अतः इस प्रकार को हानियों से बचने के लिए भाड़ा बीमा करवाया जाता है।
- (4) दायित्व बीमा (Liability Insurance): इस प्रकार का बीमा जहाज के डूबने अथवा अन्य किसी ऐसी घटना के कारण तीसरे पक्षकार के प्रति दायित्व के कारण हुई हानि की क्षिति पूर्ति करता है।

# समुद्री बीमा पॉलिसी के प्रकार (Types of Marine Insurance Policies)

समुदी बीमा पॉलिसी के निम्नलिखित प्रकार हैं:

- (1) यात्रा पॉलिसी (Voyage Policy): यात्रा पॉलिसी में एक विशेष यात्रा का जीखिम नीहित होता है। इस प्रकार की पॉलिसी में समय को ध्यान में नहीं रखा जाता। इसमें जीखिम जहाज के चलना आरंभ करने से आरंभ होता है तथा जहाज के गंतव्य पर पहुँचने पर समाप्त होता है। यह पॉलिसी जहाजी माल के लिए ली जाती है। यह बीमा वस्तुओं को उतारने तथा पुनः जहाज में चढ़ाने तक जारी रहता है।)
- (2) समय पॉलिसी (Time Policy): जब समुद्री बीमा पॉलिसी एक निश्चित समय अविध के लिए ली जाती है तो उसे समय पॉलिसी कहा जाता है। समुद्री घटनाओं से संबंधित सभी जीखिम एक निश्चित अविध के लिए इस पॉलिसी में

तिहित होते हैं। यह पॉलिसी साघारणतया एक वर्ष के लिए निर्गमित की जाती है। इस पॉलिसी में पुर्नराम्भ वाक्य भी हो सकता है। जिसका अर्थ है कि एक वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी यात्रा पूर्ण होने तृक जोखिम निहित रहेगा। इस वाक्य के अतिरिक्त अन्य वाक्य जैसे कि हित, भाड़ा, प्रीमियम आदि भी निहित हो सकते हैं।

(3) संयुक्त पॉलिसी (Mixed Policy): यह भाड़ा एवं समय पॉलिसी का मित्रण है। इसके अंतर्गत एक विशेष यात्रा का एक निश्चत समय के लिए जोखिम सम्मिलित होता है।

ाने हैं। (4) मूल्यांकित पॉलिसी (Valued Policy): मूल्यांकित पॉलिसी वह पॉलिसी है जिसमें विषय वस्तु का मूल्य निर्देख होता है। यह मूल्य अनुबंध करते समय बीमाकर्ता तथा बीमित दोनों द्वारा स्वीकृत होता है। इसका वर्णन पॉलिसी पर भी होता है।

.(5) अमूल्यांकित पॉलिसी (Unvalued Policy): इसे स्वतंत्र पॉलिसी भी कहा जाता है। यह मूल्यांकित पॉलिसी के विपरीत होती है। इसका अर्थ है कि विषय-वस्तु का मूल्य निर्दिष्ट नहीं होता।

(6) चलायमान पॉलिसी (Floating Policy): चलायमान पॉलिसी वह है जिसमें केवल राशि का वर्णन होता है। अनुबंध में जहाज का नाम तथा अन्य विवरण नहीं होते तथा अनुवर्ती घोषणाओं के लिए छोड़ दिया जाता है। यह पॉलिसी उन व्यापारियों के लिए अच्छी है जो कि अधिकतर जहाज द्वारा माल भेजते रहते हैं। जैसे ही जहाज में माल चढ़ाया जाता है वैसे ही व्यापारी जहाज का नाम तथा वस्तुओं का मूल्य घोषित कर देता है। घोषणा के आघार पर पॉलिसी के मूल्य में कटौती हो जाती है। पॉलिसी तब तक जारी रहती है जब तक यह मूल्य घटकर शुन्य रह जाता है।

(7) जहाजी माल पॉलिसी (Cargo Policy): जहाजी माल पॉलिसी वह पॉलिसी है जो कि एक विशेष जहाजी माल के लिए ली जाती है। प्रीमियम की राशि जहाजी माल के मूल्य तथा उस पौत यात्रा में निहित जोखिम के आधार पर निर्घारित की जाती है।

(8) दांव पॉलिसी (Wagering Policy): यह पॉलिसी सम्मान पॉलिसी के नाम से भी जानी जाती है। एक बीमा अनुबंध में बीमित का बीमा योग्य हित अवश्य होना चाहिए। परंतु यदि बीमा योग्य हित नहीं है और फिर भी अनुबंध किया जाता है तो इसे दांव पॉलिसी कहा जाता है। इस प्रकार की पॉलिसी को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती।

(9) आवरण पॉलिसी (Blanket Policy): इस पॉलिसी के अंतर्गत संरक्षण की अधिकतम अपेक्षित यशि का अनुमान लगाया जाता है। इस यशि का क्रय पूर्णरूप से किया जाता है तथा प्रीमियम की यशि का अप्रिम भुगतान किया जाता है। बीमित बस्तुओं की प्रकृति, निश्चित मार्गा, बंदरगाहों तथा यात्रा के विभिन्न स्थानों आदि के बारे में विस्तृत रूप से घोषणा करनी चाहिए। भुगतान की गई प्रीमियम की राशि पॉलिसी की अविध के अंत में समायोजित की जाती है। यदि बीमा के विभिन्न शुल्क भुगतान किए गए प्रीमियम से कम है तो शेष राशि का भुगतान बीमित को किया जाता है। यदि यह शुल्क प्रीमियम की राशि से अधिक होता है तो शेष राशि बीमित द्वारा भुगतान की जाती है।

(10) बंदरगाह जोखिम पॉलिसी (Port Risk Policy): इस पॉलिसी में वे जोखिम निहित होते हैं जो कि पोत के बंदरगाह पर लंगर डालने के समय पर होते हैं।

(11) ब्लॉक पॉलिसी (Block Policy): कभी-कभी समुद्री पॉलिसी जमीन पर होने वाले जोखिमों के लिए भी निर्गमित की जाती है। इसे ब्लॉक पॉलिसी कहा जाता है। यह पॉलिसी उस समय उपयोगी है जब वस्तुएँ रेल अथवा सड़क यातायात द्वारा जहाज तक भेजी जाती है।

(12) बेड़ा पॉलिसी (Fleet Policy): एक पॉलिसी एक ही मालिक के स्वामित्व में होने वाले कई जहाजों के लिए हो जाती है।

(13) मिश्रित पॉलिसी (Composite Policy): यदि पॉलिसी एक से अधिक बीमाकर्ताओं से ली गई हो तो से कि

## ■ समुद्री पॉलिसी की शर्ते (Marine Policy Conditions)

एक समुद्री बीमा पॉलिसी की निम्नलिखित शर्ते हो सकती है:

- एक समुद्रा बामा भारतका का निर्माणना निर्माणना निर्माणना है जो कि पॉलिसी में निहित है। विभिन्न है। विभन्न है। विभिन्न है। विभि असुपूरण ताज भाग स जनमा नारक है। पॉलिसी के अंतर्गत सिम्मिलित किए जाने वाले जोखिम पॉलिसी मा क्षित्र आदि भी सिम्मिलित किए जा सकते हैं। पॉलिसी के अंतर्गत सिम्मिलित किए जाने वाले जोखिम पॉलिसी मा क्षित्र के जीखिम हड़ताल, इसक, नामार कार्या के हिन, गर्म होने से, टूटने से हिन, नमी द्वारा होनि तथा समुद्रों असुपूर्टगी ताजे पानी से अथवा बारिश के पानी से हिन, गर्म होने से, टूटने से हिन, नमी द्वारा होनि तथा समुद्रों के अस्त्रीत किए जाने वाले जीखिम पानिस्तर्भ के जोखिम बाक्य (Risks Clause), २० पान प्रतिकवाद, स्नाव, हुक से हानि, तेल से हानि, क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्र, हुक से हानि, तेल से हानि, क्षेत्र, क्षेत
- (2) सामान्य औसत वाक्य (General Average Clause): इस वाक्य में औसत तथा बचाव प्रभार सम्मिलित क्षेत्र अंतर्गत सिम्मलित जो किसी भी जोखिम द्वारा हुई हानि के रोकने के संबंध में किए जाने चाहिए। हानात्त्र साथोजन अथवा निर्घारण माल संविधा के अनुबंध तथा नियंत्रण नियमों द्वारा किया जाता है। ये व्यय पातत्त्व इनका समायोजन अथवा निर्घारण माल संविधा के अनुबंध तथा नियंत्रण नियमों द्वारा किया जाता है। ये व्यय पातत्त्व
- (3) अपवर्जक वाक्य (Exclusion Clause): इस बाक्य में ऐसे कारणों की सूची होती है जो कि पॉलिसी के अक्क कारण जो अपवर्जित है वे हैं—जानबूझकर बुरा आचरण, पैकिंग ठीक प्रकार से न करना, देरी होना, साधारण लोक सम्मिलत नहीं होते। यदि दावा उनमें से किसी कारण से किया जाता है तो वह भुगतान योग्य नहीं माना जाता। सम्ह
- (4) मार्ग वाक्य (Transit Clause): इस वाक्य के अनुसार बीमा तब आरंभ माना जाता है जब वस्तुओं को गोदाम में जब वस्तुओं की सुपुर्रगी किसी अन्य गोदाम में जहाँ उन्हें ले जाया जाना था, कर दी गई हो। निकाला जाता है तथा तब तक जांग्रे माना जाता है जब तक वस्तुएँ मार्ग में होती है तथा बीमा तब समाप्त माना <sub>जाता है</sub>
- (5) मूल्यांकन वाक्य (Valuation Clause): इस वाक्य में बीमित विषय वस्तु का मूल्य लिखा होता है। अनुवेश क्रः समय दोनों पक्षकार इस मूल्य से सहमत होने चाहिए। दावे की राशि इस मूल्य से अधिक नहीं हो सकती।
- (6) प्रीमियम वाक्य (Premium Clause): इस वाक्य में जोखिम के लिए दिए जाने वाले प्रीमियम की ग्रीश का कं के बीच अनुबंघ के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। उत्तरदायित्व नहीं लेगा और दावे के समय किसी दावे की शशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। यह बीमाकर्ता तथा वीकि होता है। प्रीमियम की इस राशि का भुगतान वीमित द्वारा अनुबंध करते समय किया जाता है। अन्यथा वीमाकर्ता जोखिय ह
- (7) अधित्याग वाक्य (Waiver Clause): इसका अर्थ यह है कि वस्तुओं के संरक्षण के लिए अथवा वस्तुओं को जल भी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। रस्यु से बचाने के लिए बीमित अथवा बीमाकर्ता द्वारा किए जाने वाले उपायों का अघित्याग नहीं माना जाएगा तथा किसं
- (8) टक्कर वाक्य (Collision Clause): इस वाक्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि वीमाकर्ता ऐसी किसी भी हानि दे का भुगतान नहीं किया जाता। बल्कि दावे का एक स्थाई प्रतिशत का भुगतान किया जाता है। लिए उत्तरदायी होगा जो कि एक जहाज के दूसरे जहाज से टक्सने के कारण होती है। ऐसी स्थिति में हानि की संपूर्ण राशि
- (9) पुनरारंभ वाक्य (Continution Clause): इस वाक्य के अनुसार पोत पर बीमा यात्रा पूरी होने तक जारी रहेगा यद्यपि बीमा की समय अविष समाप्त हो गई हो।

- समुद्री बीमा (10) प्रतिस्थापन वाक्य (Institue Replacement Clause): यदि बीमित की मशीन को बीमित जोखियों में से किसी नी कारण कोई श्रति होती है तो उसे पुगतान की जाने वाली ग्रीश पुर्नस्थापन लागत अथवा मरम्मत लागत से अधिक नहीं
- (11) बाद तथा श्रम वाक्य (Sue and labour Clause): यह वह वाक्य है जिसके अनुसार यह अपेक्षा की जाती है कि प्रयत्न करने में व्यय की गई ठीचत ग्रीश प्राप्त करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। हानि होने से रोका जाए तथा हानि को कम करने की कोशिश की जाए। इस बाक्य के अनुसार बीमित को हानि कम करने के
- (12) दिवालिया बहिष्करण वाक्य (Insolvency Exclusion Clause): इस वाक्य के अनुसार बीमाकर्ता ऐसी किसी ह्यनि अथवा नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो कि प्रेषित के दिवालिया होने के कारण अथवा वित्तीय बुटि के कारण

### ्रप्रीमियम (Premium)

अपेक्षाएँ हैं क्र अग्रिम पुगतान नहीं किया जाएगा तब तक किसी भी जोखिम का उत्तरदायित्व नहीं लिया जाएगा। इसके लिए निम्नलिखित ते हैं। बीमा अधिनयम 1938 की घाए 64VB के अनुसार जब तक प्रीमियम जीविनयम 1938 की घाए 64VB के अनुसार जब तक प्रीमियम ते ग्रांत करने के लिए अनुबद्ध की गई है जिससे बीमित अपेक्षित बीमा सुरक्षा ग्राप्त करता है। ग्रीमियम की ग्रीश जोखिम की ग्रीश, श्रीमयम वह ग्रीश है जो कि एक अनुबंध के लिए दी जाती है। अतः बीमा श्रीमियम वह ग्रीश है जो कि बीमा कंपनी द्वारा बीमित

- भारत में किसी भी बीमा व्यवसाय का कोई भी बीमाकर्ता तब तक किसी जोखिम को स्वीकार नहीं करेगा जब तक वह प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं करता
- 3 कोई भी जोखिम जिसका प्रीमियम पहले से ही सुनिश्चित किया जा सकता है उसकी स्वीकृति उस तिथि से पहले नहीं दो जाएगी जिस तिथि पर प्रीमियम का भुगतान किया जाता है।
- (3) पॉलिसी के रह करने अथवा परिवर्तन करने पर यदि कोई प्रीमियम की राशि देव बनती है तो उसका भुगतान बीमाकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बीमित को किया जाएगा
- (1) यदि कोई बीमा ऐसी प्रीमियम राशि से प्रभावित होता है जिसकी व्यवस्था की जानी है और कोई व्यवस्था न हुई हो तो एक (4) यदि कोई एजेंट बीमाकर्ता की ओर से प्रीमियम की ग्रीश प्राप्त करता है तो वह 24 दिनों के भीतर वह ग्रीश बीमाकर्ता को रेगा। समुद्री बीमा अधिनियम 1963 के अनुसार प्रीमियम को व्यवस्थित किया जाना चाहिए
- (2) यदि कोई बीमा इस शर्त से प्रभावित हो कि किसी घटना के घटने पर अतिरिक्त प्रीमियम की व्यवस्था करनी होगी और वह उचित प्रीमियम देव होगा।

घटना घट जाती है परंतु कोई व्यवस्था नहीं की जाती तब एक उचित अतिरिक्त प्रीमियम देव होगा

नहीं है जब तक प्रीमियम का भुगतान नहीं हो जाता उसके एजेंट को पॉलिसी निगर्मित करें। ये समवर्ती शर्तें हैं तथा बीमाकर्ता तब तक पॉलिसी निगर्मित करने के लिए बाध्य होता है कि वह प्रीमियम का भुगतान करें तथा बीमाकर्ता अथवा उसके एजेंट का यह कर्तव्य होता है कि वह बीमित अथवा समुद्री वीमा अधिनियम 1963 के अनुसार जब कोई प्रीमियम देय होता है बीमित अथवा उसके एजेण्ट का यह कर्तव्य

### ■ प्रीमियम का पुनर्भगतान (Return of Premium)

प्रोमियम के पुनर्भुगतान से संबंधित विभिन्न प्रावधान निम्नलिखित है:

- (1) पुनर्प्रगतान का प्रवर्तन (Enforcement of Returns) घारा 82: अधिनियम के तहत जब घोषत क्रा पुनपुगतान किया जाना हो:
- (i) यह बीमित द्वारा बीमाकर्ता से प्राप्त किया जा सकता है यदि भुगतान पहले किया जा चुका हो।
- (ii) यदि भुगतान न किया गया हो तो बीमित द्वारा अपने पास ही रखा जा सकता है।
- (2) समझौते द्वारा वापसी (Returns by Agreement) धारा 83: यदि पॉलिसी में यह स्पष्ट किया गया है है। अथवा प्रीमियम की अनुपातिक राश बीमित को वापिस कर दी जाएगी समझता क्षारा चारण (1997) निश्चित घटना के घटित होने पर प्रीमियम की राशि वापिस कर दी जाएगी और वह घटना घटित हो जातो है ते हैं।
- (3) प्रतिफल देने में असफलता पर वापसी (Returns for failure of Consideration) धारा 84: इस क यह व्यक्त किया जाता है कि प्रतिफल देने में असफल होने पर प्रीमियम की राशि वापिस की जातो है।
- यदि बीमित द्वारा कोई बोखा नहीं किया गया है और प्रीमियम के बदले कोई भी प्रतिफल देने में असफलता <sub>रहे हैं</sub> प्रीमियम की राशि बीमित को वापिस की जाएगी
- यदि प्रीमियम को विभाजित किया जा सकता है और उसके किसी एक हिस्से का प्रतिफल नहीं दिया गया है के हिस्से की प्रीमियम की राशि वीमाकर्ता द्वारा वीमित को वापिस किया जाना चाहिए।

### प्रीमियम की गणना/प्रीमियम गणना की विधियाँ

ग्रीमियम निर्घारित करने की तीन विधियाँ हैं: (Calculation of Premium/Premium Calculation Methods)

- अनुमानित मृल्य (Judgement Rating)
- 2. श्रेणी मृल्य (Class Rating)
- 3. सूची मूल्य (Merit Rating)
- अनुमानित मूल्यांकन (Judgement Rating): इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब कई कारणों से समार्थ मृत्यांकन अपने अनुभव के आधार पर करता है क्योंकि तथ्यों की जटिलता के कारण कोई भी ऑकड़े प्रयोग <mark>नहीं</mark> किए। हानि का निर्धारण करना सरल नहीं होता। इसलिए उत्तरदायित्व लेने वाला व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक अवस्थिति ह
- 2. श्रेणीयन मूल्यांकन (Class Rating): इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब तथ्यों का आसानी से पता लगह को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: जा सके तथा सांख्यिकीय साथन उपलब्ध हों। एक समान स्थिति बाले एक वर्ग के लोगों को दरें बताई जाती है। इस कि
- शुद्ध प्रीमियम विधि (Pure Premium Method): इस विधि के अनुसार सकत प्रीमियम शुद्ध प्रीमियम तथ को कुल अवस्थित इकाइयों से विभाजित करके की जा सकती है। भार शुल्क का कुल जोड़ है। गुढ़ ग्रीमियम की गणना वास्तविक हानियों तथा हानि समायोजन व्ययों के कुल जोड़
- (ii) हानि अनुपात विधि (Loss Ratio Method): हानि अनुपात की गणना दावों में होने वाली कुल हानि में समायोजित व्ययों को जमा करके उसे कुल अजित प्रीमियम की ग्रांश से विभाजित करके किया जाता है।

Actual Loss Ratio = Incurred Losses

Rate Change = Actual Loss Ratio - Expected Loss Ratio Expected Loss Ratio = 100% - Loading % age

Expected Loss Rated

यदि दर में कोई परिवर्तन होता है तो प्रीमियम की राशि भी उसके अनुसार घटती अथवा बढ़ती है।

3. गुणवत्ता मूल्यांकन (Merit Rating)ः प्रीमियम का आधार गुणवत्ता मूल्यांकन ही होता है परंतु प्रीमियम का पर प्रीमियम का समायोजन किया जाता है जबकि अनुभव मूल्यांकन में पिछले तीन वर्षों की औसत हानि को प्रीमियम या विमाजित किया जा सकता है— अनुसूची मूल्यांकन तथा अनुमव मूल्यांकन। अनुसूची मूल्यांकन में प्रकट हानि के आधार समायोजन ग्राहक क<u>े पार्श्ववित्र</u> तथा उसकी पिछली दावे की दर के आचार पर किया जाता है। इसे भी दो भागों में आधार माना जाता है।

### ■ दोहरा वीमा (Double Insurance)

कनून द्वारा स्वीकृत है। बीमित व्यक्ति दोनों बीमाकर्ताओं से अथवा किसी एक से दावे की राशि की माँग कर सकता है। परंतु दावे की राशि हानि के बास्तविक मूल्य से अधिक नहीं हो सकती। अतः बीमाकर्ता हानि की राशि को अनुपात में बाँट लेंगे। जब एक ही जोखिम का बीमा दो परस्पर व्याप्त परंतु स्वतंत्र पॉलिसियों द्वारा किया जाता है तो उसे दोहरा बीमा कहा जाता है। यह

अधिनयम द्वारा स्वीकृत क्षतिपूर्ति की राशि से अधिक होती है तो बीमित को दोहरा बीमा द्वारा आश्वासन से अधिक बीमित माना जाएगा। सकता है अथवा बहुसंख्यक बीमा पॉलिसियाँ ले सकता है। यदि बीमित बहुसंख्यक पॉलिसियाँ लेता है और बीमित राशि समुद्री बीमा बीमित व्यक्ति विभन्न बीमकर्ताओं से एक ही यात्रा अथवा हित अथवा इसके किसी भाग के लिए एक से अधिक बीमा अनुबंध कर समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 34 समुद्री बीमा अनुबंध में टोहरे बीमा से संबंधित है। इस प्रावधान के अनुसार

दोहरा बीमा द्वारा आश्वासन से अधिक बीमित की स्थिति में

- वीमित व्यक्ति अपनी इच्छानुसार बीमाकर्ता से दावे की राशि प्राप्त कर सकता है यद्यपि पॉलिसी में किसी अन्य प्रकार से लिखा गया हो। परंतु वह समुद्री बीमा अधिनयम द्वारा स्वीकृत क्षतिपूर्ति की र्याश से अधिक दावे की माँग नहीं कर
- (2) मूल्यांकित पॉलिसी में बीमित को दावे की राशि में से उस राशि को घटाना होगा जो अन्य पॉलिसी के तहत उसने प्राप्त की है। इस अवस्था में विषयवस्तु के मूल्य का कोई महत्व नहीं है।
- (3) अमूल्यांकित पॉलिसी में बीमित को कुल बीमा योग्य मूल्य को ध्यान में रखते हुए दावे की राशि में से वह राशि कम करनी होगी जो उसने दूसरी पॉलिसी से प्राप्त की है।
- **£** यदि वीमित को अधिनयम द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक राशि प्राप्त होती है तो उसे यह राशि अपने योगदान के अधिकार के अनुसार बीमाकर्ता के लिए ट्रस्ट में रखने का अधिकार है।

करने से रोकेगा कि विषय वस्तु अथवा उसका कोई भाग पॉलिसी के जीखिम में सम्मिलित नहीं था। क्षतिपूर्ति का मापदण्ड दोहरा बीमा से संबंधित नियमों को प्रभावित नहीं करेगा तथा बीमाकर्ता को इस आधार पर किसी हित को अरबीकृत सपुद्री बीमा अधिनियम 75 (2) में क्षतिपूर्ति के मापदण्ड के लिए साधारण प्रावधान दिए गए है। इस प्रावधान के अनुसार

■ समुद्री बीमा पॉलिसी का अभ्यर्पण (Assignment of Marine Insurance Policy)

अर्थ जाना नारकार अधिका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करता है तो उसे पॉलिसी का अभ्यर्पण कहा जाता है।

है तो अधिन्यासी के साथ एक स्पष्ट अथवा गर्भित समझौता अवश्य करना चाहिए। समुद्रा बामा आधानपम का वास ११ गण्य । नहीं है कि उसने बीमा अनुबंध के अंतर्गत अपने अधिकारों का भी हस्तांतरण कर दिया है। यदि इन अधिकारों का भी अध्यर्गण किया के जब पाएका जारक न्या कि शारा 17 में कहा गया है कि बीमित बीमा किए गए विषय वस्तु का अध्यर्पण करता है इसके अर्थ समुद्री बीमा अधिनियम की शारा 17 में कहा गया है कि बीमित बीमा किए गए विषय वस्तु का अध्यर्पण करता है इसके अर्थके

अनुसार समुद्री बीमा अधिनियम की धारा 52 में यह वर्णन किया गया है कि एक पॉलिसी कब और कैसे अभ्यर्पण किया जाता है। कर्

- (1) एक समुद्री पॉलिसी का अभ्यर्पण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक पॉलिसी के नियम एवं शर्तों के अनुसार क्रि हैं। इसका अभ्यर्पण हानि से पहले अथवा बाद में किया जा सकता है।
- यदि पाँलिसी का अभ्यर्पण कर दिवा गया हो तथा लाभहित अधिन्यासी को हस्तांतरित हो गया हो तब अधिन्यासी अप्त नाम से दावे की माँग कर सकता है।
- आश्र्वासित जिसका कोई हित नहीं है वह अध्यर्पण नहीं कर सकता (धारा 53) (3) एक समुद्री बीमा पॉलिसी का अध्यर्पण पॉलिसी पर बेचान द्वारा अथवा परंपरागत तरीके से किया जा सकता है।

किया जाता है तो वह कार्यशील नहीं होगा। एक आश्वासित जिसका बीमित विषय वस्तु में कोई हित न हो वह पॉलिसी का अभ्यर्पण नहीं कर सकता। यदि फिर भी अभ्यक्त

### । आश्र्वासन (Warranties)

्नाएगा अथवा किसी शर्त का पालन किया जाएगा अथवा तथ्यों की विशेष अवस्था के विद्यमान होने की पुष्टि करता है अथवा नकारत . ''एक वचनबद्ध आश्वासन जिसके द्वारा बीमित यह उत्तरदायित्व लेता है कि एक विशेष कार्य किया जाएगा अथवा नहीं किय साधारणतया आरवासन का अर्थ है गारंटी अथवा वायदा। समुद्री बीमा अधिनयम 1963 की धारा 35 के अनुसार आरवासन ज्ञ

आश्वासन स्पष्ट अथवा गर्धित हो सकता है (Warranty may be Express or Implied)

होगा। परंतु बीमाकर्ता उस तिथि से पहले उत्पन्न होने वाले उत्तरदायित्वों के लिए उत्तरदायी होगा। संबंधित हो या नहीं। यदि प्रावधान के अनुसार शर्त का पालन नहीं किया जाता तो बीमाकर्ता आश्वासन तोड़ने की तिथि से उत्तरदायी नहीं आश्वासन स्पष्ट अथवा गर्भित हो सकता है। आश्वासन एक शर्त है तथा उसी प्रकार पालन होना चाहिए <mark>चाहे वह जोखि</mark>म से

आश्वासन के उल्लंघन पर छूट (Excused from Breach of Warranty)

गई हैं। वे इस प्रकार है: समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 36 में ऐसे मामलों का वर्णन किया गया है जब आश्वासन के उल्लंघन के समय छूट की

(1) परिस्थितियों में परिवर्तन होने कारण अनुबंध में दी गई परिस्थितियों पर दिया जाने वाला आश्वासन समाप्त हो जाता है। यदि कानून की दृष्टि में आश्वासन अवैधानिक हो तो भी छूट दी जाती है।

सुद्री भीम

(2) यदि आश्वासन को तोड़ा जाता है अथवा उसका उल्लंघन किया जाता है तो बीमाकर्ता यह सफाई नहीं दे सकता है कि उल्लंघन को सुघार लिया गया है एवं हानि से पहले वारटी मान्य है।

(3) बीमाकर्ता आश्वासन के उल्लंघन को दूर कर सकता है।

द्यक्त आज्ञ्वासन (Express Warranties) धारा 37

आश्वासन को अपवर्जित नहीं किया जा सकता जब तक वह उसके असंगत न हो। पॉलिसी पर अथवा एक पृथक प्रपत्न पर लिखा होना चाहिए और वह प्रपत्न पॉलिसी के साथ देना चाहिए। एक व्यक्त आश्वासन में गर्पित ब्यक्त आश्वासन शब्दों के किसी भी रूप में हो सकता है जिसमें से आश्वासन की इच्छा अनुमानित होती है व्यक्त आश्वासन

्रगर्भित आङ्गासन (Implied Warranty)

निम्नलिखित आश्वासन है:

तटस्थता का आष्ट्रवासन (Warranty of Neutrality): जब बीमा योग्य संपत्ति, जहाज अथवा वस्तुओं के लिए विद्यमान होनी चाहिए तथा बीमित जोखिम के दौरान भी उस संपत्ति की तटस्थता को बनाए रखेगा। तटस्थ रूप से व्यक्त आश्वासन दिया गया हो तो संपत्ति की यह तटस्थता की विशेषता जोखिम आरंभ होने के समय भी

सकता है। उनके नकली प्रपत्र नहीं बनवाएगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो बीमाकर्ता उस अनुबंध को समाप्त कर इसमें एक गर्भित शर्त भी है जब एक जहाज का तटस्थ रूप से व्यक्त आश्वासन दिया जाएगा तो तटस्थता के उचित प्रपत्र होंगे तथा तटस्थता के सभी अनिवार्य प्रपत्र ले जाएँगे। बीमित झूठे प्रपत्र नहीं देगा और न ही उन्हें छिपाएगा अथवा

'n राष्ट्रीयता का कोई गर्भित आश्वासन नहीं (No Implied Warranty of Nationality) धारा 39: जहाज की राष्ट्रीयता के बारे में कुछ भी गर्भित नहीं होता तथा जोखिम की अवधि में उसकी राष्ट्रीयता में कोई परिवर्तन नहीं किया

3. अच्छी सुरक्षा का आश्वासन (Warranty of Good Safety) धारा 40: यदि बीमित विषय वस्तु का अच्छी प्रकार आश्वासन दिया गया है अथवा एक विशेष दिन अच्छी सुरक्षा का आश्वासन है तो उस दिन किसी भी समय सुरक्षित कही

4. जहाज की समुद्री योग्यता का आश्वासन (Warranty of Sea worthiness of Ship) धारा 41: यह एक गर्भित अश्वासन है कि जहाज एक विशेष बीमित यात्रा के लिए यात्रा आरंभ होने के समय समुद्र में यात्रा करने के योग्य

यह भी एक गर्भित आश्वासन है कि जब जहाज बंदरगाह पर होगा तो जोखिम के आरंभ के समय साधारण समुद्री जोखिमों का सामना करने के योग्य होगा।

आगे की यात्रा के लिए जहाज पूर्ण रूप से योग्य है। प्रकार की तैयारी अथवा संसाधनों की आवश्यकता हो तो उसमें यह गर्षित आश्वासन होगा कि प्रत्येक पड़ाव के समय यदि पॉलिसी ऐसी यात्रा के लिए ली गई हो जो कि विभिन्न पड़ावों में पूरी होनी हो तथा जिसके दौरान जहाज को विभिन्न

का सामाना करने के लिए तैयार हो। एक जहाज को तब समुद्री यात्रा के लिए योग्य माना जाता है जब वह उस बीमित यात्रा से संबंधित सभी साधारण जोखिमों

समय पीलिसी में कोई गरित आरबासन नहीं होता कि यात्रा के किसी भी पड़ाब पर जहाज में समुद्री के <sup>का</sup>र्ज के बिना उसे समुद्र में भेजा जाता है से के कि

 चरतुओं की समुद्री सोग्यता का कोई गर्षित आश्वासन नहीं (No Implied Warranty that 8000% का समुद्री की बीम पॉलिसी में कोई गर्षित आश्वासन करें। बस्तुओं को समुद्रा बाग्यता का कर कर संपत्तियों की बीमा पालिसी में कोई गरिश्त आश्वासन नहीं केता है। Worthy) बारा 42: बस्तुओं अथवा चल संपत्तियों की बीमा पालिसी में कोई गरिश्त आश्वासन नहीं केता है।

वैषानिकता का आध्वासन (Warrenty of Legality) षारा 43: एक अन्य गर्शित आश्वासन है कि निध का

से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए अनुबंध किया जाता है तब उस पीलिसी को यात्रा पीलिसी कहा जाता है।'' भारतीय समुद्री बीमा असिनियम 1963 में व्यवत किया गया है कि ''जब विषय वस्तु का बीमा एक स्थान पर अथवा ए<sub>व पर्</sub>

) जोखिम प्रारम्भ होने पर गर्थित शर्त (बारा 44)

गांधित शत है कि शात्रा उचित समय में आरंघ हो जाएगी। यदि यात्रा उस समय में आरंघ नहीं होती तो मीमाकर्ता अनुवाद को एक् यात्रा शालिक्षी में यह अधिवार्य नहीं होता कि जब अधुमंघ समाप्त हो तो जहाज उसी स्थान पर होना चाहिए। परंतु दरते ह

यह गार्थन शर्त नकारात्यक हो शकती है। इसके लिए बीगित को यह बताना होगा कि देशे ऐसी परिस्थितियों के काण हुई है

जिनकी भीगाकर्ता ने अनुबंध करते समय जानकारी दी अधना भीगाकर्ता ने अनुबंध करते समय उस शर्त को छोड़ दिया था। प्रस्थान के बंदरगाह में बदलाब (Alteration of Port of Departure) (बारा 45)

यदि जहाज भीत्वको में बताए गए बंदरगाह के अतिरिवत किसी अन्य बंदरगाह से प्रस्थान करता है तब बीमानतों अनुबंध के ह

को रह कर सकता है। • विधिन्न स्थान के लिए जलबाबा (Sailing for Different Destination)(बारा 46) यदि पीलिसी में जहाज के पहुँचने के स्थान का वर्णन है और किसी अन्य किसी स्थान के लिए यात्रा करता है तो कीमाकर्ता अनुवस

यात्रा में परिवर्तन (Change in Voyage)(वारा 47)

गया हो तो इसे यात्रा में परिवर्तन कहा जाएगा। गींदै जहाज के पहुँचने के स्थान में छोन्छक रूप से परिवर्तन किया गया हो और यह परिवर्तन कोखिम आरंभ होने से पहले किया

नहीं रहता कि हानि होने के समय जहाज ने पालियों में अपेक्षित याना के मार्ग को नहीं छोड़ा था। जब यात्रा में परिवर्णन किया जाता है तो बीमावत्ती उस समय से अपने उत्तरस्थित्व से पुनत हो जाता है। इस बात वस कोई अर्थ

वर्षा क्षा

..... विचलन के समय से ही अपने उत्तरदायित्व से पुक्त हो जाता है। ऐसी परिस्थित में यह अर्थहीन है कि हानि होने से पहले क्षेत्रांकर्ती उस विचलन के समय से ही अपने उत्तरदायित्व से पुक्त हो जाता है। ऐसी परिस्थित में यह अर्थहीन है कि हानि होने से पहले क्षीण वास्ति अपने मार्ग पर आ गया था। निम्नलिखिन स्थितियों में पीलियों में रशीए गए यात्रा से विचलन माना जाता है। ् विद्यालन (Deviation) धारा 48 प्रार्ग में परिवर्तन को विचलन कहा जाता है। जब जहाज किसी वैषानिक जला के बिना अपने मार्ग से विद्यलित होता है तो

(a) जब पीलिसी में यात्रा के पार्ग को विशेष रूप से निर्दिष्ट किया गया हो और उस मार्ग से जहाज विचलित हो जाए।

(b) जब पीलिसी में यात्रा का मार्ग विशेष रूप से निर्दिश्च न किया गया हो, परंतु वास्तविक मार्ग पर जहाज न गया हो। क्षचलन की इच्छा का कोई महत्त्व नहीं है केवल विचलन से बीमाकर्ता अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाता है।

• प्रस्थान के विश्विन बंदरगाँह (Several Parts of Discharge) धारा 49 यदि पीलिसी में कई बदरगाहों का नाम निर्दिष्ट किया गया है तो जहाज किसी भी बदरगाह से जा सबता है। परंतु वह उसी क्रम में

होना चाहिए जो कि पॉलिसी से निर्दिष्ट हो जब तक इसके विपरीत करने का कोई संतोषजनक कारण न हो। क्षोतीलक क्रम में नहीं जाता तो उसे विचलन कहा जाएगा जब तक कि ऐसा करने के संतोषजनक करण न हो। बहि करणाहों के नाम न लिखे गए हो और केवल ''प्रस्थान के बंदरगाह' शब्द का प्रयोग किया गया हो और यदि जहान

• बाझा में देरी (Delay in Voyage) धारा 50

नहीं होता तो बीमाकर्ता उस समय से अपने उत्तरदायित्वों से मुनत हो जाता है जब से देशे अतर्कसंगत हो जाती है। याज पॉलिसी में कीपित याज पूरे मार्ग में उचित प्रस्थानों के साथ जारी रहनी चाहिए। यदि किसी वैचानिक कारण के बिना ऐसा

• देरी अधवा विचलन की छूट (Excuse for Delay or Deviation) थारा 51

यात्रा में होने लाली देशे अथवा विचलन में खूट दी जाती है यदि

(a) जब पॉलिसी में किसी विशेष शर्त द्वारा अधिकार दिया गया हो; या

(b) यदि देश अथवा विचलन ऐसी परिध्यतियों के कारण हो जो कि जहाज गास्टर तथा उसके कर्मचारियों के नियंत्रण में न हो

(c) यदि वह भीमा किए गए जहांच अथवा विषय वस्तु की युख्या के लिए उचित हो; या

(d) यदि किसी व्यक्त अथवा गरिंत आख्वासन के पालन करने के लिए अन्नियं हो.

 विद्यानिकीय जीवन को बचाने के लिए अथवा जडाज को ऐसी विपत्ति से बचाने के लिए अन्वितर्य हो जिससे मान्यीय जीवन खतरे में पड़ सकता था; अथवा

 (e) यदि मानवीय जीवन को बचाने के लिए अथवा जहांज को ऐसी विपत्ति से बचाने के लिए अनिवार्य हो जिससे मानवीय जीवन खतरे में पड़ सकता था; अथवा

विद अक्षाज में सबार किसी भी व्यक्तित को चिकित्या मुक्तिया अथवा शह्य चिकित्या हैने के लिए अन्वित्य है।

 (g) गास्टर अथवा क्यींटल के समुद्री दगाबाजी के व्यवहार के कारण यह आन्वार्य हो बगर्न समुद्री दगाबाजी बीमित जोखिन म होनी चाहिए।

के साथ अपनी यात्रा जारी करनी चाहिए। जब देरी अथना विचलन के कारण समाप्त हो जाते हैं तो जहाज को वाधिस अपने मार्ग पर आ जाना चाहिए तथा अचत प्रस्थानों

### ■ हानि तथा परित्याग (Loss and Abandonment)

सिम्मिलित तथा निष्कासित हानियाँ (Included and Excluded losses) धारा 55

### विशेषतया (In Particular)

- बीमाकर्ता किसी ऐसे नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जोकि बीमित व्यक्ति द्वारा जानबूझकर कुप्रवंध के काल कि गया हो परंतु, बीमाकर्ता ऐसी जीत के लिए उत्तरदायी होगा जो कि समुद्री जोखिम के निकटतम कारण से हुआ हो और क्ष । कि बीमे द्वारा सुरक्षित हो चाहे वह स्वामी अथवा कर्मीदल की लापरवाही अथवा कुप्रबंध के कारण हुआ हो
- बीमाकर्ता देरी के कारण हुई क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा चाहे देरी एक बीमित जोखिम हो।
- बीमाकर्ता साधारण, टूट-फूट, साधारण रिसाव तथा टूट-फूट अथवा चूहों तथा कीड़े-मकोड़ों के निकटतम काए। अख मशीनरी को कोई क्षति जो कि समुद्री जोखिम के कारण न होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

# आंशिक तथा कुल हानि (Partial and Total Loss) धारा 56

के कारण वस्तुओं को पहचानने में असमर्थता हो रही हो तो वह आंशिक हानि मानी जाएगी कुल हानि नहीं। केवल आंशिक हानि को ही प्रमाणित करते हैं तो वह केवल आंशिक हानि का ही भुगतान प्राप्त कर सकता है। यदि निशानों के अभिलोफ ्हानि तथा साथ ही साथ वास्तविक कुल हानि सम्मिलित होती है। यदि बीमित द्वारा कुल हानि के लिए दावा किया जाता है परंतु प्रमाण वास्तविक कुल हानि अथवा रचनात्मक कुल हानि हो सकती है। साधारणतया कुल हानि के लिए की गई बीमा पॉलिसी में रचनात्मक कुल हानि आंशिक हानि अथवा कुल हानि हो सकती है। कुल हानि के अतिरिक्त कोई भी हानि आंशिक हानि होती है। कुल हानि <sub>याते</sub>

## ● वास्तविक कुल हानि (Actual Total Loss) धारा 57

वस्तु प्रकार की न रही हो तब यह वास्तविक कुल हानि है। वास्तविक कुल हानि की दशा में परित्याग के नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं जहाँ बीमित विषय वस्तु नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त ऐसे हुई हो कि वह बीमित व्यक्ति के लिए बेकार हो गई हो अथवा बीमित विष्

कुल हानि माना जाता है (धारा 58) समुद्री यात्रा के दौरान जब एक जहाज खो जाता है तथा उचित समय की समाध्ति के बाद भी लापता रहता है तो इसे वास्तविक

# प्रलक्षित कुल हानि (Constructive Total Loss) धारा 57

अथवा जिसको वास्तविक कुल हानि से बिना अतिरिक्त व्यय को बचाया न जा सकता हो। प्रलिक्षत कुल हानि वहाँ होगी जहाँ पर विषय वस्तु का वास्तविक कुल हानि के अपरिहार्य होने के कारण परित्याग कर दिया हो

निम्न दशाओं में प्रलिक्षित कुल हानि मानी जाती है:

- जहाँ बीमित अपने जहाज एवं वस्तुओं जो कि सामुद्रिक बीमें से सुरक्षित हो उनके स्वामित्व से वंचित रहे तथा वह जहाज अथवा वस्तुओं की पुनः प्राप्ति में असमर्थ हो अथवा पुनः प्राप्ति की लागत उनकी वास्तविक लागत से अधिक हो।
- Ξ जहाज की क्षति की दशा में यदि जहाज की मरम्मत की लागत उसकी वास्तविक लागत से अधिक हो।
- $\Xi$ वस्तुओं की क्षति की दशा में वस्तुओं की मरम्मत की लागत तथा उनके गंतव्य तक पहुँचाने की लागत वस्तुओं की वास्तविक लागत से अधिक हो।

परियाग करके वास्तविक कुल हानि मान सकता है। प्रतिक्षित कुल हानि के प्रभाव (धारा 61) (Effect of Constructive total loss) जहाँ प्रलक्षित कुल हानि हो वहाँ बीमित व्यक्ति उसे आंशिक हानि मान सकता है तथा विषय वस्तु को बीमाकर्ता के हित में जहाँ प्रलक्षित कुल हानि हो वहाँ बीमित व्यक्ति उसे आंशिक हानि मान सकता है तथा विषय वस्तु को बीमाकर्ता के हित मे

## परित्याग का नोटिस (Notice of Abandonment)

- (i) यदि बीमित विषय वस्तु को बीमाकर्ता के पक्ष में परित्याग करने का निर्णय लेता है तो उसे बीमाकर्ता को परित्याग का
- नेटिस भेजना चाहिए अन्यथा उस हानि को आंशिक हानि माना जाएगा।
- तोटिस लिखित अथवा मीखिक अथवा आंशिक रूप से लिखित व आंशिक रूप से मीखिक हो सकती है।
- परित्याग का नोटिस हानि की विश्वसनीय सूचना मिलने के बाद कर्मिष्ठता से देना चाहिए। यदि कोई संदेहजनक सूचना
- (iii) हो तो बीमित व्यक्ति जाँच के लिए उचित समय ले सकता है।
- (iv) यदि परित्याग की सूचना ठीक प्रकार दी गई हो तो बीमाकर्ता परित्याग को अस्वीकृत करके बीमित के अधिकारों को हानि परित्याग की स्वीकृति बीमाकर्ता के व्यवहार से व्यक्त अथवा गर्भित हो सकती है। नेटिस मिलने के बाद बीमाकर्ता की नहीं पहुँचा सकता
- 3 केवल चुपी को स्वीकृति नहीं माना जा सकता।
- <u>(3</u>. जब परित्याग का नोटिस स्वीकृत कर लिया जाता है तो वह अप्रतिसहाय होता है।
- (vii) जब बीमित व्यक्ति को हानि की सूचना मिलती है और उस समय बीमाकर्ता को नोटिस देने पर लाभ की कोई संभावना न हो तो ऐसे समय में परित्याग का नोटिस अनावश्यक होता
- (viii) परित्याग का नोटिस का बीमाकर्ता द्वारा त्याग किया जा सकता है।
- (ix) पुर्नबीमा की दशा में बीमाकर्ता द्वारा परित्याग का नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- करने का अधिकारी होगा। जहाँ पर जहाज मालिक की वस्तुएँ लेकर जा रहा हो वहाँ बीमाकर्ता किराए के लिए उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त करने परित्याग का प्रभाव (Effect of Abandonment) धारा 63 जहाज के परित्याग की दशा में, बीमाकर्ता किराए को कमाने के लिए किए गए खर्चों को घटाने के बाद बचे हुए किराए को प्राप्त यदि वैद्य परित्याग किया गया हो तो बीमाकर्ता के उस बची हुई विषयवस्तु में हित को आगे ले जाना 쾀
- का अधिकारी होगा। ■ आंशिक नुकसान (बचाव तथा सामान्य औसत एवं विशेष प्रभार सहित) (Partial Loss (Including Salvaage, General Average and Particular Charges)
- विशेष औसत हानि (Particular Average Loss) धारा 64
- एक विशेष हानि बीमित विषय-वस्तु की आंशिक हानि होती है जो कि बीमित सामुद्रिक जोखिम के कारण हुई हो एवं जो सामान्य
- अलावा किए गए अन्य व्यय विशेष व्यय अथवा प्रभार कहलाते हैं। विशेष प्रभारों को विशेष औसत में सम्मिलित नहीं किया जाता है। औसत हानि न हो। बीमित व्यक्ति अथवा उसके आधार पर किसी अन्य व्यक्ति विषय वस्तु के सरंक्षण के लिए सामान्य औसत एवं बचाव प्रभारों के

### • बचाव प्रभार/शुल्क (Slavage Charges) धारा 65

है। अनुबंध से स्वतत्र माल बचान बाल ज्याना है। अथवा एजेंट द्वारा अथवा उसके द्वारा भाड़े के लिए कार्यस्त द्वारा बीमित सामुद्रिक जोखिम को टालने के लिए किए गए व्यवस्तात्र बीमित सामुद्रिक जोखिम से बचान के ।०५ गण्ड . . है। अनुबंध से स्वतंत्र माल बचाने वाले व्यक्ति द्वारा सामुद्रिक जोखिम के अंतर्गत बचाव व्ययों को वसूल कर सकता है। अस के किए किए गए करा के किए कार्यरत द्वारा बीमित सामुद्रिक जोखिम को टालने के लिए किए गए करा है। इसे की वचाव प्रभार/शुल्क (Siavage سیسی) बीमित सामुद्रिक जोखिम से बचाने के लिए किए गए व्ययों को सामुद्रिक जोखिम से हुई हानि के रूप में वसूत कि का सामुद्रिक जोखिम से बचाने के लिए किए गए व्ययों को सामुद्रिक जोखिम से उत्तर्गत बचाव व्ययों को वसूल कर सकता है।

## सामान्य औसत हानि (General Average Loss) धारा 66

- ामान्य आसात हानि एक सामान्य औसत कार्यवाही के कारण अथवा उसके परिणामस्वरूप होती है। इसरे पु
- 2. एक सामन्य औसत कार्यवाही वह होती है जहाँ सामान्य सामुद्रिक यात्रा के दौरान सामुद्रिक जोखिम के खतरें <sub>से करिं</sub>
- . एक पक्ष जिसको सामान्य औसत हानि उठानी पड़ती है वह अभिरूचि वाले अन्य पक्षों से दर निर्धार्य मूल्य के क्ष्म
- 4. बीमत व्यक्ति बीमकर्ता से अपने हारा किए गए सामान्य औसत व्यय का आनुपातिक हिस्सा वसूल सकता है হ
- बीमत व्यक्ति बीमा कंपनी से वह राशि भी वसूल कर सकता है जो उसे सामान्य औसत योगदान अथवा हिस्से के कार् अन्य पक्षों को भुगतान करती है अथवा भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। अभिरूचि वाले अन्य पक्षों से हिस्सा लेने के बजाय बीमाकर्ता से हानि की कुल राशि वसूल कर सकता है।
- बीमाकर्ता किसी भी ऐसी सामान्य औसत हानि अथवा योगदान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो कि बीमित सामृद्धि
- . जहाँ जहाज, जहाज का माल एवं किराया अथवा इनमें से किन्हों दो का स्वामी बीमित व्यक्ति हो तो ऐसी दशा में समाद औसत हानि अथवा हिस्से के लिए बीमकर्ता के दायित्व का निर्घारण ऐसे किया जाएगा जैसे उन सभी के खार
- । क्षतिपूर्ति अथवा मुआवजे का मूल्य (Measure of Indemnity)

सकता है। निश्चित मूल्य पॉलिसी की दशा में वह पॉलिसी में निश्चित ग्रांश तक वसूल कर सकता है। जब पॉलिसी के अंतर्गत क्षति की राशि वसूल की जा सकती है वहाँ क्षतिपूर्ति मापदंड के अनुसार बीमा कंपनी अथवा कंपनियाँ ु अनिश्चित मूल्य पॉलिसी की दशा में बीमित व्यक्ति बीमकर्ता से बीमित मूल्य की कुल ग्रंशि तक हानि की ग्रांश वसूल कर नुकसान के लिए बीमाकर्ता के दायित्व की सीमा (Extent of liability of Insururer for Loss) धारा 67

अनिश्चित मूल्य पॉलिसी की दशा में बीमा योग्य मूल्य में अपने हिस्से के अनुपात के लिए उत्तरदागी होंगे। निष्टिन मूल्य पॉलिसी की दशा में पॉलिसी में निष्टिन राशि की तुलना में अपने हिस्से के अनुपात के लिए उत्तरदायी होंगे अथवा

अनिश्चित मूल्य वाली पालिसी की दशा में शतिपूर्ति मूल्य बीमित विषय-वस्तु का बीमा योग्य मूल्य होगा। यदि पॉलिसी निश्चित मुल्य वाली है तो क्षतिपूर्ति मूल्य पॉलिसी में बीमित विषय-वस्तु के कुल नुकसान की निश्चित राशि होगी।

जहाज का आंशिक हानि (Partial Loss of Ship) घारा 69

事

आंशिक हानि की दशा में श्वतिपूर्ति मूल्य निम होगा आराप जहांज की मरम्मत की दशा में बीमित व्यक्ति मरम्मत की उचित राशि में से व्यवहारिक कटौती घटाने के बाद बची हुई 1. जहांज की मरम्मत की दशा में बीमित व्यक्ति मरम्मत की उचित राशि में से व्यवहारिक कटौती घटाने के बाद बची हुई

जहाज की आंशिक मरम्मत की दशा में ऊपर बताई गई मरम्मत की उचित राशि तथा गैर मरम्मती क्षति के लिए उचित ग्रशि प्राप्त करने का हकदार होगा। परंतु यह ग्रशि एक दुर्घटना के लिए बीमित ग्रशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

12

जहाज की गैर मरम्मत की दशा में तथा जोखिम के दौरान उसे श्वतिग्रस्त दशा में न बेचने की दशा में बीमित ऊपर बताए ह्वास की राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

ķ

4. जहाज की गैर मरम्मत की दशा में तथा जोखिम के दौरान उसे क्षतिग्रस्त दशा में न बेचने की दशा में बीमित क्षति की गए तरीके से मरम्मत की राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। मरम्मत के लिए उचित राशि प्राप्त करने का हकदार होगा परंतु यह राशि विक्रय के समय निर्धारित ह्वासित मूल्य से अधिक

किराए की आंशिक हानि (Partial Loss of Freight) धारा 70 नहीं होनी चाहिए

राशि के अनुपात में होगा। अनिश्चित मूल्य पॉलिसी की दशा में किराए के नुकसान का क्षतिपूर्ति मूल्य पॉलिसी में बीमित कुल किराए के पॉलिसी एक निश्चित राशि पॉलिसी है तो किराए अथवा भाड़े की आंशिक हानि की दशा में क्षतिपूर्ति मूल्य पॉलिसी में निश्चित

अनुपात में होगा। वस्तुओं एवं व्यापारी माल की आंशिक हानि (Partial Loss of Goods and Merchandise) घारा 71

वस्तुओं, व्यापारिक माल अथवा अन्य चल संपत्ति की आंशिक ह्यानि की दशा में क्षतिपूर्ति मूल्य निम्न प्रकार होगाः निश्चित मृत्य पॉलिसी में आशिक वस्तुओं की कुल क्षित की दशा में श्वितपूर्ति मृत्य श्वितप्रस्त हिस्से के बीमित मृत्य का पूरे प्रेषण के बीमित मूल्य के अनुपात में होगा जैसा कि अनिश्चित मूल्य वाली पॉलिसी की दशा में होता है।

2. अनिश्चित मूल्य पॉलिसी में आशिक वस्तुओं की कुल हानि की दशा में क्षतिपूर्ति मूल्य क्षतिग्रस्त भाग अथवा हिस्से बीमा योग्य मूल्य के बराबर होगा जैसा कि कुल हानि की दशा में होता है।

3. जब वस्तुएँ एवं व्यापारिक माल का गंतव्य स्थान पर क्षतिग्रस्त स्थिति में वितरण किया जाता है तो क्षतिपूर्ति मूल्य निश्चित मूल्य पॉलिसी द्वारा निश्चित मूल्य तक अथवा अनिश्चित मूल्य पॉलिसी की दशा में बीमा योग्य मूल्य तक सुरक्षित एवं क्षतिग्रस्त वस्तुओं के मूल्य के अंतर के बराबर होगा

मूल्य विभाजन (Apportionment of Value) धारा 72

प्रकार की वस्तुओं के मूल्य, किस्म अथवा वस्तु वर्णन के शुद्ध आगमन मूल्य के आघार पर किया जाएगा जाना हो तथा प्रत्येक प्रकार की मूल लागत, किस्म अथवा वस्तुओं का वर्णन निश्चित न किया जा सके तब मूल्यांकन का बंटवारा विभिन्न मूल्य के अनुपात में विभाजन किया जाना चाहिए जैसे– अनिश्चित मूल्य पॉलिसी में किया जाता है जब मूल्यांकन का विभाजन किया जब विभिन्न प्रकार की संपत्ति एकल मूल्यांकन के अंतर्गत बीमित हो तब मूल्यांकन को विभिन्न प्रकारों में उनकी बीमा योग्य

सामान्य औसत योगदान तथा बचाव प्रभार

(General Average Contributions and Salvage Charges) धारा 73

मूल्य कुल योगदान की राशि के बराबर होगा यदि योगदान के लिए उत्तरदायी विषय वस्तु इसके कुल योगदान मूल्य द्वारा बीमित हो। यदि विषय वस्तु पूरे मूल्य के लिए बीमित नहीं है तो क्षतिपूर्ति मूल्य को न्यून बीमा के अनुपात में कम कर दिया जाएगा। जहाँ बीमित किसी सामान्य औसत योगदान के लिए उत्तरदायी हो अथवा उसने योगदान कर दिया हो तो ऐसी दशा में श्वतिपूर्ति

जहां एक विशेष आसत हात हा, त्या है। राशि को बीपित मूल्य में से घटाना चाहिए ताकि जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बीमाकर्ता कितनी राशि के लिए अस्तिके बामत पूरका कराव प्रभार के लिए उत्तरदायी है तो उसकी उत्तरदायित्व की सीमा का निर्धारण उसी सिद्धात के अमुन्ता के 

भुगतान की गई राशि अथवा भुगतान की जाने वाली राशि होगी। तृतीय पक्षकार के प्रति उत्तरदायित्व (Liabilities to third Parties) धारा 74 रियान ने प्राप्त के उत्तरदायित्वों के प्रति बीमा लिया हो तो क्षतिपूर्ति का मापदंड उसके द्वारा दाविक के स्वरूर् जब बीमित ने तीसरे पक्षकार के उत्तरदायित्वों के प्रति बीमा लिया हो तो क्षतिपूर्ति का मापदंड उसके द्वारा दाविक के स्वरूर्

प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा जो कि विशेष मामलों पर लागू होते हैं। श्रतिपूर्ति के मापदण्ड के सामान्य प्रावधान (General Provisions as to Measure of Indemnity) धान*ा*ड यदि कोई विषय वस्तु अधिनियम के ऊपर दिए गए प्रावधानों के तहत सम्मिलित नहीं है तब क्षतिपूर्ति का मापटड लागा है

क्षतिपूर्ति के मापदंड से सर्वोधत कोई भी प्रावधान दोहरा बीमा से संबंधित नियमों को प्रभावित नहीं करंग

विशेष औसत आश्र्वासन (Particular Average Warranties) घारा 76 1. यदि बीमा की गई विषय वस्तु विशेष औसत के बिना आश्वासित है तो जब तक अनुबंध अनुपातिक न हो बादिन কঠ सामान्य औसत त्याग द्वारा होने वाली हानि के अतिरिक्त एक भाग से संबंधित हानि की राशि प्राप्त नहीं कर सकता.

यदि विषय वस्तु पूर्ण रूप से अथवा इसका कुछ प्रतिशत विशेष औसत रहित आश्वासित है तो बीमाकर्ता वजाव प्रक तथा अन्य विशेष प्रभारों के लिए उत्तरदायी होगा।

3. यदि विषय वस्तु विशेष औसत रहित एक विशिष्ट प्रतिशत में आश्वासित है तो सामान्य औसत हानि को विशेष प्रतिशत बनाने के लिए विशेष सामान्य हानि में नहीं जोड़ा जाएगा।

अनुक्रीपक हानियाँ (Successive Losses) धारा 17 4. निर्देश्य प्रतिशत प्राप्त हो गई है या नहीं यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष प्रभाव एवं व्यय जो कि होते ह प्रमाणित तथा सुनिश्चित करने के प्रासंगिक हैं उन्हें अवश्य घटाया जाएगा।

आंशिक हानि होती है जिसकी मरम्भत नहीं की जाती और तब पूरी हानि हो जाती है तो बीमित व्यक्ति केवल सपूर्ण हानि की गांग रा बीमाकर्ता अनुक्रमिक हानियों के लिए उत्तरदायी होगा यद्यपि ऐसी हानियों की ग्रांश बीमित ग्रांश से अधिक हो सकती है जह

भुगतान प्राप्त कर सकता है।

■ दावों के निपटारे की प्रक्रिया (Procedure for Settlement of Claims)

समुद्री बीमा के दावों के निपटारे की प्रक्रिया को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:

आयात-निर्यात प्रेवणों के लिए (For Import-Export Consignments)

II. घोलू मार्ग के दावे (For Inland Transit Claims)

आयात निर्यात प्रेषणों के लिए (For Import-Export Consignments)

जब समुद्र बीमा में कोई हानि होती है तो निम्नलिखित प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है:

1. बीमा कंपनी की सूचना (Intimation to Insurance company): अध्यर्पण का यह कर्तव्य है कि जैसे ही हानि होती है उसकी सूचना बीमा कंपनी को दे। यह बहुत अनिवार्य है क्योंकि तभी बीमा कंपनी हानि **की जाँच के** लिए सर्वेक्षक

> समुद्री बीमा 2. प्रांतिसी (Policy): बीमित व्यक्ति को अपना स्वामित्व दिखाने के लिए वास्तविक पॉलिसी अथवा प्रमाण-पत्र कंपनी पार पार होंगे यह इस बात का भी प्रमाण होता है कि जिस विषय वस्तु की हानि हुई है उसका बीमा करवाया गया है। में भेजने होंगे यह इस बात का भी प्रमाण होता है कि जिस विषय वस्तु की हानि हुई है उसका बीमा करवाया गया है।

3 भारण बिल (Bill of Loading): भारण बिल एक ऐसा प्रपत्र है जो कि बाहक द्वारा माल को जहाज में चढ़ाने संबंधी विवरण तथा उस माल को निर्दिष्ट पक्षकार के स्वामित्व से संबंधी विवरणों के लिए निगर्मित किया जाता है। यह प्रपत्र इस

4. बीजक (Invoice): बीजक विक्रय का प्रमाण होता है। इसमें वस्तुओं की गुणवत्ता, कीमत आदि के बारे में सभी सूचनाएँ बात का भी प्रमाण है कि वस्तुओं को वास्तव में जहाज में चढ़ाया गया था और वह दावाकर्ता से वास्तव में संबंधित हैं।

या नहीं और जहाजी माल अतिरिक्त बीमित है या नहीं। सम्मिलित होती है। यह बीमाकर्ता को यह निर्घारित करने में सहायता करता है कि जहाजी माल का बीमित मूल्य उचित है

5. सर्वेक्षण रिपोर्ट (Survey Report): बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त किया गया सर्वेक्षक अपनी रिपोर्ट बीमा कंपनी में जमा क्षतिग्रस्त मूल्यों का विवरण आदि निहित होता है। यह रिपोर्ट पॉलिसी के तहत दायित्व पर बिना प्रतिकूल प्रभाव के जमा करता है। सर्वेक्षण रिपोर्ट में हानि का निकटतम कारण तथा हानि की राश लिखी होती है। इसमें हानि की प्रकृति एवं सीमा,

6. डेविट नोट (Debit Note): डेविट नोट एक दावा बीजक है जो कि बीमा कंपनी में बीमित द्वारा हानि की राशि के दावे के

7. विरोध पत्र (Copy of Protest): कभी-कभी बीमा कंपनी विरोध पत्र की माँग कर सकती है। विरोध पत्र एक लिखित और नुकसान समुद्री जोखिमों के कारण हुआ है। यह विरोध जहाज के स्वामी द्वारा गंतव्य पर पहुँचकर किया जाता है। प्रपत्र होता है जोकि लेखा प्रमाणक के सामने प्रस्तुत किया जाता है कि जहाज का स्वामी हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है लिए जमा किया जाता है।

8. प्रतिस्थापन पत्र (Letter of Suborgation): प्रतिस्थापन बीमित के अधिकारों का उत्तरदायित्व लेने के लिए सर्वेक्षण की रिपोर्ट यदि माल जहाज में चढ़ाते समय अथवा उतारते समय खो गया हो तो उसका प्रमाणपत्र आदि। कर सकता है। कुछ विशेष औसत दावों की दशा में कुछ अन्य प्रपत्नों की भी आवश्यकता होती है। जैसेकि जहाज के प्रति अधिकारों का उत्तरदायित्व लेता है। दावे की राशि का भुगतान करने के बाद बीमाकर्ता तीसरे पक्षकार से राशि वसूल बीमाकर्ता का अधिकार है। प्रतिस्थापन पत्र एक लिखित प्रपत्र है जिसके माध्यम से बीमाकर्ता बीमित के तीसरे पक्षकार के

9. प्रवेश बिल (Bill of Entry): सीमाशुल्क अधिकारी एक प्रमाण पत्र निर्गीमत करता है जिसे प्रवेश बिल कहा जाता है। उत्तरदायित्व वाहकों पर आ रहा हो तो बीमाकर्ता वाहकों दावेदार के बीच हुए लिखित वार्तालाप की प्रति की माँग कर हों। नुकसान अथवा टूट-फूट की दशा में बीमाकर्ता मरम्मत अथवा पुर्नस्थापन बिल की भी माँग कर सकता है और यदि विक्रय खाते की माँग भी कर सकता है जिसमें विक्रय की गई वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है यदि वे नष्ट हो चुकी इस बिल में भुगतान किए गए शुल्क की राशि, स्टीमर के पहुँचने की तिथि सम्मिलित होती है। इसके साथ बीमाकर्ता

II. घरेलू मार्ग के दावे (For Inland Transit Claims)

स्वदेशी यातायात के दावों में सूचना के साथ निम्नलिखित प्रपन्न जमा किए जाने चाहिए:

उचित प्रकार बेचान किए गए बीमा प्रमाण-पत्र अथवा वास्तविक पॉलिसी।

वास्तविक बीजक अथवा बीजक की प्रति।

वाहक द्वारा निर्गमित हानि अथवा नुकसान का प्रमाण पत्र।

### अध्याय 5 दुर्घटना एवं मोटर बीमा (Accident and Motor Insurance)

### ∎ परिचय (Introduction)

यह विविध बीमा का एक भाग है। इसे स्वचालित अथवा मोटर कार बीमा भी कहा जाता है। यह एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमार्कतों किसी दुर्घटना के कारण मालिक अथवा वाहन के चालक को संपत्ति अथवा व्यक्ति के नुकसान द्वारा होने वाली किसी हानि के बीमार्कतों किसी दुर्घटना के कारण मालिक अथवा वाहन के चालक को संपत्ति अथवा व्यक्ति के नुकसान द्वारा होने वाली किसी हानि के बीमाकतों किसी उत्तरदायित्व लेता है। इस प्रकार के बीमा में सभी प्रकार के मोटर वाहन साम्मिलित होते हैं चाहे वह दो पहिया वाहन हो या चार पहिया वाहन, चाहे हल्का मोटर वाहन हो अथवा भारी मोटर वाहन, यात्री वाहन हो या वाणिज्यिक वाहन हो आदि।

भारत में मोटर बीमा का इतिहास बहुत पुराना है यह तब से आरंभ माना जाता है जब 1853 में भयंकर दुर्घटना अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार बच्चा, माँ-बाप और संबंधी गलती करने वाले के विपरीत कार्यवाही करके श्रीतपृति प्राप्त कर सकते हैं। यह अधिनियम काफी लम्बे समय तक जारी रहा। समय के साथ-साथ वाहनों की संख्या कई गुणा बढ़ती गई जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना द्वारा संपत्ति तथा जीवन को होने वाली संभावित हानि भी बढ़ती गई। पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए पहला मोटर वाहन अधिनियम 1914 में पास किया गया जो कि बाद में मोटर वाहन अधिनियम 1939 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। तृतीय पक्षकार बीमा इस प्रकार के बीमा का भाग नहीं है। 1956 से तृतीय पक्षकार बीमा को अधिनियम में सिम्मिलत किया गया। इसके संबंध में धारा 93 से धारा 109 तक अधिनियम में सिम्मिलत की गई।

1988 में एक नया मोटर वाहन अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक मोटर वाहन का बीमा अनिवार्य कर दिया गया। मोटर वाहन अधिनियम 1988, मोटर वाहन अधिनियम 1939 के स्थान पर 1 जुलाई 1989 को सिक्रय हुआ। इस अधिनियम में 1994 में फिर संशोधन किए गए। अधिनियम का नाम थाः 'मोटर वाहन (संशोधित) अधिनियम 1944'। इसमें पुनः संशोधन करके मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2000 कर दिया गया। तीसरा संशोधन मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा किया गया।

### ■ उद्देश्य एवं क्षेत्र (Objectives and Scope)

मोटर वाहन बीमा अधिनियम 1988 संपूर्ण भारत में लागू होता है। यह अधिनियम कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लागू किया गया। इस अधिनियम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- देश में तेजी से बढ़ते हुए निजी वाहनों और वाणिज्यिक वाहनों का ध्यान रखना।
- 2. स्वचालन क्षेत्र में उच्च तकनीक का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता।
- न्यूनतम रूकावटों के साथ यात्रियों एवं माल का प्रवाह तािक अलगाव को द्वीप न बनें जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय एवं स्थानीय असंतुलन हो सकता है।
- सड़क संबंधी सुरक्षा प्रमापों, प्रदूषण नियंत्रण उपायों, खतरनाक तथा विस्फोटक सामग्री के यातायात संबंधी प्रमापों को महत्व देना।

यातायात के अपराधियों को खोजने के प्रभावी तरीकों की आवश्यकता।

कुछ नए वाहनों की नई परिभाषाओं के साथ कुछ निश्चित परिभाषाओं की बुद्धिसंगत व्याख्या।

चालक लाइसेंस देने तथा उसकी वैधता अविध से संबंधित कड़ी प्रक्रिया।

9. मोटर बाहनों के भागों तथा घटकों के लिए प्रमाप निर्धारित करना

प्रदूषण विरोधी नियंत्रण उपायों के प्रमाप।

वाहनों से संबंधित औचित्य प्रमाण पत्र तथा अधिकृत निरीक्षण स्टेशन संबंधी प्रावधान।

पंजीकरण प्रणाली के आधुनिकीकरण संबंधी प्रावधान बनाने की समर्थता।

गैर राष्ट्रीय कृत रास्तों पर पर्यमेट, आल इंडिया टूरिस्ट पर्रामेट तथा वस्तुओं को ले जाने का राष्ट्रीय पर्यास है।

14. सामान्य बीमा निगम द्वारा मुआवजा प्रणाली का प्रबंध

भारना और भाग जाना' के मामलों में बढ़ी हुई क्षितिपूर्ति के प्रावधान।

 मोटर दुर्घटना के पीड़ित को बीमाकर्ता द्वारा वास्तविक दायित्व की सीमा तक क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का माक्त इसमें वाहन का वर्ग कुछ मायने नहीं रखता।

17. चालक लाइसेंस तथा वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य स्तर पर रजिस्टर तैयार करना

18. सड़क सुरक्षा समिति का संघटन।

■ जोखिमों का वर्गीकरण (Classification of Risks)

मोटर बीमा में दो प्रकार के जोखिमों के प्रति सुरक्षा प्रदान की जाती है। वे निम्नलिखित हैं:

I. अपने वाहन को नुकसान (Damage to own vehicle)

निर्मालिखित जोखिमों के कारण वाहनों को होने वाली हानि निजी क्षति पॉलिसी में सम्मिलित की जाती है:

अग्नि, विस्फोट, स्वयं की गलती, बिजली गिरना।

2. सेंघ लगने/घर के टूटने/चोरी।

3. झगड़े एवं हड़ताल।

4. भूकप।

बाढ़, तूफान, चक्रवात, प्रभंजन, झंझावात, पाला, धूलभरी आँघी आदि।

6. दुषटनात्मक बाह्य साधन।

7. विद्वेषपूर्ण गतिविधियाँ।

8. आतंकवादी गतिविधियाँ।

9. पहाड़ का खिसकना, चट्टान का खिसकना आदि।

10. रेल यातायात के दौरान, अंतर्देशीय जलमार्ग, लिफ्ट, ऐलीवेटर अथवा हवा द्वारा।

दुर्कटना एवं मोटर बीमा

II. तृतीय पक्षकार संबंधी जोखिम (Third Party Risks)

क्त दंडनीय अपराघ है। अधान कोई दुर्घटना हो जाए और उस दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए अथवा वह हमेशा के लिए अयोग्य हो जाए तब उन कारण कोई दुर्घटना हो जाए और उस दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए अथवा वह हमेशा के लिए अयोग्य हो जाए तब उन वार''' होगा। तृतीय पक्षकार बीमा एक वैधानिक अपेक्षा है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार तृतीय पक्षकार बीमा के बिना गाडी चलाना होगा। तृतीय पक्षकार बीमा एक वैधानिक अपेक्षा है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार तृतीय पक्षकार बीमा के बिना गाडी चलाना करण वहनों के मालिकों को संयुक्त रूप से या अलग-अलग श्रतिपूर्ति करनी होगी। दायित्व का निर्धारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम को धारा 140 में कुछ निश्चित मामलों में श्रितपूर्ति के दायित्व के बारे में बताया गया है। यदि मोटर वाहन अथवा वाहनों के अधिनियम को धारा 140 में कुछ निश्चित मामलों में श्रितपूर्ति के दायित्व के बारे में बताया गया है। यदि मोटर वाहन अथवा वाहनों के मोटर वाहन बीमा अधिनियम 1988 को धारा 140 से धारा 144 में शून्य हुटि दायित्व के सिद्धांत पर शतिपूर्ति से संबंधित है।

■ मोटर वाहनों के प्रकार (Types of Motor Vehicles)

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2 में मोटर वाहनों की परिभाषाएँ दी गई हैं। वे निर्मालखित हैं.

1. मोटर वाहन बीमा अधिनियम 1988 की धारा 2 (47) के अनुसार, "यातायात वाहन का अर्थ है एक सार्वजनिक वाहन, माल ले जाने वाला वाहन और शैक्षिणिक संस्थान बस अथवा प्राइवेट सेवा वाहन।"

2. अधिनियम की घारा 2 (11) के अनुसार, ''रौक्षणिक संस्थान बस का अर्थ है बहुप्रयोजक बस जिस पर महाविद्यालय, स्टाफ को ले जाने के लिए प्रयोग की जाती है।" पाठशाला अथवा अन्य शैक्षणिक संस्था का स्वामित्व हो और जो केवल इनसे संबंधित गतिविधियों के लिए छात्रों एव

3. अधिनियम की घारा 2 (16) के अनुसार, "पार्य माल यान से अभिप्राय ऐसे माल वाहन से है जिसका सकल वाहन भार अथवा ऐसा ट्रेक्टर या रोड रोलर जिसमें से किसी का लदान रहित भार 12,000 किलोग्राम से अधिक है।"

4. अधिनियम की घारा 2 (17) के अनुसार, "भारी यात्री मोटर यान से अध्याय है ऐसा कोई लोक सेवा यान या प्राइवेट सेवा यान या शिक्षा संस्था बस या कोई बस जिसका सकल यान भार या ऐसी मोटर कार जिसका लदान र्यहत भार 12,000 किलोग्राम से अधिक हो।"

5. धारा 2 (21) के अनुसार, "हल्का मोटर बाहन से अभिग्राय है ऐसा कोई परिवहन बाहन या बस जिसमें से किसी का सकल वाहन भार, ऐसी मोटर कार या ट्रैक्टर या रेड रोलर जिसमें से किसी का लदान रहित भार 75,000 किलोग्राम से

 धारा 2 (22) के अनुसार, "बड़ी टैक्सी का अर्थ है ऐसा मोटर वाहन जो माडे या पाखिमिक पर छः तथा बारह से अधिक नहीं, यात्रियों को, जिसके अंतर्गत चालक नहीं है, वहन करने के लिए निर्मत या अनुकूलित है।"

7. धारा 2 (23) के अनुसार, ''मध्यम माल वाहन से अर्थ है हल्के मोटर वाहन अथवा मारी मोटर वाहन के आंतरिका अन्य

8. धारा 2 (24) के अनुसार, "मध्यम यात्री मोटर यान से अभिग्राय है ऐसा कोई लोक सेवा वाहन या प्राइवेट सेवा वाहन

9. धारा 2 (25) के अनुसार, ''मोटर टैक्सी से अभिग्राय है ऐसा कोई मोटर वाहन जो पाड़े या पर्ख्यांक एर अधिक से या शिक्षा संस्था बस जो मोटर साइकिल, अशक्त यात्री गाड़ी, हल्का मोटर वाहन या पारी मोटर वाहन से फिन्न है।"

10. धारा 2 (26) के अनुसार, ''मोटर कार से अभिप्राय है, परिवहन वाहन, बस, रोड रोलर, ट्रेक्टर, मोटर साइकिल या अधिक 6 यात्रियों का, जिसके सम्मिलित चालक सम्मिलित नहीं है, वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है।"

अशक्त यात्री गाड़ी के अतिरिक्त अन्य कोई मोटर वाहन।"

एक अतिरिक्त पहिए पारण एक अतिरिक्त पहिए पारण 12. धारा 2(29) के अनुसार, "बहुप्रयोजन बस का अर्थ है ऐसा मोटर वाहन जो कि राजक के 12. धारा 2(29) के जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित की गई है।" शारा 2 (27) के अनुसार. "मोटर साइकिल का अर्थ है दो पहिया वाला ऐसा मोटर वाहन जिल्हा कि स्वारा 2 (27) के अनुसार. "मोटर साइकिल का अर्थ है दो पहिया वाला ऐसा मोटर वाहन जिल्हा कि सामानित है।" धारा ४ (४) का न्या है। जो पृथक की जा सकती है, सामान्त्रत है। एक अतिरक्त पहिए बाली साइड कार, जो पृथक की जा सकती है, सामान्त्रत है।

व्यक्तियों को लें जान पार पाइवेट सेवा वाहन का अर्थ है एक तैयार किया गया वाहन अपना पाइवेट सेवा वाहन का अर्थ है एक तैयार किया गया वाहन अपना पाइवेट सेवा वाहन का अर्थ है। धारा 2 (33) के अनुसार, प्राइवेट सेवा वाहन का आपनार आपनार पार्ट करियार किया है। अर्थवा उसकी आउन पार्ट करियार के जाने का माने का अर्थ के जाने का अर्थ के अर्य के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्य के अर्थ के धारा 2 (33) के अनुसार, "अश्रण प्राप्ति आमतौर पर मालिक द्वारा अथवा उसकी ओर सामक्षेत्र श्री सवारी ले जाने वाला वाहन और जिसका प्रयोग आमतौर पर मालिक द्वारा अथवा उसकी ओर सामक्षेत्र श्री सवारी ले जाने वाला वाहन और जिसका प्रयोग आमतौर पर मालिक द्वाराय हेतु मोटर वाहन सामालिक करें हैं श्री

क्य जाते हैं।" धारा 2 (35) के अनुसार, पान किसमें मैक्सीकेब, एक मोटर केब, अनुबंध सवार्त और केन किसमें किस है। लाने ले जाने हेतु किया जाता है और जिसमें मैक्सीकेब, एक मोटर केब, अनुबंध सवार्त और केन किसमें सबारी ले जाने वाला वाहन आर प्राप्ता है. परंतु इसमें सार्वजनिक उद्देश्य हेतु मोटर वाहन सामान्त्र के लोगों को लाने ले जाने हेतु किया जाता है. परंतु इसमें सार्वजनिक उद्देश्य हेतु मोटर वाहन सामान्त्र्य के लोगों को लाने ले जाने हेतु किया जाता है. परंतु इसमें सार्वजनिक उद्देश्य हेतु मोटर वाहन सामान्त्र्य के लोगों को लोगों के लेगों के लोगों लोगों लोगों लेगों लोगों लोगों लोगों लोगों लोगों लेगों ले

किए जात है।

15. धारा 2 (42) के अनुसार, "राज्य यातायात संगठन एक ऐसा सगठन हैं जो कि सड़क नातायान सेंग के अर्थ का के बातायान के किया जाता है।"

कंद्रीय सरकार अथवा एक राज्य सरकार।

(II) कोई भी नगर निगम अथवा निगम अथवा कंपनी जिसका स्वामित्व अथवा नियंत्रण केटीय सम्बन्धा है। किहा अथवा नियंत्रण केटीय सम्बन्धा है। किहा अथवा केटीय सम्बन्धा है। किहा अथवा केटीय सरकार एवं एक या एक से ओएक स्व (i) सड़क यातायात निगम अधिनयम 1950 की धारा 3 के तहत स्थापित कोई भड़क यातायात कि कोई भी नगर जिल्ला जिल्ला स्टब्स सरकारों अथवा केंद्रीय सरकार एवं एक या एक में आहित तत्त्व किले हो अथवा एक या एक में आहित तत्त्व किले हो अथवा एक पा एक में आहित तत्त्व किले हो अथवा एक पा एक में आहित तत्त्व किले हो अथवा एक पा एक में आहित तत्त्व किले हो अथवा एक पा एक में आहित तत्त्व किले हो अथवा एक पा एक में आहित तत्त्व किले हो अथवा एक पा एक में आहित तत्त्व किले हो अथवा एक पा एक में आहित तत्त्व किले हो अथवा एक पा एक में आहित तत्त्व किले हो अथवा एक पा एक में आहित तत्त्व किले हो अथवा एक पा एक में आहित तत्त्व किले हो अथवा एक पा एक में आहित तत्त्व किले हो अथवा एक पा एक में आहित तत्त्व किले हो अथवा एक पा एक में आहित तत्त्व किले हो अथवा एक पा एक में आहित तत्त्व किले हो अथवा एक पा एक में आहित तत्त्व किले हो अथवा है अथवा एक पा एक में आहित तत्त्व किले हो है अथवा एक पा एक में आहित तत्त्व किले हो अथवा है अथवा है अथवा है अथवा एक पा एक में आहित है अथवा है अथव

(iv) जिला परिषद अथवा अन्य कोई ऐसी ही सस्था

अतः इन परिभाषाओं के आधार पर मोटर वाहनों को चार विस्तृत वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। वे निमालिक है निजी कारें (Private Cars): निजी कार जैसे वाहन सामाजिक घरेलू तथा आराम के उद्देश्य सं तथा व्यवसायिक क्षेत्र स्मीड जॉन विश्वसनीयता परीक्षण आदि के लिए कार का प्रयोग करना सम्मिलित नहीं है। अतः निज्ञों का कर् के लिए बीमित अथवा बीमित के किसी कर्मचारी द्वारा प्रयोग किए जाते हैं परंतु इसमें कियाए पर किसी प्रतिस्था के लिए जिस पर निजी स्वामित्व हो।

(ii) निजी बाहन के अंतर्गत पंजीकृत हो।

(iii) जो वाणिज्यिक वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए प्रयोग न की जाती જા.

2. व्यवसायिक वाहन (Commercial Carriers): व्यवसायिक वाहन वे वाहन होते हैं जो व्यवसाय बाहन कोन्न वाले वाहन भी सम्मिलित है। अतः वाणिज्यिक वाहन निम्नलिखित हो सकते हैं: वस्तुएँ लाने ले जाने वाले वाहन तिपहिया वाहन तथा मोटर लगी हुई साइकिल हो सकती है। इसमें यात्रयों के ले क अंतर्गत चलते हैं। इन वाहनों का प्रयोग व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये सार्वजनिक वाहन निजीवात

(i) सामान लाने ले जाने वाले वाहन।

(ii) अनुयान

(iv) वाणिज्य वाहन परिमट के अंतर्गत पंजीकृत वाहन। (iii) यात्रियों को किराए पर लाने ले जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले वाहन।

(v) वाहन का प्रयोग किराए पर किया।

दुर्वटना एवं मोटर बीमा

3. दोपहिया बाहन (Two Wheelers): दोपहिया बाहन वे बाहन है जो कि साइड कार के साथ अथवा उसके बिना होते हैं परीक्षण स्मीड जाँच के लिए प्रयोग होने वाले वाहन सिम्मलित नहीं किए जाते। लिए प्रयोग किए जाते हैं। परंतु इसमें किराए पर प्रयोग होने वाले, किसी प्रतिस्पर्धा में प्रयोग होने वाले विश्वसनीयता और बीमित अथवा उसके किसी कर्मचारी द्वारा सामाजिक, घरेलू तथा आराम के उद्देश्य से तथा व्यवसायिक उद्देश्यों के

4. विविध तथा विशेष प्रकार के वाहन (Miscellaneous and Special Types of Vehicles): अन्य सभी ड्रेगलिन एक्सावेटरस, साइट कलियरिंग तथा लैवलिंग प्लांट आदि भी सम्मिल्लित होते हैं। मशीनी खुदाई यंत्र, बेलचे ग्रैब, उत्खनन, बुलडोजर, बुलग्रेडर, फार्क लिफ्ट ट्रक, डम्पर तथा टीपर, ड्रिलिंग रिगस सामान ले जाने वाले ट्रेक्टर तथा ट्रालियाँ, दमकल तथा बचाव वाहन आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें मोबाइल क्रेन, संबंधी वाहन, चलायमान दुकाने तथा कैटीन, सिनेमा फिल्म रिकार्डिंग तथा विज्ञापन वाहन, सुपुर्दगी वाले ट्रक, ट्राली, प्रकार के वाहन जो अन्य किसी वर्ग में सम्मिलित नहीं होते इस वर्ग में सिम्मिलित किए जाते हैं। अतः इसमें कृषि एवं वन

नोटर वाहन बीमा पॉलिसियों के प्रकार (Types of Motor Insurance Policies)

मोटर वाहन बीमा पॉलिसीयों दो प्रकार की होती है:

L केवल दायित्व पॉलिसी (Only Liability Policy)

ली गई हो। मोटर वाहन बीमा अधिनियम,1988 की धारा 146 (1) के तहत कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी के बिना सार्वजनिक स्थानों पर बाहन नहीं चला सकता। यह प्रावधान यात्रियों पर लागू नहीं होता। जीवत सुधार किए गए हों। यह पॉलिसी उन सभी प्रकार के वाहनों के लिए अनिवार्य है जिनके लिए उनके स्वामी द्वारा कोई अन्य पॉलिसी न ह्नप से लागू होता है जैसे निजी कारें व्यवसायिक वाहन, मोटर साईकिल, मोटर स्कूटर आदि जिन्हें प्रयोग करने के लिए उनकी सीमाओं में र्गोलसी को अनिवार्य मोटर बीमा पॉलिसी अथवा 'क्रिया केवल पॉलिसी' भी कहा जाता है। फार्म A सभी प्रकार के वाहनों पर एक समान इसे अधिनियम केवल पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। 'फार्म A' अधिनियम केवल पॉलिसी के लिए प्रमापित फार्म है। इस

पॉलिसियों की अपेक्षाएं तथा दायित्व की सीमा धारा 147 (Requirement of Policies and Limits of Liability)

(1) बीमा पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो-

(a) ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्गमित की गई हो जो अधिकृत बीमाकर्ता हो।

पॉलिसी में विनिर्देष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग का पॉलिसी में विनिर्देष्ट विस्तार तक निम्नलिखित के लिए बीमा

Ξ उस वाहन का किसी सार्वजनिक स्थान में उपयोग करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारिरिक क्षति, जिसमें माल या स्वामी या माल में ले जाए जाने वाला अधिकृत प्रतिनिध होने अथवा किसी पर व्यक्ति की किसी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के कारण उसके द्वारा स्वीकार किए गए दायित्व।

 $\Xi$ उस वाहन का किसी सार्वजनिक स्थान में उपयोग करने से किसी सार्वजनिक सेवा वाहन के किसी यात्री की मृत्यु या शारीरिक क्षति।

(2) पॉलिसी में किसी भी दुर्घटना के संबंध में उत्पन्न हुई दायित्व का भार निम्नलिखित सीमा तक उठाया जाएगाः

(a) स्वीकार किए गए दायित्व की राशि तक।

(b) यदि तृतीय पक्षकार की कोई क्षित हुई है तो ₹ 6000 की राशि का दायित्व लिया जाएगा। यह राशि चौपहिया वाहनों के लिए बढ़ाकर ₹ 7,50,000 की जा सकती है तथा दोपहिया वाहनों के लिए ₹ 1,50,000 की जा सकती है

परन्तु इसके लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होगा जिसकी राशि विधिन प्रकार के बोली है।

50, ₹ 200 प्रकार हैं। (3) एक पॉलिसी तब तक क्रियान्वित नहीं होती जब तक बीमाकर्ता उस व्यक्ति के पक्ष में बीमा का प्रमाण का पॉलिसी क्रियान्वित की जाएगी।

करता जिसके द्वारा वह नारकार (4) एक बीमाकर्ता जो इस घारा के तहत बीमा पॉलिसी निगर्मित करता है वह पॉलिसी में निर्दिख दावित्व के मुख्ये के क्षेत्र

• अपबाद (Exceptions): पॉलिसी के अंतर्गत बीमाकर्ता के दायित्व के निम्नलिखित अपबाद है: अपवाद (प्रकरण) (1) भौगोलिंग क्षेत्र से बाहर होने वाली अथवा जारी रहने वाली अथवा उपगत कोई क्षति अथवा रागिता।

(3) किसी संविदात्मक दायित्व के कारण किया गया दावा।

(4) कोई अनुवर्ती हानि।

पॉलिसी की शर्ते (Policy Conditions) पॉलिसी की शर्तें निम्नलिखित हैं:

(1) कंपनी को नोटिस (Notice to Company): किसी भी दुर्घटना के होने पर तथा दावे के समय पर कंपने को अपने पर तथा दावे के समय पर कंपने के क्षेत्र कंपनी को सचित किया करा के को स्वीमत द्वारा कंपनी को सचित किया करा के को स्वीमत द्वारा कंपनी को सचित किया करा के को किया करा के को समय पर कंपने को सचित किया करा के को समय पर कंपने के को सचित किया करा के को समय पर कंपने को सचित किया करा के को समय पर कंपने को सचित किया करा के को समय पर कंपने को सचित किया करा के को समय पर कंपने को सचित किया करा के को समय पर कंपने के समय पर कंपने के को समय पर कंपने के समय पर के समय समय पर के समय समय पर के समय पर के समय समय पर के समय समय पर के समय समय समय समय समय समय स केपना का नारक क्षार्यक पत्र, दावा, समय तथा/या प्रक्रिया के बारे में बीमित द्वारा कंपनी को सूचित किया जाना कोहा देना चाहिए। प्रत्येक पत्र, दावा, समय तथा/या प्रक्रिया के बारे में बीमित द्वारा कंपनी को सूचित किया जाना कोहा,

(2) भुगतान अथवा क्षतिपूर्ति का वायदा (Promise of Payment or Indemnity): कंपनी को स्विक्षेत्रके के निपटारा करने अथवा बीमित के नाम मुकदमा चलाने का अधिकार होगा। यदि कंपनी किसी दावे के निपरारे के स्वार कोई भुगतान करती है और वह राशि पॉलिसी में नीहित नहीं है तो बीमित द्वारा वह राशि कंपनी को वास्सि दे <sub>जाएते</sub>। 

(3) वाहन की कुशल स्थिति के लिए बीमाकर्ता का दायित्व (Insurer's Liability for Efficient Conditional में जाँच पड़ताल करने का अपूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। को किसी भी समय बीमा किए गए वाहन अथवा उसके किसी भाग अथवा चालक अथवा बीमित के किसी कर्म<sub>ची के हे</sub> Vehicle): बीमित व्यक्ति बीमा कराए गए वाहन को अच्छी स्थिति में रखने के लिए सभी उचित उपाय करेगा करें।

(4) पॉलिसी को रह करना (Cancellation of Policy): कंपनी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा बीमित को सात दिन क्व केंद्र बकाया प्रीमियम की राशि का भुगतान भी करेगी। कंपनी द्वारा न्यूनतम ₹ 100 तक की राशि का प्रीमियम अपने पत्तिख जाता है। यदि वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण किया गया हो वो पॉलिसी रद्द नहीं की जाती। भेजकर पॉलिसी रह करने का अधिकार प्राप्त है। कंपनी उस अवधि का प्रीमियम घटाकर जिस अवधि तक पॉलिसी <sub>जो वें</sub>

(5) दोहरा बीमा (Double Premium): यदि किसी भी दाने के समय वाहन का दोहरा बीमा करवाया गया हो ते कंलं अपने अनुपात में ही क्षतिपूर्ती करेगी।

(6) झगड़ा एवं मध्यस्थता (Dispute and Arbitration): यदि किसी पॉलिसी के तहत भुगतान की जाने वाली ग्रीज्ञण पक्षकार द्वारा लिखित रूप में की जाती है। यदि 30 दिनों के भीतर दोनों पक्षकार सहमत नहीं होते तो यह गामल कोई झगड़ा अथवा मतभेद उत्पन्न होता है तो वह मामला एक मध्यस्य को सौंपा जाता है। मध्यस्य की नियुक्ति को

्रहेटन एवं मोटर बीमा

(7) दावे का परित्याग (Abandonment of claim): यदि कंपनी वीपत द्वारा किए गए किसी दावे के अस्वीका करती है और बीमित 12 महीने तक कोई मुकटमा नहीं करता तो उस टावे का परित्याग मना जाएगा और वह उसके बाद प्राप्त

(8) निवम एवं शर्तों का पालन करना (Fulfillment of Terms and Conditions): बीमित द्वार पॉलिसी की रातें पर देने चाहिए। यह पॉलिसी के अनुसार कंपनी द्वार किए जाने वाले किसी भी मुगतान के उत्तरदावित्व के लिए शर्तों का पूर्व नियमों का पालन तथा अनुमोदन करना चाहिए। उसे प्रस्ताव रखते समय सभी विवरण एवं उत्तर सत्यता के आधार

 पॉलिसी की वैधता (Validity of Policy): पॉलिसी बीमत की मृत्यु के तुरत बाद समाज नहीं मानी जाती। यह मानी जाती है। उस अवधि के लिए पॉलिसी का हस्तांतरण उसके वैद्यानिक उत्तर्गधकारी को किया जाएगा। बीमित की मृत्यु के 3 महीने तक अथवा पॉलिसी की अवधि समाप्त होने तक दोनों में से जो भी पहले हैं तब तक वैद्य

II. वैकेज पॉलिसी (Package Policy)

नुकसान भी सिम्मिलित होता है। इसका अर्थ यह है कि वाहन सबधी सभी नुकसान एवं श्रीत इसमें सम्मिलित होते हैं। र्गीलसी की शर्ते (Conditions Policy): पालिसी की शर्तों को निम्निखित चार मागों में विमाजित किया जा सकता है: इस पॉलिसी को विस्तृत पॉलिसी भी कहा जाता है। इसमें तृतीय पक्षकार की हानि के अतिरिक्त बाहन को होने वाली हानि अथवा

(1) वाहन को होने वाली हानि अथवा क्षति (Loss or Damage to Vehicle): बीमा कंपनी निर्मालीखत हानियों एवं क्षतियों के लिए उत्तरदायी होगी और बीमित को उनकी क्षतिपूर्ती करेगी। पैकेज अथवा विस्तृत पॉलिसी में बीमित के नियमों के तहत वैधानिक उत्तरदायित्व से संबंधित हो। ये हानियाँ हैं... प्रत्येक प्रकार के जोखिम सम्मिल्लित होते है चाहे वे मोटर वाहन अघिनियम या कुल दुर्वटना अधिनियम अथवा सामान्य

(i) दुर्घटनात्मक तथा बाह्य नुकसान;

(ii) आग तथा विस्फोट के कारण हानि,

(iii) झगड़ों तथा हड़ताल के कारण हानि

(iv) किसी विद्रेष पूर्ण कार्य द्वारा हानि;

(v) सेंघ द्वारा, घर के टूटने के कारण अथवा चोरी के कारण हानि

(vi) जमीन खिसकने के कारण हानि;

(vii) भुकंप के कारण हानि;

(viii) तूफान तथा बाढ़ के कारण हानि (ix) आतंकवाद के कारण नुकसान;

(x) रेल, सड़क, हवाई, यातायात, ऐलीवेटर, लिवर आदि के कारण हानि।

(2) जो पॉलिसी में सिम्मिलित नहीं है (What is not Covered Under Policy): निर्मालिखित नुकसान अथवा हानियाँ पॉलिसी में सम्मिलत नहीं होती।

(i) ह्रास तथा घिसावट

(ii) मशीनी अथवा विद्युत खराबी

(iii) अनुवर्ती हानि

- (iv) बीमत को व्यक्तिगत संपत्ति की होने वाली हानि कंपनी की पूर्व अनुमित के बिना किए गए व्यय एवं लागतें।
- (vi) पॉलिसी में लिखित शब्दों के अनुसार अन्य अपवर्जन।

अन्य प्रावधान निम्नलिखित है:

अन्य प्रावधान निर्मालाखन एः (1) सरंक्षण तथा रस्साकशी लागत (Cost of Protection and Towing Cost): यदि पानिसी के असेना (1) सरंक्षण तथा रस्साकशी लागत (Cost of Protection and Towing Cost): यदि पानिसी के असेना है। सरंक्षण तथा रस्साकशी लागत (८०००) कि स्थिति में न रहे तो कंपनी उसके संरक्षण तथा नजतेको सम्मार हानि अथवा नुकसान के कारण वाहन चलने की स्थिति में न रहे तो कंपनी उसके संरक्षण तथा नजतेको सम्मार हानि अथवा नुकसान के जारन का उत्तरदायित्व लेगी। परंतु ये व्यय तीपहिया वाहनों के लिए ₹ 750 से अपन वाहन को पहुँचान को लागा अन्य व्यवसायिक वाहनों के लिए ₹ 2500 से अधिक नहीं होने जीति लिए ₹ 1500 से अधिक तथा अन्य व्यवसायिक वाहनों के लिए ₹ 1500 से अधिक नहीं होने जीति हानि अथवा नुकसान के कारण वारण जाता है। बाहन को पहुँचाने की लागत का उत्तरदायित्व लेगी। परंतु ये व्यय तीपहिया वाहनों के लिए ₹ 750 से आफ के बाहन को पहुँचाने की लागत का उत्तरदायित्व लेगी। परंतु ये व्यय तीपहिया वाहनों के लिए ₹ 2500 से अधिक नहीं होते का

बाजार मूल्य की तरह माना जाता है। कि बीमा आरम करत करने के समायोजन किया जाता है। यह मूल्य कुल हानि अथवा कुल हानि दावों की माना है। की गई हो जिसमें से हास का समायोजन किया जाता है। यह मूल्य कुल हानि अथवा कुल हानि दावों की माना है। बीमित द्वारा घोषित मूल्य (माज्यान्य निमा का नवीनीकरण करते समय पॉलिसी करवाने के लिए जो राशि क्षेम्पेक्षेत्र) कि बीमा आरंप करते समय अथवा बीमा का नवीनीकरण करते समय पॉलिसी करवाने के लिए जो राशि क्षेम्पेक्षेत्र) कि बीमा आरंप करते समय अथवा बीमा का नवीनीकरण करते समय पॉलिसी करवाने के लिए जो राशि क्षेम्पेक्षेत्र)

III. तृतीय पक्षकारों के प्रति दायित्व (Liability to Third Parties)

 III. वृताय पर्वपार
 इस वाक्य के अनुसार कंपनी बीमित को किसी वाहन के प्रयोग करने पर उससे हुई दुर्घटना के लिए शिनिपुर्त को किसी
 इस वाक्य के अनुसार कंपनी बीमित को किसी वाहन के प्रयोग करने पर उससे हुई दुर्घटना के लिए शिनपुर्त को किसी वह राश सम्मिलित होगी जिसके लिए बीमित व्यक्ति निम्निलिखित के संदर्भ में उत्तरदायी होगा: (i) वाहन के प्रयोग के कारण यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अथवा कोई छाव हो जाता है।

(ii) वाहन के प्रयोग द्वारा संपत्ति को कोई नुकसान होता है।

2. कंपनी अपनी लिखित सहमति द्वाय सभी लागतों एवं व्ययों का भुगतान करेगी

कंपनी ऐसे किसी भी चालक की श्वितिपूर्ति करेगी जो बीमित के आदेश पर अथवा बीमित की सहमित हाए उसके काल

4. कंपनी अपनी इच्छा से

(i) किसी आवेदन पर प्रतिनिधित्व का प्रबंध कर सकती है अथवा किसी मृत्यु के संबंध में अनिवार्य जाँच का सकते जो कि क्षतिपूर्ती से संबंधित हो सकती है।

(ii) ऐसा कोई भी कार्य अथवा दंडनीय अपराध जो किसी भी ऐसी घटना से संबंधित हो जो क्षतिपूर्ति के अर्तगत क्रांक हो के संबंध में किसी भी न्यायालय में प्रतिवाद की कार्यवाही कर सकती है।

5. यदि एसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसे पॉलिसी के तहत श्रतिपूर्ती प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था तो कानी उसे वैद्यानिक प्रतिनिधियों को क्षतिपूर्ती की राशि का भुगतान करेगी।

• सामान्य अपवाद (General Exceptions):

कंपनी निम्नलिखित स्थितियों में उत्तरदायी नहीं होगी

कंपनी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु अथवा घावों के लिए उत्तरदायी नहीं होगी जो कि बीमित का कोई कर्मचारी हो।

2. कंपनी ऐसी संपत्ति की हानि अथवा नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी जो कि ट्रस्ट से संबंधित हो अथवा ट्रस्ट के फ़ हो अथवा बीमित अथवा उसके किसी घर के सदस्य के पास हो अथवा जो बीमित के वाहन द्वारा ले जाई जा रही हो।

> रनीटना एवं मोटर बीमा ्ष कंपनी बीमित वाहन से होने वाले किसी ब्रिज अथवा पुल के नुकसान अथवा सड़क पर होने वाले नुकसान अथवा वाहन के 3. कंपनी बनझनाहट के कारण नीचे आई कोई वस्त अथवा नाहन नाम के किस्तान अथवा वाहन के कपना .... कपना इनझनाहट के कारण नीचे आई कोई वस्तु अथवा वाहन द्वारा ढोने वाले माल के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। पार तथा झनझनाहट के कारण नीचे आई कोई वस्तु अथवा वाहन द्वारा ढोने वाले माल के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

्रित वहन अधिनियम की आवश्यकताओं के अतिरिक्त कंपनी किसी भी ऐसे अन्य व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी 4. मोटर वहन का कर्मचारी नहीं है तथा उसे भाड़े एवं प्रियास्त के कर्म के क्यांचार का कर्मचारी नहीं है तथा उसे भाड़े एवं प्रियास्त के क्यांचारी महीं है तथा उसे भाड़े एवं प्रियास्त के क्यांचारी महीं है तथा उसे भाड़े एवं प्रियास्त के क्यांचार का कर्मचारी नहीं है तथा उसे भाड़े एवं प्रियास्त के क्यांचार का कर्मचारी नहीं है तथा उसे भाड़े एवं प्रियास्त के क्यांचार का कर्मचारी नहीं है तथा उसे भाड़े एवं प्रियास्त के क्यांचारी कर कर्मचारी कर कर्मचारी के अनुसार के क्यांचार क्यांचार क्यांचार के क्यांचार क्यांचार के क्यांचार के क्यांचार के क्यांचार के क्यांचार के क्यांचार के क्यांच माटर ने मान्यारी नहीं है तथा उसे माड़े एवं प्रतिफल के बदले में वाहन में नहीं ले जाया गया है। परंतु वस्तुओं जो कि बीपित का कर्मचारी नहीं है तथा उसे माड़े एवं प्रतिफल के बदले में वाहन में नहीं ले जाया गया है। परंतु वस्तुओं

के मालिक अथवा उसके प्रतिनिध इसका अपवाद है।

याद प्रयोग किया जाता है तो पॉलिसी वाद प्रयोग के अनुसार तो उस रस्साकशी किए जाने वाले वाहन से संबंधित दायित्व के लिए श्वतिपूर्ती में वृद्धि की जा सकती है, बशर्ते शुर्ती तथा नियमों के अनुसार तो उस रस्साकशी किसी प्रतिफल के जिसा न की जारें के IV. खराब वाहनों की रस्साकशी (Towing Disabled Vehicles) 1V.
 वीर किसी बीमित वाहन का प्रयोग किसी खराब घकेलने योग्य वाहन की रस्साकशी के लिए प्रयोग किया जाता है तो पॉलिसी की वादि किसी बीमित वाहन का प्रयोक्ति किए जाने वाले वालन के नंगा किया जाता है तो पॉलिसी की

" उस वाहन की रस्साकशी किसी प्रतिफल के लिए न की गई हो।

V. मालिक के चालक होने पर व्यक्तिगत दुर्घटना कवर (Personal Accident Cover for Owner Driver) (ii) कंपनी उस रस्साकशी की जाने वाले वाहन के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

करा॥ उसे क्या से अयोग्य होने पर <u>50%</u> क्षतिपूर्ति की जाएगी। इस वाक्य की कुछ निश्चित शर्ते हैं: ्राप्त पान वाह्य तथा दिखाई देने वाले साधन द्वारा होना चाहिए। मृत्यु एवं स्थाई रूप से अयोग्य होने की स्थिति में 100% कोगी। दुर्घटना प्रवल बाह्य तथा दिखाई देने वाले साधन द्वारा होना चाहिए। मृत्यु एवं स्थाई रूप से अयोग्य होने की स्थिति में 100% पर मालिक स्वयं चालक हो अथवा कोई सह-चालक बाहन चला रहा हो तो उसकी मृत्यु अथवा चोट लगने पर कंपनी श्वतिपूर्ति (i) क्षतिपूर्ति मृत्यु होने पर, पूर्णतया अयोग्य हो जाने पर अथवा आंशिक रूप से अपाहिज हो जाने पर किया जाएगा और यह

त्रशि एक वर्ष में ₹ 2 लाख से अधिक नहीं हो सकती।

(ii) यदि मृत्यु अथवा घाव निम्न कारणों से हुए हो तो कोई श्वतिपूर्ति नहीं की जाएगी: (a) स्वयं घाव करने से, आत्महत्या अथवा आत्महत्या करने की कोशिश से शारीरिक कमी अथवा दुर्बलता से;

(b) यदि शराब अथवा ङ्गस लेकर वाहन चलाया जाए।

3. क्षतिपूर्ति का भुगतान बीमित की अथवा उसके वैषानिक उत्तराधिकारी को किया जाएगा।

4. पॉलिसी में निम्नलिखित शर्तों का पूर्य होना आवश्यक है:

(i) मालिक चालक बीमित वाहन का पंजीकृत स्वामी होना चाहिए।

(ii) मालिक चालक का नाम पॉलिसी में बीमित व्यक्ति के स्थान पर लिखा होना चाहिए।

(iii) मालिक चालक के पास मान्यता प्राप्त चालक लाइसेंस होना चाहिए।

■ सामान्य अपवाद (General Exceptions)

कंपनी निम्नलिखित के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगी:

यदि किसी दुर्घटना से होने वाली हानि अथवा नुकसान तथा उससे उत्पन्न दायित्व भौगोलिक क्षेत्र से बाहर हुआ है।

2. किसी संविदात्मक दायित्व द्वारा उत्पन्न कोई दावा।

3. यदि वाहन का प्रयोग उसकी निषारित सीमाओं के अनुसार न किया गया हो अपितु उसके अतिरिक्त किया गया हो।

4. यदि वाहन ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा हो जिसके पास चालक लाइसेन्स न हो।

5. हानि अथवा नुकसान होने पर उसके कारण होने वाली अनुवर्ती हानि।

.7 परमाणु अस्त्रों द्वारा होने वाली कोई हानि अथवा नुकसान।

00 स्वामित्व में परिवर्तन करने के बाद दुर्घटना द्वारा होने वाली कोई हानि अथवा नुकरान

9 स्वमित्व म पारकारः युद्ध, हमला, विदेशी शत्रुओं की गतिविधियों, युद्ध जैसे कार्यों, गृह युद्ध, विद्रोह, बगावत तथा केत्र युद्ध, हमला, विदेशी शत्रुओं की गतिविधियों, युद्ध जैसे कार्यों, गृह युद्ध, विद्रोह, बगावत तथा केत्र्

# ■ पॉलिसी की अन्य शर्ते (Other Policy Conditions)

पॉलिसी की अन्य शर्तें निर्नालिखित हैं:

वॉलिसी की अन्य शर्ते निम्नालाख्य र (1) आयु (Age): मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 4 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 कोंक (1) कांग्रे पर मोटर वाहन नहीं चला सकता। परंतु इसके कुछ अपवाद निम्न है:

 $\Xi$ जिनिक स्थाना ५८ नाय अपना है। एक मोटर साइकिल जिसकी अग्रु 16 कों के हैं।

20 वेष स क्या पाउँ । किसी भी व्यक्ति को तब तक चालक लाइसेन्स अथवा लर्नर लाईसेन्स निगर्मित नहीं किया जा सकता जिल्हा किसी भी व्यक्ति को तब तक चालक लाइसेन्स अथवा लर्नर लाईसेन्स निगर्मित नहीं किया जा सकता जिल्हा

(2) चालक लाइसेन्स की आवश्यकता (धारा 3) (Necessity for Driving Licence): कोई भी व्यक्ति स्वयं के कोता के जान कि बहिन तमा घटा करणा । अथवा मोटर साइकिल के अतिरिक्त कोई यातायात बाहन नहीं चला सकता जब तक उसके लाइसेन्स प्रांपाक्षक्ष चालक लाइसन्स का आपरूपपाता । बाहन तभी चला सकता है जब उसके पास चालक लाइसेन्स हो और कोई भी व्यक्ति स्वयं के प्रयोग के कि काहन तभी चला सकता है जब उसके मास चालक लाइसेन्स हो और कोई भी व्यक्ति स्वयं के प्रयोग के कि

 $\mathfrak{S}$ पंजीकरण की आवश्यकता (धारा 39)(Necessity for Registration): जब तक बाहन का पंजीकण के सार्वजनिक स्थान या अन्य स्थान पर चलाने की अनुमति नहीं दे सकता। गया हो तब तक कोई भी व्यक्ति उस मोटर वाहन को नहीं चला सकता तथा कोई भी वाहन का मालिक संस्कृत्र

(4) हस्तांतरण (Transfers): जब किसी वाहन का हस्तांतरण किया जाता है तो उस तिथि से स्वामिन के हिन्ताक है। के लिए योग्य है तो उसे शेष राशि का भुगतान करना होगा। हस्तांतरण प्राप्तकर्ता को एक नया आवेदन देन हैं। प्राप्त कर्ता को NCB (No Claim Bonus) का अधिकार प्राप्त नहीं है अथवा वह पातिसी में स्वीकृत प्रतिकात के किया जाता है जब हस्तांतरण प्राप्तकर्ता हस्तांतरणकर्ता की सहमित द्वारा एक विशेष आवेदन देता है। यह हमान आवेदन भेजना चाहिए। पैकेज पॉलिसी के 'स्वतः हानि' का हस्तांतरण बीमाकर्ता द्वारा हस्तांतरण प्राप्तकतं के ल उस व्यक्ति को माना जाता है। हस्तांतरण प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 14 दिनों के भीतर लिखित रूप में केम्फ्रें

(5) वाहन में परिवर्तन (Change of Vehicle): पॉलिसी के अंतिगत बीमित वाहन के स्थान पर शेष अविष के लिए इं वर्ग को अन्य वाहन प्रतिस्थापित किया जा सकता है। परंतु प्रीमियम की राशि उसके अनुसार ही समायोजित को बाएं यदि इस प्रकार के वाहन का प्रतिस्थापन कुल हानि नहीं है तो उस प्रतिस्थापित वाहन पर बीमा जारी रखने के पक्ष में प्रा शीमकर्ता के पास जमा करने होगे।

(6) किराया क्रय समझीते से संबंधित वाहन (Vehicles Subject to Hire Purchase Agreement) के प्रमाणपत्र तथा पॉलिसी कियएदार के नाम पर ही निर्गीमत की जाती है तथा कियएदार एवं मालिक दोनों के संयुक्त तणण

शून्य हो जाएगा।

दुर्वटमा एवं मोटर बीमा

बीमा नहीं किया जाता। यदि स्वामी का हित सुरक्षित करना हो तो इसके लिए बेचान IMT-5 का प्रयोग किया जाना बारा वाहिए। यदि पॉलिसी के तहत अनुमोदित स्वामी चालक की व्यक्तिगत दुर्घटना सुरक्षा के लिए पॉलिसी में लिखा गया बामित का नाम ही मालिक चालक का नाम माना जाएगा बशतें पॉलिसी की शर्तों का पालन किया गया हो।

जाएंगी यदि स्वामी के हित को सुरक्षित करना हो तो उसके लिए एन्डोरसमेन्ट IMT-6 का प्रयोग करना चाहिए। पॉलिसियाँ पट्टाधारी के नाम पर निगर्मित की जाएगी और पट्टाधारी तथा स्वामी के संयुक्त नाम पर निगर्मित नहीं की व्यक्तिगत दुर्घटना सुरक्षा के लिए पिछले दिए गए शोर्षक के समान शर्त रहेगी

(8) भाराक्रान्ति समझौते से संबंधित बाहन (Vehicles Subject to Hypothecation Agreement): बीमा संयुक्त नाम पर हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। यदि बदकप्राही के हित का संरक्षण करना हो तो एंडोरसमेंट IMT-7 का प्रयोग करना चाहिए। व्यक्तिगत दुधर्टना सुरक्षा के लिए शीर्षक 6 में दी गई शतें ही लागू होंगी। प्रमाण पत्र तथा पॉलिसी पंजीकृत स्वामी के नाम पर ही निगर्मित की जाएगी तथा र्यजस्टर्ड स्वामी तथा बंदकग्राही के

(9) बीमा रह करना (Cancellation of Insurance): बीमा रह करने से संबंधित प्रावधान निम्न प्रकार है:

(a) बीमाकर्ता द्वारा राजस्टर डाक द्वारा बीमित को 7 दिन का नोटिस भेजकर बीमा रह किया जा सकता है। बीमाकर्ता प्रीमियम की राशि वापिस देने का उत्तरदायी होगा।

(b) पॉलिसी बीमित व्यक्ति द्वारा भी 7 दिन का नोटिस देकर रह की जा सकती है। बीमाकर्ता उस अविध तक के प्रीमियम का भुगतान बीमित को करेगा। की राशि अपने पास रख सकता है जिस समय पॉलिसी जारी थी और यदि कोई दावा न हो तो प्रीमियम की शेष राशि

0 एक पॉलिसी तभी रह हो सकती है जब उसी वाहन का बीमा किसी अन्य बीमाकर्ता ने भी किया हो तथा वास्तविक बीमा पॉलिसी का समर्पण करने पर ही पॉलिसी रद मानी जाएगी।

(10) दोहरा बीमा (Double Insurance): यदि एक ही वाहन के लिए एक जैसी सुरक्षा के लिए दो पॉलिसियाँ निगमित की ही बीमाकर्ता के दो कार्यालयों के अंतेगत हुआ हो तो एक पॉलिसी का 100% प्रीमियम वापिस किया जाएगा। गई हों तो उनमें से एक पॉलिसी रह मानी जाएगी। यदि दोनों पॉलिसियों के आरंभ होने की तिथि विभिन्न है तो जो पॉलिसी **बाद में आरंभ हुई हो वह रह** मानी जाएगी और उसका अनुपातिक प्रीमियम वापिस किया जाएगा। यदि <mark>वाहन का बीमा एक</mark>

**(11)** सूचना में परिवर्तन (Change in Information): यदि वर्ष के दौरान वाहन के इंजन अथवा चैसी की संख्या संबंधी सूचना में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना तुरंत बीमाकर्ता को देनी चाहिए। बीमा रह करने के लिए बीमा प्रमाणपत्र वापिस करने होंगे। बीमाकर्ता परिवर्तन करने के बाद नए प्रमाणपत्र निगर्मित करेगा।

(12) नष्ट, फरे हुए, मैले तथा विकृत प्रमाणपत्र अथवा कवर नोट (Destroyed, Torn, Soiled and Mutilated नष्ट हो जाता है, फट जाता है, मैला तथा विकृत हो जाता है तो बीमाकर्ता ₹ 50 शुल्क लेकर उसका प्रारूपित प्रमाणपत्र Certificate of Cover Note): यदि बीमाकर्ता द्वारा निगर्मित किया गया प्रमाण पत्र अथवा कवरनोट खो जाता है,

(13) श्रून्य दावा बोनस (No Claim Bonus): श्रृन्य दावा बोनस व्यापक पॉलिसीयों पर 'स्वतः क्षति' के अंतर्गत स्वीकृत 45% पाँच वर्ष तथा इससे अधिक वर्षों के लिए 50% होगी। शून्य दावा बोनस तभी दिया जाएगा जब पिछले वर्ष अथवा वर्षों में कोई दावा न किया गया हो। यदि पिछले वर्ष अथवा वर्षों में कोई दावा लिया गया हो तो शून्य दावा बोनस किया जाएगा। शून्य दावा बोनस (NCB) की दर एक वर्ष में 20%, 2 वर्ष में 25%, तीन वर्ष में 35%, चार वर्ष में निगर्मित कर देगा

ात्र है। पुरानी कारों पर कटौती (Discount for Vintage Cars): यदि पुरानी कारों को भारत की पुरानी तथा तथा पुरान पुरानी कारों पर कटौती (Discount 10). बलब इारा पुरानी कार के रूप में प्रमाणित किया गया हो तो उनका बीमा करवाने पर स्वतः क्षति श्रीमिमम पर प्रेर्ज के बलब इारा पुरानी कार के रूप में प्रमाणित किया गया हो तो उनका बीमा करवाने पर स्वतः क्षति श्रीमिमम पर प्रेर्ज के कटोती दी जाएगी।

कटोती व आर्था। (15) चोरी-विरोधी यंत्रों के लिए कटौती (Discount for Anti Theft Devices): ऐसे वाहन जिनमें ऐसे की जिल् (15) चोरी-विरोधी यंत्रों के लिए कटौती (Discount for Anti Theft Devices): ऐसे वाहन जिनमें ऐसे की जिल्ला अधिकतम राशि ₹ 500 से अधिक नहीं होगी। चोरी-विरोधी यंत्रों के लिए कटाला (८००००) यंत्र लगाए गए हो जो भारतीय आटो मोबाईल अनुसंघान संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो और जिनका प्रस्थान किले हे यंत्र लगाए गए हो जो भारतीय आटो मोबाईल अनुसंघान संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो जोता किले हें

आधकतम सारा २००० (16) रखे हुए वाहनों पर छूट (Concession For Laid up Vehicles): ऐसे वाहन जो कि गैराज में रखे गए हैं और २००० ने किया गए हों तो उस अविध का आनुपातिक प्रीमियम जिस अविध के निर्माण रखे हुए वाहना पर थूट (Consession) कम से कम 2 महीने से प्रयोग नहीं किए गए हों तो उस अवधि का आनुपातिक प्रीमियम जिस अवधि के लिए वे क्री कम से कम 2 महीने से प्रयोग नहीं किए गए हों तो उस अवधि का आनुपातिक प्रीमियम अगले वर्ष के किए वे क्री में से घटा दिया जाएगा। कम से कम 2 महान से अनान रहता है। नहीं किए गए है बीमित के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्रेडिट किया गया प्रीमियम अगले वर्ष की प्रीमियम के कि

(17) CNG/LPG का प्रयोग (Use of CNG/LPG): ऐसे वाहन जिनमें CNG/LPG किट लगी हो उनक के (17) प्रस्ताव फार्म पर देना चाहिए। करवात समय CNOLLEO निक्र का सम्बद्धा करें कि उसी फार्म का हिस्सा हो की जानी चाहिए के की बोषणा स्मष्ट रूप से प्रस्ताव फार्म में अथवा अलग पत्र द्वारा जो कि उसी फार्म का हिस्सा हो की जानी चाहिए के की बोषणा स्मष्ट रूप से प्रस्ताव फार्म में अथवा अलग पत्र द्वारा की कि उसी फार्म का विकास के की का जानी चाहिए की CNG/LPG कर का बीमा अलग से प्रीमियम का भुगतान करके करवाया जाता है। बीमित के अस्व कि करवाया जाता है। बीमित के अस् करवाते समय CNG/LPG किट का बीमा अलग से प्रीमियम का भुगतान करके करवाया जाता है। बीमित के अस्व का का बावणा स्पष्ट रूप से हैं.... CNG/LPG का अलग से मूल्य ज्ञात न हो तो भी उसके लिए अलग से प्रीमियम लिया जाता है तथा इसका विकास

(18) फाइबर ग्लास ईंधन टैंक (Fibre Glass Fuel Tank): ऐसे वाहन जिनमें फाइबर ग्लास ईंधन टैंक फिट किया क हो उनकी पॉलिसी करवाने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

(19) बीमा की अवधि (Period of Insurance): एक पॉलिसी 12 महीने की अवधि तक जारी रहती है कोई भी पॉलिस 12 महीने की अवधि से अधिक के लिए निर्गीमत अथवा नवीकृत नहीं की जाती

(20) मूल्यांकित पॉलिसी (Valued Policies): एक स्वीकृत मूल्य पॉलिसी में एक निर्धारित स्वीकृत राशि जो कि वाहन क् रूप में किया जाता है तथा उसमें से ह्रास के लिए कोई कटौती नहीं की जाती। स्वीकृत मूल्य पॉलिसी पुरानी कारों के लिए बीमत मूल्य मानी जाती है, उन पर कुल हानि अथवा संघटित कुल हानि की दशा में उस राशि का भुगतान क्षतिपूर्तों के

(21) पॉलिसी की शर्ती एवं नियमों का पूर्व पालन (Prior Compliance of Terms and Conditions of Policy): पॉलिसी के अंतगत किए गए दावे का भुगतान तभी किया जाएगा जब बीमित द्वारा शर्तों एवं नियमें का पालन किया गया हो तथा प्रस्ताव फार्म में पूछे गए प्रश्नों का सत्यता से उत्तर दिया गया हो।

(22) सरकार द्वारा वाहनों का अधिग्रहण (Vehicles Requisitioned by the Government): ऐसे वाहन जिनका अधिग्रहण सरकार द्वारा किया गया हो वे स्वतः ही उस अविध के लिए बीमा द्वारा सुरक्षित माने जाते हैं और इसके लिए को सरकार द्वारा उस हानि की भारपाई की जाती है। कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं लिया जाता। यदि अधिग्रहण की अवधि में कोई हानि अथवा नुकसान होता है तो वीमाकतं

। मोटर वाहन बीमा करने की प्रक्रिया (Procedure for Effecting Motor Vehicle Insurance) मोटर वाहन बीमा के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:

(1) उचित पॉलिसी का चयन (Selecting the suitable Policy): सबसे पहले मोटर वाहन के लिए उपलब पॉलिसियों में से उपयुक्त पॉलिसी का चयन किया जाता है। व्यक्ति को पॉलिसी की शर्तों तथा उसमें सुरक्षित जोखिम के

पुर्वता एवं मोटर बीमा

बारे में अच्छी तरह पता लगाना चाहिए। प्रीमियम भी एक मुख्य तत्व है। भारत में विभिन्न बीमा कंपनियाँ कार्य कर रही है। बार गर्मा पर विधिन्न लाभ प्रस्तुत करती है। प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को ऐसे बीमाकर्ता का चयन करना होगा है बीमा पालिसियों पर विधिन्न लाभ प्रस्तुत करती है। प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को ऐसे बीमाकर्ता का चयन करना होगा हे बामा गार्निस उपयुक्त हो। पालिसियों के प्रकार का वर्णन इस अध्याय में पहले किया जा चुका है। जो उसके लिए उपयुक्त हो। पालिसियों के प्रकार का वर्णन इस अध्याय में पहले किया जा चुका है।

्यों के लिए प्रस्ताव फार्म भरना (Filling of Proposal Form For Insurance): पॉलिसी तथा बीमाकर्ता का बामा प्रस्तावकर्ता अथवा भावी बीमित को प्रस्ताव फार्म भरना होगा। टायित्व तथा पैकेज पॉलिसी, दो वयन करने के बाद प्रस्तावकर्ता अथवा भावी बीमित को प्रस्ताव फार्म भरना होगा। टायित्व तथा पैकेज पॉलिसी, दो साबारणतया निम्नलिखित सूचनाएं देनी होती हैं: बया निजीकारों व्यवसायिक तथा विविध वाहनों के लिए पृथक, पृथक फार्म उपलब्ध होते हैं। प्रस्ताव पत्र में पहिया वाहनों, निजीकारों व्यवसायिक तथा विविध वाहनों के लिए पृथक, पृथक फार्म उपलब्ध होते हैं। प्रस्ताव पत्र में

(i) प्रस्ताव कर्ता का नाम एवं पता।

(ii) पॉलिसी का प्रकार

(iii) वाहन का विस्तृत वर्णन जैसे - पंजीकरण नंबर, पंजीकरण की तिथि, पंजीकरण अधिकारी वर्ग, निर्माण का वर्ष उपसहायक, वाहन का मूल्य किराया क्रय अथवा पट्टा अथवा भाराक्रान्ति का वर्णन आदि। इंजन नंबर, चैसी नंबर, माडल, क्यूबिक क्षमता, बैठने की क्षमता, प्रयोग होने वाला ईंघन, प्रयोग किए गए

(iv) आवश्यक सुरक्षा अथवा सुरक्षित किया जाने वाला दायित्व।

(v) पुराने वाहन का पिछला इतिहास।

(vi) यदि कोई चालक है तो उसका विस्तृत वर्णन।

(vii) बीमित द्वारा घोषणा।

प्रस्ताव पत्र भरने के बाद वह बीमाकर्ता के पास उसके द्वारा दिए जाने वाले प्रतिफल तथा स्वीकृति के लिए जमा करवाना

(3) कंपनी द्वारा निर्णय तथा प्रतिफल (Consideration and Decision by Company): जब उचित प्रकार से भरा हुआ प्रस्ताव फार्म बीमा कंपनी में जमा किया जाता है तो बीमा कंपनी उस प्रस्ताव फार्म की विस्तृत जाँच करती है। प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले सभी भौतिक सूचनाओं का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है। भौतिक तथा नैतिक जीखिमों का मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं। यदि स्वीकृति दी जानी चाहिए तो प्रीमियम.को दर क्या होनी चाहिए। अशुल्क दरों का लाभ देना चाहिए या नहीं। यदि इसकी स्वीकृति देनी है तो किस प्रतिशत पर स्वीकृति दी जानी चाहिए। प्रीमियम की दर निम्नलिखित तत्त्वों पर निर्मर हैं।

(i) बीमित द्वारा घोषित मूल्य

(ii) क्यूबिक क्षमता

(iii) भौगोलिक क्षेत्र

(iv) वाहन की आयु

(v) वाहन का सकल भार/व्यवसायिक वाहनों की दशा में लाइसेन्स प्राप्त माल को ले जाने की क्षमता

(4) कवर नोट, बीमा प्रमाण पत्र का निर्गमन (Issue of Cover Note, Certificate of Insurance): यदि बीमा कंपनी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तथा प्रस्तावकर्ता द्वारा पहले ही प्रीमियम का भुगतान किया जा चुका है तो बीमाकर्ता द्वारा बीमाकृत को कवर नोट निगर्मित किया जाता है। उस समय बीमा का प्रमाण पत्र भी निगर्मित किया जाता है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 145 (b) के अनुसार, ''बीमा के प्रमाण पत्र का अर्थ है ऐसा प्रमाण पत्र जो

कि एक अधिकृत बीमाकर्ता द्वारा धारा 147 की उपधारा (3) का पालन करते हुए निगर्मित किया जाता है जिसमें पासे अपेक्षाएँ पूरी की गई हो।" नोट भी साम्मालत लाग र जाता है तो जब तक बीमित को पॉलिसी निगरित के जिस के पॉलिसी निगरित के जिस के जिए बीमा प्रमाणपत्र में साधारण तथा निम्नलिखित सूचनाएँ होती हैं:

- (i) बीमित का नाम एवं पता
- (ii) वाहन का राजिस्ट्रेशन नंबर
- (iii) बीमा का अवधि
- (iv) बीमित वाहन की भौगोलिक सीमा
- (v) बैठने की क्षमता
- (vi) वाहन का प्रकार
- (vii) वाहन की क्यूबिक क्षमता
- (viii) प्रीमियम की राशि
- (5) बीमा पॉलिसी (Insurance Policy): पॉलिसी निगर्मित करने में समय लगता है। इसलिए कवर नेट श्रीष्ठ है निगर्मित किया जाता है जैसे ही पॉलिसी निगर्मित की जाती है कवर नोट समाप्त हो जाता है। कवर नोट एक महोने के लिए ही वैद्य होता है अतः पॉलिसी एक महीने के अन्दर निगर्मित की जानी चाहिए।

# मोटर वाहन बीमा में निजी क्षित दावों के निपटारे की प्रक्रिया

(Procedure For Settlement of Own Damage Claims in Motor Insurance) साधारणतया इन दावों के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:

- (1) वीमाकर्ता को सूचना (Intimation to Insurer): बीमित को जितना जल्दी हो सके हानि अथवा नुकसान के बो मे बीमाकर्ता को सूचना देनी चाहिए। बीमित बीमाकर्ता के नजदीकी कार्यालय में सूचना दे सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि र्पोलिसी निगर्मित करने वाले कार्यालय में ही सूचना दी जाए। सूचना बीमित द्वारा अथवा उसके नामांकित व्यक्ति द्वारा ते
- (2) दावा रजिस्टर में दावे की प्रविष्टि करना (Entering the claim in the Claim Register): जब बीमाकर्ता क्षे करता है। जाँच करने तथा सन्तुष्ट होने के बाद इस सूचना की प्रविष्टि एक रजिस्टर में करता है जिसे दावा रजिस्टर कहा जैसे कि पॉलिसी नंबर, वाहन नंबर, दुर्घटना की तिथि, चालक का विवरण, बीमित का विवरण, दावे की राशि आदि का जाता है। प्रत्येक दावे को एक नंबर दिया जाता है और वह नंबर बीमित को बताया जाता है। दावे के लिए विभिन्न विस्तार बीमित द्वारा सूचना प्राप्त होती है तब वह पॉलिसी की जाँच करता है तथा पॉलिसी के अंतर्गत सुरक्षित जोखिम की जाँच
- (3) दावा फार्म (Claim Form): दावे की प्रविष्टि दावा रजिस्टर में करने के बाद बीमित को दावा फर्म निगर्मित किया जाता है। दावा फार्म में निम्नलिखित कॉलम होते हैं:
- (i) दावा नंबर
- (ii) पॉलिसी नंबर

- (iii) बीमित का नाम
- (iv) बीमित का पता
- (v) वाहन का विस्तृत वर्णन
- (vi) हानि की तिथि तथा स्थान
- (vii) चालक का वर्णन
- (viii) दुर्घटना का विस्तार से वर्णन (ix) वर्कशाप का विस्तार से वर्णन
- (x) चीरी का वर्णन
- (xi) अगिन का वर्णन
- (xii) तृतीय पक्षकार क्षति का वर्णन
- (xiii) एड आन कवर
- (xiv) दाने के भुगतान के लिए बीमित के बैंक का वर्णन
- (4) सर्वेक्षकों की नियुक्ति तथा दावों का निरीक्षण (Appointment of Surveyors and Inspection of Claims): हानियाँ दो प्रकार की होती है (i) मुख्य हानि (ii) निम्न हानि। मुख्य हानि अथवा दुर्घटना जिसमें आग तथा ड़कैती संबंधी हानियां भी सम्मिलित हैं, के लिए बीमाकर्ता एक सर्वेक्षक की नियुक्ति करता है जो कि दुर्घटना स्थल का अनिवार्य होता है। उसके बाद वाहन को खींचकर किसी वर्कशाप में ले जाया जा सकता है वहाँ एक अन्य सर्वेक्षक दौरा दौरा करता है तथा निरीक्षण करता है। सभी व्यवसायिक वाहनों के लिए दुर्घटना की दशा में स्थान का सर्वेक्षण करना करता है तथा श्वतिग्रस्त वाहन की कुछ फोटोग्राफ लेता है और वर्कशाप के मालिक से खर्चे का अनुमान लगवाता है। अपनी संतुष्टि करने के बाद वह मरम्मत की स्वीकृति देता है। छोटी दुर्घटनाओं की दशा में वाहन को वर्कशॉप में ले जाया जा सकता है। सर्वेक्षक वहाँ पर दौरा करेगा और सभी औपचारिकताएँ पूरी करेगा जिसमें वाहन की फोटोग्राफ भी सिम्मिलित हैं। मरम्मत हो जाने के बाद सर्वेक्षक ठीक हुए वाहन के साथ क्षतिग्रस्त हिस्से को रखकर फोटोग्राफ लेगा ताकि दावे की पुष्टि की जा सके।
- (5) पुलिस स्टेशन में सूचना तथा FIR (Intimation to Police Station and FIR): विनाशक दुर्घटना की दशा में नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना देनी चाहिए तथा FIR अवश्य करवानी चाहिए। चोटों तथा घावों अथवा मृत्यु अथवा तृतीय पक्षकार की संपत्ति को होने वाली क्षति का विस्तृत ब्यौरा पुलिस को देना चाहिए। FIR की एक प्रति सर्वेश्वक को देनी चाहिए जो कि उसे अन्य प्रपत्रों के साथ कंपनी में जमा करवा देगा।

(6) दावे का निपटारा (Settlement of Claim): सर्वेक्षक द्वारा कंपनी में रिपोर्ट दिए जाने के बाद कंपनी अपने दायित्व

तथा क्षतिपूर्ती की राशि का निर्घारण करती है। बीमित द्वारा मरम्मत का बिल तथा एक संतोष पत्र बीमाकर्ता को दिया जाना

चाहिए। बिल प्राप्त करने के बाद बीमाकर्ता राशि का भुगतान बीमित को अथवा मरम्मत करने वाले को करता है।

# ■ कुल हानि दावे का निपटारा (Settlement of Total Loss Claim)

बीमित के साथ एक समझौता कर सकता है कि इसे कुल हानि घोषित कर दिया जाए। कुल हानि की दशा में वाहन के बाजार मूल्य के यदि सर्वेक्षक को यह लगता है कि वाहन ठीक होने की स्थिति में नहीं है या उसकी मरम्मत की आर्थिक प्रतिस्थिति नहीं है तो वह

108 अनुसार एक उचित राशि निषारित की जाती है। यदि बाजार मूल्य बीमित राशि से अधिक है तो बीमित राशि का पुगतान किया अनुसार एक उचित राशि निषारित की जाती है। यदि बाजार मूल्य बीमित राशि से अधिक है तो बीमित राशि का पुगतान किया जाती

र्धाश को भुगतान कर ादथा जाए:।। उन्हरूप के से कि पंजीकरण प्रपत्र, हस्ताक्षर किए गए T.O तथा T.T.O फार्म तथा अस्व श्रीतग्रस्त वाहन से संबंधित सभी प्रपत्र जैसे कि पंजीकरण प्रपत्र, हस्ताक्षर किए गए T.O तथा T.T.O फार्म तथा अस्व जैसे चाबिया आदि भी बीमाकर्ता बीमित से लेगा। बीमाकर्ता जैसा ठीक समझे बचे हुए वाहन के समाप्त कर सकता है। यदि वाहन के पूर्व

# ■ चोरी के दावों का निपटारा (Settlement of Theft Claims)

असफल रहता ह ता शुलस २५ पापरा पापरा पापरा करा प्राप्त अमुनमार्गणीय नंबर RC पुस्तिका भी चोरी हो गई हो तो बीमित को प्राप्त अनुनमार्गणीय नंबर RC पुस्तिका के साथ बीमाकर्ता के पास जमा करवाएगा। यदि RC पुस्तिका भी चोरी हो गई हो तो बीमित को बाद पुलिस मामले का खाजबान करता ह जार जाए जाए जाए हैं। असफल रहती है तो पुलिस इस मामले को अनिपत्तेच तथा अनुमार्गणीय मामलों में दर्ज कर देती है बीमित SDE नंबर तथा पुलिस असफल रहती है तो पुलिस इस मामले को अनिपत्तेच तथा अनुमार्गणीय मामलों में दर्ज कर देती है बीमित SDE नंबर तथा पुलिस असफल रहती है तो पुलिस इस मामले को अनिपत्तेच के जाम जमा करवाएगा। यदि RC पुस्तिका भी चोरी हो गई हो अपने करता चाहिए। FIR करने के बाद पुालस स्टशन प्रणास्त्र राज्य हुँढ़ने की कोशिश करती है। यदि पुलिस उचित समय में वाहन को हुँढ़ने की कोशिश करती है। यदि पुलिस उचित समय में वाहन को हुँढ़ने में बाहन को हुँढ़ने में वाहन को हुँढ़ने में प्राप्त अनुनमागणाथ नवर KC पुष्तिका लेनी चाहिए। बीमाकर्ता बीमित से एक ऐफीडेविट की माँग भी कर सकता है जिसके अनुसार को किए के अनुसार को हे जिसके अनुसार को कार्य कर होगा। वाहन का चाँग होना भा एसा दशा हा प्राप्तार हुन्य है। उत्तर है। जिसे स्टेशन डायरी प्रवेश नंबर कहा जाता है। क्षेक् चाहिए। FIR करने के बाद पुलिस स्टेशन राजस्टर में लिखेगी और एक नंबर देगी जिसे स्टेशन डायरी प्रवेश नंबर कहा जाता है। क्षेक्ष री के दावा का ानपटार है है जिससे कुल हानि दावा उत्पन्न होता है। चीरी के मामले में पुलिस में मामला दर्ज कार्या है जिससे कुल हानि दावा उत्पन्न होता है। चीरी के मामले में पुलिस में मामला दर्ज कार्या और एक नंबर देगी जिसे स्टेशन डायरी प्रवेश नंबर कहा जाना के कार्या

रपण पार निवार में वाहन मिल जाता है तो उसकी पुष्टि की जा सके। बीमाकर्ता के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह बाहन हे इसके बाद बीमाकर्ता दावे की राशि का भुगतान करके दावे का निपटारा करेगा। राजस्ट्रेशन पुस्तिका तथा चाबियाँ बीमाकर्ता अपने

### • दावा प्रपन्न (Claim Documents)

ऊपर लिखित सभी दावों के लिए निम्नलिखित प्रपत्र जमा किए जाने चाहिए:

- (i) दावे का फार्म
- (ii) पंजीकरण पुस्तिका
- (iii) चालक लाइसेंस
- (iv) परिमट (केवल व्यवसायिक वाहनों के लिए)
- (v) योग्यता प्रमाण पत्र (केवल व्यवसायिक वाहनों के लिए)
- (vi) पुलिस रिपोर्ट
- (vii) सर्वेक्षण की रिपोर्ट तथा फोटोग्राफ
- (viii) मरम्मत करने वाले से बिल
- (ix) संतुष्टि नोट
- (x) बीमित अथवा उस मरम्मत कर्ता से प्राप्ति की रसीद जिसने दावे की राशि प्राप्त की हो।

### मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल के माध्यम से तृतीय पक्षकार के दावे का निपटारा (Settlement of Third Party Claim through MACT)

दुर्घटना के छः महीने के अंदर ट्रिब्यूनल में आवेदन देना चाहिए। की स्थापना कर सकती है। यदि राज्य सरकार द्वारा MACT की स्थापना की जाती है तो सिविल कोर्ट दावों के मामलें नहीं ले सकती। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 165 के अनुसार राज्य सरकार तृतीय पक्षकार दावों के निर्णय देने के लिए दावा ट्रिब्यूनल

दुर्वता एवं मोटर बीमा

तमिलिखत व्यक्ति थार्य 165 (1) तहत MACT में आवेदन देने के योग्य है:

(i) वह व्यक्ति जिसे चोट लगी है अथवा

- (ii) सम्पत्ति का मालिक अथवा
- (iii) मृत्यु की स्थिति में मृतक का वैधानिक उत्तर्राधकारी अथवा
- (iv) घायल व्यक्तित द्वारा अधिकृत कोई एजेंट अथवा घायल के सभी उत्तर्गाधकारी या एक उत्तराधिकारी

### दावे की प्रक्रिया (Procedure for Claim)

- ]. धारा 166 के तहत क्षतिपूर्ती का आवेदन दिए जाने पर MACT बीमाकर्ता को नोटिस देकर तथा सुनवाई का अवसर देकर दावे की जाँच करवा सकता है।
- पक्षकारों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल क्षतिपूर्ति की राशि निश्चित करते हुए दावे के प्रतिकल की घोषणा कर सकता है तथा उन व्यक्तियों के नामों को निश्चित कर सकता है जिन्होंने इस क्षतिपूर्ति का पुगतान करना है।
- MACT प्रतिफल की तिथि से 15 दिन के भीतर प्रतिफल को प्रतिया संबंधित पक्षकारों को भेजेगा।
- ़ वह व्यक्ति जो क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है वह प्रतिफल के 30 दिनों के भीतर वह राशि ट्रिब्यूनल में जम करवाएगा।

### 。 दावे के प्रपन्न (Documents for Claim)

दांबे के लिए निम्नलिखित प्रपत्रों की आवश्यकता होती है:

- (i) चालक लाइसेंस
- (ii) पुलिस की रिपोर्ट
- (iii) चालक के पक्ष का विवरण
- (iv) मृत्यु प्रमाण पत्र
- (v) मेडिकल प्रमाणपत्र
- (vi) आयु, आय तथा मृतक के आश्रित लोगों की संख्या

# ■ बीमा व्यवसाय का विकास (Growth of Insurance Business)

में निजी बीमा कंपनियों का व्यवसाय ₹ 7.14 करोड़ से बढ़कर ₹ 27.950.7 करोड़ हो गई। जबकि सार्वजनिक बीमा कंपनीयों का बीमा व्यवसाय जो कि 2000-01 में ₹ 10.499.02 करोड़ था वह बढ़कर 2012-13 में ₹ 65,022.50 करोड़ हो गया। इसी अविध व्यवसाय ₹10.491.88 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में 37071.80 करोड़ हो गया। तालिका 1 व तालिका 2 में भारत में साधारण बीमा व्यवसाय का विकास दिखाया गया है। तालिका 1 दर्शाती है कि साधारण

निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों का व्यवसाय जो कि 2011-12 में ₹ 12,47,335 करोड़ था वह 2012-13 में बढ़कर ₹ 15,74,642 में बढ़कर ₹ 13,88,338 करोड़ हो गया। क्सेड़ हो गया। इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का व्यवसाय जो कि 2011-12 में ₹ 11,77,377 करोड़ था वह 2012-13 तालिका 2 में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों का विभिन्न खण्डों के अनुसार व्यवसाय दिखाती है। मोटर बीमा के क्षेत्र में

### (Insurance Intermediaries) अध्याय 6 वीमा मध्यस्थ

### ■ परिचय (Introduction)

करते हैं। बीमा मध्यस्य ऐसा व्यक्ति है जो कि बीमा पॉलिसी खरीदरने में सहायक होता है। बीमा मध्यस्य वे वैधानिक संस्थाएँ तथा व्यक्तित है जो बीमा कम्पनियों की ओर से बीमा अनुबंध प्रस्तुत करते हैं अथवा समान

है। बीमा मध्यस्थ संभावित बीमा करवाने वालों तथा बीमा कंपनियों के बीच की दूरी में पुल का काम करते हैं। बीमा मध्यस्थों को IRDA साधारणतया अधिकांश बीमा संबंधी लेन-देन मध्यस्थों के माध्यम से ही किया जाता है जिन्हें बीमा एजेंट अथवा बीमा दलाल कहा जात द्वारा लाइसंस दिया जाता है। बीमा एक जटिल अवधारणा है और समझने में कठिन है। बीमा में बीमाकर्ता बीमित को क्षतिपूर्ति करने का वायदा करता है।

नैगमिक बीमा एजेंट को भी IRDA द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। मध्यस्य उत्पाद के संपूर्ण जीवन काल में, विक्रय से लेकर दावे तक नियमन एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 2 वाक्य (f) में निर्धारित अर्थ से है। IRDA अधिनियम 1999 की धारा 2 (f) के अनुसार, मध्यस्य अथवा बीमा मध्यस्यों में बीमा दलाल, बीमा सलाहकार, सर्वेक्षक तथा हानि निर्धारक सिम्मिलित होते है। महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 2 (1013) के अनुसार मध्यस्य अथवा बीमा मध्यस्य का अभिप्राय वीमा इन पर बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमा एजेंट) नियमन 2002 द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। व्यक्तिगत तथ

# ■ बीमा एजेंट का अर्थ तथा परिभाषा (Meaning and Definition of Insurance Agent)

दोनों ही एजेंट होते हैं। बीमा में एजेंट संभावित बीमित को बीमा बेचते हैं। अतः उनमें विक्रेता की क्षमता होनी चाहिए। साधारणतया ऐसा प्राप्त करना पड़ता है। एजेंट उनसे संबंधित नियमों में दिए गए आचार संहिता द्वारा बाध्य होते हैं। बेचने के लिए उच्च कोटि की निपुणता होनी चाहिए। एजेंट तथा दलाल को जीवन बीमा तथा सामान्य बीमा के लिए IRDA से लाइसेस करता है। बीमा में बीमा मध्यस्यों का वर्णन बीमा दलाल तथा बीमा एजेंट के रूप में किया जा सकता है। परंतु एजेंसी के नियम के अनुसार कहा जा सकता है कि शब्दों में जीवन बीमा पॉलिसी बेचना सबसे कठिन कार्य है। सामान्य कथनों से यह प्रमाणित है कि बीमा पॉलिसी बीमा एजेंट पर लागू करने के लिए एजेंसी का कानून बहुत विस्तृत है। एजेंट ऐसा व्यक्ति है जो कि एक प्रधान का प्रतिनिधित

### परिभाषा (Defintions)

- 1. भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 182 के अनुसार, ''बीमा एजेंट वह व्यक्ति है जिसकी नियुक्ति किसी in dealings with third persons.") करता है।" ("An agent is a person employed to do any act for another or to represent another अन्य के लिए कोई कार्य करने अथवा तीसरे पक्षकार के साथ लेनदेन करने के लिए किसी अन्य का प्रतिनिधित
- बीमा अधिनियम 1938 की बारा 2 (10) के अनुसार, ''बीमा एजेंट का अभिप्राय धारा 42 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त बीमा एजेंट से है जो बीमा व्यवसाय को कमीशन अथवा अन्य परिश्रमिक के प्रतिफल में बीमा व्यवसाय जिसमें बीमा पॉलिसियों की निरंतरता, नवीकरण अथवा पुन: प्रवर्तन सम्मिलित है, को याचित करता है

क्षा मध्यका एजेंसी केसे बनती है (How Agency Arises) consideration of his soliciting or procuring insurance business including business 42 who agrees to receive payment by way of commission or other renovation in अथवा प्राप्त करता है।" ("Insurance agent means an insurance agent licensed under section relating to the continuance, renewal or revival of policies of insurance.")

एजेंसी के संबंध कई प्रकार से बनाए जा सकते हैं। वे निम्नलिखित हैं:

(1) समझीते द्वारा (By Agreement): संविदात्मक अथवा असंविदात्मक पक्षकार्य के व्यवहार एवं स्थितियों द्वारा व्यक्त अथवा गर्षित।

(2) अनुसमर्थन द्वारा (By Ratification): अनुसमर्थन एक दिए गए अनुदर्शी कार्य के लिए अधिकार दिए जाने की द्वारा किया जा सकता है। प्रक्रिया है। इसे समय से पूर्व दी जाने वाली स्वीकृति भी कहा जा सकता है। यह लिखित रूप में मीखिक अथवा आचरण

### ∎ एजेंट के अधिकार (Authority of Agents)

विभिन्न प्रकार के अधिकार जो कि एजेंट के हो सकते हैं वे निर्मालीखत है:

(1) वास्तविक अधिकार (Actual Authority): इसे गर्पित अधिकार भी कहा जाता है। यक्ष अधिकार प्रधान द्वारा दिया होते हैं जैसे कि प्रधान के व्यवहार द्वारा। जाता है कि वह उसकी ओर से कार्य कर सकता है। जबकि गर्षित वास्तविक अधिकार परिस्थितियों के अनुसार उत्पन

- (2) स्वष्ट अधिकार (Apparent Authority): इन्हें प्रत्यक्ष अधिकार भी कहा जाता है। स्वष्ट अधिकार एक ऐसी स्थिति पक्षकार के सामने यह दर्शांता है कि एजेंट उसकी ओर से बोल रहा है या कार्य कर रहा है तो प्रधान एजेंट द्वारा किए जाने दर्शाता है जिसमें एक सामान्य आदमी यह समझ जाएगा कि एजेंट को यह कार्य करने का अधिकार है। यदि प्रधान तृतीय वाले कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। इसका अर्थ यह है कि प्रधान व्यक्ति एजेंट द्वारा किए जाने वाले कार्यों से बाध्य है। यह एक ऐसा विबंधन उत्पन्न करता है जिसका अर्थ है कि प्रधान इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि एजेंट को कोई अधिकार है जबकि तृतीय पक्षकार प्रधान के व्यवहार द्वारा अनुमान लगा सकता है।
- (3) आवश्यकता के समय पर अधिकार (Authority of Necesity): इस अधिकार की उत्पत्ति आवश्यकता के समय पर होती है जैसे कि आपत्ति के समय जहाज मास्टर जहाज तथा सामान को बचाने के लिए जहाज के मालिक की ओर से प्राप्त हो जाता है। परंतु इसके लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं का होना अनिवार्य है: प्रयत्न करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आपातकाल में एजेंट को स्वतः ही प्रधान की ओर से कार्य करने का अधिकार
- (i) एजेंट द्वारा किया जाने वाला कार्य मालिक के हित में होना चाहिए
- (ii) प्रधान से सम्पर्क करना असम्भव हो।
- (iii) जो व्यक्ति एजेंट की तरह कार्य कर रहा हो वह उसके योग्य होना चाहिए।

प्राप्त न हो। जब एक व्यक्ति उस अधिकार का प्रयोग वरता है तब एनेट प्रथान को अनुबंधे से बाव्य करता है और शतिपूर्ति प्राप्त करने तथा प्रतिपूर्ति का हकदार होता है। अतः एक व्यक्ति आवश्यकता के समय पर एजेंट बन जाता है। यद्यपि उसे एजेंट की तरह कार्य करने के लिए गर्पित अधिकार

■ एजेंट के प्रधान के प्रति कर्तव्य (Duties owed by Agent to Principal) एक एजेंट के अपने प्रधान के प्रति निम्नलिखित कार्य होते हैं:

एक एजंट के अपन अधान का जारा (1) <mark>आज्ञाकारी तथा अपने दायरे में काम करना</mark> (Obedience and To Act within Scope): एजेंट खे प्राप्तिक काम अधिकारों की सीमा में रहकर कार्य करना। उसे प्रधान के <sub>विकार करना।</sub>

थ नार पर प्रतिनिधान (Delegation of Authority): एजेंटर तब तक किसी अन्य के अपने अधिकार प्राप्त न हो। रापुष्पर पान पाना कारा जाए... है। यदि वह अपने अधिकारों के बाहर कार्य करता है तो प्रधान उन अनुबंधों को स्वीकार करने से इंकार कर सकता है। कर्तव्य है प्रधान के प्रांत आशाकाय छात्रा राज्य अनुसार कार्य करना चाहिए। अन्यथा वह प्रधान द्वारा सहन की गई उस हानि के लिए उत्तरदायी होगा जो उसके <sup>प्रधानस्</sup>रू के 

(3) आवश्यक सावधानी एवं निष्ठता (Due Care and Diligence): कोई भी व्यक्ति पूर्णतया निपुण नक्षे हो स्थान परप्र ५५० ५०० ना हुन स्मान को एजेंट की लापरवाही के कारण कोई हानि उठानी पड़ती है तो एजेंट को उस होत्र क्षेत्र स दिखानी चाहिए। यदि प्रधान को एजेंट की लापरवाही के कारण कोई हानि उठानी पड़ती है तो एजेंट को उस होत्र क्षेत्र आवश्यक सावधाना रूप नाजाता. परंतु एक एजेंट को पूर्ण सावधानी तथा निष्ठता से कार्य करना चाहिए तथा अपने कर्तव्यों को निमाने में अपेक्षित निष्णत

(4) उत्तरदायित्व (Accountability): एजेंट को प्रत्येक राशि तथा खाते प्रधान के पास जमा करवाने चाहिए। उसे जितन

(5) केवल प्रधान के नाम से लेन-देन (Deals only in Principals Nume): एजेंट को तुलीय पक्षकारों के साथ केवल प्रधान के नाम से ही लेन-देन करना चाहिए। यदि उसे अपनी ओर से कोई लेन-देन करना है तो उसे प्रधान से पूर्व अनुप्ति जल्दी हो सके धनराशि प्रधान को देनी चाहिए। उसे अपनी एजेंसी से संबंधित पर्याप्त खाते अधित प्रकार से बनाने चाहिए।

(6) कठिनाई के समय पर सूचना देना तथा निर्देश प्राप्त करना (To Communicate and obtain Instructions यदि एजेंट इस स्थिति में नहीं है कि वह प्रधान से संपर्क कर सके और कोई आपित्रजनक स्थिति हो तो उसे प्रधान के हित in case of Difficulty): एजेंट का यह कर्तव्य होता है कि वह प्रधान के संपर्क में रहे तथा उससे निर्देश प्राप्त को

(7) कोई गुप्त लाभ नहीं (No Secret Profit): एक एजेंट को कोई गुप्त लाभ नहीं कमाना चाहिए। उसे अपने वेतन के

(8) एजेंसी के कार्व के दौरान प्राप्त सूचना का प्रधान के विरोध में प्रयोग न करना (Not to Use Information प्रधान के विरुद्ध नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो प्रधान द्वारा उस पर ऐसा करने के लिए प्रतिबंध लगाया जा Obtained in the Course of the Agency Against the Principal): एजेंट को किसी भी सुचना का प्रवोग

(9) प्रधान की मृत्यु अथवा पागल होने पर प्रधान के हित को सुरक्षित रखना (To Protect and Preserve the जाती है। उस समय से एजेंट का यह कर्तव्य होता है कि वह प्रधान के हिलों की रक्षा करे और उन्हें सुरक्षित रहे। Principal Interest on his Death or Insanity): प्रधान की मृत्यु अथवा पागल होने पर एजेंसी की समाप्ति हो

एनंट के अधिकार (Rights of an Agent)

**新** \* 图 \*\*

एक एजेंट के अधिकार निम्नीलीखत है:

तुर्क एका (1) प्रतिधारण का अधिकार (Right of Retention): एक एकेट को प्रधान की ओर से प्राप्त किए गए धन में से अपने द्वारा ठ्याय की गई राशि अपने पास रखने का अधिकार प्राप्त है। यह उस राशि में से अपनी कमीशन की राशि भी रख

(2) वेतन पाने का अधिकार (Right to Remuneration): एजेंट को अपनी सेवाओं के लिए वेतन प्राप्त करने का आन्ता किया जाना है। परंतु यदि एजेंट ने कोई गलत व्यवहार किया है तो वह व्यवसाय के उस भाग का वेदन पाने का हकता. अधिकार है। परंतु वह वेतन प्राप्त करने का हकदार तभी होगा जब वह उस कार्य को पूरा कर देगा जिसके लिए वेतन प्राप्त

(3) गहन का अधिकार (Right of Lien): एक एजेंट को प्रधान की संपत्ति पर विशेष गहन का अधिकार प्राप्त होता है। एजेंट को तब तक प्रधान की वस्तुओं, कागजों तथा अन्य संपत्ति को अपने पास रखने का अधिकार प्राप्त है जब तक उसे

(4) झितिपूर्ति पाने का अधिकार (Right to be Indemnified): एजेंट को प्रधान द्वारा उन सब परिणामों के लिए श्चतिपूर्ति का अधिकार प्राप्त है जो कि उसके द्वारा प्रथान के प्रतिनिध के रूप में किए गए वैधानिक कार्यों के कारण हुए हो।

(5) मुआवजा पाने का अधिकार (Right to Compensation): यदि प्रधान की किसी लागरवाही के करण एजेंट को कोई चोट लग जाती है तो उसे प्रधान द्वारा मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है।

■ एजेंट बनने की प्रक्रिया (Procedure For Becoming An Agent)

जाते हैं। बीमा कंपनी को एजेंट बनने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 42 एजेंट के लाइसेंस के लिए लागू होती है। भारत में IRDA द्वारा लाइसेंस निर्मात किए

(1) पूर्व अपेक्षाओं को पूरा करना (Satisfy the Pre-Requisites): एक व्यक्ति जो कि एजेंट बनना चाहता है उसे निम्नलिखित पूर्व अपेक्षाओं को पूरा करना थाहिए

उसे व्यस्क होना चाहिए अथवा उसे 18 वर्ष की आयु का अवश्य होना चाहिए।

(ii) उसका दिमाग स्वस्थ होना चाहिए।

(iii) जहाँ जनसंख्या 5,000 या इससे अधिक हो वहाँ उसे कक्षा बारहवी पास होना चाहिए अथवा इसके समान ही कोई पास अथवा इसके समान कोई परीक्षा पास होना चाहिए। परीक्षा पास की होनी चाहिए और जहाँ जनसंख्या पिछली जनगणना के अनुसार 5,000 से कम हो वहाँ उसे 10 थी

(iv) वह विश्वासमात करने, भोखा देने, भोरी करने अथवा कोई अपराध करने की कोशिश करने का अपराधी न उहराया

42 (4) के तहत दिया जाने वाला लाइसेन्स रोक सकती है। अयोग्यताएँ (Disqualification): निम्नलिखित किसी भी परिस्थित में IRDA भीमा अधिनयम 1938 भी भाग

(i) यदि व्यक्ति अवयस्क हो।

(ii) यदि अदालत में न्यायाधीश द्वारा वह अस्वस्थ मिस्तिष्क बाला व्यक्ति घोषत किया गया हो।

(1) आज्ञाकारी तथा अपने दायरे में काम करना (Obedience and To Act within Scope): एवंट क्ष प्राथित अपने दायरे में काम करना (Obedience and To Act within Scope): एवंट क्ष प्राथित है। यदि वह अपने अधिकारों के बाहर कार्य करता है तो प्रधान उन अनुबंधों को स्वीकार करने से इंकार कर सकता है। कतेच्य है प्रधान के भारा आसापार पास स्थान द्वारा सहने की गई उस हानि के लिए उत्तरदायी होगा जो उसके क्या अनुसार कार्य करने चाहिए। अन्यथा वह प्रधान द्वारा सहने की गई उस हानि के लिए उत्तरदायी होगा जो उसके क्या है। आज्ञाकारा तथा अपन दाचर न कार्याकारी होना तथा अपने अधिकारों की सीमा में रहकर कार्य करना। उसे प्रधान के रिशानिका कर्तव्य है प्रधान के प्रति आज्ञाकारी होना तथा अपने अधिकारों की सीमा में रहकर कार्य करना। उसे प्रधान के रिशानिका

(2) अधिकारों का प्रतिनिधान (Delegation of Authority): एजेंटर तब तक किसी अन्य के अपने अधिका ए उत्तरदायित्वों का प्रतिनिधान नहीं कर सकता जब तक प्रतिनिधान करने का अधिकार प्राप्त न हो।

(3) आवश्यक सावधानी एवं निष्ठता (Due Care and Diligence): कोई भी व्यक्ति पूर्णतया निपुण नहीं से सकत दिखानी चाहिए। यदि प्रधान को एजेंट की लापरवाही के कारण कोई हानि उठानी पड़ती है तो एजेंट को उस हानि के परंतु एक एजेंट को पूर्ण सावधानी तथा निष्ठता से कार्य करना चाहिए तथा अपने कर्तव्यों को निमाने में अपेक्षित निमुण्त श्रतिपूर्ति करनी होगी।

(4) उत्तरदायित्व (Accountability): एजेंट को प्रत्येक गशि तथा खाते प्रधान के पास जमा करवाने चाहिए। उसे जितन जल्दी हो सके धनराशि प्रधान को देनी चाहिए। उसे अपनी एजेंसी से संबंधित पर्याप्त खाते उचित प्रकार से बनाने <sub>चाहिए।</sub>

(5) केवल प्रधान के नाम से लेन-देन (Deals only in Principals Name): एजेंट को तृतीय पक्षकारों के साथ केतत प्रधान के नाम से ही लेन-देन करना चाहिए। यदि उसे अपनी ओर से कोई लेन-देन करना है तो उसे प्रधान से पूर्व अनुमति

(6) कितनाई के समय पर सूचना देना तथा निर्देश प्राप्त करना (To Communicate and obtain Instructions की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाना चाहिए। यदि एजेंट इस स्थिति में नहीं है कि वह प्रधान से संपर्क कर सके और कोई आपत्तिजनक स्थिति हो तो उसे प्रधान के हित in case of Difficulty): एजेंट का यह कर्तव्य होता है कि वह प्रधान के संपर्क में रहे तथा उससे निर्देश प्राप्त को

(7) कोई गुप्त लाभ नहीं (No Secret Profit): एक एजेंट को कोई गुप्त लाभ नहीं कमाना चाहिए। उसे अपने बेतन के अतिरिक्त कोई लाभ नहीं कमाना चाहिए।

(8) एजेंसी के कार्य के दौरान प्राप्त सूचना का प्रधान के विरोध में प्रयोग न करना (Not to Use Information प्रधान के विरुद्ध नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो प्रधान द्वारा उस पर ऐसा करने के लिए प्रतिबंध लगाया जा Obtained in the Course of the Agency Against the Principal): एजेंट को किसी भी सूचना का प्रयोग

(9) प्रधान की मृत्यु अथवा पागल होने पर प्रधान के हित को सुरक्षित रखना (To Protect and Preserve the जाती है। उस समय से एजेंट का यह कर्तव्य होता है कि वह प्रधान के हितों की रक्षा करे और उन्हें सुरक्षित रखे Principal Interest on his Death or Insanity): प्रधान की मृत्यु अथवा पागल होने पर एजेंसी की समाप्ति हो

をなった。

एक प्रतिधारण का अधिकार (Right of Retention): एक एजेंट को प्रथान की ओर से प्राप्त किए गए बन में से अपने सकता है। द्वारा ठ्यम की गई राशि अपने पास रखने का अधिकार प्राप्त है। वह उस ग्रांश में से अपनी कमीशन की ग्रांश थे रख

(2) वेतन पाने का अधिकार (Right to Remuneration): एजेंट को अपनी सेवाओं के लिए वेतन प्राप्त करने अधिकार है। परंतु वह वेतन प्राप्त करने का हकदार तभी होगा जब वह उस कार्य को पूरा कर देगा जिसके लिए वेतन प्राप्त किया जाना है। परंतु यदि एजेंट ने कोई गलत व्यवहार किया है तो वह व्यवसाय के उस भाग का बेतन भाने का इक्ट्रार

(3) गहन का अधिकार (Right of Lien): एक एजेंट के प्रधान की संपत्ति पर विशेष गहन का अधिकार प्राप्त होता है। देने वाली राशि का पुगतान प्रधान ने न किया हो। एजेंट को तब तक प्रधान की वस्तुओं, कागर्जे तथा अन्य संपत्ति को अपने पास रखने का अधिकार प्राप्त है जब तक उसे

(4) क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार (Right to be Indemnified): एवेंट के प्रधान द्वारा उन सब परिणामों के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार प्राप्त है जो कि उसके द्वारा प्रधान के प्रतिनिधि के रूप में किए गए वैद्यानिक कार्यों के कारण हुए हो।

(5) पुआवजा पाने का अधिकार (Right to Compensation): यदि प्रथान की किसी लाभवाही के कारण एवंट को कोई चोट लग जाती है तो उसे प्रधान द्वारा मुआवना प्राप्त करने का अधिकार है।

■ एजेंट बनने की प्रक्रिया (Procedure For Becoming An Agent)

जाते हैं। बीमा कंपनी को एजेंट बनने के लिए निम्निलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। बीमा अधिनियम 1938 की थाए 42 एजेंट के लाइसेंस के लिए लागू होती है। मारत में IRDA द्वाए लाइसेंस निर्गीमत किए

(1) पूर्व अपेक्षाओं को पूरा करना (Satisfy the Pre-Requisites): एक व्यक्ति जो कि एजेंट बनना चाहता है उसे निम्नलिखित पूर्व अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए:

उसे व्यस्क होना चाहिए अथवा उसे 18 वर्ष की आयु का अवश्य होना चाहिए

(ii) उसका दिमाग स्वस्य होना चाहिए

(iii) जहाँ जनसंख्या 5,000 या इससे अधिक हो वहाँ उसे कक्षा बारहवीं पास होना चाहिए अथवा इसके समान ही कोई परीक्षा पास की होनी चाहिए और जहाँ जनसंख्या पिछली जनगणना के अनुसार 5,000 से कम हो वहाँ उसे 10 वीं पास अथवा इसके समान कोई परीक्षा पास होना चाहिए।

(iv) वह विश्वासघात करने, घोखा देने, चोरी करने अथवा कोई अपराघ करने की कोशिश करने का अपराधी न उहराया

अयोग्यताएँ (Disqualification): निर्मालीखत किसी भी परिस्थित में IRDA बीमा अधिनयम 1938 की धार 42 (4) के तहत दिया जाने वाला लाइसेन्स ऐक सकती है।

(i) यदि व्यक्ति अवयस्क हो।

(ii) यदि अदालत में न्यायाधीश द्वारा वह अस्वस्थ मितिष्क वाला व्यक्ति घोषत किया गया हो।

- यदि वह आपराधिक अपयोजन अथवा आपराधिक विश्वासद्यात अथवा घोखाधडी अथवा दुरुत्साहन का अपराधी घोषित किया जा चुका हो। यदि उसे सजा मिले हुए 5 वर्ष हो चुके हो तो उस पर यह शर्त लागू नहीं होती
- भाद उस करणा स्थापन के विरुद्ध किसी घोखें, बेईमानी अथवा मिथ्यावर्णन का दोक्षी पाया गया हो का ग्रेस (iv) यदि वह बीमाकर्ता अथवा बीमित के विरुद्ध किसी घोखें, बेईमानी अथवा मिथ्यावर्णन का दोक्षी पाया गया हो का ग्रेस
- (v) उसके पास अपेक्षित योग्यता तथा प्रशिक्षण न हो जो कि 12 महीने से अधिक का होना चाहिए।
- (v) कपनी अथवा फर्म की दशा में यदि साझेदारों अथवा संचालकों अथवा अधिकृत अफसरों के पास अपेक्षित को पता (vi) तथा प्रयोगात्मक प्रशिक्षण न हो।
- (2) प्रपत्नों सहित फॉर्म जमा करना (Submission of Form Along with Documents): जो व्यक्ति एवेर कन्त्र चाहता है उसे इसका अपेक्षित फार्म भर कर निम्निलिखित प्रपत्रों के साथ कंपनी में जमा करना चाहिए।
- उच्चतम योग्यता का प्रमाण
- (ii) आयु का प्रमाण;
- (iii) पहचान का प्रमाण;

(iv) पते का प्रमाण;

- (v) ₹ 250 का अपेक्षित शुल्क
- (3) प्रशिक्षण (Training): उसके पश्चात् कंपनी एक विशेष पंजीकरण नंबर निर्गमित करेगी तथा 50 घण्टों का प्रशिक्षण कराने की व्यवस्था करेगी। व्यक्ति को कुल ₹ 350 शुल्क के तौर पर जमा करवाने होंगे। इसमें ₹ 100 का शुल्क विशेष पंजीकरण नंबर तथा ₹ 250 IRDA के शुल्क के लिए हैं। उसे जीवन बीमा तथा सामान्य बीमा व्यवसाय के लिए 50 घण्टे का प्रशिक्षण लेना होगा तभी उसे प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मिलेगा।

सामान्य बीमा व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। मिश्रित एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए आवेदक की मान्यता प्राप्त संस्था से कम से कम 75 घंटे का जीवन बीम औ

(4) परीक्षा (Examination): बीमा एजेंट नियंत्रण अधिनियम 2000 के नियमनों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कि एके का लाइसेंस प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो उसे भर्ती से पूर्व जीवन अथवा सामान्य व्यवसाय की परीक्षा पास कर्ती होगी जो कि IRDA द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा आयोजित हो। परीक्षा को सफलता पूर्वक पास करने पर IRDA प्रमाणपत्र जारी करेगा तथ तब आवेदक एक एजेंट के रूप में मान्य होगा और अपना व्यवसाय आरंभ कर सकता है।

# ■ लाइसेंस की अवधि तथा नवीनीकरण (Duration of License and Renewal of Licence)

बीमा अथवा सामान्य बीमा अथवा मिश्रित एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है। IRDA द्वारा निर्गीमत किया गया लाइसेन्स निर्गमन की तिथि से 3 वर्ष जारी रह सकता है। निर्गमन की तिथि से व्यक्ति जोवन

एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करके निम्नलिखित प्रकार से लाइसेन्स का नवीनीकरण करवाया जा सकता है:

- (1) यदि आवेदन लाइसेंस अवधि समाप्त होने के 30 दिन पहले किया गया हो तो ₹ 125 का शुल्क देकत
- (2) यदि आवेदन लाइसेंस की समाप्ति की तिथि से 30 दिन पहले एवं समाप्ति की तिथि के मध्य किया जाता है तो ₹ 225 का शुल्क देव होगा

वाराणातणा विष् गए कारणों से संतुष्ट हो तो वे लाइसेंस का नवीनीकरण कर सकते हैं। वर्ष एकेंट द्वारा दिए गए कारणों से संतुष्ट हो तो वे लाइसेंस का नवीनीकरण कर सकते हैं। ार्थ यदि आवेदन लाइसेंस के समाप्त होने की तिथि तथा एक वर्ष बाद तक किया जाता है तो र 875 का गुल्क देव होगा। (3) माहसेंस की समाप्ति की तिथि के बाद किए गए नवीनीकरण आवेदन को उनके ्तर आ । । विर आ । । । विषय के बाद किए गए नवीनीकरण आवेदन के अस्वीकृत कर दिया जाता है। परंतु यदि सार्वाणितया लाइसेंस की समाप्ति से संतुष्ट हो तो वे लाइसेंस का नवीनीकरण कर मन्ने के । The specimen of application for new/renewal of license is as follows: APPLICATION FOR A LICENCE/RENEWAL OF LICENCE TO ACT AS AN INSURANCE AGENT

121

5

NEW DELHI DEPARTMENT OF LICENSING, THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

DEAR SIRS,

I request that.....

(a) a licence to act as an insurance agent\*/a composite insurance agent\* may be granted to

(b) \*my licence bearing number.....and expiry date.... further period of three years. ..... may be renewed for a

2 I hereby declare that particulars given below are true and that the licence for which I apply will be used only by myself for soliciting or procuring insurance business for one life insurer\*/one general insurer\*/both\*.

(1) Name:....

(2) Father's/Husband's Name.....

(3) Full Address:

House No .: Street:

Town:

District:

State:

Pin Code:

Telephone No.:

(STD Code -- Number):

- (4) Date of Birth: Day-Month-Year
- (5) Title: State 1 if are Mr., 2 Mrs., 3 Miss:
- (6) If you ever held a Licence, state No. and date of expiry, otherwise say "Nij-
- (a) Licence Number:
- (b) Date of Expiry: Day-Month-Year
- (7) If you apply for licence to work for a life insurer, state 1, for a general insurer, state 2
- 8 If you are an applicant from a rural place, state 1, in the box
- 9 Educational Qualifications

State 1, if you passed Class X; 2: Class XII; 3: Graduate; 4: Post-graduate; 5: if you hold a professional qualification such as ACA, FASI, AICWA;

- (10) Give particulars of pass in pre-recruitment test conducted by the Insurance Institute of India or any examination body:
- Name of Examination Body:
- (b) Candidate's Number:
- (c) Centre of Examination:
- Date of Passing:

(Day-Month-Year)

- (11) Give particulars of Practical Training completed from an approved institution.
- Training Hours completed:
- Name of Training Institute:
- Candidate's Number:
- Centre (Place) of Training:
- Starting Date of Training:

(Day-Month-Year)

- 3. I further declare that.....
- (a) I have not been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction;
- (b) I have not been found guilty of criminal misappropriation or criminal breach of trust court of competent jurisdiction; or cheating or forgery or an abetment of or attempt to commit any such offence by a

(c) I have not been found guilty of or to have knowingly participant in or commissed at course of any judicial proceeding relating to any placy of incomment of the winding insurer; and any traud, dishumestly or misrepresentation against an insured or an insured in the up of an insurance company or in the course of an investigation of the affairs of an

(d) #1 have not violated the code of conduct specified under Regulation 8 of Insurance Regulations, 2000). Regulatory and Development Authority (Licensing of Insurance Agents)

4. I have made the payment of licence fee of rupees two hundred and fifty and for which I

enclose the documentary evidence.

5. I enclose the following documents in support of the educational qualification pre-recruitment test, and the practical training

(a)..... Yours faithfully

Place

Signature of applicant

Date: (\*Strike out portion not required.)

(# not applicable to the applicants seeking licence for the first time.)

लाइसेंस के विना कार्य करने पर जुपीना (Penalty for Working Without Licence)

हं सकती है। जो बीमाकर्ता इस प्रकार किसी व्यक्ति को कार्य करने की अनुमान देता है उस पर भी कुमीन होगा। बुमीन की प्रवेषक, सीचव अथवा अन्य अधिकारियों पर जो भी इस उल्लंघन में सीम्मलित है, जुर्मना लगाया जाएगा और जुर्मने की ग्रीक ॥ 7 1,000 तक हो सकती है। यदि कोई कंपनी अथवा फर्म बिना लाइसेंस के कार्य करती है तो प्रत्येक साईदार, संचालक र 5,000 तक हो सकती है। ग्रीर कोई व्यक्ति वैध लाइमेंस के बिना एवंट का कार्य काता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और यह ग्रीत है 500 तक

• अनुलिपि लाइसेंस

है। इसके लिए एक निर्धारित शुल्क, जो कि ₹ 50 से अधिक नहीं हो सकता, का पुगतान करना होगा। यदि लाइसेंस खो जाता है, नष्ट हो जाता है या विकृत हो जाता है तो IRDA द्वार अनुलिए लाइसेंस निर्मापत किया जा सकता

■ लाइसेंस को रह/समाप्त/स्थगन/प्रतिसंहरण करना

(Cancellation, Suspension/Termination/Revocation of Licence)

बी <mark>बारा</mark> 42 (4) में दिए गए अयोग्यता के कारणों में से किसी भी कारण अयोग्य घोषित हो जाता है तो अधिकृत व्यक्ति उसका लाइसेंस रद्ध कर सकता है तथा उससे लाइसेंस तथा पहचान कार्ड वापिस ले सकता है। IRDA के नियमन 2000 की धारा 9 के अनुसार यदि कोई एजेंट लाइसेंस की वैघ अवधि के टौरान बीमा अधिनयम, 1938

निर्नालिखित परिस्थितियों में एक एजेंसी समाप्त की जा सकती है:

- निर्मालाखत भावरणाया । (1) यदि यह साबित हो जाए कि एजेंट ने अपनी आयु के झूढे प्रमाण पत्र दिए थे और वह अभी 18 वर्ष का नहीं हुआ है।
- (1) थार नह स्मान्य हो जाए कि उसने आवश्यकतानुसार 10 वीं अथवा 12 वीं कक्षा की परीक्षा पास नहीं को है।
- (3) यदि वह अस्वस्य मस्तिष्क वाला व्यक्ति हो जाता है।
- (4) यदि उसने कोई घोखा किया हो।
- (4) भार २००१ सन्तर । (5) यदि वह किसी न्यायालय द्वारा अपराधिक गबन अथवा विश्वासघात अथवा जालसाजी का अपराधी घोषित किसा गवा है। और 5 वर्ष का समय समाप्त न हुआ हो।
- (6) यदि उसने आचरण संहिता का उल्लंघन किया हो।
- (7) यदि एजेंट की मृत्यु हो गई हो अथवा वह कार्य करने योग्य न रहा हो।
- (8) यदि वह बीमा एजेंट के रूप में अपना कार्य करने में असफल रहा हो।
- (9) यदि वह इस प्रकार कार्य करता है जो कि बीमाकर्ता अथवा पॉलिसी धारक के हितों के विरुद्ध हो।
- (10) यदि वह कमीशन पर अथवा कमीशन के किसी भाग पर छूट का प्रस्ताव दे रहा हो
- (11) यदि उसके द्वारा एजेंट के रूप में दी गई किसी प्रस्ताव की रिपोर्ट झूठी हो।
- (12) यदि एजेंट नए व्यवसाय का न्यूनतम कोटा प्राप्त करने में असफल रहा हो
- (13) यदि एजेंट निर्घारित समय अविध में अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराने में असमर्थ रहता है।
- (14) यदि किसी न्यायालय द्वारा एजेंट को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो बीमा कंपनी एजेंट को तुरन्त निलंबित कर कर दी जाएगी। सकती है। यदि न्यायालय द्वारा उसे मुक्त कर दिया जाता है तो एजेंट को तुरंत बहाल कर दिया जाएगा। परंतु यदि उसे अ एजेंसी वर्ष के 2 वर्षों के अन्दर मुक्त नहीं किया जाता जिसमें उसे दिवालिया घोषित किया गया था तो उसकी नियुक्ति ह

### ■ आचार संहिता (Code of Conduct)

आचार संहिता 3 मुख्य बिन्दुओं में विभाजित की गई है। ये हैं: एजेंटों के लिए आचार-संहिता आई॰आर॰डी॰ए॰ (बीमा एजेंटों का लाइसेंस) नियमन 2000 की धारा 8 के अंतर्गत दिए गए है।

### I. प्रत्येक बीमा एजंट

- ऐजेंट को स्वयं एवं उसको नियुक्त करने वाली कंपनी की पहचान बनानी चाहिए।
- उसे भावी बीमित को उसके माँगने पर अपना लाइसेंस दिखाना चाहिए।
- उसे भावी बीमित को अपनी बीमा कंपनी के विभिन्न उत्पादों अथवा पॉलिसियों के बारे में बताना चाहिए तथा भावी बीमित की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक विशिष्ट बीमा पॉलिसी समझानी चाहिए।
- यदि भावी बीमित द्वारा पूछा जाता है तो उसे उस पॉलिसी से संबंधित अपनी कमीशन के बारे में बताना चाहिए।
- 5. उसे बीमा कंपनी द्वारा उस विशिष्ट बीमा पॉलिसी के लिए जाने वाले प्रीमियम के बारे में बताना चाहिए जो उसे विक्री के लिए प्रस्तावित है।

्राय असे प्रस्ताव फॉर्म में दी जाने वाली सूचना की प्रकृति के बारे में बताना चाहिए तथा प्रस्ताव फॉर्म में महत्त्वपूर्ण सूचना को हैं जैसे महत्ता भी बतानी चाहिए। बताने की महता भी बतानी चाहिए।

बणः उसे बीमाकर्ता को भावी बीमित की विपरीत आदतों एवं आय पिन्नता के बोरे में बताना चाहिए। उसे बीमाकर्ता को वे सभी उसे बीमाकर्ता को पदान करनी चाहिए जो कि बीमाकर्ता टाग प्राचनन के की उस बाना महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ प्रदान करनी चाहिए जो कि बीमाकर्ता द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करने में प्रभावित कर सकती है।

हैं उसे भावी बीमित को बीमाकर्ता द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार होने की सूचना तुरंत देनी चाहिए।

ाठ. उसे पॉलिसीघारक अथवा दावेदार अथवा उत्तराधिकारी की दावों के निपटारे से संबंधित आवश्यकताओं को पूर्व करने में 10. उसे नाहिए। दस्तावेज भी इकड़े करने चाहिए।

ा। उसे सभी पॉलिसीधारकों को सलाह देनी चाहिए के वे पॉलिसी पर नामंकन अथवा निर्देशकरण अथवा पते में बदलाव अथवा विकल्पों में से चुनाव को दर्ज कराएं तथा उन्हें इससे संबंधित सहायता प्रदान करनी चाहिए। मदद करनी चाहिए।

इनकी ऐजेंट के कार्य भी कहा जाता है।

 II. किसी भी एजेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए-बिना लाइसेंस के बीमा व्यवसाय को माँगना अथवा प्राप्त करना।

प्रस्ताव फॉर्म में महत्त्वपूर्ण सूचना छुपाने के लिए भावी बीमित को प्रेरित करना

भावी बीमित को प्रस्ताव फॉर्म पर गलत सूचना देने अथवा गलत दस्तावेज देने के लिए प्रेरित करना।

4. भावी बीमित के साथ अभद्र व्यवहार करना

5. दूसरे एजेंट के द्वारा किसी प्रस्ताव में दखलअंदाजी करना

बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी में दी गई दरों, लामों, शतों से मिन दरें, लाम एवं शतें बताना

7. एक बीमा अनुबंध के अंतर्गत उत्तराधिकारी से हिस्सा माँगना अथवा प्राप्त करना

, पॉलिसीघारक पर वर्तमान पॉलिसी को रद् करने के लिए दबाव डालना तथा उसे निरस्तीकरण के 3 वर्षों के भीतर नए प्रस्ताव फॉर्म को भरवाना।

यदि कॉरपोरेट एजेंट का बीमा व्यवसाय पोर्टफोलियो है तो उसमें एक ही ग्रुप के विभिन्न संगठनें से प्राप्त प्रीमियम का

कुल प्रीमियम में से 50% से अधिक होना।

10. यदि प्राधिकरण द्वारा पहले उसका लाइसेन्स निरस्त किया गया था और लाइसेन्स रह हुए 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व नए लाइसेंस के लिए आवेदन देना।

किसी बीमा कंपनी का संचालक बनना अथवा बने रहना। इनको के अनुचित व्यापार कार्य प्रणाली भी कहा जाता है।

सभी बीमा एजेंटों को प्रयास करना जान्य राज्य । कि उनके द्वारा किए गए व्यवसाय को संरक्षित किया जा सके। इसके लिए उन्हें नोटिस लिखित अथवा मौखिक रूप से दिया जा सकता है III. सभी बीमा एजेंटों को प्रयास करना चाहिए III. सभी बीमा एजेंटों को प्रथास करना लाहिए कि निश्चित समय में पॉलिसीधारकों द्वारा प्रीमियम की राशि जमा करवा दी आ सभी बीमा एजेंटों को प्रयास करना चाहिए कि निश्चित समय में पॉलिसीधारकों द्वारा प्रीमियम की राशि जमा करवा दी आ करना सके। इसके लिए उन्हें नीटिस लिखित अथवा मौखिक रूप से दिया का सके। इसके लिए उन्हें नीटिस लिखित अथवा मौखिक रूप से दिया का सके। इसके लिए उन्हें नीटिस लिखित अथवा मौखिक रूप से दिया का सके। इसके लिए उन्हें नीटिस लिखित अथवा मौखिक रूप से दिया का स्वार्थ के स्वार्थ

### ■ निगमित अभिकर्ता (Corporate Agents)

मेंत आभकता (८००) हुए स्थापन २००२ की धार्य के 2 के अनुसार "निगमित अभिकर्ता का लाइसेंस) नियमन २००२ की धार्य के 2 के अनुसार "निगमित अभिकर्ता का अपकर कार्य करने का लाइसेंस प्राप्त हो।

- is specifically approved by the Authority.") with RBI or any other institution or organisation which on an application to the Authority the co-operative societies Act, 1912 or a Non Banking Financial Company registered co-operative societies Act, 1912 or a Panchayat or a local authority or a Non-Governmental organisation or a micro lending finance organisation covered under 1976 or a co-operative society including a co-operative bank, registered under the 3 of the Regional Rural Banks, established under sec. 3 of the Regional rural Banks Act sec. 5 of the Banking Companies Act, 1949 or a regional rural bank established under sec. 2 of the Act or a corresponding new bank as defined in clause (d(a)) of sub section (1) of under the companies Act, 1956 or a banking company as defined in clause (4A) of Section 1912 क प्रष्टा छ न्या मान्यता प्राप्त हो।" ("Person means a firm or a company formed संगठन जो कि अधिकारी वर्ग द्वारा मान्यता प्राप्त हो।" ("Person means a firm or a company formed अथवा एक गर-सरकार कार्या है। अथवा गैर बैंकिंग वितीय कंपनी जिसका RBI में पंजीकरण हो अथवा अन्य कोई संस्था अथवा 1912 के तहत हो अथवा गैर बैंकिंग वितीय कंपनी जिसका RBI में पंजीकरण हो अथवा अन्य कोई संस्था अथवा अथवा सहकारी सामात आधानपन, ४८८० अथवा एक गैर-सरकारी संगठन अथवा एक समस्टि वित्तीय ऋण देने वाली संस्था जो कि सहकारी समिति अधिनका अथवा एक गैर-सरकारी संगठन अथवा एक समस्टि वित्तीय ऋण देने वाली संस्था जो कि सहकारी समिति अधिनका गया है अथवा बात्राप आपान सामार है के तहत रजिस्टर्ड एक सहकारी समिति जिसमें सहकारी बैंक भी समिति। अथवा सहकारी समिति अधिनियम, 1912 के तहत रजिस्टर्ड एक सहकारी समिति जिसमें सहकारी बैंक भी समितित। अथवा सहकारी समिति अधिनियम, 1912 के तहत रजिस्टर्ड एक सहकारी समिति जिसमें सहकारी बैंक भी समितित। एक नया बैंक जेंसा कि बाकु<u>र प्रकार का स्व</u> गया है अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित किया गया क्षेत्रीय ग्रामीण के गया है अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित किया गया क्षेत्रीय ग्रामीण के स्थापित की गई हा, अथवा जाजात. एक नया बैंक जैसा कि बैंक<u>िंग कंपनी अधिनियम 1949</u> की घारा 5 की उपघारा (1) के खण्ड (d(a)) में परिभारित किया एक नया बैंक जैसा कि बैंकिंग <u>कंपनी अधिनयम</u> 1976 की घारा 3 के अन्तर्गत स्थापित किया गया क्षेत्रेत्र जाती किया धार्य 2 के खण्ड (K) के अनुसार, जार के खण्ड (4A) में परिभाषित एक बैकिंग कंपनी अथवा इसके क्षार स्थापित की गई हो, अथवा अधिनियम की धार्य 2 के खण्ड (4A) में परिभाषित एक बैकिंग कंपनी अथवा इसके क्षोंका स्थापित की गई हो, अथवा अधिनियम की धार्य 2 के खण्ड (4A) में परिभाषित एक बैकिंग कंपनी अथवा इसके क्षोंका खण्ड (K) न राजन ("Corporate agent means any person specified in clause (K) and licensed to act as such ")
- नियमनें की धारा 2 के खण्ड (e) के अनुसार, "मिश्रित निगमित अभिकर्ता का अर्थ है एक निगमित अभिकर्ता जिसके for a life insurer and a general insurer.") corporate agent means a corporate agent who holds a licence to act as an insurance agent पास जीवन बीमाकर्ता तथा सामान्य बीमाकर्ता के एजेंट के रूप में कार्य करने का लाइसेंस हैं।" ("Composic

# लाइसेंस निर्गीमत अथवा नवीकृत करना (धारा 3)(Issue or Renewal of Licence)

- एक व्यक्ति जो निगमित अभिकर्ता अथवा मिश्रित निगमित अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिएि लाइसेंस प्राप्त कता चाहता है अथवा नवीकृत करवाना चाहता है उसे निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी
- (i) आवेदक को एक निर्धारित फॉर्म द्वारा एक अधिकृत व्यक्ति को आवेदन देना होगा। यदि आवेदक की मिश्रत निर्णाल एजेंट बनने की इच्छा है तो उसे दो पृथक आवेदन देने होंगे।

 (ii) के पुगतान के प्रमाण के साथ आवेदन प्राप्त करने के बाद अधिकृत व्यक्ति लाइसेंस निर्णित करेगा अथवा
 शुल्क के पुगता। यदि उसे निम्निलिखत से संबंधित संतुष्टि हो जाए: (ii) वह नियमन 7 में निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान भी करेगा। शुरूप नवीकृत करेगा। यदि उसे निर्मालिखित से संबंधित संतुष्टि हो जाए:

(i) आवेदक के पास निर्दिष्ट योग्यता है।

(ii) उसने निर्दिष्ट प्रयोगात्मक प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

(iii) उसने निर्देष्ट परीक्षा पास की है।

(iv) उसके पास बीमा व्यवसाय को चलाने के लिए अपेक्षित ज्ञान है तथा

अवेदन प्राप्त करने के तीन महीने के भीतर लाइसेंस निर्गीमत किया जाएगा अथवा नवीकृत किया जाएगा। ें विदेश विदार करने में देरी होने की संभावना हो तो अधिकृत व्यक्ति आवेदक को इस देरी की तथा कितना समय 4. विदेश विदार करने में देरी होने की संभावना हो तो अधिकृत व्यक्ति आवेदक को इस देरी की तथा कितना समय (v) पॉलिसी धारकों को अनिवार्य सेवाएँ प्रदान करने के योग्य है।

 वदि लाइसेंस का निर्गमन अथवा नवीनीकरण अस्वीकृत हो गया हो तो इसकी सूचना भी अधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदक लोगा इसकी सूचना 60 दिनों के भीतर आवेदक को देगा।

को दी जाएगी।

) योग्यता (Qualification) ". 1. साझेदारी प्रपत्र अथवा निगमित संस्था के पार्षद सीमानियम में बीमा व्यवसाय का निवेदन अथवा प्राप्ति मुख्य उद्देश्य

2. जहाँ पिछली जनगणना के अनुसार जनसंख्या 5,000 या इससे अधिक हो वहाँ निगमित बीमा अधिकारी को कम से कम 12 वीं पास होना चाहिए और जहाँ जनसंख्या 5,000 से कम हो वहाँ कम से कम 10 वीं पास होना चाहिए।

 कार्यकारी व्यक्ति तथा निर्दिष्ट व्यक्तियों में अधिनियम की घारा 42 D में निर्दिष्ट अयोग्यताओं में से कोई अयोग्यता नहीं होनी चाहिए।

### 🏿 प्रयोगात्मक प्रशिक्षण (Practical Training)

 जब आवेदक पहली बार निर्गीमित एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना चाहता हो तो उसे एक मान्यता जीवन बीमा अथवा सामान्य बीमा व्यवसाय के लिए होता है। प्राप्त संस्था द्वारा कम से कम सौ घण्टे का प्रशिक्षण पूरा करना होगा जो कि तीन या चार सप्ताह तक होता है। यह प्रशिक्षण

सप्ताह तक पूरा होता है। यदि वह मिश्रित निगमित एजेंट के रूप में कार्य करना चाहता है तो उसे 75 घण्टे का प्रशिक्षण लेना होगा जो कि 6 से 8

- 2. निम्नलिखित निगमित बीमा कार्यकर्ताओं को 50 घण्टे का प्रशिक्षण पूर्व करना पड़ता है।
- (i) भारतीय बीमा संस्था मुम्बई के सहचारी/सदस्य।
- (ii) भारतीय चार्टर एकाऊंटेट संस्था नई दिल्ली के सहचारी/सदस्य।
- (iii) इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाऊंटेन्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली के सहचारी/सदस्य।
- (iv) एक्चूरियल सोसाइटी ऑफ इंडिया, मुम्बई के सहचारी/सदस्य।

129

अर्जनिय लाइसेंस निर्मित करना (Issue of Duplicate Licence)

आवार सहिता (Code of Conduct) अर्जनाप राज्य अर्जनाष्ट्रसंस खो गया हो, नष्ट हो गया अथवा विकृत हो गया हो तो ₹ 50 का पुगतान किए जाने पर अधिकृत व्यक्ति द्वारा विद् लाष्ट्रसंस किया जाता है।

। प्रत्येक निगमित एजेंटः अपने निगमित बीमा कर्मचारी तथा प्रत्येक अधिकृत व्यक्ति की सभी अनाचरण तथा बुटियों के लिए उत्तादावी 雪

(ii) यह सुनिश्चित करेगा कि निर्गामत बीमा कार्यकारी तथा सभी निर्देष्ट व्यक्ति पूर्णतया प्रशिक्षित, निपुण तथा बीम उत्पादों की पूर्ण जानकारी रखते हैं।

(iii) यह सुनिश्चित करेगा कि निर्गामत बीमा कर्मचारी तथा निर्दिष्ट व्यक्ति ने पॉलिसी के हितों एवं लामों का कोई गलत वर्णन नहीं किया है।

(iv) यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी बीमा उत्पाद खरीदने के लिए बाब्य नहीं किया गया

बीमित को बीमा उत्पाद के बारे में पूर्व विक्रय तथा विक्रय के बाद की सभी सलाह देगा।

(vi) बीमित को दावे के समय पर सभी औपचारिकताओं तथा प्रपत्रों को पूरा करने में सभी सम्भव सहायता एवं सहयोग

प्रदान करेगा।

(vii) इस तथ्य को उचित रूप से विज्ञप्त करेगा कि निर्गमित एजेंट जोखिम का उत्तरदियन्त नहीं लेता और न ही बीमाकर्ता की तरह कार्य करता है।

(viii) बीमाकर्ता के साथ सेवा स्तर पर समझौता करेगा जिसमें दोनों के अधिकार एवं कर्तव्य परिमाषित होंगे।

प्रत्येक निगमित एजेंटः

(a) एजेंट को स्वयं एवं उसको नियुक्त करने वाली कंपनी की पहचान बनानी चाहिए।

(b) उसे भावी बीमित को उसके माँगने पर अपना लाइसेंस दिखाना चाहिए।

 उसे भावी बीमित को अपनी बीमा कंपनी के विभिन्न उत्पादों अथवा पॉलिसियों के बारे में बताना चाहिए तथा भावी बीमित की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक विशिष्ट बीमा पॉलिसी समझनी चहिए।

विद भावी बीमित द्वारा पूछा जाता है तो उसे उस पॉलिसी से संबंधित अपनी कमीशन के बारे में बताना चाहिए।

(e) उसे बीमा कंपनी द्वारा उस विशिष्ट बीमा पॉलिसी के लिए जाने वाले प्रीमियम के बारे में बताना चाहिए जो उसे बिक्री

3 उसे प्रस्ताव फॉर्म में दी जाने वाली सूचना की प्रकृति के बारे में बताना चाहिए तथा प्रस्ताव फॉर्म में महत्वपूर्ण सूचना के लिए प्रस्तावित है। को बताने की महत्ता भी बतानी चाहिए।

(v) राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था अथवा युनिवर्सिटी से एम की ए की गरीका ।

(vi) जिसके पास इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की प्रमाणित सदस्यता हो।

(vi)) राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था अथवा युनिवर्सिटी से विपणन की कोई रोगेत योग्यता प्राप्त हो।

बीमा के लिए पूरा करना होगा। थाग्यता आपा छ। यदि वह मिश्रित निर्गामित एजेंट के रूप में कार्य करना चाहता है तो उसे 70 घण्टों का प्रशिक्षण जीवन तथा समान्त्र

परीक्षा (Examination)

रीक्षा (Examination) 1. प्रशिक्षण के बाद निगमित बीमा एजेंट अथवा आवेदक अथवा निर्दिष्ट व्यक्ति को भारतीय बीमा संस्था मुम्बई अपना अने 1. प्रशिक्षण के बाद निगमित बीमा एजेंट अथवा आवेदक अथवा निर्दिष्ट व्यक्ति को भारतीय बीमा व्यवसाय <sub>या पर</sub>्रे अथवा दोनों के लिए आयोजित की जाती है। प्रारक्षण के बाद ।नगामत बाना रूपर परिक्षा पास करनी होगी। यह परिक्षा जीवन बीमा व्यवसाय या सामान्य अन्न अधिकृत संस्था द्वारा आयोजित पूर्व भर्ती परिक्षा पास करनी होगी। यह परिक्षा जीवन बीमा व्यवसाय या सामान्य क्षेत्र

परीक्षा लेने वाली संस्था प्रत्येक सफल निर्दिष्ट व्यक्ति की निगमित एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए प्रमाण प्र निर्मापत करेगी।

देय शुल्क (Fees Payable)

निगमित ऐजेंट के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस निर्गमित अथवा नवीकृत करने के लिए ₹ 125 का गुल्क के

निगमित एजेंट का प्रत्येक निर्दिष्ट व्यक्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ₹ 375 का शुल्क देकर बीमाकर्ता को आवेदन

लाइसंस का नवीकरण (Renewal of Licence)

IRDA द्वारा निर्गीमत किया गया लाइसेन्स निर्गमन की तिथि से 3 वर्ष की अविध तक जारी रहेगा।

प्रत्येक 3 वर्ष के बाद निर्दिष्ट निम्निलिखित शुल्क के भुगतान द्वारा लाइसेंस का नवीकरण करवाना होगा

(i) यदि लाइसेंस की अवधि समाप्त होने से 30 दिन पहले आवेदन किया गया हो तो ₹ 125 का शुल्क देव होगा।

(ii) यदि लाइसेंस की अवधि समाप्त होने से पहले के 30 दिनों के बीच में आवेदन दिया गया हो तो ₹ 225 का शुल

(iii) यदि आवेदन लाइसेंस समाप्त होने के बाद एक वर्ष बाद दिया गया हो तो ₹ 875 का शुल्क देय होगा

3. किसी भी निर्देष्ट व्यक्ति को दिया गया प्रमाणपत्र 3 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा जो कि ₹ 100 का शुल्क के साथ लाइसेंस की अवधि समाप्त होने से 30 दिन पहले आवेदन देना होगा। आवेदन देकर अगले तीन वर्षों के लिए नवीकृत करवाया जा सकता है बशर्ते निगमित एजेंट का लाइसेंस वैध हो हो। उसे

 यदि किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को निगमित ऐजेन्ट का कर्मचारी होने से रोका जाता है तो उसे अधिकृत व्यक्ति को अपना प्रमाण पत्र वापिस देना होगा।

5. निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा निगमित बीमा कार्यकारी को लाइसेंस के नवीकरण के लिए 25 घण्टे का प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

131

(h) उसे पानी मीपित को मीपानलों द्वारा प्रस्तान को स्वीकार अधान अस्तीकार होने की सुचन दुग्त हेत् जाता.

(i) उसे प्रस्तान पाँचे को चरने के समय सभी आवश्यक दस्तानेन इकट्ठे करने चाहिए।

 असे प्रतिस्थी घारक अथवा दावेदार अथवा उत्तराधिकारी के दावों के निपरारे से संबंधित आवश्यकताओं को पि कर्त् () में मदद करनी चाहिए।

ा परंप गार्थ के संगी पीलिसीधारकों को संगाह देनी चाहिए कि वे पीलिसी पर नामांकन अथवा निर्देशीकरण अथवा पेत् (k) उसे संभी पीलिसीधारकों को संगाह देनी चाहिए कि वे पीलिसी पर नामांकन अथवा निर्देशीकरण अथवा पेत् एजेंट के कार्य भी कहा जाता है। उस समा भागकान्यरण बदलाव अथवा विकल्पों में से चुनाव को दर्ज कराएं तथा उन्हें इससे संबंधित सहायता प्रदान करते <sup>साहिए। इन्</sup>स

किसी भी एजेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए-

(a) बिना लाइसेंस के बीमा व्यवसाय को मीनना अथवा प्राप्त करना।

(b) प्रस्ताव फॉर्म में महस्वपूर्ण सूचना छुपाने के लिए भावी वीमित को प्रेरित करना

(c) भावी वीमित को प्रस्ताव फॉर्म पर गलत सूचना देने अथवा गलत दस्तावेज देने के लिए प्रेरित कना

(d) भावी बीमित के साथ अभद्र व्यवहार करना।

(c) दूसरे एजेंट के द्वारा किसी प्रस्ताब में दखलअंदाजी करना

(f) बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी में दी गई दरों, लापों, शर्तों से पिन्न दरें, लाप एवं शर्ते बताना।

(g) एक बीमा अनुबंध के अंतर्गत उसर्राधकारी से हिस्सा मौगना अथवा प्राप्त करना।

 (h) पीलिसी घारक पर वर्तमान पीलिसी को रह करने के लिए दबाव डालना तथा उसके निरस्तीकरण के 3 वर्षों के पील नए प्रस्ताव फॉर्म को भरवाना।

Ξ यदि कॉरपोरेट एजेंट का बीमा व्यवसाय पोर्टफोलियों है तो उसमें एक वर्ष में एक ही व्यक्ति अथवा एक साहत अथवा एक ही प्रुप के विभिन्न संगठनों से प्राप्त प्रीमियम का कुल प्रीमियम में से 50% से अधिक होना।

(j) यदि प्राधिकरण द्वारा पहले उसका लाइसेंस निरस्त किया गया था और लाइसेंस रह हुए 5 वर्ष की अवधि समान क्षेत्र से पूर्व नए लाइसेंस के लिए आवेदन देना।

(k) किसी बीमा कंपनी का संचालक बनना अथवा बने रहना इनको अनुचित व्यापार कार्य प्रणाली भी कहा जाता है।

III. सभी बीमा एजेंटों को प्रयास करना चाहिए कि निश्चित समय में पॉलिसी घारकों द्वारा प्रीमियम की राश जमा करता ठं रूप से दिया जा सकता है। जाए जिससे कि उनके द्वारा किए गए व्यवसाय को संरक्षित किया जा सके। इसके लिए उन्हें नोटिस लिखित अथवा नीक्षि

> THE DEPARTMENT OF LICENSING. THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY.

DEAR SIRS.

(a)	1 requ
a licence	Jest that.
- 2	
1	2
	E
	corporate agent/
as the present of the form of	composite corporate may be granted to u
- 3	200

(b) our licence bearing number.....and expiry date..... may be renewed for a further period of three years.

2 It is hereby declared that particulars given below are true and that the licence for which insurance business. our organization applies will be used only by our organization for soliciting or procuring

(1) Name:....

(2) Full Address:

House No.:

Street:

District:

Town:

State:

Pin Code:

Telephone No.:

(STD Code -- Number):

(3) (i) Names and addresses of all persons responsible for the management of the Organization. (Please attach a separate annexure if required)

(ii) Name and Address of the "corporate insurance executive":

### (Aviation Insurance)

भारत का विमानन उद्योग विश्व के तीव्रता से बढ़ते हुए विमानन उद्योगों में से एक है। भारतीय विमानन क्षेत्र में उदारीकरण के कारण भारत में विमानन उद्योग में तीव्रता से रूपांतरण हुआ है। अब भारतीय विमानन उद्योग का प्रतिनिधित्व निजी स्वामित्व की पूर्ण क्षेवाओं तथा निम्न वहन लागतों वाली एयरलाइन द्वारा किया जा रहा है। प्रारम्भ में वायु यातायात बहुत कम लोगों के लिए संभव था परंतु आज यह यातायात पहले की तुलना में काफी सस्ता हो गया है जिससे बड़ी संख्या में भारतीय लोग इसके लिए सक्षम हैं।

भारतीय विमानन उद्योग का इतिहास फरवरी 1911 से माना जा सकता है जब पहला वाणिज्य नागरिक विमानन इलाहाबाद तथा नैनी के बीच आरंभ हुआ। दिसंबर 1912 में इण्डियन स्टेट एयर सर्विस द्वारा UK आधारित इमपीरियल एयरवेज़ के सहयोग से लंदन-क्राची-दिल्ली फ्लाइट का आरंभ किया जो क<u>ि भारत</u> से तथा भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी। 1915 में टाटा सन्स लिमिटेड द्वारा क्राची और मद्रास के बीच नियमित एयर-मेल सेवाएँ आरंभ की गईं। जनवरी 24, 1920 से अप्रैल 1927 में नागरिक विमानन मामलों के लिए एक पृथक नागरिक विमानन विभाग की स्थापना करने पर विचार किया गया। 1932 में टाटा एयरलाइन टाटा सन्स लिमिटेड के खण्ड के रूप में अस्तित्व में आईं।

इसके द्वारा 15 अक्तूबर को क्राची, अहमदाबाद, बंबई, बेल्लरी, मद्रास मार्ग पर एयर मेल सेवाएँ आरम्भ कीं। 1945 में डैकन एयखेज़ आरंभ हुई जिस पर हैदराबाद के निजाम तथा टाटा का संयुक्त रूप से स्वामित्व था। पहली उड़ान जुलाई 1946 को की गई। 1946 में टाटा एयरलाइन ने अपना नाम बदलकर 'एयर इंडिया' कर लिया। 1948 में एयर इंडिया द्वारा सरकार के साथ एक समझौता किया गया ताकि 'एयर इण्डिया इंटरनेशनल लिमिटेड' नाम के तहत अंतर्राष्ट्रीय सेवाएँ प्रदान कर सकें। इसी वर्ष में 8 जून को एयर इंडिया ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का उद्घाटन किया जिसमें केरो तथा जेनेवा से होते हुए बंबई तथा लंदन के बीच साप्ताहिक उड़ान आरंभ की गई। 1960 में भारत ने बोइंग 707-437 की शुरुआत के साथ जैट युग में प्रवेश किया और पहली बार इंडियन एयरलाइन फ्लाइट द्वारा भारत तथा USA संयोजित हुए। 1990-91 में नागरिक विमानन क्षेत्र के अव्यवस्थापन के बाद निजी एयरलाइन का प्रवेश हुआ। निजी हवाई कंपनी की 'हवाई टैक्सी' योजना के अंतर्गत चार्टर तथा गैर अनुसूचित सेवाएँ चलाने की अनुमति प्रदान की गई। इस्ट-वेस्ट एयरलाइन पहली राष्ट्रीय स्तर की निजी हवाई कंपनी थी जिसने बाद में लगभग 37 वर्षों तक काम किया। 1994 में 'एयर कारपोरेशन एक्ट' को रद्द करने के बाद निजी हवाई कंपनियों को अनुसूचित सेवाएँ चलाने की स्वीकृति दी गई और कई निजी कंपनियों ने देशीय उड़ानों का आरंभ किया जैसे जेट एयरवेज़, एयर सहारा, मोदीलफ्ट, डेमेनिया एयरवेज़, NEPC एयरलाइंस तथा इस्ट वेस्ट एयरलाइंस। वर्तमान समय में भारत विश्व का नौंवा सबसे बड़ा विमानन बाजार माना जाता है जिसमें 82 प्रचालित हवाई अड्डे, 735 एयरक्राफ्ट, 12 प्रचालित अनुसूचित एयरलाइंस तथा 121 गैर अनुसूचित प्रचालक हैं। इस वर्ष में भारत में हवाई यातायात के 50 मिलियन यात्री अनुमानित हैं।

### ■ विमानन बीमा का परिचय (Introduction to Aviation Insurance)

विमानन बीमा का इतिहास 20वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों से माना जा सकता है। 'लॉयड' पहली कंपनी थी जिसने लंदन में 1911 में पहली विमानन बीमा पॉलिसी लिखी। इस कंपनी ने 1912 में विमानन पॉलिसी लिखना बंद कर दिया क्योंकि एक विमान दुर्घटना में पहले की गई पॉलिसियों पर हानि हुई थी।

新智福

के आण हम इस जानत हा 1933 में यह महसूर जिल्ला को गई। 1934 तक आठ यूरोपियन विमानन बीमा कंपनियों से संघटित होका कि आज हम इसे जानते हैं। 1933 में यह महसूस किया गया कि विमानन के लिए एक विशेष औद्योगिक क्षेत्र होना चाहिए। समुद्री बीम के 1929 म एक सम्मलन ।कथा गणा जाराज्य अस्ति किया गया। यह एयरलाइन उद्योग की पहली पहचान थी कैसा किया गया। यह एयरलाइन उद्योग की पहली पहचान थी कैसा किया गया। यह एयरलाइन उद्योग की पहली पहचान थी कैसा 1929 में एक सम्मेलन किया गया जिसे 'वारसव सम्मेलन' के नाम से जाना गया। यह सम्मेलन एक प्र<u>कार का समझौत था</u>

की विमानन गतिविधियों पर निर्भर है। बड़ा प्रतिशत है तथा बड़ा स्थापित बाज़ार है। शेष पूरे विश्वभर में विभिन्न देशों में राष्ट्रीय बाजार स्थापित किए गए हैं जो कि प्रत्येक देश लंदन का बीमा बाजार अभी भी विमानन बीमा का एकमात्र सबसे बड़ा केंद्र है। US में विश्व के सामान्य विमानन बेहे का एक

 विमानन बीमा का अर्थ तथा परिभाषाएँ (Meaning and Definitions of Aviation Insurance)

जिसमें सामान्य जोखिम तथा दायित्व जोखिम समिलित होते हैं। यह बीमित यात्रियों तथा वस्तुओं को सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में साधारणतया निम्नलिखित प्रकारों में बाँटा जा सकता है: विमानन में निहित जोखिमों के लिए बनाया गया है। विमानन बीमा कई आधारों पर दूसरे प्रकार के बीमा से पूर्णतया मिन्न है। बिमानन बीमा विमानन बीमा में तीव्रता से विकास हो रहा है। विमानन बीमा एक ऐसी बीमा सुरक्षा है जो कि विशेषका एउसकापन के संचालन तथा एयरकास्ट से संबंधित विभन्न प्रकार के जोखिमों के बीमा का साधारण नाम है। अंतर्राष्ट्रीय प्रमापों के अनुसार विमानन बीमा को विमानन बीमा का अर्थ है जो विमानन उद्योग को सुरक्षा प्रदान करता है। विमानन बीमा को <u>एयरलाइन बीमा भी कहा जाता है</u>

- (a) वह बीमा जिसमें अनुबंधित विमान की पतवार की श्वित को सिम्मिलित किया जाता है।
- (b) वह बीमा जिसमें यात्रियों के सामान तथा संपत्ति को होने वाली क्षति के दायित्व <u>को सम्मिलित किया</u> जाता है।
- (c) ऐसा बीमा जिसमें एवरकाभ्ट से बाहर तृतीय पक्षकार को होने वाली श्वित के दायित्व को सिम्मिलित किया जाता है।
- (d) ऐसा बीमा जिसमें हुबाई माल जहाज की क्षति के दायित्व को सम्मिलित किया जाता है।
- (e) ऐसा बीमा जिसमें हवाई अड्डे की सुविधाओं तथा व्यवसाय को होने वाली क्षति का दायित्व सम्मिलित किया जाता है।
- (f) संरक्षक के सुपुर्द विमान की क्षति से उत्पन्न दायित्व को सुरक्षित करने वाला बीमा।
- (g) ऐसा बीमा जिसमें एयरकापट के निर्माण तथा मरम्मत से संबंधित दायित्वों को सिम्मिलित किया जाता है।
- (h) ऐसा बीमा जिसमें ऐसे पायलट, जहाज एटेंडेंट तथा यात्री आदि को चोट लगने पर होने वाले दायित्वों को सिम्मिलत किया जाता है जो कि उस समय जहाज में सवार हों।

कोई चोट लगने अथवा मृत्यु होने पर होने वाली हानि अथवा क्षति के लिए किया गया बीमा।'' (Insurance for loss or damage to planes and goods transported by plane, or for injury or death to people travelling by plane.—Cambridge Dictionary) कैम्ब्रिज शब्दकोष के अनुसार, ''ज्हाजों तथा जहाजों द्वारा ले जाए जाने वाले सामान अथवा जहाज में यात्रा कर रहे लोगों को

भी सिम्मिलित होती हैं''। (Insurance against claims and losses arising from the ownership maintenance or हानियों तथा दावों के लिए किया गया बीमा। इसमें हवाई जहाज को होने वाली क्षति, व्यक्तियों को लगने वाली चोट तथा संपत्ति की क्षति use of aircraft, hangers, or airports including damage to aircraft, personal injury and property damage.—Merriam Webster) मेरियम वेबस्टर के अनुसार, ''एयरकाफ्ट, विमानशालाओं अथवा <u>हवाई अड्डों के प्रयो</u>ग, स्वामित्व तथा रक्षण में होने वा<sub>ली</sub>


> अन्य की प्रीमियम का पुगतान करती है।" हवाई जः..., हवाई अड्डों, सेवा प्रदाताओं, ईधन भरने वालों, खान-पान का प्रवंध करने वालों, सुरक्षा जाँच प्रदाताओं तथा प्रात्वाहरा, निर्माताओं, हवाई अड्डों, सेवा प्रदाताओं, ईधन भरने वालों, खान-पान का प्रवंध करने वालों, सुरक्षा जाँच प्रदाताओं तथा ्राताहरा, निमाणा के प्रीमियम के बदले में सुरक्षा प्रदान करती हैं। बीमा कंपनियाँ जोखिम के मांग के समायोजन के लिए पुन असे के लिए बीमियम का मुगतान करती हैं।" हैं। हर्वाई अंतरिक्ष के बीमाकर्ताओं के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार, ''विमानन बीमा कपनियाँ हानि, श्रांत एवं देयता हर्वाई अंतरिक्ष के बीमाकर्ताओं के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार, ''विमानन बीमा कपनियाँ हानि, श्रांत एवं देयता

विमानन बीमा के प्रकार

वर्ष जेखिमें के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। (Types of Aviation Insurance) (Pes V) विमानन बीमा को दो भागों में विभाजित किया गया है जो कि सुरक्षित जोखिम पर निर्भर करता है। यह सामान्य तथा दायित्व विमानन बीमा को दो भागों में विभाजित किया गया है जो कि सुरक्षित जोखिम पर निर्भर करता है। यह सामान्य तथा दायित्व

(1) सामान्य जोखिमों का बीमा (Normal Risks Insurance)

(2) दायित्व के जीखिम का बीमा (Liability Risk Insurance)



सामान्य जोखिमों का बीमा (Normal Risks Insurance)

न्नेखिम समय तथा स्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। इसमें निर्मालिखित प्रकार के नोविम सम्मिलित हैं: **वे जीखिम सामान्य जोखिम होते हैं जो कि प्रत्येक विमानन कंपनी द्वारा इस व्यवसाय में प्रवेश करने पर उठाए जाते हैं। ये** 

(1) विमानन बेड़े के जोखिम का बीमा

- (2) विमानन बेड़े के युद्ध संबंधी जीखिमों का बीमा
- (3) विमानन बेड़े की केवल कुल हानि का बीमा
- (1) विमानन बेड़े के जोखिम का बीमा (Aviation Hull Risk Insurance): जहाज का बीमा विमानन बेडा बीमा संपूर्ण जोखिम पॉलिसी कहते हैं। ये पॉलिसियाँ बीमाकर्ता तथा बीमित के बीच एक समझौते के आधार पर बनाई जाती हैं कहलाता है तथा इसमें स्वयं जहाज को होने वाली हानि अथवा दुर्घटना के कारण हुई <u>क्षति निह</u>ित है। इस पॉलिसी को जिसमें एक निर्धारित पॉलिसी अवधि में जुहाज का मूल्य तथा कुल हानि सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार के बीमा में निम्नलिखित प्रकार की हानियाँ सिम्मलित नहीं की जाती
- (i) उपयोग तथा देरी की
- (ii) जहाज की टूट-फूट
- (iii) धूल, मिट्टी, बर्फ तथा पत्थों के कारण हुई अंतर्ग्रहण क्षति
- (IV) युद्ध संबंधी क्षति जिसमें सभी प्रकार की हड़तालें, रुकावटें, हाईजेक अथवा राजनैतिक एवं आतंकवादी हमले सम्मिलत हैं।

बेड़े के जोखिमों में कुछ जोखिमों को सम्मिलित नहीं किया जाता जो कि निम्मलिखित हैं:

A) दूर-फूट तथा निरंतर घिसावट (Wear Tear and Gradual Deterioration) : दूर-फूट तथा क्षा का का का का व्यवसायिक व्यय होते हैं न कि कोई जोखिम जिनका बीमा काखाया जाए।

व्यवसायक न्या का प्राप्त प्रमुख्या है है जन के क्षिमक हैं। प्रमुख्या मिट्टी, तेत, बर्फ आदि के कारण हुई इंजन के क्षिमक हैं। प्राप्त किसे किस के न्या है अपने यह बीम पॉलिसी में सम्मिद्धत नहीं किया जाता। परंत किसे किस तथा निरतिर विकास कर हो जाए उसे टूट-फूट तथा बिसाबट नहीं माना जा सकता अतः उसे पॉलिसी में मीमीली हुई क्षति जिसमें इंजन बंद हो जाए उसे टूट-फूट तथा बिसाबट नहीं माना जा सकता अतः उसे पॉलिसी में मीमीली इंजन की क्षति (Engine <u>Damasy)</u> तथा निरंतर बिसावट का ही रूप है अतः यह बीमा पॉलिसी में सु<u>म्मिलत नहीं किया जाता। पांतु किसी पक्र पटना व</u> तथा निरंतर बिसावट का ही रूप है अतः यह बीमा पॉलिसी में सुम्मिलत नहीं किया जाता। पांतु किसी पुरुष्या व

(iii) पश्रीन का टूटना (Mechanical Breakdown): मशीन का टूटना प्रचालन व्यय माना जाता है अते. के के भगान का हूटना () बीमा में सम्मिलित नहीं किया जाता। यद्यपि इसके लिए एक पृथक पॉलिसी द्वारा बीमा सुरक्षा ली जा सकती है।

मूल्य के लिए सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: विमानन वह का युद्ध सबबा भाग्य । संपूर्ण जीखिम पॉलिसी कहलाती है। इसमें युद्ध तथा संबद्ध जीखिम सिम्मिलित होते हैं। जहाजी बेहे की युद्ध एवं Allies विमानन बेड़े का युद्ध संबंधी जोखिम का वीमा (Aviation Hull War Risk Insurance): यह पॉलिस क सपूर्ण शास्त्रम भारतवा निरुत्ताम के कारण हुई भौतिक हानि अथवा श्रांति के लिए समझौते में निर्शात जोखिमों की पॉलिसी में इनमें से किसी भी जोखिम के कारण हुई भौतिक हानि अथवा श्रांति के लिए समझौते में निर्शात

(i) नागरिक युद्ध तथा बिना किसी औपचारिक घोषणा के युद्ध

(ii) किसी अस्त्र का विस्फोट।

(iii) राजनैतिक अथवा आतंकवादी गतिविधियाँ

(iv) हड़तालें, झगड़े, नागरिक हुल्लड़ तथा श्रम अवरोध।

(v) विद्वेषपूर्ण तथा ध्वंसक गतिविधियाँ

(vi) किसी भी सरकार द्वारा अघिग्रहण, राष्ट्रीयकरण तथा अधियाचन

(vii) उड़ान के कर्मीदल के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा जहाज को नियंत्रण में लेने के लिए अवैधानिक कार्यवाही अथवा विमान का हाईजेक होना।

(3) विमानन बेड़े की केवल कुल हानि का बीमा (Aviation Hull Total Loss Only Cover Insurance) : इस होगा यह पॉलिसी की शतों पर निर्भर करता है। करना है एवं यदि श्रति अधिक है तो किसी अन्य तरीके से उसका निपटारा करना है। वास्तव में किस प्रकार से निपटार है। पॉलिसी में क्या रक्षा बीमा होगा से अभिप्राय, यदि क्षति मरम्मत योग्य है तो जहाज को 'क्षति-पूर्व' दशा में वहल ग्रीमियम की ग्रीश भी बहुत कम होती है। ऐसे जहाजों का आंशिक हानियों तथा कुल हानियों का अनुपात अपर्याप्त होत जाता है, जो कि साधारणतया काफी खराब स्थिति में होते हैं। इसका बीमा बहुत कम राशि के लिए किया जाता है और प्रकार का बीमा जहाज की कुल हानि की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह बीमा विशेषतया पुराने विमानों के लिए किया

पॉलिसी के अपवाद (Exclusions from Policy)

(A) सामान्य टूट-फूट, बिसावट, जमाव तथा मशीनी, संरचनात्मक अथवा विद्युत संबंधी टूट-फूट अथवा असफलता, वीट वे ह्यनियाँ अथवा श्चति प्रत्यक्ष रूप से पॉलिसी में सम्मिलित अन्य हानियों अथवा श्वतियों के कारण हुई हों।

(B) टरवाइन इंजन अथवा टरवाइन इंजन पुजों को होने वाली हानि अथवा क्षति, यदि ये हानि अथवा क्षति निम्म के कारण हो.

आग अथवा विस्फोट जो कि इंजन पॉड के बाहर हुआ हो।

्रियां ट को मध्य नजर रखते हुए मुख्य वायु अंतर्प्रहण से किसी बाह्व वस्तु अथवा वस्तुओं से अचानक, तुरंत (ii) ्रेनं अप्रत्याशित रूप से श्रति परंतु नीचे वर्णित। ्व अप्रत्याशित रूप से श्रीत परंतु नीचे वर्णत।

(ji)। रेसी क्षति जो कि पत्था, बजरी, रेत, बर्फ अथवा अन्य किसी क्षयकारी अथवा अपवर्षक सामग्री अथवा अन्य ऐसी कोई (C) के क्यति जिसका अनुक्रीमक अथवा संघटित क्षति प्रभाव हो उनके करण अथवा उनका नक्ता ने (iii) जहांज के बाहर किसी अन्य शक्ति द्वारा भ भारत जाएगा और वह इस पॉलिसी में सम्मिलत नहीं होगा। बिसाव माना जाएगा और वह इस पॉलिसी में सम्मिलत नहीं होगा। रूसी श्रात "" अनुक्रमिक अथवा संघटित श्रांत प्रभाव हे उनके काण अथवा उनका लक्षण हे, तो उसे टूट-फूट अथवा भी वस्प्री जिसका अनुक्रमिक अथवा संघटित श्रांत प्रभाव हे उनके काण अथवा उनका लक्षण हे, तो उसे टूट-फूट अथवा

(D) जहां जी करती।

मुखा प्रदान नहीं करती।

हे ग्रायल के तर्मान आपार होता है जो कि भूतकाल की घटना द्वारा उत्यन होता है। द्वारित्व जोखिम बीमा में निम्न प्रकार के वर्षनिक तर्मनी के तर्ममान करना पहला है। व्यक्ति जोति है। त्रवित जीखिप बीपा (Liability Risks Insurance) 

र्वन समितित होते हैं:

1. जहाज संबंधी दायित्व (Aircraft Liability)

2. अतिकित दायित्व (Excess Liability) हेरोस्पेस निर्माण उत्पाद तथा घरातलीय संबंधी टायित्व (Aerospace Manufactures Products and

Grounding Liability)

4. हवाई अडे के स्वामियों तथा गतिविधियों संबंधी दायित्व (Airport Owners and Operations Liability)

5. उत्पाद संबंधी दायित्व (Product Liability)

(1) बहाज संबंधी दायित्व (Aircraft Liability): इसमें जहाज की गतिविधियों से संबंधित जहाज प्रचालक तथा जहाज के स्वामी के वैधानिक दायित्व, युद्ध संबंधी दायित्व तथा अविक्रयताओं के दायित्व सम्मिलित है। एक विशिष्ट जहाज से संबंधित अनुबंधों के लिए जोखिम के स्थान का निर्धारण उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार जहाजी बेडे का किया जाता है। ऐसे अनुबंध, जिनमें जहाज के जोखिम के स्थान को निर्देश न किया गया हो, को उस देश के संदर्भ में निर्घारित किया जाता है जहाँ बीमा कंपनी अथवा अन्य कोई बीमा कंपनी के अंतर्गत ही आने वाली संस्था स्थापित हो।

जहाज संबंधी दायित्व विभिन्न आधारें पर होते हैं:

यात्री संबंधी दायित्व (Passenger Liability)

B. तृतीय पक्षकार संबंधी दायित्व (Third Party Liability)

सामान संबंधी दायित्व (Baggage Liability)

माल जहाज तथा डाक संबंधी दायित्व (Cargo and Mail Liability)

Ď विमानन की व्यक्तिगत दुर्घटना (क्रू का सदस्य) संबंधी दायित्व [Aviation Personal Accident (Crew

(A) यात्री संबंधी दायित्व (Passenger Liability): यदि एक बीमत जहाज का यात्री दुर्घटन में घावल वा अपाहिज हो जाता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो उससे संबंधित दायित्व इसमें सम्मिलित होते हैं।

(B) तृतीय पक्षकार संबंधी दायित्व (Third Party Liability): इसके अंतर्गत जहाज के स्वामी को तृतीय यात्रियों के घायल होने तथा जहाज को होने वाली भौतिक क्षति को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। जहाज को होने वाली क्षति अथवा घायल यात्रियों के लिए कोई बीमा सुरक्षा प्रदान मेही किया जाता। पायलट तथा पक्षकार का हान बाला बात के लिए प्राप्य पार टकराने से, घरों, गाड़ियों, फसलों, हवाई अड़े की सुविधाओं को होने वाली हान्सि इसके अंतर्गत स्वयं बीधित प्रशास स्वाचार सम्बन्ध सामान स्वाचन प्रातान के प्रति सुरक्षा प्रदान की जाती है जैसे कि जहाज के प्रति सुरक्षा प्रदान की जाती है जैसे कि जहाज के प्रति सुरक्षा प्रदान की जाती है जैसे कि जहाज के

(C) सामान संबंधी दायित्व (Baggage Liability): इस प्रकार के दायित्व विभिन्न कारणों से तब उत्पन होते है जाता है। यह बीमित व्यक्ति को हुई हानि पर निर्मर करता है। इसमें निम्न सम्मित्ति हैं: अनुसार नियम एवं सीमाओं के अनुसार तथा समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार दियत्व निर्धारित किया मार्च 2009 को संशोधित अधिनियम संख्या 28 में दिए गए संधिपत्र के नियमों एवं सीमाओं के अनुसार निर्धाति होता है। ऐसी ढुलाई के लिए दायित्व जो अंतर्राष्ट्रीय नहीं हैं, वह भारतीय वायु द्वारा ढुलाई अधिनियम की धारा 8 के जब कोई घटना घटती है। अतर्राष्ट्रीय दुलाई के लिए दायित्व भारतीय वायु हारा दुलाई अधिनियम 1972 तथा 20

(i) सामान मिलने में देरी (Delays in Baggage) : यदि समान मिलने में किसी कारण से देरी हो जाए तो कि आपके ठहरने के स्थान पर सामान को पहुँचाया जाए। स्थिति में एयरलाइन क्षति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। सामान के पहुँचने पर यह उनका कर्तव्य है सामान किसी गलत हवाई अड्डे पर भेज दिया गया हो तो उसमें दो दिन लग सकते हैं। इनमें से किसी भी वह इसमें सम्मिलित है। यदि सामान अगले जहाज में हो तो कुछ घण्टों में उसे प्राप्त किया जा सकता है। यदि

खोषा हुआ सामान (Lost Baggage): यदि सामान खो जाए तो एयरलाइन क्षति का भुगतान करने के गया सामान निर्घारित सीमा से अधिक हो तो वह 'अतिरिक्त मूल्यांकन' की सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। लिए उत्तरदायी है। वे सामान के मूल्य को पुष्टि के लिए प्राप्ति पत्र माँग सकते हैं। यदि यात्री का निरीक्षण किया

चोरी हुआ सामान (Stolen Baggage): सामान का दावा करने के क्षेत्र में चोरी हुए सामान के लिए पुलिस उत्तरदायी होती है। एयरलाइन उत्तरदायी होती है। यदि चोरी उस क्षेत्र से बाहर हुई हो तो एयरलाइन उत्तरदायी नहीं होती परंतु तब

3 क्षतिग्रस्त हुआ सामान (Damaged Baggage): इसके अंतर्गत क्षति अथवा किसी प्रकार के बदलाव के चिह्न अथवा खराब रक्षण आदि सम्मिलित हैं परंतु निम्न प्रकार की हानियाँ अथवा क्षतियाँ सम्मिलित नहीं

(a) पहियों अथवा हैण्डल आदि का टूटना

(b) आवश्यकता से अधिक सामान भरने के कारण अथवा बहुत बड़े आकार के बैग के कारण नुकसान

(c) खींचने वाले हैंडलों को श्राति

(d) खराब अथवा नाशवान प्रकृति की वस्तुओं को क्षति

(e) खींचने वाले हैंडलों का खो जाना

(D) माल जहाज तथा डाक संबंधी दायित्व (Cargo and Mail Liability): माल जहाज वस्तुओं को सही परिस्थितियों को छोड़कर, विमानन माल जहाज पॉलिसी के लिए जोखिम के स्थान का निर्धारण उस देश के संदर्भ में हानि हो जाती है और उन्हें माल जहाज तथा डाक संबंधी दायित्वों में सम्मिलित किया जा सकता है। कुछ विशेष हालत में उनके स्थान पर पहुँचाने के लिए अच्छे प्रयत्न करता है परंतु फिर भी कई बार क्षति, देरी, ह्रास, आंशिक

> (Goods in transit risks) की तरह समझना चाहिए। किया जाता है जहाँ बीमा कंपनी अथवा बीमा कंपनी के अंतर्गत ही सम्मिलित किसी भी अस्तित्व की संस्थाएँ किया जाता है जहाँ बीमा कंपनी अथवा बीमा कंपनी के अंतर्गत ही सम्मिलित किसी भी अस्तित्व की संस्थाएँ किया .... कर दर का निर्धारण करते समय विमानन माल जहाज ओखिम को 'यस्ते में वस्तुओं के ओखिम' द्वापित हों। कर दर का निर्धारण करते समय विमानन माल जहाज ओखिम को 'यस्ते में वस्तुओं के ओखिम'

(E) विपानन व्यक्तिगत दुर्घटना (क्रू सदस्य) संबंधी दायित्व (Aviation Personal Accident (Crew परंतु हवाई जहाज का उपयोग अनुमति के अनुसार भौगोलिक दायरे के अतर्गत होना चाहिए। यह बीमा पॉलिसी 24 परंतु हवाई जहाज का उपयोग अनुमति के अनुसार भौगोलिक दायरे के अतर्गत होना चाहिए। यह बीमा पॉलिसी 24 हार्य जाता है। यह आवरण विमान के हवा में चढ़ते हुए अथवा नीचे उतरते हुए अथवा सफर करते हुए लागू होता है आधार पर पिन्न-पिन्न हो सकती है और वह बीमकर्ता द्वारा निर्धारित की जा सकती है। गारामा प्रति होने पर दावे की राशि का भुगतान करने के लिए किया जाता है जो कि सामान्यतया वार्षिक रूप से होने अथवा मृत्यु होने पर दावे की राशि का भुगतान करने के लिए किया जाता है जो कि सामान्यतया वार्षिक रूप से पुरु के आधार पर भी की जा सकती है। बीमा की जाने वाली पूँजीगत ग्रिश बीमित के वैभव अथवा अर्जन क्षमता के होटे के आधार पर भी की जा सकती है। बीमा की जाने वाली पूँजीगत ग्रिश बीमित के वैभव अथवा अर्जन क्षमता के

(Bxcess Liability): अतिरिक्त दायित्व विमान में ईवन डालने तथा निकालने से संबंधित है। है। इसमें ऐसे जहाज सम्मिलित होते हैं जो कि हवाई अड्डे की अवस्थित पर अन्य किसी अवस्थित पर हों जो कि एयरलाइन व्यवसाय, यात्रियों तथा माल को लाने ले-जाने से सर्वाधत हों। जहाज में पुनःईधन प्रक्रिया में प्रकट होने वाले इल ४..... प्रवोग करने के अतिरिक्त उत्पन्न होते हैं। इसमें भवन, विमानशाला का रक्षक तथा उत्पाद संबंधी दायित्व सम्मिलित होते इसे तृतीय पक्षकार युद्ध संबंधी पॉलिसी भी कहा जाता है। इसमें वे उत्तरदायित्व सम्मिलित होते हैं जो कि जहाज का कई प्रकार के जोखिम हैं जिनके कारण मुख्य अथवा यहाँ तक कि भयंकर हानियाँ हो सकती हैं। उदाहरण के लिए

(i) ईंधन संदूषण के कारण उड़ान के दौरान ईंजन की विपत्तिजनक असफलता।

(ii) संदूषक अथवा विशिष्ट ईंघन के न होने के कारण ईंघन प्रक्रिया को क्षति

(iii) वाहनों के आने-जाने के कारण रैम्प पर दुर्घटना अथवा क्षति।

(iv) जहाज में पुनःईंधन के परिणामस्वरूप अथवा ईंघन भरते समय जहाज में बहुत अधिक क्षित अथवा हास।

3) क्रोस्पेस निर्माण उत्पाद तथा धरातलीय संबंधी दायिन्व (Aerospace Manufactures Products and Grounding Liability): इसे वायुआकाश निर्माण उत्पाद तथा उड़ान बंद करने से संबंधित दायित्व कहा जाता है। तृतीय पक्षकार द्वारा किए गए दावों के परिणामस्वरूप हुए वित्तीय प्रमापों के प्रति सुरक्षा का प्रस्ताव रखता है। इसके प्रचालक, हवाईअड्डे के मालिक तथा प्रचालक तथा जहाज उत्पाद निर्माता। यह जहाज के प्रचालन, हवाई अड्डे की अतिरिक्त यह जहाज के मालिकों को उसके जहाज को होने वाली भौतिक हानि अथवा क्षति के लिए भी सुरक्षा प्रदान सुविधाओं तथा वायुआकाश उद्योग की वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित प्रावधानों के कारण उत्पन्न हुए दायित्वों के कारण वायुआकाश बीमा वायुआकाश उद्योग के व्यक्तियों तथा व्यवसायों को सुरक्षा प्रदान करता है जैसे-जहाज के मालिक तथा

विमान उत्पाद निर्माणकर्ता की पॉलिसी में 'घरातलीय सुरक्षा' तृतीय पक्ष दायित्व सुरक्षा है जो कि विमान के उड़ान समाप्ति पर हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए हुए दावे के लिए निर्माणकर्ता को व्यापक सुरक्षा एवं श्रतिपूर्ति प्रदान संचालन अथवा स्वामित्व एक ही व्यक्ति अथवा विभिन्न व्यक्तियों, फर्मों अथवा निगमों के पास हो। इसमें अप्रलिखित अधिक विमानों में दोष, खराबी अथवा उसकी खराब स्थिति अथवा शंका के कारण नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा दायित्व सम्मिलित हैं: विमानों की उड़ान पर लगाए गए प्रतिबंध के अनिवार्य आदेश के कारण पूर्ण एवं सतत वापसी से है चाहे विमानों का ) 'क्षरातलीय' से अभिप्राय एक ही अथवा लगभग एक ही समय में सुरक्षा को घ्यान में रखते हुए दो अथवा

- A. भवन संबंधी दायित्व (Premises Liability): यह पॉलिसी बीमित द्वारा प्रदान की जाने वाली सीधी सेवाओं के अध्यान मामान्य विमानन परिसर में होने वाली आकस्मिक चोट अध्यान क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न दाम्पर्य करास्त्र उत्तर तैर तरीकों, निर्माण, मशीनरी अथवा प्लांट में दोष के काल अथवा बीमित के विमानन व्यवसाय में प्रयुक्त परिसर, तौर तरीकों, निर्माण, मशीनरी अथवा प्लांट में दोष के काल
- हुआ हा।

  B. विमानशाला रक्षक के दायित्व (Hanger Keepers Liability)ः यह पॉलिसी बीमित को खामित को खामित को खामित को खामित को कामित की की कामित की काम किराए अथवा ५४ २० १५८ १००० व्यापित द्वारा पोषित, संभाले हुए अथवा सेवित परिसर मे उसके नियंत्रा उड़ान के दौरान हो अथवा धरातल पर बीमित द्वारा पोषित, संभाले हुए अथवा सेवित परिसर मे उसके नियंत्रा विमानशाला रक्षक क दाम्यत्म स्मान्तात्व विमान यत्रों को हुई क्षति के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है <sup>जाराव गुक्त</sup> किराए अथवा पट्टे पर दिए गए विमान अथवा विमान यत्रों को हुई क्षति के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है <sup>जाहे पह</sup> श्रीत निगरानी अथवा देखभाल के दौरान हुई हो। इस पॉलिसी में निम्न सम्मिलित नहीं है:
- पोशाक, पहनने के बस्त, व्यक्तिगत संपत्ति अथवा किसी भी विवरण के व्यापारी माल की क्षति।
- वायुयान अथवा विमान यंत्रों की क्षति चाहे वे स्वयं के हों, किराए पर हों, पट्टे पर लिया गया हो अथवा वी<sub>तित</sub>
- (4) हवाई अड्डे के स्वामियों तथा प्रचालन संबंधी दायित्व (Airport Owners and Operations Liability): ह्म क कारण उत्पन्न हुन ननमा कर ननमा किया हानि को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसमें बीमित के अस्वामित अन्य की संपत्ति को होने वाली क्षति अथवा हानि को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसमें बीमित के अस्वामित् प्रकार का बाना रुपाइ पाइ पाइ का का का प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। इस अवधि में होने वाली दुर्घटना के कारण किसे के कारण उत्पन्न हुए वैधानिक दायित्वों के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। इस अवधि में होने वाली दुर्घटना के कारण किसे उसके नौकर के नियंत्रण, निगरानी अथवा देखभाल, प्रबंधन, संभाल के लिए धरातल पर हो। बीमित तथा उसके कर्मचर्त किराए अथवा पट्टे पर दिए गए विमानों तथा विमान यंत्रों की हानि अथवा श्वति भी कवर की जाती है जब यह बीमित अथवा द्वारा किसी भी वस्तु अथवा उत्पाद के उत्पादन, निर्माण परिवर्तन, सुधार, सर्विस, उपचारित, विक्रित, आपूर्ति अथवा हवाई अहु क स्वाम्पर प्रपाटन के किसी भी समय शरीर पर लगने वाली चोट अथवा घावों अथवा मृतु प्रकार का बीमा हवाई अहु के स्वामी/प्रचालकों को किसी भी समय शरीर पर लगने वाली चोट अथवा घावों अथवा मृतु वितरण के कारण कब्जे, प्रयोग, उपभोग अथवा निगरानी में उत्पन्न शारीरिक चोट अथवा संपत्ति की क्षति सम्मिलित है।
- (5) जत्पाद संबंधी दायित्व (Product Liability): विमानन उद्योग के अंतर्गत यदि किसी बीमित उत्पाद के प्रयोग हे जाते हैं। इन उत्पादों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: जाता है यह ऐसे किसी भी उत्पाद के निमार्ताओं अथवा वितरकों पर भी लागू होता है जो कि विमानन उद्योग में प्रयोग <sub>किए</sub> बचाने के लिए ग्राहक को सुरक्षा प्रदान करता है चाहे वह हवाई जहाज, पुर्जों, सेवाओं अथवा सन्निहित प्रणाली संबंधे हे हो। 'उत्पाद संबंधी दायित्व' विमानन उद्योग में उप-ठेकेदार अथवा उत्पादक को वैधानिक दायित्व जोखिम प्रभाव हे का यह कर्तव्य होता है कि इसकी सावधानी उनके उत्पाद में कमी अथवा असफलता के कारण कोई दुर्घटना अथवा क्षति : उसे इस पॉलिसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है अथवा किसी कार्य के समाप्त होने के बाद ठेकेदार द्वारा उठाए गए दाियत्व के कारण होने वाली वितीय हानि को भी इसमें सिम्मिलित किया जाता है, जैसे कि प्रत्येक उद्योग, निर्माण उद्योग बीमित व्यक्ति को कोई चोट लगने पर अथवा क्षति होने पर कोई वैघानिक दायित्व उत्पन्न होने से वित्तीय हानि होती है तो 'उत्पाद संबंधी दायित्व' में तृतीय पक्षकार द्वारा वहन किए गए भौतिक तथा अभौतिक हानियों को भी समि<sub>लित किंग</sub>
- (i) विमान संचालन संयत्र
- (ii) वायुयान ढाँचा
- (iii) हवाई अड्डे के मैदानी संयंत्र
- (iv) सहायक स्था (v) इजन

(vii) उप-घटक (vi) मुख्य घटक

विमानन बीमा के दावे के निपटारे की प्रक्रिया विषान Settlement Procedure for Aviation Insurance)

प्राण अपना लागू किए जाने योग्य औपचारिकताओं अथवा सामान्य परिस्थितियों अथवा अनुबंध की शर्तों के अनुसार किया वर्षों का निषटारा लागू किए जाने योग्य औपचारिकताओं अथवा सामान्य परिस्थितियों अथवा अनुबंध की शर्तों के अनुसार किया

(1) बदित बदना संबंधित दावे का एक प्रारम्भिक नोटिस लिखित रूप से दिया जाना चाहिए

(1) दावे का नोटिस 14 दिन अथवा 120 दिनों के अंदर दे देना चाहिए। जब जाँच पड़ताल अथवा विमान के टुकड़े अभी अपूर्ण है।

(3) बीमा कंपनी द्वारा सूचना की माँग की जा सकती है तथा उससे सर्वाधत प्रपत्रों की प्रार्थना भी की जा सकती है। बीमा कपनी को निम्नलिखित प्रपत्रों की आवश्यकता हो सकती है।

(i) हवाई जहाज के विस्तृत वर्णन से संबंधत प्रपत्र

(ii) उड़ान के विस्तृत वर्णन से संबंधित प्रपत्र

(iii) दुर्घटना से संबंधित प्रपत्र

(iv) जहाज की योग्यता/पंजीकरण प्रमाणपत्र

(v) क्रू का विस्तृत वर्णन

(vi) रक्षण एवं इंजीनियरिंग संबंधी सूचनाएँ

(vii) दावे की स्थिति में परिचालन हस्तचालित यात्री प्रलेखन बीमा कंपनी बीमित दावे की राशि की कार्यवाही करने के लिए एक सर्वेक्षक की नियुक्ति करेगी। यह एक बाह्य फर्म भी हो सकती है जिसे विमानन बीमा संबंधी दावों में विशिष्टिता प्राप्त हो।

(4) यदि सर्वेक्षक आवश्यक समझे तो वह हवाई जहाज स्थल पर जाकर निरीक्षण कर सकता है।

(5) नियुक्त किया गया सर्वेक्षक दावे से संबंधित सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए बीमित से संपर्क स्थापित कर सकता है। जैसे

(i) हानि की अवस्थिति

(ii) घटना का विस्तृत वर्णन

(iii) उड़ान के लिए योग्यता की तर्कसंगतता के लिए जहाज के रिकार्ड का पुनसबलोकन

(iv) यदि हानि उड़ान के दौरान है तो पायलट के बारे में सूचना की प्रार्थना देना

(6) सर्वेक्षक को जहाज की मरम्मत के व्यय का अनुमान लगाने के लिए मरम्मत सुविधा केंद्र से संपर्क स्थापित करना चाहिए। (7) बीमित व्यय का अनुमान लगाने के लिए अपनी पसंद के मरम्मत सुविधा केंद्र से संपर्क स्थापित कर सकता है।

(8) समायोजक को सभी व्यवहार्य मरम्मत अनुमानों का मूल्यांकन करना चाहिए ताकि सबसे अच्छे विकल्प का निर्वास किंग

जा सक

#### (Agriculture Insurance) क्रांष बोमा

#### परिचय (Introduction)

प्राकृतिक आपदाओं; जैसे- बाढ, सूखा, चक्रवात, तूफान, भूस्खलन आदि से अकसर प्रभावित रहता है। अतः किसानों की आय बुरो कंपनी ऑफ इंडिया (AICIL) की स्थापना करके लिया। पृष्ठ भूमिका में सरकार ने सन् 2000 में कृषि बीमा की शुरुआत करने का निर्णय एक अलग कंपनी जिसका नाम **एग्रीकल्चर इंश्वोरें**स लिए अनुबंध खेती तथा भावी सौदा व्यापार आदि अन्य प्रक्रियाएँ भी विकसित की गई हैं। परंतु यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। इन सभी की यह समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। सरकारें न्यूनतम समर्थित मूल्य (MSP) से कुछ सहायता प्रदान करती है। किसानों की सहायता के तरह प्रभावित होती है। अन्य मानव निर्मित कारणों; जैसे- आग, अप्रामाणिक बीजों, खाद की कमी, मूल्यों में भारी कमी आदि के कारण एकमात्र स्रोत माना जाता है क्योंकि देश की ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा केवल कृषि पर निर्भर है परंतु भारत में कृषि उत्पादन भारत एक कृषि प्रधान देश है। जनता का एक बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि को मूलभूत पेशे का

# कृषि बीमा का इतिहास (History of Agriculture Insurance)

स्वतंत्रता पूर्व काल में वर्षा बीमा योजना 1915 में मैसूर राज्य के श्री जे॰एस॰चक्रवर्ती द्वारा किसानों को सूखे से बचाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल पद्धति पर आधारित थी। कई अन्य राजसी राज्यों जैसे- मद्रास, बड़ौदा तथा दिवास आदि ने भी किसानों को राहत पहुँचाने के लिए फसल बीमा लागू किया। परंतु यह योजनाएँ सफलतापूर्वक लागू नहीं की जा सकीं।

अध्ययन में सजातीय क्षेत्र दृष्टिकोण के पक्ष में रिपोर्ट दी गई। इसे राज्यों को घारण करने के लिए घेजा गया परंतु राज्यों ने इसे स्वीकार नहीं मंत्री डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद द्वारा किया गया। इसमें दो पहलुओं— व्यक्तिगत दृष्टिकोण तथा सजातीय क्षेत्र दृष्टिकोण पर विचार किया गया। योजना को डॉ॰ धर्म नारायण की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी को भेज दिया गया। इसके अतिरिक्त कई अन्य प्रयास किए गए। इनकी किया। दूसरा प्रयास 1965 में किया गया जब भारत सरकार ने कृषि बीमा बिल तथा कृषि बीमा की मॉडल योजना प्रस्तुत की। बिल तथा संक्षिप्त व्याख्या निम्न प्रकार है: देश में स्वतंत्रता के बाद कृषि बीमा को लागू करने का कई बार प्रयास किया गया। पहला प्रयास अंतरिम सरकार में कृषि एवं खाद्य

- (1) फसल बीमा योजना-1972 (Crop Insurance Scheme-1972): भारतीय जीवन बीमा निगम के 'सामान्य गया। यह योजना व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर आधारित थी। तथा योजना में अन्य राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नीटक तथा पश्चिम बंगाल को भी सम्मिलित कर लिया H-4 कपास फसल के लिए था। परंतु बाद में इसमें मूँगफली, गेहूँ तथा आलू की फसलों को भी सम्मिलित कर लिया गया बीमा' विभाग ने गुजरात में 1972-73 में एक फसल बीमा योजना की शुरूआत की थी। शुरूआत में बीमा कवर केवल
- (2) प्राथमिक फसल बीमा योजना-1979 (Pilot Crop Insurance Scheme-1979): प्रो॰ वी॰ एम॰ डान्डेका प्राथमिक फसल बीमा योजना आरंभ की। जोखिम को राज्यों तथा सामान्य बीमा प्राधिकरण द्वारा 2:1 के अनुपात में बाँटने ने सजातीय दृष्टिकोण को सुझाया था। सामान्य बीमा प्राधिकरण ने 1979 में प्रो॰ डान्डेकर के सुझाव पर आधारित का निर्णय लिया। इस योजना में दालें, बाजरा, तिलहन, कपास, आलू, चना तथा जौ आदि को सम्मिलित किया गया

- (3) व्यापक फसल बीमा योजना-1985 (Comprehensive Corp Insurance Scheme-1985): 1 अप्रैल व्यापना 1985 को मारतीय सरकार ने राज्यों की सिक्रय भागीदारी में एक नई योजना की शुरुआत की। यह योजना 1979 की पिछली योजना पर आधारित थी। इस योजना की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार थीं:
- ार्थः किसानों को खाद्य फसलों तथा तिलहन उगाने के लिए वित्तीय संस्थाओं से आवश्यक फसल ऋण लेने की अनुमति (i) किसानों को खाद्य फसलों क्यों का 100% अध्यन रंग रूपा रोगे के आवश्यक फसल ऋण लेने की अनुमति
- उस पर कवर को सीमित किया गया। बाद में इस सीमा को बढ़ाकर 150% कर दिया गया। दी गई। इस योजना में फसल ऋणों का 100% अथवा दस हजार रुपये प्रति किसान, इन दोनों में से जो भी कम हो,
- छोटे तथा सीमांत किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम का 50% केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाना था।
- (iii) केंद्रीय तथा राज्य सरकारों का हिस्सा 2:1 में निश्चित किया गया।
- (iv) योजना राज्य सरकारों के लिए वैकल्पिक थी।
- 1985 से 1999 के दौरान 14 राज्यों ने इस योजना को अपनाया था।

1999 में इस योजना को बंद करके एक नई योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) की शुरुआत की गई।

- (4) प्रयोगात्मक बीमा योजना-1997 (Experimental Insurance Scheme): 1997-98 की रबी फसल के सिम्मिलित किया गया। यह योजना प्रीमियम पर छूट के अतिरिक्त 1985 की व्यापक फसल बीमा योजना के सामने ही समय से एक नई योजना प्रयोगात्मक बीमा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में पाँच राज्यों के 14 जिलों को 4:1 में बॉटने का निर्णय लिया। इस योजना को प्रशासनिक तथा वित्तीय कठिनाइयों के कारण अगली ऋतु से बंद कर थी। इस योजना में प्रीमियम पर 100% की छूट प्रदान की गई। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों ने प्रीमियम छूट तथा दावों को
- 3 बीज फसल बीमा की प्राथमिक योजना-2000 (Pilot Scheme on Seed Crop Insurance-2000): सन् अभिन्न फसलों के लिए निश्चित वर्ग के बीज उगाने वाली सभी बीज उत्पादक संस्थाएँ, राज्य तथा क्षेत्र अनुयोग्य थीं में बीज उगाने वालों को वित्तीय तथा आय स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से 11 राज्यों को इसमें सम्मिलित किया गया। 2000 की खरीफ ऋतु से एक अन्य योजना बीज फसल बीमा की शुरुआत की गई। बीज फसल के खराब होने की दशा चाहे वे निजी हों अथवा सार्वजनिक।
- (6) फार्म आय बीमा योजना-2003 (Farm Income Insurance Scheme-2003): खी 2003-04 ऋतु में खरीद से उत्पन्न बोझ से बचाना था। यह योजना 'सजातीय क्षेत्र' दृष्टिकोण पर आधारित थी तथा इसमें केवल गेहूँ तथा मुख्य उद्देश्य किसानों की आय की सुरक्षा करना था। दूसरा उद्देश्य सरकार द्वारा फसलों को न्यूनतम समर्पित मूल्य पर भारतीय सरकार ने किसानों को आय अस्थिरता से बचाने के लिए फार्म आय बीमा योजना की शुरुआत की। योजना का चावल की फसलों को कवर किया गया था। यह योजना सन् 2000 की खरीब ऋतु के बाद बंद कर दी गई।

### एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (Agriculture Insurance Company of India)

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना था, की शुरुआत की गई थी। जैसा कि पहले बताया गया है 1999 से व्यापक बीमा योजना को बंद कर दिया गया था। एक नई बीमा योजना, जिसका नाम

प्रवर्तक कंपनियों द्वारा अभिदत्त किया गया। AIC की प्रवर्तद कंपनियाँ हैं— भारतीय सामान्य बीमा निगम (35%), नाबार्ड (30%) लिया। कंपनी ने 1 अप्रैल, 2003 से अपने व्यवसाय की शुरुआत कर दी थी। कंपनी की प्रदत्त पूँजी ₹200 करोड़ है। इस पूँजी को 1956 के अंतर्गत किया गया जिसने सामान्य बीमा निगम से फसल बीमा योजनाओं का प्रशासन एवं कार्यान्वयन अपने हाथों में ले एक नई बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सम्मेलन 20 जनवरी, 2002 को कंपनी अधिनियम

पास है। भारत सरकार का कृषि मंत्रालय इसका क्रियान्वयन पर्यवेक्षण करता है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्रधिकाण लिमिटेड (8.75%), तथा यूनाइटिड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (8.75%)। AIC का प्रशासनिक नियंत्रण वित्तीय मंत्रालय हे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (8.75%) तथा यूनाइटिड इंडिया इंग्योरेंस कंपनी लिमिटेड (8.75%), न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी

(IRDA), नियामक संस्था है जो AIC को संचालित करती है। AIC के 17 क्षेत्रीय कार्यालय है जो पूरे भारत के राज्यों की राजधानियों में स्थापित हैं। AIC का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं संबद

बीमा उत्पाद एवं योजनाएँ है। AIC को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए नामित किया गया है।

# ■ राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (National Agriculture Insurance Scheme)

प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल के नुकसान से बचाने के लिए की गई थी। सभी प्रकार के किसान इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। इस योजना में सभी खाद्य फसलें, तिलहन तथा वार्षिक व्यावसियक अथवा बागवानी फसलों को सिम्मिलित किया गया है। लघु एवं सीमांत किसानों को प्रीमियम पर 10% की खूट प्रदान की गई है। 1999-2000 की रबी फसल ऋतु से भारतीय सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत किसानें को

## राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के उद्देश्य (Objective of NIAS)

NIAS के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- प्राकृतिक आपदाओं, महामारी अथवा बिमारियों के कारण सुचित फसलों के होने वाले नुकसान की दशा में किसानों को
- किसानों को प्रगतिशील कृषि पद्धतियों, उच्च मूल्य आगम तथा कृषि में उच्च तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। बीमा सुरक्षा तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- 3. फार्म आय को स्थाई करने में सहायता करना।

### मुख्य विशेषताएँ (Salient Features)

योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं:

- (1) किसानों को सुरक्षा (Farmers Covered): इस योजना के अंतर्गत वे सभी किसान सम्मिलित है जिसमें बटाईदार
- अनिवार्य आधार (Compulsory Basis): बे सभी किसान जो कि सूचित फसलें उगाते हों तथा मौसमी कृति
  प्रक्रिया ऋण (SAO) प्राप्त कर रहे हों। तथा काश्तकार भी शामिल है और जो सूचित क्षेत्रों में सूचित फसलें उगाते हैं।
- (ii) ऐच्छिक आधार पर (Voluntary Basis): वे सभी किसान जो ऋण प्राप्त न कर रहे हों और सूचित फसले उगा
- (2) समाविष्ट क्षेत्र (Area Covered): सभी राज्य, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप तथा पुरदुचेरी जिनका क्षेत्र 27305812.11 हेक्टेयर है।
- (3) समाविष्ट जोखिम (Risks Covered): इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित जोखिम समाविष्ट हैं
- (i) प्राकृतिक रूप से आग लगना तथा बिजली गिरना।
- (ii) तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आँघी, अन्धइ, भारी आँघी, बवन्डर।
- (iii) बाढ़, सैलाब तथा भूस्खलन।
- 3 सूखा तथा शुष्क दौर।
- महामारी तथा बीमारी आदि

्र अपवाद (Exclusions): युद्ध तथा परमाणु जेखिम, विदेष पूर्ण शति तथा अन्य रोके जा सकते वाले जोखिम इस (ब) अपना में समिमलित नहीं किए जाते। क्षेत्रना में सम्मिलित नहीं किए जाते।

याण तथा सुरक्षा की सीमा (Sum Insured and limit of Coverage): बीमा की ग्रीश बीमित की अवसीमा तक उसकी इच्छानुसार बढ़ाई जा सकती है। सचित के के कि कि की ग्रीश बीमित की कसल का उन्ने के 150% तक बढ़ाई जा सकती है। परंतु ऐसी स्थिति में वाणिज्य दरों पर प्रीमियम लिया जाएगा। श्रीमित राग्य की अवसीमा तक उसकी इच्छानुसार बढ़ाई जा सकती है। सूचित क्षेत्र में बीमित किसान की इच्छा पर कसल की उपज की अवसीमा तक वढ़ाई जा सकती है। परंत ऐसी स्थिति में च्यानिक के बीमित किसान की इच्छा पर

अ। जिन किसानों द्वारा ऋण लिया गया हो उनकी बीमा की ग्राश कम से कम फसल ऋण की ग्राश कम से कम फसल ऋण की जिन किसानों द्वारा ऋण लिया गया हो उनकी बीमा की ग्राश कम से कम फसल ऋण की जिन । बर्गां के बराबर होनी चाहिए। फसल ऋण अदायगी के लिए RBI तथा NABARD के दिशा-निर्देश लागू किए जाएँगे राशि के बराबर होनी चाहिए। फसल ऋण अदायगी के लिए RBI तथा NABARD के दिशा-निर्देश लागू किए जाएँगे

तीमवम की दरें (Premium Rates): प्रीमियम की दों निम्न प्रकार होगी

3 खरीफ तथा रर्व		2. रबी		(6) 1. 國初布
युरीफ तथा रबी वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक कृषि उद्यान फसले	अन्य फसलें (जी, दालें, तिलहन)	मूहें	अन्य फसलें (अनाज, अन्य जौ तथा दालें)	बाजरा तथा तिलहन
बीमांकिक दरें	SI अथवा बीमांकिक दर दोनों में से जो भी कम हो उसका 2.0%	SI अथवा बीमॉकिक दर दोनों में से जो भी कम हो उसका 1.5%	SI अथवा बीमांकिक दर दोनों में से जो भी कम हो उसका 2.5%	SI अथवा बीमांकिक दर दोनों में से जो भी कम हो उसका 3.5%

- (7) प्रीमियम की खूट (Premium Subsidy): छोटे किसानों (5 एकड़ तक) तथा सीमांत किसानों (2.5 एकड़ तक) को समान आधार पर होगा। 50% की दर से प्रीमियम पर छूट दी जाएगी। इस छूट का दायित्व केंद्रीय तथा राज्य सरकार अथवा UT सरकारों पर
- 8 जोखिम में हिस्सा (Sharing of Risk): सरकार तथा कार्यान्वित करने वाली एजेंसी द्वारा जोखिम निम्नलिखित अनुपातों में बाँटा जाएगा
- खाद्य फसलें तथा तिलहन (Food Crops and Oilseeds)

	3. तीन वर्ष समाप्त हो जाने के बाद		2. पाँच वर्षों के बाद परंतु 3 और वर्षों तक	1. बीमांकिक प्रणाली के पहले पाँच वर्ष
(ii) 200% से ऊपर केंद्रित — कॉरपस फण्ड दावे	(i) 200% तक के दावें – कार्यान्वित की जाने वाली एजेंसी	(ii) 150% से ऊपर के दावे - कॉरपस फण्ड	2. पाँच वर्षों के बाद परंतु 3 और वर्षों तक (i) 150% तक के दावे — कार्यान्वित की जाने वाली एजेंसी	<ol> <li>बीमांकिक प्रणाली के पहले पाँच वर्ष 100% के ऊपर तक के दावे सरकार द्वारा</li> </ol>

II. वार्षिक वाणिज्यिक/ कृषि उद्यान फसलें (Annual Commercial Cultural Crops)

The state of the last	2. तीन वर्ष बाद	10日から 元以口	1. पहले तीन वर्ष
(ii) 200% से अधिक — कॉरपस फण्ड	(i) 200% तक के दावे — कार्यीन्वित की जाने वाली एजेंसी द्वारा	(ii) 150% से अधिक के दाने — कॉरपस फण्ड	(i) 150% तक के दावे — कार्यीन्वित की जाने वाली एजेंसी द्वारा

हिस्सा होगा। आपदा राहत कोष (Calamity Relicf Fund) का एक हिस्सा कॉरपस फण्ड में योगदान के लिए प्रयोग परावर्तनी हानियों के लिए एक कॉरपस फण्ड बनाया जाएगा जिसमें भारतीय सरकार तथा राज्य/UT सरकारें का 50 : 50 का

- 9 क्षेत्र उपगमन तथा बीमा की इकाई (Area Approach and Unit of Insurance): यह प्रणाली क्षेत्र उपगमन जो कि राज्य तथा UT सरकारें द्वारा निर्घारित किए जाने हैं। जिला आय प्रशासन हानि की सीमा निर्घारित करने आबार पर कार्य करेगी। परिभाषित क्षेत्र ग्राम पंचायत, मंडल, हुबली, सरकल, किकरा, ब्लॉक, तालुका आदि हो सकते है कार्यान्वित की जाने वाली एजेंसी की सहायता करेगी।
- (10) मौसमी नियमावली (Seasonality Discipline): इसमें निम्नलिखित अनुसूची का अनुसरण किया जाता है:

1. ऋण प्राप्त करने वाले किसान (Loanee Farmers)

(iii) उपज ऑकड़ों की प्राप्ति की कट-ऑफ तिथि जनवरी/मार्च जुर	(ii) घोषणा की प्राप्ति की कट-ऑफ तिथि नवम्बर मई	(i) ऋण की अविध अप्रैल से सितम्बर अव	क्रिया खरीफ
जुलाई/सितंबर	퍇	अक्तूबर से मार्च	रबी

- ऋण प्राप्त न करने वाले किसान (Non-Loanee Farmers)
- खरीफ मौसम : 31 जुलाई
- (ii) रबी मौसम : 31 दिसम्बर
- (11) फसल पैदावार का अनुमान (Estimation of Crop Yield): राज्य अथवा UT सरकार फसल पैदावार का पत का संघटन किया जाएगा। NSSO, कृषि मंत्रालय तथा कार्यान्वित की जाने वाली एजेंसी के प्रतिनिध इस समिति के कटाई परीक्षणों के प्रतिदर्श आकार तथा अन्य सभी तकनीकी मामलों के निर्घारण के लिए एक तकनीकी सलाहकार समिति लगाने के लिए सूचित बीमा इकाइयों में सूचित फसलों के फसल कटाई परीक्षण की योजना तथा संचालन करेंगी। फसल
- (12) श्रतिपूर्ति तथा उपन सीमा स्तर (Levels of Indemnity and Threshold Yield): सभी फसलों के लिए क्षतिपूर्ति के स्तर क्रमशः 90%, 80% तथा 60% होंगे। हालांकि बीमित किसान अधिक स्तर की क्षतिपूर्ति को चुन में बाँटा जाएगा जो कि पिछले दस वर्षों की सभी फसलों की उपज के ऑकड़ों के गुणांक परिवर्तन पर आधारित होगा लिए पाँच वर्षों के औसत आघार पर निर्घारित की जाएगी तथा फिर उसे श्वतिपूर्ति के स्तर से गुणा किया जाएगा सीमा अथवा निश्चित (Guaranteed)उपज पिछले तीन वर्षों की चलित औसत के आधार पर तथा अन्य फसलों के सकता है। परंतु उसे बीमांकिक आधार पर अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होगा। गेहूँ तथा चावल के लिए उपज जोखिम की श्रतिपूर्ति के स्तरों के आधार पर क्षेत्रों को निम्न जोखिम, मध्यम जोखिम तथा अधिक जोखिम वाले तीन स्तरों

ला अतिपूर्ति की प्रकृति (Nature of Coverage and Idemnity): यदि बीमा किए गए मौसम में (13) अपने फसल की प्रति हैक्टेयर उपज निर्धारित अवसीमा से कम होती है तो उस निर्धापन के रे वर्ग में माना जाएगा जिन्हें कम उपज प्राप्त हुई है। सुरक्षा तथा के प्रति हैक्टेयर उपज निर्धारित अवसीमा से कम होती है तो उस निर्धारित क्षेत्र के सभी किसानों को उस बीमित फसल की प्रति हैक्टेयर उपज प्राप्त हुई है।

क्षांतपूर्ति की गणना (Calculation of Indemnity)

Shortfall in Yield

Threshold Yield Sum Inusred for the farmer

Shortfall in Yield = Threshold Yield - Actual Yield for the defined area

स्थानीय जोखिमों के लिए क्षतिपूर्ति (Indemnify in Case of localized risks): स्थानीय जोखिमों जैसे कि पर अन्य क्षेत्रों में भी विस्तृत किया जाएगा। आधाः । हेन स्थानीय जोखिमों का परीक्षण सीमित क्षेत्रों में किया जाएगा तथा प्राप्त परिचालन अनुभव के आधार पर किया जाएगा। इन स्थानीय जोखिमों का परीक्षण सीमित क्षेत्रों में किया जाएगा तथा प्राप्त परिचालन अनुभव के आधार स्थाः ...... भूस्खलन, चक्रवात तथा बाढ़ आदि, होने पर हानि का अनुमान तथा दावों का निपटारा व्यक्तिगत आधार आधी, तूफान, भूस्खलन, चक्रवात तथा बाढ़ आदि, होने पर हानि का अनुमान तथा दावों का निपटारा व्यक्तिगत आधार

(15) स्वीकृति तथा दावों के निपटारों की प्रक्रिया (Procedure for Approval and Settlement of Claims): नोटिस बोर्ड पर लगा देगा। निपटाय करेगी। चैक व्यक्तिगत प्रमुख बैंकों में दिए जाएँगे। बैंक किसानों के खाते को क्रेडिट कर देगा तथा इसकी सूचना राज्य तथा UT सरकारों द्वारा प्राप्त उपज के ऑकड़ों के आधार पर कार्यान्वित की जाने वाली एजेंसी दावे की गणना तथा

(16) कॉरपस फण्ड (Corpus Fund): भयंकर हानियों को पूरा करने के लिए एक कॉरपस फण्ड बनाया जाएगा। भारतीय योगदान के लिए प्रयोग किया जाएगा। सरकार तथा राज्य/UT सरकारें 50:50 के अनुपात में योगदान देगी। आपदा राहत कोष का एक भाग भी इस कोष में

जीखिम सुरक्षा के लिए लागू होने वाली महत्वपूर्ण शंतें

(Important Candidate Applicable for Coverage of Risk) (1) गैर वापण क्षेत्रों के लिए दिए गए ऋण इस प्रणाली के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होंगे। इस प्रणाली के अंतर्गत श्रतिपूर्ति अदायगी अथवा किसानों द्वारा ऋण का प्रस्ताव जमा करने पर ही इस प्रणाली के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का दावा नहीं किया जा दावे तभी किए जा सकते हैं जब फसल उगाई गई हो लेकिन पैदावार न हुई हो। केवल वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण की

(2) ऐसे क्षेत्र जहाँ फसल उगाई गई हो परंतु विपरीत मौसमी परिस्थितियों/महामारी अथवा बीमारी के कारण फसल मुरझा हो, नष्ट हो गई हो तथा ऐसे क्षेत्र जहाँ फसल उगने की कोई संभावना न हो तो ऐसे क्षेत्रों के लिए वित्तीय संस्थाओं को कोई ऋण नहीं देने चाहिए। यदि ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भी ऋण दिया जाता है तो वह इस प्रणाली के अंतर्गत सम्मिलित

(3) इस प्रणाली के अंतर्गत सूचित फसलें केवल पैदावार की अवस्था तक ही सुरक्षित हैं। फसल काटने के बाद खेतों में ही रखे रहने के कारण होने वाली क्षति को इस प्रणाली में सम्मिलित नहीं किया जाता।

• राष्ट्रीय फसल बीमा योजना (National Crop Insurance Scheme-NCIP)

2013-14 से NAIS को समाप्त कर दिया गया तथा एक नई योजना राष्ट्रीय फसल बीमा योजना NCIP आरंभ की गई। इस

योजना के तीन घटक हैं: I. संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (Modified National Agriculture Insurance Scheme-MNAIS)

II. मौसम पर आधारित फसल बीमा योजना (Weather Based Crop Insurance Scheme-WBCIS)

III. नारियल, पाम बीमा योजना (Coconut, Palm Insurance Scheme) (CPIS)

- I. संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (Modified National Agriculture Insurance Scheme NAIS में कुछ परिवर्तन किए गए इसलिए यहाँ पर केवल परिवर्तन दिए गए हैं:
- (1) उद्देश्य (Objectives): संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- वापण सुरक्षा तथा प्राकृतिक आपदाओं, महामारी तथा बीमारी के कारण सूचित फसल की उपज न होने पर किसाने को बीमा सुरक्षा तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- (ii) NAIS की तरह
- (iii) NAIS की तरह
- (2) बीमा कंपनियाँ (Insurance Companies): एप्रीकल्चर इंश्वोरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अतिरिक्त कृषि एवं सहयोग विभाग द्वारा चुनी हुई कंपनियों में से चुनिंदा निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी अनुमित दी जाएगी।
- (3) सिम्मिलित फसलें (Crop Covered): NAIS की तरह
- (4) सिम्मिलित राज्य तथा क्षेत्र (States and Areas Covered): संशोधित NAIS को देशभर में NCIP के पूर्व घटक के रूप में लागू किया जाना है।
- 3 सिम्मिलित किसान (Farmers Covered): सभी किसानों के सूची वर्ग के आधार पर निम्न प्रकार है:
- (i) व्यक्तिगत स्वामित्व वाले किसान/काश्तकार/बटाईदार।
- (ii) वे किसान जो प्रत्यक्ष अथवा प्रवर्तकों/संस्थापकों के माध्यम से ठेके पर खेती में नामांकित हैं।
- किसानों का समूह/उर्वरक कंपनियों द्वारा व्यवस्थित सोसाइटियाँ, कीटनाशक दवाई वाली फर्में, फसल उत्पादक संघ सभी ऋणी किसान आवश्यक रूप से इसमें शामिल किए जाएँगे तथा गैर ऋणी किसानों के लिए यह योजना ऐच्छिक स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन तथा अन्य।
- (6) सिम्मिलित जोखिम तथा अपवर्जन (Risks Covered and Exclusions): यह तीन विभागों में विभाजित है:
- (A) खड़ी फसल (Standing Crop): गैर निवार्य जोखिमों के कारण फसल को होने वाली हानियों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। गैर निवार्य जोखिम निम्न हैं:
- प्राकृतिक रूप से आग लगना तथा बिजली गिरना।
- तूफान, अंघड़, चक्रवात, आँघी, बवण्डर आदि
- बाढ़, भूस्खलन आदि।
- (iv) महामारी, बीमारी आदि।
- (B) निवार्य बोआई/रोपण जोखिम (Prevented Sowing/Planting Risk): यदि किसी क्षेत्र के किसान कम योग्य माने जाएँगे। बीमित राशि का अधिकतम 25% क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण बोआई अथवा रोपण से वंचित रह गए हो तो किसान क्षतिपूर्ति के
- 0 फसल कटाई के बाद की हानियाँ (Post Harvest Losses): इसमें वे फसलें सम्मिलित की जाती हैं जो कि काटने के बाद खेतों में सूखने के लिए छोड़ दी जाती हैं परंतु कुछ विशेष चक्रवातों की आपदाओं के कारण नष्ट हो जाती है। यह सुरक्षा फसल कटने के दो सप्ताह तक ही प्राप्त होती है।

अपवर्जन (Exclusions): युद्ध तथा परमाणु जोखिमों, विदेषपूर्ण हानियों तथा अन्य निवार्य जोखिमों के कारण हुई हानियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता।

तीमत राशि/सुरक्षा की सीमा (Sum Insured/Unit of Coverage): बीमत राशि कम से कम स्वीकृत फसल दरं लागू होगी। है।। अथवा ऋण प्राप्त करने वाले किसानों को दी गई राशि के बराबर होनी चाहिए। बीमित किसान की इच्छा पर अतिरिक्त घटक के रूप में वित्त प्रदान किया जाता है। ऐच्छिक किसानों के लिए बीमित राशि बीमित फसल को अवसीमा अप ना जी सित फसल की अवसीमा तक बढ़ाई जा सकती है। देय बीमा शुल्कों के लिए ऋणी के बैंक द्वारा ऋण के एक तिक होती है। यदि किसान की इच्छा हो तो उच्च जोखिम सुरक्षा दी जा सकती है। परंतु ग्रीमियम पर छूट दर सूचित क्षेत्र की कसल अनुसीमा/औसत फसल के 100% तक लागू होगी। 100% से अधिक बीमित ग्रांश पर खूट के बिना प्रीमियम

(8) प्रीमियम दरें तथा छूट (Premium Rates & Subsidy): बीमा कंपनियाँ फसल ऋतु के प्रारंभ में प्रत्येक सूचित फसल के लिए बीमांकिक तथा शुद्ध प्रीमियम (छूट के बाद) दरों की गणना करेगी। उस क्षेत्र के लिए प्रीमियम दरों पर छूट अथवा कटौती का प्रावधान किया जाएगा जिस क्षेत्र के सभी किसानों ने उत्तम जल संरक्षण तथा जोखिम अल्पीकरण के लिए उत्तम चिरस्थायी कृषि कार्य प्रणाली को अपनाया हुआ हो।

किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम पर निम्न प्रकार छूट प्रदान की जाएगी

5. > 15%	4. > 10-15%	3. >5-10%	2. >2-5%	1. up to 2%	S. No. Premium Slab
75% subject to minimum net premium of 6%	60% subject to minimum net premium of 5%	50% subject to minimum net premium of 3%	40% subject to minimum net premium of 2%	Nil	Subsidy by Central and State Government on 50:50 basis and premium payable by farmers

प्रीमियम को आधकतम दर (Premium Capped)

खरीफ ऋतु की खाद्य एवं तिलहन फसलें- बीमित राशि का 11प्रतिशत

रबी ऋतु की खाद्य एवं तिलहन फसलें – बीमत राशि का 9 प्रतिशत

सभी वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें—बीमित राशि का 13 प्रतिशत।

(9) जोखिम का बंटवारा (Sharing of Risk): बीमा कंपनियों द्वारा सभी दावे वहन किए जाएँगे। पहले यह सरकार तथा

कार्यान्वित करने वाली एजेंसी द्वारा 50:50 आधार पर वहन की जाती थीं

- (10) स्कीम पद्धति तथा बीमा इकाई (Scheme Approach and Unit of Insurance) (अ) व्यापक आपदाएँ (Widespread Calamities): योजना क्षेत्र दृष्टिकोण पर आधारित होगी अर्थात् व्यापक आपदाओं की दशा में प्रत्येक सूचित फसल के लिए निश्चित क्षेत्र मुख्य फसलों के लिए निश्चित अथवा परिभाषित
- 9 स्थानीय जोखिम (Localised Risk): स्थानीय जोखिमों जैसे- ओलावृष्टि, भूस्खलन आदि की दशा में दावों के मध्य का आकार होगा। इनका निर्णय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा किया जाएगा। का आकलन व्यक्तिगत आधार पर किया जाएगा।

क्षेत्र से अभिप्राय एक ग्राम अथवा ग्राम पंचायत से हैं। अन्य फसलों के लिए परिभाषित क्षेत्र ग्राम पंचायत से तालुक

40.4

(11) पीसम अनुशासन (Seasonality Discipline): ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों के लिए विस्तृत मीसमी अनुशासन नम प्रकार होगा: बीमा के मृत तथ

क्रिया (Activity)	खरीफ (Kharif)	रवी (Rahi)
अनिवार्य आधार पर ऋणी किसानों के लिए ऋण समयाविध अप्रैल से जून/जुलाई (ऋण अनुमति)	अप्रैल से जून/जुलाई	अक्तूबा से दिसाबा
र्प्वेच्छिक आधार पर कवर किसानों के लिए प्रस्ताव प्राप्त करने 30 जून/3। जुलाई की निर्दिष्ट निधि	30 जून/31 जुलाई	31 दिसम्बर
बैंकों द्वारा अनिवार्य आधार पर कवर ऋणी किसानों से घोषणा पत्र 31 जुलाई प्राप्त करने की निर्दिष्ट तिथि	31 जुलाई	31 जनवरी
बैंकों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर कवर किसानों से घोषणा पत्र 31 जुलाई प्राप्त करने की निर्दिष्ट तिथि	31 जुलाई	31 जनवरी
उत्पादन ऑकड़े प्राप्त करने की निर्दिष्ट तिथि	अंतिम फसल के एक अंतिम फसल के एक महीने के अंदर महीने के अंदर	अंतिम फसल हे महीने के अंतर

- (12) फसल उत्पाद का आंकलन (Estimation of Crop Yield): यह पिछली योजना के समान ही है अर्थात् इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
- (13) श्रातिपूर्ति का स्तर तथा उपज की अवसीमा (Levels of Indemnity and Threshold Yield): पहले औसत उपज के बराबर हो सकती है जो कि पहली प्रणाली 3 वर्ष की औसत उपज के बराबर थी। स्तरों के अनुरूप हैं, फसल के लिए उपलब्ध है। उपज की अवसीमा अथवा फसल की गारंटीयुक्त उपज अगले 7 वर्षों की क्षतिपूर्ति के तीन स्तर निर्घारित किए गए थे परंतु अब क्षतिपूर्ति के दो स्तर 90% तथा 100%, जो कि क्षेत्रों के जोखिम
- (14) सुरक्षा तथा क्षतिपूर्ति की प्रकृति (Nature of Coverage and Indemnity): इसे दो भागों में विभाजित किया गया है जो कि पहली प्रणाली में नहीं किया गया था
- (A) व्यापक आपदाएँ (Widespread Calamities): इसमें श्रितपूर्ति की गणना तथा सुरक्षा की प्रकृति में कोई
  परिवर्तन नहीं है। परंतु दावों के भुगतान के लिए इसे आगे तीन भागों में विभाजित किया गया है:
- (1) दावों का खाते द्वारा भुगतान (On Account payments of Claims): फसलों के मीसम के दौरान जब सभावित उपज सामान्य उपज के 50% से कम हो। सभावित दावों की 25% राशि का भुगतान पहले प्रतिकृत मीसमी परिस्थितियों की दशा में इसका भुगतान किया जाता है। इसका भुगतान तभी किया जाता है
- 2 जाता है जिसके कारण उस क्षेत्र में बापण तथा रोपण संभव न हो पाया हो। दावे के भुगतान की अधिकतम निवार्य वापण/रोपण दावे (Prevented Sowing/Planting Claims): इन दावों का भुगतान तब राशि बीमित राशि के 25% तक होगी। जैसे ही क्षतिपूर्ति की जाती है बीमा सुरक्षा समाप्त हो जाती है। किया जाता है जब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा उस क्षेत्र को कम बारिश वाला क्षेत्र घोषित कर दिया
- 3 फसल कटाई के बाद की हानियाँ (Post harvest losses): ऐसी हानियों का भुगतान केवल ऐसी अंतर्गत सम्मिलित नहीं की जाती। यह सुरक्षा फसल कटने के केवल 14 दिनों तक ही प्राप्त होगी। विशिष्ट चक्रवात जोखिम के कारण उस फसल को हानि हुई हो। गहाई से पहले ढेर में रखी गई फसल इसके फसलों के लिए किया जाता है जो कि काटी जा चुकी हों और सुखने के लिए खेतों में छोड़ी गई हों और किसी

- (B) स्थानीय जोखिम (Localised Risks): इन हानियों का अनुमान व्यक्तिगत आधार पर लगाया जाता है। आगमों की लागत तथा जोखिम के कारण संपावित उपन में क्षेत्रे वाली क्षीत्र के आधार पर क्षीत्र का अनुमान लगाया
- (15) कमीग्रान तथा वैंक सेवा गुल्क (Commission and Bank Service Charges): वीमा कपीनयों क्रेणी किमान ऋणी किसानों को कवा काने के लिए वाप्नियक प्रीमियम का 4 प्रीनशन बीमा मध्यार्थी, ग्रामीण एजेटो तथा बीमा के नोडल बैंक की शाखा को वास्तीवक प्रीपियम का 4 प्रतिशत मेवा प्रभाग के रूप में अंदा करेगी। बीमा कर्पनमंं नेन कंपनियों द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त अन्य व्यक्तियां को भी भुगतान कोती
- (16) पुनर्वीपा कवर (Reinsurance Cover): योजना को क्रियान्तिन करने वाली एनेमी गर्दीय अथवा अनर्गादीय जाती है तथा प्रीमियम दावों का अनुपात । 5 में अधिक हो जाता है तो ममका बीमा कपनी को ममश्रण प्रदान कोगी। इस में अंशदान करेगी। कुल हानि के 500 प्रतिशत में अधिक होने पर उसे इस फाट से पूरा किया जाएगा उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर एक आपात पूर्ण फण्ड की स्थापना की जाएगी। इसमें केंद्रीय एवं गज्य सरकारे बराबर अनुभात पुनर्बीमा बाजार में योजना के लिए पुनर्वीमा का प्रवेश कोगी। यदि क्रियान्वयन एजेमी यह कका प्राप्त काने में अमफन ह
- (17) योजना की समीक्षा (Review of Scheme) योजना की ममीक्षा वार्षिक आचार पर न करके प्रत्येक योजना अवीध के बाद की जाएगी
- (18) जोखिम को कवर करने संबंधी महत्वपूर्ण गर्ने/अनुच्छेद (Important Conditions/Clauses Applicable for Coverage of Risk):
- वैंक अलग-अलग किसानों की मुन्नी एवं प्रम्ताव फार्म वीमा कर्पानयों को उपलब्ध कराएँग। दावों की दशा मं, वैंक मी प्रदर्शित की जाएगी **लाभा**न्वित किसानों की मुन्नी के माथ साथ इससे सर्वाधत मीटीएकेट भी टेंगे। यह सुन्नी प्राप्त प्रचायत के टफ्तर में बीमा कंपनियों से प्राप्त गाँच का एक हमते के अटर कियानों के खाते में हस्तातरित करेंगे। बैंक बीमा कर्पनियों को
- 2 प्रचलित कृषि स्थिति को रेखते हुए क्रियान्वयन एजेमी किमी भी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की किमी भी फमल/फमलों के जोखिम को स्वीकार अथवा अम्बीकार कर सकती है।
- (3) फसल ऋतु के प्रारम अथवा मध्य में कृत फसल के लगभग होनि होने पर क्रियान्ययन एजेंसी एक श्रेणीयद्ध माप के आधार पर श्रीतपूर्ति निपटारा करेगी। यह श्रीतपूर्ति को उम अवस्था तक किए गए खर्चों के अनुपान में सीमिन
- (4) असंगत फसल बीमा कवर तथा खेतों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए क्रियान्ययन एजेंसी किसी भी माध्यम से जाँच पड़ताल कर सकती है।
- (19) निगरानी एवं मूल्यांकन (Monitoring and Evaluation): योजना की जिला राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी राज्य सरकारों, क्रियान्ययन एजेंसियों एवं भारतीय सरकार द्वारा की जाएगी। योजना का मुल्यांकन प्रत्येक ग्राहक वर्ष के अंत में किया जाएगा।
- विशेषताएँ निम्न प्रकार है: आदि के कारण होने वाली अपेक्षित फसल हानि से होने वाली बित्तीय हानि के बिपरीत बीमा कवर प्रदान करता है। WBCIS की मुख्य II. मीसम पर आधारित फसल बीमा योजना (Weather Based Crop, Insurance Scheme—WBCIS) मौसम आधारित फसल बीमा मौसम की विपरीत परिस्थितियों जैसे- वर्षा के कम या ज्यादा होने, पाला, गर्मी (तापमान), आईता
- (i) भारतीय कृषि के संदर्भ में और खास तौर पर खरीफ ऋतु में मौसम के विषिन्न मानदण्डों जैसे वर्षा, गुप्रमान , खा, बुप आदि में वर्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानद्ण्ड है। इसलिए योजना के अंतर्गत वर्षा की विषयत बटनाजी जस क्स ब

भीम के मूल तत्त्व

जैसे-ीर मीसम वर्षा, तापमान, पाला, आईता आदि कुछ मुख्य मानदण्ड हैं जो फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अधिक वर्षा से होने वाली फसल उत्पाद की अपेक्षित हानि की क्षतिपूर्ति की <u>जानी चा</u>हिए। दूसरी और मौसम के मानदण्ड

(ii) ओलावृष्टि, बादलों के फटने जैसी आपदा से बागवानी फसलों के लिए पूरक/सूचक उत्पादों को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति के लिए भी प्रावधान किया गया है।

(iii) WBCIS को खरीफ एवं रबी मौसम में उगाए जाने वाले अनाज, बाजरा, दालें, तिलहन तथा वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए लागू किया गया है।

(iv) WBCIS के अंतर्गत सभी किसान (ऋणी एवं गैर ऋणी) कवर के योग्य है। परंतु वीमा ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य है

(v) WBCIS को भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AIC तथा सूचीबद्ध निजी बीमा कंपनियों में संशोधित किया गया।

(vi) WBCIS में भाग लेने वाली सभी कंपनियों को ऋण लेने वाले तथा ऋण न लेने वाले किसानों के लिए इसी प्रकार सुधार करने की खीकति दी गुई।

(vii) राज्य सरकारों से संबद्ध संस्था द्वारा सुरक्षित क्षेत्र सूचित किए जाएँगे।

(viii) ऋण लेने वाले किसानों के लिए WBCIS अनिवार्य हो सकता है परंतु ऋण न लेने वाले किसान MNAIS तथा WBCIS के बीच तथा WBCIS के लिए बीमा कंपनी का भी चयन कर सकते हैं।

(ix) बीमा कंपनियाँ प्रीमियम की दरें, जोखिम सुरक्षा स्तर, बीमित राशि, दावों का भुगतान तथा प्रीमियम पर छूट एवं अन्य

(x) <u>बीमित राशि</u> की अधिकतम सीमा फसल की लागत तक होगी। ऋण न लेने वाले किसान अधिकतम सीमा के अंतर्गत छोटी ग्राश का बीमा करवा सकते हैं। परंतु वह राशि बीमित ग्राश की अधिकतम सीमा के 50% से कम नहीं होनी चाहिए।

(xi) बीमा कंपनियाँ फसल का मौसम आरंभ होने से पहले सुचित फसल के लिए बीमांकिक प्रीमियम तथा साथ ही साथ शुद्ध अधिकतम सीमा होगी। जिन फसलों के लिए प्रीमियम अधिकतम सीमा से अधिक होगा वहाँ अधिकतम स्तर के अनुपात में तथा तिलहनों के लिए 8% होगी। वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम की बीमांकिक दरों की 12% बीमित राशि को कम कर दिया जाएगा। ये सीमाएँ पंचवर्षीय यो प्रीमियम दरों का निर्धारण करेंगी। खरीफ मौसम में प्रीमियम की दरें अधिकतम 10% तथा रबी मौसम में खाद्य फसलें

50% Subsidy subject to minimum net premium of 6% payable by farmers	>8%	
payable by farmers		4
40% Subsidy subject to minimum	> 5% - 8%	3.
payable by farmers		,
7507 C.L.	> 2% - 5%	5
No Subsidy	up to 2%	ļ
basis and premium payable by farmers		
	Premium Slab	S. No.
THE PART OF THE PA		

(xii) निजी बीमा कंपनियाँ IRDA के नियमानुसार जोखिम सुरक्षा के लिए समय-समय पर अधिकृत एजेन्सियों से आविधक

(xiii) निजी बीमा कंपनियों को भी AIC के लिए लागु किए गए खूट स्तर प्राप्त होंगे।

(xiv) प्रत्येक योजना अवधि के अंत में WBCIS का स्वतंत्र मृत्यांकन किया जा सकता है।

(xv) इस योजना के अंतर्गत बीमा सुरक्षा उन फसलों को दी जाएगी जो कि अक्तुबर/नवंबर तथा अप्रैल के बीच होती है। यदि फसल की उगाई की अवधि से यह निर्धा<u>रण किया जाएगा</u> कि इसे किस वर्ग में रखा जाएगा। फसल की जुताई की अवधि इस अवधि के बीच नहीं पड़ती अथवा अगले मौसम् अवधि में होती है तो ऐसी स्थिति में

(1) क्षेत्रीय अवधारणा (Area Approach): योजना चयनित सुचित संदर्भित इकाई क्षेत्रों में 'क्षेत्रीय अवधारणा' के उद्देश्य से 'संदर्भित इकाई क्षेत्र' को बीमे का इकाई क्षेत्र माना जाएगा। सिद्धांत पर परिचालित की जाएगी। क्षेत्रीय अवधारणा से द्योतित है कि जोखिम की स्वीकृति एवं दावों के आकरतन के

(2) भीगोलिक क्षेत्र (Geographical Coverage)

(a) 'संदर्भित इकाई क्षेत्र' को विशिष्ट संदर्भित मौसम स्टेशन से जोड़ा जाएगा।

(b) 'संदर्भित इकाई क्षेत्र' वे हैं जो क्षितिपूर्ति के आकलन के उद्देश्य से 'मौसम के आँकड़े' प्रदान करने के लिए स्थापित

<u>0</u> 'संदर्पित इकाई क्षेत्र' संदर्भित मौसम स्टेशन के आस-पास का भौगोलिक क्षेत्र है। ईकाई क्षेत्र को वर्षा एवं हवा मानदण्डों के लिए संदर्भित <u>मौसम स्टेशन के आस-पास</u> के 10 किलोमीटर का दायरा तथा अन्य मौसम मानदण्डो जैसे-पाला, तापमान, सापेक्ष आईता की दशा में 100 किलोमीटर के दायरे में सीमित होगा।

(3) सुरक्षित फसलें (Crops Covered): खी ऋतु में उगाए जाने वाले अनाज, बाजग, दालें, तिलहन तथा वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसले इसमें कवर की गई है। मुख्य फसलों में गेहूँ, जो, चना, मसूर, आलू, प्यांज, जींग, धनिया

(4) कवर के लिए योग्य खेतीहर (Cultivators Eligible for Coverage): किसी भी सदर्भित इकाई क्षेत्र में कोई भी ऋणी खेतीहरों के लिए अनिवार्य एवं गैर ऋणी खेतीहरों के लिए ऐच्छिक होगा। सूचित फसल उगाने वाले बटाईदार तथा कारतकार सहित सभी खेतीहर कवर के लिए योग्य होंगे। WBCIS सभी

(5) आवृत आपदाएँ (Perils Covered): योजना में कम बरसात, गैर-मौसमी/अधिक वर्षा, पाला, तापमान, आईता आदि कवर किए गए हैं। इनके अतिरिक्त ओला वृष्टि , बादल फटने आदि आपदाओं से बागवानी फसलों के अतिरिक्त सूचकांक उत्पादों को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए भी प्रावधान किया गया है।

(6) वीमा अवधि (Insurance Period): जोखिम अवधि फसल की बुआई अवधि से लेकर परिपक्व होने तक रहेगी। अनुसार अलग-अलग होगी तथा इसकी अघिसूचना SLCCI द्वारा जोखिम अवधि शुरू होने से पूर्व जारी की जाएगी। जोखिम अविध अलग-अलग फसल तथा संदर्भित इकाई क्षेत्र के लिए फसल की अविध तथा चुने गए मानदण्डों के

(7) मीसमी व्यवस्था (Seasonality Discipline): जोखिम अथवा बीमा कवर को जोखिम अवधि शुरू होने तक स्वीकार किया जाएगा। एक बार जोखिम अवधि शुरू होने के बाद कोई भी बीमा कवर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(8) कवर प्रक्रिया (Coverage Procedure):

(a) ऋणी खेतीहर (Loanee Cultivators): मूल स्तर पर वित्तीय संस्थाओं के वर्तमान तंत्र हुरए।

(b) गैर-ऋणी खेतीहर (Non-Loanee Cultivators): मूल स्तर पर वितीय संस्थाओं के वर्तमान तंत्र, बीमा मध्यस्थों तथा कार्यान्वयन बीमा कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा।

157

Ĉ ऋणी किसानों की दशा में सेवा प्रभार (Service Charge in case of Loance Farmers): क्रियान्वयन करने वाली बीमा कंपनियाँ प्रधान (Nodal) बैंक की शाखाओं को किसानों के वास्तविक ग्रीमियम का 4 ग्रतिशत

(d) गैर-ऋणी किसानों की दशा में सेवा प्रभार (Service Charge in case of Non-Loance Farmers): कियान्वयन करने वाली बीमा कंपनियाँ बीमा मध्यस्थों, ग्रामीण एजेटों तथा गैर-ऋणी किसानों को कवर करने के लिए प्रयुक्त व्यक्तियों को किसानों के बीमा प्रीमियम का 4 प्रतिशत सेवा प्रभार के रूप में देंगे।

(9) बीमित राज़ि (Sum Insured): बीमित राज़ि व्यापक रूप से फसल लागत के बराबर होगी जो कि बीमाकर्ता द्वारा सूचित फसल के लिए घोषित किया गया क्षेत्र। ऋण प्राप्त करने वाले आवेदक किसान (Loanee Applicant Cultivator) : ऋण आवेदन पत्र में पहले से ही फसल के लिए घोषित किए गए क्षेत्र को सूचना में निर्घारित प्रति हेक्टेयर बीमित राशि से गुणा करके की जाएंगी। सूचना में पहले से ही सूचित की जाएगी। एक व्यक्तिगत किसान के लिए बीमित राशि की गणना किसान द्वारा उस सूचित

गैर ऋणी किसान (Non-Loanee Cultivators): किसान बीमा प्रस्ताव पत्र में सूचित प्रत्येक फसल के लिए क्षेत्र

(10) प्रीमियम की दरें (Premium Rates): बीमाकर्ता द्वारा मैसम के आरंभ होने से पहले प्रत्येक सुचित फसल तथा जो कि सब पर लागू होगी। प्रत्येक सूचित संदर्भ इकाई क्षेत्र के लिए बीमांकिक प्रीमियम दरों की गणना की जाएगी तथा सूचना में घोषित की जाएगी

(11) प्रीमियम में हिस्सा तथा सहायता (Premium Sharing and Subsidy): जैसा कि पिछली तालिका में वर्णन पूर्ण प्रीमियम राशि प्राप्त करने पर ही जोखिम आरंभ होगा। किया गया है केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार 50 : 50 के अनुपात में प्रीमियम सहायता प्रदान करेगी। बीमाकर्ता द्वारा

(12) श्रतिपूर्ति (भुगतान) [Compensation (Payout)]:

बीमा कंपनियाँ प्रतिकृल मौसम घटना से उत्पन्न सभी भुगतानों के लिए योजना शर्तों एवं परिस्थितियों के अनुसार सबद्ध प्रीमियम एवं भुगतान तालिका के आघार पर उत्तरदायी होंगे।

आतिकृत मौसम की अवस्था में ही भुगतान देय होगा। प्रतिकृत मौसम परिस्थितियाँ एक निश्चित समयाविध में 'संदर्भित मौसम स्टेशन' पर अभिलिखित 'सतकर्ता मौसम' एव 'वास्तविक मौसम' आँकड़ों का विचलन है।

(iii) भुगतान वितरण (Payout Disbursement):

बीमा कंपनियों द्वारा केंद्रीय बैंक को साधारणतया बीमा अवधि के खत्म होने के 45 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। बशर्ते वास्तविक मौसम ऑकड़े उसे प्राप्त हो गए हों।

6 भुगतान प्रक्रिया खर्चालत होगी, अर्थात् बीमाकर्ताओं ह्या भुगतान की गणना अपने आप की जाएगी और भुगतान की राशि केंद्रीय अथवा प्रमुख बैंक के माध्यम से बीमित के बैंक खाते में स्वतः करेंगे।

III. कोकोनट पाम बीमा योजना (Coconut Palm Insurance Scheme— CPIS)

 परिचय (Introduction): मौसम परिवर्तन, प्राकृतिक विषदाएँ, विनाशकारी जीव, विमारियाँ आदि नारियल की खेती इसोलए इसका समाधान जरूरी है। खराब हो जाती है। नारियल बारहमासी फसल है तथा इस फसल के खराब होने पर किसानों को भारी हानि होती है, को प्रभावित करते हैं। कई बार किसी प्रदेश के नारियल की समस्त खेती विपदा अथवा विनाशकारी जीवों के आक्रमण से

के आधार पर होती है तथा इसलिए ये वार्षिक मौसमी फसलों के सदृश हैं, इसलिए बीमा कवर के योग्य है। क्योंकि नारियल बारहमासी फसल है। परंतु पाम वृक्ष की यह विशेषता है कि इनकी फसल की बुआई एवं कटाई आविधक प्रणाली

> 新都 ना(५९८) आवश्यक है कि बीमा योजना के अंतर्गत कोकोनट पाम को कवर करके कोकोनट किसानों के जोखिम को न्यूनतम किया नारियल की जुताई वर्षा आधारित है इसलिए यह जैविक तथा अजैविक दावों के प्रति संवेदनशील होती है। इसलिए यह

(2) उद्देश्य (Objectives): योजना के उद्देश्य निम्नलिखित है:

(i) नारियल की फसल उगाने वालों को प्राकृतिक तथा अन्य जोखिमों के लिए सहायता प्रदान करना

(ii) पाम के अचानक खराब होने के कारण किसानों द्वारा उठाई जाने वाली आय-हानि के लिए समय पर राहत प्रदान

(jii) नारियल की पुनः उगाई तथा फसल को प्रोत्साहित करना तथा जीखिम को न्यनूतम करना

(3) व्यावहारिकता (Applicability): CPIS सभी स्वस्थ नारियल के पेड़ जिन पर फल (Nut) लगे हो चाहे उने की सभी प्रजातियों पर लागू होगी। यह योजना निम्न श्रेणियों के लिए लागू होगी। अकेले अथवा मेड़ खेतों में अंतर-फसल के रूप में अथवा कृषि फार्म में उगाया गया हो तो तथा लंबे पाम सहित नारियल

बीने तथा द्विजाति पामः आयु वर्ग 4-60 वर्ष

लंबी श्रेणी कोकोनेट पामः आयु वर्ग 7-60 वर्ष

अस्वस्य एवं जीर्ण पामः कवर से बाहर

(4) पात्रता मानदण्ड (Eligibility Criteria): सभी वे किसान अथवा उत्पादक जो बीमे के लिए निकटस्थ क्षेत्र अथवा भूखण्ड में निश्चित आयु वर्ग में नट वाले कम से कम 5 स्वस्थ वृक्ष प्रस्तावित करें वे बीमे के लिए योग्य होंगे

(5) कवर का विस्तार (Scope of Cover): योजना उन सभी जिलों अथवा क्षेत्रों के बीमा योग्य आयु वर्ग के स्वस्थ पाम द्वारा अनुदान के पश्चात के प्रीमियम का भुगतान करेंगे से संपर्क कर सकते हैं अथवा निकटतम कृषि अथवा वागवानी विभाग से संपर्क कर सकते हैं। किसान अथवा उत्पादक जाएगा। वे किसान अथवा उत्पादक जो बीमा कराना चाहते हैं वे सीघे बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों अथवा अधिकृत एजेंटो प्रमाणिकता की जाँच करा सकती है। आयु अथवा महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में गलत घोषणा पाए जाने पर बीमा निष्प्रपाव हो होगा। बीमा कंपनी दावों के भुगतान अथवा पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय बीमित पाम की तथा 16-60 वर्ष। बीमा प्रस्ताव में किसान अथवा उत्पादक द्वाग वृक्ष की आयु वर्ग संबंधी दिया गया व्यौग स्वीकार्य बीमा स्वीकार्य नहीं होगा। बीमा कवर को प्रीमियम तथा बीमा राशि के लिए टो बर्गों में बाँटा गया है अर्थात् 4-15 वर्ष पर लागू होगी जो योजना के क्रियान्वयन के लिए चुने गए हैं। निकटवर्ती क्षेत्र बागान अथवा खेती में आंशिक वृक्षों का

(6) संभाव्यता बीमा (Contingency Insured): इस बीमा पॉलिसी में बीमित जोखिमों के कारण यदि बीमित पाम की रखना चाहे तब दावे की ग्रीश में से 50 प्रतिशत अर्वाशष्ट मूल्य के लिए काट ली जाएगी को अनुत्पादक घोषित किया गया हो, प्रदान करने पर किया जाएगा। यदि किसान अथवा उत्पादक अनुत्पादक पाम को बीमित राशि का भुगतान कोकोनट विकास बोर्ड अथवा कृषि विभाग अथवा बागवानी विभाग का सर्टिफिकेट जिसमें पाम मृत्यु हो जाए अथवा अनुत्पादक हो जाए तो उस कुल हानि का भुगतान किया जाता है। जब पाम की मृत्यु तुरंत न हो तब

(7) कवर अथवा बीमित जोखिम (Risk Covered): इस योजना में निम्न जोखिम अथवा आपदाएँ बीमित हो जाएंगी जिनके कारण पाम को क्षति अथवा मृत्यु हो जाए अथवा वे अनुत्पादक हो जाएँ

तूफान, ओला-वृष्टि, चक्रवात, तूफान, बंबडर, भारी

(ii) बाढ़ एवं जलप्लावन।

(iii) व्यापक कीट एवं बिमारियाँ जिसके कारण पाम को अपूरणीय नुकसान हो।

O

3 भूकम्प, भूस्खलन तथा सुनामी।

(vi) भयंकर सूखा तथा परिणामस्वरूप पूर्ण हानि

(8) अपवाद (Exclusions): योजना के अंतर्गत किसी भी दावे का भुगतान नहीं किया जाएगा यदि नुकसान किसी भी ऐसे ्उतरदायी नहीं होगा जो कि बीमित द्वारा उसके संबंध में किए गए हों अथवा बीमित जोखिम के अतिरिक्त किसी अन्य हानि के लिए किए हों। निम्न घटनाओं की दशा में बीमा नहीं किया जा सकता जोखिम के कारण हुआ हो जो 'विशेषाधिकार' वाक्य के अंतर्गत आता हो। बीमाकर्ता किसी भी व्ययों के भुगतान के लिए

चोरी, युद्ध, हमला, गृहयुद्ध विद्रोह, क्रांति, बगावत, दंगा, तालाबंदी, द्वेषपूर्ण क्षति, साजिश, फौजी/अनाधिकाः अधिग्रहण/संहार/क्षति जिसमें विद्युत प्रसारण सम्मिलित हैं, के कारण होने वाली हानि। प्रहण शक्ति, नागरिक विद्रोह, कुर्की वस्तुतः किसी भी सार्वजनिक/शहरी/स्थानीय प्रभुत्व द्वारा सरकारी कानूनन

 $\Xi$ नाभिकीय अभिक्रियाएँ, नाभिकीय विकिरण अथवा रेडियोसिक्रयता संपर्क विकार

(iii) वायुयान अथवा किसी अन्य गिरने वाली वस्तु अथवा पिण्ड के प्रभाव से होने वाली क्षति

(F) बीमित द्वारा अथवा उसके लिए कार्य कर रहे अन्य व्यक्ति द्वारा जान-बूझ कर की गई उपेक्षा के कारण हानि

3 मनुष्य, पक्षी अथवा किसी जानवर द्वारा पहुँचाई गई क्षति।

3 पाम की गलत तरीके से देख-रेख।

(vii) पाम के अस्वस्थ अथवा जीर्ण हो जाने पर।

पाम के प्राकृतिक नाश होने अथवा पाम के जड़ समेत उखड़ जाने पर

(ix) पूँजीगत हानि जैसे- भूमि लागत की हानि अथवा बीमित पाम को सहारा दे रहे ढाँचों की क्षति, सिंचाई प्रणाली, उपकरण अथवा औजार।

(9) बीमित राशि तथा प्रीमियम (Sum Insured and Premium): पाम के बीमे की राशि तथा प्रीमियम दरें निम्न

14.00	1750	16 – 60
9.00	900	4 – 15
प्रति पाम प्रतिवर्ष प्रीमियम (₹)	प्रति पाम बीमित राशि (Sum Insured) ₹ में	पाम आयु (Age of Palm)

(10) प्रीमियम छूट (Premium Subsidy): ऊपर दी गई तालिकानुसार गणित राशि में से ₹ 4.50 प्रति पाम कोकोने कम 10 प्रतिशत का वहन करना होगा सकता है अगर उसका उसमें 'बीमायोग्य हित' हो। किसी भी दशा में वृक्षारोपक अथवा उत्पादक को प्रीमियम का कम से वृक्षारोपक अथवा उत्पादक की ओर से प्रीमियम का भुगतान करना चाहता है तो वह संघ प्रीमियम का भुगतान तभी का उत्पादक को ₹ 4.50 प्रति पाम बीमे के प्रीमियम के रूप में देने होंगे। यदि कोई वृक्षारोपक अथवा उत्पादक संघ किसी अदा किए जाएँगे। यदि राज्य सरकार अपने हिस्से के प्रीमियम के भुगतान के लिए तैयार नहीं हो तो किसान अथवा विकास बोर्ड तथा ₹ 225 प्रति पाम संबंधित राज्य सरकार तथा शेष ₹ 2.25 प्रति पाम किसान अथवा उत्पादक द्वारा

प्रीमियम में छूट की राशि का पूर्वानुमान के आधार पर बीमा कंपनी को भुगतान अग्रिम तौर पर किया जाएगा, जिसकी पुन पूर्ति अथवा समायोजन तिमाही अथवा वार्षिक तौर पर किया जाएगा।

> 新都 (11) बीमा अवधि (Insurance Term): एक पॉलिसी अधिकतम तीन वर्षों के लिए जांग्रे की जा सकती है किसानों अधवा आरंप होगा। उत्पादकों को दो वर्षों की पॉलिसी के लिए 7.5% की दर से तथा तीन वर्ष की पॉलिसी के लिए 125% की दर से प्रतियम में खूट प्रदान की जाएगी। जोखिम कवर जिस महीने में बीम लिया गया है उसके अगले महीने की तिथि से

(12) प्रतीक्षा अविध (Waiting period): यदि बीमा की अविध आरंप होने के 30 दिनों के पीतर पाम की फसल को कोई हानि हो जाए अथवा नष्ट हो जाए तो योजना के अतर्गत बीमत राशि देय नहीं होगी। परंतु यह शर्त समय अंतर के बिना बीमा के नवीकरण की स्थिति में लागू नहीं होगा।

(13) विशेषाधिकार (Franchise): दावें का निर्घारण केवल तभी किया जाएगा जब निकटस्थ क्षेत्र में बीमित जोखिम के कारण नष्ट हुए पाम की संख्या विभिन्न स्तरों पर दिखाए गए नष्ट पाम की संख्या से अधिक हो।

<b>ω</b>	2.	-	S. No. No. of Insure
> 100	31 – 100	10 - 30	No. of Insured Palms in a Contiguous Area
3	2	-	Franchise (Palms Lost)

(14) आरक्षित राज्य तथा क्षेत्र (State and area coverd): यह बीमा योजना राज्यों तथा UT के कुछ चुनिन्दा जिलों में ही लागू की जाएगी। निकटस्थ क्षेत्र में किसानों द्वारा सभी स्वस्थ तथा उगे हुए पाम वृक्षों का ही बीमा करवाया जाएगा तथा COB द्वारा केवल स्वस्थ वृक्षों का ही बीमा करने का प्रयत्न किया जाएगा।

(15) बीमा पॉलिसी का निर्गमन (Issue of Insurance Policy): प्रस्ताव तथा प्रीमियम ग्रीश प्राप्त करने के 30 दिनों कोकोनेट विकास बोर्ड को त्रैमासिक आघार पर बीमित किसानों की समेकित सूची दी जाएगी। के मीतर AIC द्वारा व्यक्तिगत बीमित किसानों को बीम प्रमाण पत्र अथवा कवर नोट निगर्मित किए जाएँगे। AIC द्वारा

(16) दावे के निर्धारण तथा निपटारे की प्रक्रिया (Claim Assessment and Settlement Procedure): बीमा दावों की सूचना भी उनसे संबंधित राज्य सरकार के कॉल सेन्टर के माध्यम से दी जा सकती है। कोकोनेट विकास बोर्ड पाम की फसल को जीखिमों से होने वाली हानि के बारे में बीमित किसान बीमा कंपनी को 15 दिनों के भीतर सूचना देगा। अथवा कृषि अथवा बागवानी विभाग अथवा राज्य कृषि विश्वविद्यालय हारा दिया गया हानि निर्घारण प्रमाण पत्र जमा भुगतान कर देगी। दावे की ग्रशि का भुगतान COB तथा संबंधित गुज्य से प्राप्त प्रीमियम छूट पर निर्मर करता है। करवाने की आवश्यकता होती है। बीमा कंपनी उस तिथि के एक महीने के भीतर बीमित किसान को टावे की ग्रीश का

कृषि/बागवानी विभाग अथवा राज्य कृषि विश्वविद्यालय जो कि हानि प्रमाण पत्र में संलग्न है उन्हें भी आपसी समझौते प्रीमियम की राशि पर 1.5% की दर से सेवा शुल्क बीमा कंपनी द्वारा कृषि अथवा बागवानी विभाग को दिया जाएगा द्वारा निर्धारित दर पर सेवा शुल्क दिया जा सकता है तथा लागू की जाने वाली एजेंसी तथा COB के बीच बराबर-बराबर

जब पूर्ण दावे की राशि का भुगतान कर दिया जाता है तो बीमा समाप्त हो जाता है। क्षोकोनट विकास बोर्ड में पंजीकृत आरोहकों का व्यक्तिगत दुर्घटना कवर की व्यवस्था सार्वजिनक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों से की जा सकती है। बीमा राशि तथा प्रीमियम का मोल-भाव संभावित आरोहकों की संख्या पर निर्मर करेगा।

- (17) निगरानी प्रक्रिया (Monitoring Mechanism): योजना को क्रियान्वित करने वाले राज्यों में राज्य स्तरीय निगरानी होगी। कृषि मंत्रालय द्वारा योजना का वार्षिक पुनरावलोकन किया जाएगा तथा इस कार्य में क्रियान्वयन करने वाले राज्य कोकोनट विकास बोर्ड तथा बीमा कंपनी भी हिस्सा लेगी। प्रतिनिधि होंगे जो योजना की प्रगति की निगरानी करेंगे। इस समिति की सभा तिमाही में कम से कम एक बार अवश्य समितियाँ बनाई जाएंगी, जिसमें कोकोनेट विकास बोर्ड, बीमा कपनी तथा राज्य कृषि अथवा बागवानी विभाग के
- (18) बीमा प्रचार (Insurance Publicity): भागीदार राज्य तथा कोकोनट विकास बोर्ड अपनी बीमा योजना को किसानों अथवा उत्पादकों में लोकप्रिय बनाने का प्रत्येक प्रयास करेंगे

# जैव ईंधन देने वाले वृक्षों/पादपों का बीमा (Bio-Fuel Tree/Plant Insurance)

करने का प्रावधान भी होता है। बॉम्पकर्ता की विभिन्न लागतों और व्ययों की भरपाई के आधार पर तय की गई है। पॉलिसी की अवधि एक वर्ष होती है जिसे 3 या 5 वर्ष रूपरेखा, शामिल जोखिम के प्रकार भौगोलिक स्थिति, समान जोखिम के लिए अन्य बीमाकर्ताओं द्वारा वसूल की गई दर, कटौतियाँ तथा होती है। जिसे निवेश लागत के 125 प्रतिशत से 150 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। प्रीमियम की दर वृक्ष/फसल की जोखिम पर आधारित होती है जो वृक्ष और पौधे के प्रकार एवं उनकी आयु पर निर्भर होगी। बीमा ग्रिश मुख्य तौर पर निवेश की लागत के समान आर्थिक नुकसान पर लागू होगी और उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। बीमा की राशि बीमा में सम्मिलित क्षेत्र की प्रत्येक इकाई में निवेश की लागत पॉलिसी प्राकृतिक आपराओं से वृक्षों/पौषों को होने वाली कुल हानि या श्रति के कारण निवेश की लागत के संबंध में बीमित को होने वाले प्रजाति से प्रजाति के लिए भिन्न होगी। यह योजना जैवे ईंधन वाले वृक्षों/पौधों के उत्पादों अथवा उपजाने वालों को उपलब्ध होगी। यह के वृक्ष/पैधे प्रजाति कवर किए जाते हैं। अधिकतम दायित्व जुताई की लागत तथा वृक्षों/पौधों की आयु के अनुसार सीमित होगी तथा यह एक विशिष्ट आपदा बीमा योजना है जो सूखा जोखिम के लिए कवर अथवा सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें छः विभिन्न प्रकार

सर्वेक्षक की नियुक्ति करेगा एग्रीकल्चर इंश्वोरेंस कंपनी ऑफ इंडिया को दावा फार्म प्रस्तुत करेगा। ए आई सी हानि के मूल्यांकन के लिए कृषि विशेषज्ञ के साथ किसी ऐसी बीमा आधीन आपदा के घटने की दशा में जिससे पौधे/पौधों के क्षतिग्रस्त होने से पूरी हानि हो जाए तो बीमित व्यक्ति

## • आलू फसल बीमा (Potatao Crop Insurance)

लागत की हानि की सीमा तक होने वाले वित्तीय नुकसान की क्षतिपूर्ति करता है। यह पॉलिसी बीमाधारक को बीमा अवधि के दौरान की लागत को संरक्षण देने वाला बीमा उत्पाद है। यह बीमा बीमाधारक को बीमित आपदा के कारण होने वाली क्षति या नुकसान के कारण ठेकेदारी आलू उत्पादन खेती के लिए उपलब्ध है। अधिकतम बीमित राशि ₹ 25,000 प्रति एकड़ है। यह योजना उगाने वाला करता है। प्राकृतिक विपदाओं आलू के पौषों की निर्धारित संख्या में कमी होने पर अकेले या साथ-साथ संरक्षण प्रदान करता है एवं क्षतिपूर्ति प्रदान ्उत्पादक-वित्तदाता-बीमाकर्ता की भागीदारी के मॉडल पर आधारित है। यह उगाई शुरू होने के सप्ताह बाद से कटाई के 7 दिन पहले तक यह एक अद्वितीय बीमा योजना है जो आलू फसल बुआई से सर्बोधत जोखिमों को कवर करती है। यह आलू उत्पादक क्षेत्रों में

अंतर्गत हानि की राशि प्रति एकड़ हानि एवं क्षति का प्रति एकड़ आगत लागत के प्रति प्रतिशत लगाकर ज्ञात की जाएगी। अथवा क्षति के दावे के लिए फार्म जमा करेगा। वह AIC को सभी उचित सूचनाएँ तथा दावे से संबंधित सभी प्रमाण देगा। इस पॉलिसी के बीमित को कोई भी हानि अथवा क्षति होने पर 48 घंटों के भीतर बीमा कंपनी को सूचित करना चाहिए। वह 15 दिनों में हानि

## • तुगदी वृक्ष बीमा (Pulp Wood Tree Insurance)

यूकीलिपटस, पॉपलर, सुबबुल तथा केसयूरीमया। इसके अंतर्गत कुछ विशेष जोखिमों के कारण वृक्षों को हुई कुल हानि के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है जैसे- आग, बाढ़, चक्रवात, तूफान, बीमारी तथा महामारी आदि। कुल हानि से अभिप्राय एक व्यक्तिगत प्लांट अथवा भौगोलिक क्षेत्रों में पर्याप्त सुविधाओं के साथ फसल उगाने के लिए दी जाती है। इसके अंतर्गत चार प्रकार के वृक्ष सम्मिलित हैं जैसे-यह प्रणाली कुछ निश्चित जोखिमों के प्रति लुगदी वृक्ष लगाने वाले किसानों को प्राप्त होती है। यह बीमा सुरक्षा कुछ विशेष

> 163 कृषि \*\*\* अथवा इसके किसी भाग को होने वाली हानि से है। बीमा की जाने वाली ग्रीश बीमा सुरक्षा वाले प्रति इकाई क्षेत्र की एक सूर्ण कसल अथवा इसके किसी भाग को होने वाली हानि से है। बीमा की जाने वाली ग्रीश बीमा सुरक्षा वाले प्रति इकाई क्षेत्र की एक अत्य का अविध के लिए भी निगर्मित की जा सकती है। मह 5 साल की अविध के लिए भी निगर्मित की जा सकती है। क्षर्ति अपना निर्मा जो कि वृक्षों की प्रकृति तथा अवधि पर निर्मर है। यह आगम लागत के 125% अथवा 150% तक हो आगम लागत पर आधारित होगी जो कि वृक्षों के प्रकृति तथा अवधि पर निर्मर है। यह आगम लागत के 125% अथवा 150% तक हो आगम के तिस्यम की दरें वृक्ष के जोखिम के पार्श्वीचन, सम्मिलित जोखिम की प्रकृति। भौगोजिन कर्मा के प्रकृति। भूग लगति पर की दरें वृक्ष के जोखिम के पार्श्वचित्र, सिम्मिलित जोखिम की प्रकृति। मौगोलिक अवस्थिति, उसी जोखिम के लिए सकती है। ग्रीमियम की दरें वृक्ष के जोखिम के पार्श्वचित्र, सिम्मिलित जोखिम की प्रकृति। मौगोलिक अवस्थिति, उसी जोखिम के लिए ्राती है। प्रामप सकती है। प्रामप अन्य बीमाकर्ता द्वारा ली जाने वाली दरों, बीमाकर्ता के विधिन्न व्ययों एवं लागतों पर निर्पर होगी। पॉलिसी की अवधि वार्षिक होती है परंतु अन्य बीमाकर्ता द्वारा ली जनविध के लिए भी निगर्मित की जा सकती है।

# 5 सारा इलायची के पीधे एवं उपज बीमा (Cardamom Plant and Yield Insurance)

है। इस बाना तत्नों की परिभाषा पॉलिसी के सेक्शन 1 तथा 2 में दी गई है। फसल उगाने वाले इन दोनों में से किसी एक अथवा दोनों को चयन कर ग्राकृतिक परण प्राकृतिक परण है। इस बीमा योजना के अंतर्गत इलायची के पौधों एवं उपज को होने वाली श्वति अथवा हानि को सम्मिलित किया जाता है। गैर-निवार्य है। इस बीमा योजना के संक्शान 1 तथा 2 में दी गई है। फसल उगाने जाने जाने के रूपके के यह प्रा यह प्रमावित होते हैं जैसे कि बीमारी अथवा महामारी। यह योजना केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा सिक्किम में उपलब्ध प्रकृतिक तत्वों से प्रमावित होते हैं जैसे कि बीमारी अथवा महामारी। यह योजना केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा सिक्किम में उपलब्ध हुलाल यह ऐसी बीमा योजना है जो कि ऐसे उपज लगाने वालों को प्रभावी जोखिम प्रबंध सुविधा प्रदान करती है जो कि गैर-निवार्य यह ऐसी बीमा योजना है जो कि बीमारी अध्यक्ष प्रकारी के प्रभावी जोखिम प्रवंध सुविधा प्रदान करती है जो कि गैर-निवार्य

ते हैं। **द्यारा 1: इलायची की फसल का बीमा:** इसमें गैर निवार्य जोखिमों के कारण कम फसल होने पर सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह बीमा योजना क्षेत्रीय अवधारणा<sup>\*</sup> जो कि ब्लॉक/तालुका/ग्राम स्तर पर आधारित है, के अनुरूप कार्य करती है। इसमें क्षेत्र के पिछले वर्ष की भारित औसत कीमत से गुणा करके किया जाता है। बीमित राशि क्षेत्र के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है और इसका निर्धारण एक बीमित इकाई की गारटीयुक्त फसल को उस

**इलायची के पौधों का बीमा:** इस धारा के अंतर्गत बीमित को बीमित पौधारोपण के 2 वर्ष से 12 वर्ष तक में पौधों को होने वाली, कुल हानि के लिए क्षतिपूर्ति की जाती है। अपरिपक्व पौघों के लिए पौघारोपण की तिथि से 365 दिन का प्रतीक्षा समय दिया जाता है। बीमा सुरक्षा तथा दावे का निर्धारण व्यक्तिगत पौषे के आधार पर होगा। बीमा सुरक्षा प्राकृतिक आपदाओं, कुछ निश्चित बीमारियों तथा महामारियों के लिए दी जाएगी। जगली जानवरों के कारण हुई हानि के लिए भी आधारित होगी। पूर्ति की जाएगी। बीमित राशि पौघारोपण की अवधि तथा विभिन्नता के अनुसार पौघारोपण के औसत आगम लागत पर

तभी किया जाएगा तब प्रति हेक्टेयर में 25 या इससे अधिक पौधों को हानि हुई हो। लिए श्रितपूर्ति का निर्घारण AIC द्वारा मसाला बोर्ड से प्राप्त फसल ऑकड़ों के आघार पर किया जाएगा। पौधों को हुई हानि का भुगतान प्रीमियम की दरें बीमांकिक रूप से निर्धारित की जाती हैं। पॉलिसी की अविध एक वर्ष की होगी। फसल को होने वाली हानि

# • कॉफी/वर्षा वीमा योजना (Rainfall Insurance Scheme/Coffee)

वर्ष के लिए प्रदान की जाती है। इसमें कॉफी उगाने वाले क्षेत्रों जैसे- कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु को सम्मिलित किया जाता है। इसमें लिए वास्तविक वर्षा में कमी/अधिक होने कारण कॉफी की फसल/ उपज खराव हो जाने की आशंका के प्रति श्रतिपूर्ति करती है। यह बीमा उगाने वालों के परामर्श पर आरंभ की गई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बीमाधारक को विभिन्न संरक्षण/विकल्पों के रोबस्ता के लिए ₹ 30,00,000 प्रति हेक्टेयर है। यह योजना सिम्मिलित क्षेत्र के कॉफी बोर्ड केंद्रीय कॉफी अनुसंघान संस्थान तथा कॉफी रोबस्ता तथा अरेबिका दोनों को सम्मिलित किया जाता है। अरेबिका के लिए अधिकतम वीमित ग्राश ₹ 40,000 प्रति हेक्टयर तथा 1 मार्च से 31 अगस्त तक के लिए है। विभिन्न संरक्षणों में यह अविध निर्मालिखित के अनुसार है: यह सुरक्षा मानसून होने वाली अत्यधिक बारिश, पुष्पकाल की वर्षा एवं बेकिंग वर्षा में कमी के लिए तथा मानसून के बाद की

- (1) पुष्पकाल की वर्षा: 1 मार्च से 15 अप्रैल/30 अप्रैल/15 मई तक।
- (2) बेकिंग वर्षा: पुष्पकाल समाप्त होने के 18वें दिन से 35वें दिन तक।
- (3) मानसून वर्षा: 1 जुलाई से 31 अगस्त।